Drishti IAS

एडिटोरियल

(संग्रह)

अगस्त 2024

Drishti, 641, First Floor,
Dr. Mukharjee Nagar,
Delhi-110009
Inquiry (English): 8010440440,
Inquiry (Hindi): 8750187501
Email: help@groupdrishti.in

अनुक्रम

- भारत की वृद्धजन आबादी में वृद्धि 3
- वैश्विक स्वास्थ्य प्रशासन में भारत की भूमिका 6
- भारत में जैवविविधता संरक्षण की पुनर्कल्पना 10
- कृत्रिम बुद्धिमत्ता और नैतिकता 14
- GM फसलों के प्रति संतुलित दृष्टिकोण 19
- दक्षिण एशिया में भारत की भूमिका 25
- भारत में पोषण सुरक्षा 31
- मध्य-पूर्व में भारत के हित 36
- वर्ष 2047 तक 30 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने का भारत का लक्ष्य 40
- भारत में सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज 44
- भारत का अनुसंधान एवं विकास परिदृश्य 47
- भारत की साइबर सुरक्षा 52
- नागरिक स्वतंत्रता में सर्वोच्च न्यायालय की भूमिका 56
- अंडमान और निकोबार के लिये एक सतत् भविष्य की रूपरेखा 62
- भारत में समान नागरिक संहिता (UCC) 67
- भारत में मानसिक स्वास्थ्य सेवा का पुनरुद्धार 71
- भारत में युवा रोज़गार 76
- भारत में महिला सुरक्षा 81
- नौकरशाही में पार्श्व प्रवेश (लेटरल एंट्री) 87
- विकसित राष्ट्र के लिये पूर्वी भारत का पुनरुद्धार 92
- भारत का अंतरिक्ष क्षेत्र 97
- भारत-अमेरिका साझेदारी 102
- भारत का खाद्य प्रसंस्करण परिदृश्य 108
- भारत का ई-कॉमर्स उद्योग 113
- भारत का कार्बन बाज़ार 118
- समावेशी वित्तीय प्रणाली का निर्माण 124
- अभ्यास प्रश्न 130

नोट :

भारत की वृद्धजन आबादी में वृद्धि

भारत एक **जनसांख्यिकीय परिवर्तन** से गुज़र रहा है जिस पर तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता है। जबकि देश में जनसांख्यिकी पर सार्वजनिक चर्चा मुख्यत: **युवा आबादी और जनसांख्यिकीय लाभांश** पर केंद्रित रही है, तेज़ी से वृद्ध हो रही आबादी पर भी उतना ही ध्यान देने की आवश्यकता है। अनुमान है कि **वर्ष 2050 तक भारत में वृद्धजनों का अनुपात वर्ष 2011 के 8.6% से बढ़कर 20.8% हो** जाएगा। पश्चिमी देशों में लगभग एक सदी की तुलना में भारत में **महज 20-30 वर्षों में** घटित हो रही तीव्र वृद्धावस्था की गति वृद्धजनों के लिये पर्याप्त सामाजिक सुरक्षा प्रणालियों के विकास को पीछे छोड़ रही है।

भारत की वृद्धजन आबादी की आवश्यकताओं को पर्याप्त दृश्यता या नीतिगत प्राथमिकता नहीं प्राप्त हो रही है। भारत में कुछ पूर्वी और दक्षिण-पूर्वी एशियाई देशों के विपरीत सार्वभौमिक सार्वजनिक पेंशन योजना, व्यापक स्वास्थ्य बीमा या वृद्धजनों के लिये सुदृढ़ सामाजिक देखभाल प्रावधानों का अभाव है। उपलब्ध आँकड़े वृद्ध व्यक्तियों के लिये आवश्यक सेवाओं की उपलब्धता, पहुँच, सामर्थ्य और स्वीकार्यता में गंभीर असमानताओं को उजागर करते हैं। ये असमानताएँ भौगोलिक अवस्थिति, वर्ग, जाति, लिंग और औपचारिक रोज़गार तक पहुँच जैसे कारकों से प्रभावित होती हैं। जैसे-जैसे भारत एक वृद्ध समाज में बदल रहा है, वित्तीय सुरक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं और वृद्धजनों के लिये सामाजिक देखभाल में इन अंतरालों को दूर करना एक महत्त्वपूर्ण अनिवार्यता बन गई है।

भारत में वृद्धजनों के समक्ष विद्यमान प्रमुख चुनौतियाँ कौन-सी हैं?

- **पेंशन की समस्या:** भारत की पेंशन प्रणाली इसकी वृद्ध होती आबादी के लिये अत्यंत अपर्याप्त है।
  - **कार्यबल का केवल लगभग 12%** ही औपचारिक पेंशन योजनाओं के अंतर्गत आता है (**विश्व बैंक** के अनुसार), जिसके कारण अधिकांश लोग वृद्धावस्था में वित्तीय सुरक्षा से वंचित रह जाते हैं।
  - **राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (NSAP)** वृद्ध गरीबों को **मात्र 200-500** रुपए प्रति माह प्रदान करता है, जो जीवनयापन के लिये पर्याप्त नहीं है।
- **स्वास्थ्य देखभाल संबंधी बाधाएँ:** **गैर-संचारी रोगों (NCDs)** का बोझ भारत के वृद्धजनों पर भारी पड़ रहा है।
  - **लॉन्गिटूडिनल एजिंग स्टडीज ऑफ इंडिया (LASI)** के अनुसार, 60 वर्ष से अधिक आयु के अधिकांश लोग मधुमेह, उच्च रक्तचाप और हृदय संबंधी रोगों जैसी गैर-संचारी बीमारियों से पीड़ित हैं।
  - **विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO)** के अनुसार, स्वास्थ्य पर अत्यधिक व्यय के कारण **प्रतिवर्ष 55 मिलियन भारतीय गरीबी** की चपेट में आ रहे हैं और वृद्धजन इससे विशेष रूप से प्रभावित हो रहे हैं।
  - वृद्धावस्था देखभाल सुविधाओं और विशेषज्ञों की कमी से यह समस्या और भी जटिल हो जाती है, जिससे कई वृद्धजनों को अपनी स्वास्थ्य आवश्यकताओं के प्रबंधन के लिये संघर्ष करना पड़ता है।
    - भारत में विश्व की **वृद्ध आबादी का चौथाई भाग मौजूद** हैं, लेकिन यहाँ प्रति वर्ष केवल 20 वृद्धावस्था विशेषज्ञ (geriatricians) ही उपलब्ध होते हैं।
- **अकेलेपन की महामारी - 'The Loneliness Epidemic':** तीव्र शहरीकरण और बदलती पारिवारिक संरचना ने कई वृद्ध भारतीयों को सामाजिक रूप से अलग-थलग कर दिया है।
  - पारंपरिक संयुक्त परिवार प्रणाली, जो कभी वृद्धजनों के लिये सहायता और साथ का स्रोत थी, अब एकल परिवारों से प्रतिस्थापित हो रही है।
  - इस **अकेलेपन या एकाकीपन के गंभीर मानसिक स्वास्थ्य परिणाम** उत्पन्न होते हैं, जहाँ वृद्धजनों में अवसाद (depression) की **दर 10-20% तक** होने का अनुमान है।
  - **कोविड-19 महामारी** ने इस समस्या को और बढ़ा दिया, जिससे वृद्धजनों के लिये समुदाय-आधारित सहायता प्रणालियों और सामाजिक संलग्नता कार्यक्रमों की आवश्यकता अनुभव की गई।
- तकनीक-चालित विश्व में पीछे छूट जाना: जैसे-जैसे **भारत तेज़ी से डिजिटलीकरण** की ओर आगे बढ़ रहा है, कई वृद्धजन स्वयं को डिजिटल डिवाइड के **'रॉन्ग साइड' या नकारात्मक पक्ष** में पा रहे हैं।
  - बैंकिंग सेवाओं से लेकर स्वास्थ्य देखभाल तक, आवश्यक सेवाएँ तेज़ी से ऑनलाइन होती जा रही हैं।
    - लगभग **86% वृद्धजन डिजिटल प्रौद्योगिकी या कंप्यूटर** का उपयोग करना नहीं जानते हैं।
    - यह डिजिटल निरक्षरता न केवल सेवाओं तक उनकी पहुँच को सीमित करती है, बल्कि परिवार और मित्रों के साथ जुड़े रहने की उनकी क्षमता को भी बाधित करती है, जिससे उनका अलगाव एवं दूसरों पर निर्भरता और अधिक बढ़ जाती है।

नोट :

- **वृद्धजनों के साथ दुर्व्यवहार (Elder Abuse):** वृद्धजनों के साथ दुर्व्यवहार भारत में बढ़ती चिंता का विषय है जिस पर प्राय: सार्वजनिक चर्चा नहीं होती। **एल्डर्स हेल्पलाइन 1090 और एल्डरलाइन 14567** द्वारा उपलब्ध कराए गए आँकड़ों से पता चला है कि लॉकडाउन के बाद वृद्धजनों के साथ दुर्व्यवहार **में 251% की वृद्धि** हुई।
  - वित्तीय शोषण, उपेक्षा और यहाँ तक कि शारीरिक दुर्व्यवहार भी व्याप्त है।
  - माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण तथा कल्याण अधिनियम, 2007 के अधिनियमन के बावजूद इसका प्रवर्तन कमज़ोर बना हुआ है।
  - दुर्व्यवहार करने वालों पर निर्भरता, प्रतिशोध के भय या सामाजिक कलंक के कारण कई मामले रिपोर्ट नहीं किये जाते, जो सुदृढ़ सुरक्षात्मक उपायों और जागरूकता अभियानों की आवश्यकता को उजागर करता है।
- **आवासन संकट:** भारत में वृद्धजनों के लिये पर्याप्त और वहनीय आवासन एक गंभीर चुनौती है।
  - जबकि समृद्ध लोगों के लिये **सेवानिवृत्त समुदाय (retirement communities)** उभर रहे हैं, मध्यम और निम्न आय वाले वरिष्ठ नागरिकों के लिये ऐसे विकल्प सीमित हैं।
  - मौजूदा आवासों में आयु-उपयुक्त डिज़ाइन सुविधाओं (जैसे कि रैम्प, ग्रैब बार) और आपातकालीन प्रतिक्रिया प्रणालियों का अभाव, सुरक्षा जोखिम पैदा करता है।
  - वहनीय सहायतायुक्त आवास सुविधाओं की कमी नियमित देखभाल आवश्यकता रखने वाले लोगों के लिये आवास विकल्पों को और अधिक जटिल बना देती है।

भारत में प्रमुख वृद्धजन देखभाल योजनाएँ कौन-सी हैं?

- **सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग:**
  - अटल वयो अभ्युदय योजना (एक समग्र योजना)
    - **वरिष्ठ नागरिकों के लिये एकीकृत कार्यक्रम (IPSrC):** आश्रय, भोजन, चिकित्सा देखभाल और मनोरंजन प्रदान कर वरिष्ठ नागरिकों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार के लिये गृहों की स्थापना करना।
    - **वरिष्ठ नागरिकों के लिये राज्य कार्ययोजना (SAPSrC):** राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को वरिष्ठ नागरिक कल्याण के लिये अपनी स्वयं की कार्ययोजना बनाने के लिये प्रोत्साहित करना।
    - **राष्ट्रीय वयोश्री योजना (RVY):** वरिष्ठ नागरिकों को शारीरिक सहायता और सहायक उपकरण प्रदान करना।
    - **आजीविका और कौशल विकास पहल:** इसमें सक्षम वरिष्ठ नागरिकों के लिये गरिमापूर्ण पुनर्नियोजन (SACRED) और सामाजिक पुनर्निर्माण पर लक्षित कार्य समूह (AGRASR) शामिल हैं।
    - जागरूकता सृजन और क्षमता निर्माण: वरिष्ठ नागरिकों के लिये प्रशिक्षण, संवेदीकरण और राष्ट्रीय हेल्पलाइन (एल्डरलाइन: 14567)।
- **ग्रामीण विकास मंत्रालय:**
  - **राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (NSAP):** वृद्धों, विधवाओं और दिव्यांग व्यक्तियों को वित्तीय सहायता।
    - **इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना (IGNOAPS):** वृद्ध बीपीएल व्यक्तियों के लिये मासिक पेंशन।
- **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय:**
  - **वृद्धजनों के स्वास्थ्य देखभाल के लिये राष्ट्रीय कार्यक्रम (NPHCE):** प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक स्तर पर वृद्धजनों के लिये व्यापक स्वास्थ्य देखभाल।
    - **प्राथमिक एवं द्वितीयक देखभाल:** 713 ज़िलों में जेरिएट्रिक ओपीडी, आईपीडी, फिजियोथेरेपी और प्रयोगशाला सेवाएँ।
    - **तृतीयक देखभाल:** क्षेत्रीय जरा चिकित्सा केंद्र (Regional Geriatric Centres-RGCs) और 2 राष्ट्रीय वृद्धावस्था केंद्र (National Centres for Ageing)।
- **वित्त मंत्रालय:**
  - **अटल पेंशन योजना (APY):** 18-40 वर्ष की आयु के व्यक्तियों के लिये पेंशन योजना, जो 60 वर्ष की आयु में गारंटीकृत पेंशन प्रदान करती है।
- **आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय:**
  - **मॉडल भवन उप-नियम, 2016:** भवनों और परिवहन सुविधाओं में वृद्धजनों के अनुकूल वातावरण के लिये मानक।
  - **अर्बन बस स्पेसिफिकेशन-II (2013):** वृद्धजनों और दिव्यांगजनों के लिये सुगम्यता हेतु लो-फ्लोर बसें।
  - **प्रधानमंत्री आवास योजना:** वरिष्ठ नागरिकों वाले परिवारों के लिये भूतल या निचली मंज़िल पर आवास आवंटन को प्राथमिकता।

नोट :

- **DAY-NULM:** वृद्धजनों सहित शहरी बेघरों के लिये आश्रय।

भारत में वृद्धजनों के लिये स्वास्थ्य बीमा के क्षेत्र में हाल की प्रगति:

भारतीय बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण (IRDAI) ने हाल ही में चिकित्सा बीमा पॉलिसियों की खरीद के लिये आयु सीमा हटा दी है, जिससे वरिष्ठ नागरिकों को व्यापक लाभ होगा।

IRDAI के नए निर्देश:

- **आयु संबंधी बाधा हटाना:** पूर्व की आयु संबंधी बाधा हटा दी गई है, जिससे 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति भी अब स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी खरीद सकते हैं।
- **विशिष्ट उत्पाद:** बीमा कंपनियों को विशिष्ट जनसांख्यिकी, जैसे वरिष्ठ नागरिकों, छात्रों, बच्चों और प्रसूति के लिये उत्पाद विकसित करने का निर्देश दिया जाता है।
- **पूर्व-विद्यमान स्थितियों के लिये कवरेज:** बीमा कंपनियों को भारत सरकार के राजपत्र प्रावधानों के अनुसार, कैंसर और हृदयाघात सहित सभी पूर्व-विद्यमान चिकित्सा स्थितियों के लिये कवरेज प्रदान करना होगा।
- **बीमा घनत्व और पैठ (Insurance Density and Penetration):** इन उपायों से भारत में बीमा घनत्व और पैठ में वृद्धि होने की उम्मीद है।
- **प्रीमियम भुगतान के विकल्प:** बीमा कंपनियों को प्रीमियम के लिये किश्तों में भुगतान का विकल्प उपलब्ध कराना होगा।
- **यात्रा पॉलिसी:** केवल सामान्य और स्वास्थ्य बीमा कंपनियों को ही यात्रा बीमा पॉलिसी प्रदान करने की अनुमति है।
- **आयुष उपचार:** आयुष (आयुर्वेद, योग, प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी) के अंतर्गत उपचार के लिये कवरेज पर कोई सीमा नहीं है।

भारत में वृद्धजनों की देखभाल को बेहतर बनाने के लिये कौन-से अतिरिक्त उपाय किये जाने चाहिये?

- **'सिल्वर इकोनॉमी' को बढ़ावा देना:** वरिष्ठ नागरिकों को बाल देखभाल, पारंपरिक शिल्प और मार्गदर्शन भूमिकाओं जैसे क्षेत्रों में पुन: प्रशिक्षित करने तथा रोज़गार देने के लिये एक राष्ट्रीय **'सिल्वर स्किल्स' (Silver Skills)** कार्यक्रम लागू किया जाए।
  - **60 वर्ष से अधिक आयु के कर्मचारियों को नियुक्त करने वाली कंपनियों** के लिये कर प्रोत्साहन प्रदान किया जाए और वृद्धजन उद्यमियों के लिये विशेष रूप से सरकार समर्थित सूक्ष्म-वित्त योजना प्रदान की जाए।
  - उदाहरण के लिये, **सिंगापुर की सफल 'WorkPro' योजना—जो आयु-अनुकूल** अभ्यासों को क्रियान्वित करने वाली कंपनियों को अनुदान प्रदान करती है, को भारत के लिये अपनाया जा सकता है। यह दृष्टिकोण न केवल वृद्धजनों के लिये आय प्रदान करता है बल्कि उनके विशाल अनुभव का भी उपयोग करता है।
- **तकनीक-सशक्त वृद्धजन देखभाल:** वृद्धजनों के बीच डिजिटल साक्षरता में सुधार लाने के लिये राष्ट्रव्यापी **'डिजिटल दादा-दादी'** पहल शुरू की जाए (यह ध्यान में रखते हुए कि डिजिटल पहुँच को अंतिम मील तक ले जाने के सभी उपाय किये जाएँ)।
  - वरिष्ठ नागरिकों के लिये **उपयोगकर्त्ता अनुकूल ऐप्स और डिवाइस विकसित** करने के लिये तकनीकी कंपनियों के साथ साझेदारी की जाए, जहाँ स्वास्थ्य निगरानी, सामाजिक संपर्क और आवश्यक सेवाओं पर ध्यान केंद्रित किया जाए।
  - **निम्न आय वाले वृद्धजनों** के लिये सब्सिडीयुक्त स्मार्टफोन कार्यक्रम लागू किया जाए।
  - इसके अतिरिक्त, **'डिजिटल सहायक'** का एक नेटवर्क विकसित किया जाए। डिजिटल सहायक के रूप में युवा स्वयंसेवक अपने समुदायों में वृद्धजनों को तकनीकी सहायता प्रदान कर सकेंगे।
- **सामुदायिक देखभाल केंद्र:** सभी शहरी वार्डों और ग्रामीण पंचायतों में औपचारिक 'वरिष्ठ सेवा केंद्र' स्थापित किये जाएँ।
  - ये केंद्र वृद्धजनों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये **'वन-स्टॉप शॉप'** के रूप में कार्य कर सकेंगे और स्वास्थ्य **जाँच, कानूनी सहायता, पेंशन सेवा एवं सामाजिक** गतिविधियों के लिये संपर्क या लिंक्स उपलब्ध कराएँगे।
  - जापान की सफल **समुदाय-आधारित एकीकृत देखभाल प्रणाली** के आधार पर स्थापित ये केंद्र घरेलू देखभाल सेवाओं का समन्वय भी करेंगे और पारिवारिक देखभालकर्ताओं के लिये राहत देखभाल प्रदान करेंगे।
  - सामुदायिक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिये इन केंद्रों के प्रबंधन में स्थानीय गैर-सरकारी संगठनों को संलग्न किया जाए।
- **जरावस्था स्वास्थ्य कोर (Geriatric Health Corps):** मौजूदा **आशा (ASHA - Accredited Social Health Activist) ढाँचे के भीतर 'जरावस्था स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं'** का एक कैडर सृजित किया जाए।

नोट :

- इन कर्मियों को वृद्धजनों की देखभाल के संबंध में विशेष प्रशिक्षण प्रदान किया जाए और उन्हें दूरस्थ निगरानी एवं बुनियादी जरावस्था आकलन के लिये डिजिटल स्वास्थ्य टूलकिट से लैस किया जाए।
- दूरदराज के क्षेत्रों तक पहुँच बनाने के लिये मोबाइल **जेरिएट्रिक क्लीनिक स्थापित** किये जाएँ और विशेषज्ञों की कमी को दूर करने के लिये चिकित्सा एवं नर्सिंग पाठ्यक्रम में जरावस्था देखभाल मॉड्यूल को एकीकृत किया जाए।
- इसके अतिरिक्त, **भारतीय विज्ञान संस्थान (IISc) बेंगलुरु** ने वृद्धावस्था से संबंधित स्वास्थ्य समस्याओं का अध्ययन करने और वृद्धजनों की बेहतर देखभाल के लिये हस्तक्षेप विकसित करने हेतु **'लॉन्गविटी इंडिया' (Longevity India) कार्यक्रम** शुरू किया है, जो एक महत्त्वपूर्ण कदम है।

- **वित्तीय सुरक्षा तंत्र में सुधार लाना:** वृद्धावस्था के लिये वित्तीय योजना को प्रोत्साहित करने **हेतु उच्च ब्याज दरों के साथ** 'वरिष्ठ नागरिक बचत बॉण्ड' की शुरुआत की जाए।
  - वृद्धजनों के लिये कम प्रीमियम और व्यापक कवरेज के साथ विशेष स्वास्थ्य बीमा उत्पाद सृजित किये जाएँ, जिनमें मानसिक स्वास्थ्य और घरेलू देखभाल सेवाएँ भी शामिल हों।
  - उदाहरण के लिये, जापान की दीर्घकालिक देखभाल बीमा प्रणाली, जो वृद्धों की देखभाल से जुड़ी विभिन्न सेवाओं को कवर करती है, को भारतीय संदर्भ में अनुकूलित किया जा सकता है।
- **वृद्धजन अधिकार संरक्षण:** वृद्धजनों के साथ दुर्व्यवहार और शोषण के मामलों के प्रबंधन के लिये पुलिस स्टेशनों में समर्पित 'वृद्धजन संरक्षण इकाइयाँ' स्थापित की जाएँ।
  - वृद्धों के साथ दुर्व्यवहार के संभावित मामलों को चिह्नित करने के लिये स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं और बैंक अधिकारियों के लिये अनिवार्य रिपोर्टिंग प्रणाली लागू करें।
  - वृद्धजनों से संबंधित मामलों के लिये फास्ट-ट्रैक अदालतें स्थापित कर और गैर-अनुपालन के लिये दंड में वृद्धि कर 'माता-पिता और वरिष्ठ नागरिक भरण-पोषण तथा कल्याण अधिनियम' के कार्यान्वयन को सुदृढ़ किया जाए।
- **आयु-अनुकूल शहर:** सुगम्य सार्वजनिक स्थानों, परिवहन और सेवाओं के लिये दिशानिर्देशों के साथ एक राष्ट्रीय **'आयु-अनुकूल शहर' (Age-Friendly City) प्रमाणन कार्यक्रम** विकसित किया जाए।
  - अतिरिक्त वित्तपोषण और मान्यता के माध्यम से इन दिशानिर्देशों को लागू करने के लिये शहरों को प्रोत्साहित करें।
  - इसकी मुख्य सुविधाओं में सुगम्य सार्वजनिक शौचालय, सार्वजनिक परिवहन में आरक्षित सीटें और व्यायाम उपकरणों के साथ वृद्धजनों के लिये अनुकूल पार्क शामिल हो सकते हैं।
- **वृद्धजन पोषण मिशन: 'वृद्धजनों के लिये पोषण' (Poshan for Elders) योजना** शुरू की जाए, जहाँ सफल सिद्ध हुए बाल पोषण कार्यक्रम के सिद्धांतों को वृद्धजनों तक भी विस्तारित किया जाए।
  - इसमें सामुदायिक रसोई के माध्यम से पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराना, देखभालकर्ताओं के लिये पोषण संबंधी शिक्षा प्रदान करना और पोषण संबंधी स्थिति पर ध्यान केंद्रित करते हुए नियमित स्वास्थ्य जाँच करना शामिल होगा।
- **'सिल्वर वालंटियर्स' (Silver Volunteers):** सामुदायिक सेवा भूमिकाओं में स्वस्थ वृद्धजन व्यक्तियों को शामिल करने के लिये एक राष्ट्रीय 'वरिष्ठ स्वयंसेवक कोर' का गठन किया जाए।
  - सक्रिय स्वयंसेवकों के लिये स्वास्थ्य बीमा कवरेज या यात्रा भत्ते जैसे प्रोत्साहन प्रदान किये जाएँ।
  - यह दृष्टिकोण न केवल समुदाय को लाभ पहुँचाता है, बल्कि वृद्धजनों में सक्रिय वृद्धावस्था एवं उद्देश्य की भावना को भी बढ़ावा देता है, जैसा कि अमेरिका में **'सीनियर कोर' (Senior Corps)** जैसे सफल कार्यक्रमों द्वारा प्रदर्शित किया गया है।

■■■

वैश्विक स्वास्थ्य प्रशासन में भारत की भूमिका

हाल ही में **विश्व स्वास्थ्य सभा (World Health Assembly)** ने अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य विनियमों में **संशोधन और महामारी** संधि के लिये वार्ता के विस्तार के साथ **वैश्विक स्वास्थ्य प्रशासन में एक** महत्त्वपूर्ण कदम आगे बढ़ाया। हालाँकि, इस संधि का अंगीकृत होना अभी अनिश्चित बना हुआ है। विवाद का मुख्य बिंदु रोगजनकों और संबंधित लाभों के बँटवारे को लेकर है, जहाँ विकासशील देश उनके आनुवंशिक संसाधनों के उपयोग से उत्पादित टीकों और निदान तक समतामूलक पहुँच की मांग कर रहे हैं। इसके साथ ही, जबकि **'वन हेल्थ' का दृष्टिकोण (One Health**

नोट :

approach) गति पकड़ रहा है, विकासशील देशों में संसाधन की कमी के कारण इसके कार्यान्वयन में चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है।

वैश्विक स्वास्थ्य में **एक प्रमुख खिलाड़ी के रूप में भारत को अपने हितों की रक्षा** के लिये इन वार्ताओं में सक्रिय रूप से संलग्न होना चाहिये। उसे एक **प्रबल रोगजनक अभिगम्यता (Pathogen Access) और लाभ साझाकरण तंत्र (Benefit Sharing mechanism)** की पैरोकारी करनी चाहिये, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण एवं बौद्धिक संपदा छूट पर बल देना चाहिये और यह सुनिश्चित करना चाहिये कि देश में **'वन हेल्थ' दृष्टिकोण** लागू हो।

वर्तमान में विश्व को प्रभावित करने वाली प्रमुख स्वास्थ्य चुनौतियाँ कौन-सी हैं?

- **हृदय संबंधी रोग:** हृदय संबंधी रोग (CardioVascular Diseases- CVDs) विश्व स्तर पर मृत्यु का प्रमुख कारण हैं।
  - निम्न और मध्यम-आय देश इससे असमान रूप से प्रभावित हैं। वर्ष 2021 **में 20.5 मिलियन CVDs संबंधी मौतों में से लगभग 80% निम्न और मध्यम-आय** देशों में हुईं।
  - भारत में कुल मौतों में से **26% से अधिक मौतें हृदय संबंधी रोगों** के कारण होती हैं।
- संक्रामक रोग: जबकि कोविड-19 सुर्ख़ियों में छाया रहा, अन्य संक्रामक रोग भी गंभीर चुनौतियाँ पेश करते रहे हैं।
  - **मलेरिया प्रतिवर्ष 200 मिलियन** से अधिक लोगों को प्रभावित करती है, जिनमें से **94% मामले अफ्रीका** में सामने आते हैं।
  - एचआईवी/एड्स, यद्यपि बेहतर ढंग से प्रबंधित है, फिर भी विश्वभर में **39.9 मिलियन** लोग इससे प्रभावित हैं।
  - क्षय रोग/टीबी गंभीर चिंता का विषय बना हुआ है, जिसके कारण **वर्ष 2022 में 1.3** मिलियन लोगों की मृत्यु हुई।
  - भारत उभरते संक्रमणों और रोगाणुरोधी प्रतिरोध की चुनौतियों का सामना कर रहा है, जहाँ **प्रतिवर्ष 58,000 से अधिक नवजात शिशुओं की मृत्यु** दवा प्रतिरोधी संक्रमणों के कारण हो जाती है।
    - इसके अलावा, भारत के त्रिपुरा राज्य में प्रतिवर्ष **एचआईवी/एड्स के 1,500** नए मामले दर्ज हो रहे हैं।
- **मानसिक स्वास्थ्य विकार (Mental Health Disorders):** वैश्विक स्तर पर **8 में से 1 व्यक्ति मानसिक स्वास्थ्य विकारों** से प्रभावित है, जिनमें **अवसाद (depression) और दुश्चिंता (anxiety)** सबसे आम हैं।
  - वर्ष 2030 तक मानसिक स्वास्थ्य दशाओं की आर्थिक लागत **6 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर** तक पहुँचने का अनुमान है।
  - इस समस्या की वृहतता के बावजूद, उपचार में व्यापक अंतराल मौजूद है, जहाँ निम्न और मध्यम-आय देशों में 75% से अधिक लोगों को कोई उपचार नहीं मिल पाता है।
  - **भारत में अनुमानत:** 150 मिलियन लोगों को मानसिक स्वास्थ्य सहायता की आवश्यकता है।
- **कुपोषण और मोटापा:** विडंबना यह है कि विश्व एक साथ कुपोषण और मोटापे की चुनौतियों का सामना कर रहा है।
  - **वर्ष 2022 में 2.5 बिलियन वयस्क अधिक वजन या ओवर-वेट** के शिकार थे, जिनमें **890 मिलियन अत्यधिक मोटापे (obesity)** से ग्रस्त थे। 390 मिलियन लोग कम वजन या अंडर-वेट की समस्या के शिकार थे।
  - बाल कुपोषण के कारण प्रतिवर्ष पाँच वर्ष से कम आयु के 3.1 मिलियन बच्चों की मृत्यु हो जाती है, जबकि बाल्यावस्था मोटापे में पिछले चार दशकों में दस गुना वृद्धि हुई है।
  - यह दोहरा बोझ, विशेष रूप से विकासशील देशों में, **स्वास्थ्य देखभाल प्रणालियों** पर दबाव डालता है।
- **गैर-संचारी रोग (Non-Communicable Diseases- NCDs):** कैंसर, मधुमेह और क्रोनिक श्वसन रोगों सहित विभिन्न गैर-संचारी रोग प्रतिवर्ष वैश्विक मृत्यु में 71% का योगदान करते हैं।
  - निम्न और मध्यम-आय देशों में यह बोझ तेज़ी से बढ़ रहा है, जहाँ **असामयिक NCDs** मौतों के 85% मामले सामने आते हैं।
  - तंबाकू का उपयोग, शारीरिक निष्क्रियता और अस्वास्थ्यकर आहार जैसे परिवर्तनीय जोखिम कारक इसमें महत्त्वपूर्ण योगदान देते हैं।
  - भारत में **77 मिलियन मधुमेह रोगी** हैं, जो विश्व में दूसरी अधिकतम संख्या है।
    - **विश्व आर्थिक अध्ययन (World Economic Study)** का आकलन है कि वर्ष 2012-2030 के बीच गैर-संचारी रोगों के कारण **भारत को 4.58 ट्रिलियन** अमेरिकी डॉलर तक की हानि हो सकती है।

नोट :

- **जलवायु परिवर्तन और स्वास्थ्य:** जलवायु परिवर्तन को वैश्विक स्वास्थ्य के लिये एक बड़े खतरे के रूप में चिह्नित किया जा रहा है।
  - तापमान में वृद्धि और चरम मौसमी घटनाएँ ग्रीष्म या हीट संबंधी बीमारियों, श्वसन संबंधी बीमारियों और वेक्टर-जनित रोगों के प्रसार में योगदान करती हैं।
  - विश्व स्वास्थ्य संगठन का अनुमान है कि जलवायु परिवर्तन के कारण वर्ष 2030 से **2050 के बीच प्रति वर्ष लगभग 250,000 अतिरिक्त मौतें** होंगी।
  - वायु प्रदूषण, जो जलवायु परिवर्तन से निकटता से जुड़ा हुआ है, प्रतिवर्ष 7 मिलियन लोगों की असामयिक मृत्यु का कारण बनता है।
    - वर्ष 2019 में इसके कारण भारत में लगभग 1.67 मिलियन मौतें हुईं।
- **जल, सफाई एवं स्वच्छता (Water, Sanitation, and Hygiene- WASH):** स्वच्छ जल, सफाई एवं स्वच्छता सुविधाओं तक अपर्याप्त पहुँच वैश्विक स्तर पर गंभीर स्वास्थ्य जोखिम उत्पन्न करती है।
  - **2.2 बिलियन लोग सुरक्षित रूप से प्रबंधित पेयजल** तक पहुँच का अभाव रखते है, जबकि 4.2 बिलियन लोगों की सुरक्षित रूप से प्रबंधित स्वच्छता सेवाओं तक पहुँच नहीं है।
  - इससे जल जनित रोगों के प्रसार में वृद्धि होती है, जहाँ अकेले दस्त के कारण **प्रतिवर्ष 829,000 लोगों की मौत** हो जाती है।
  - **'WASH' की बदतर स्थिति कुपोषण** को बढ़ाती है और आर्थिक विकास में बाधा उत्पन्न करती है।
- **वृद्ध होती आबादी और स्वास्थ्य सेवा:** वैश्विक आबादी तेज़ी से वृद्ध हो रही है, जिसका स्वास्थ्य सेवा प्रणालियों पर गहरा प्रभाव पड़ रहा है।
  - वर्ष 2050 तक विश्व में हर छह में से **एक व्यक्ति 65 वर्ष से अधिक आयु** का होगा, जबकि 2019 में यह अनुपात ग्यारह में से एक रहा था।
  - यह **जनसांख्यिकीय परिवर्तन मनोभ्रंश(dementia)** जैसी आयु-संबंधी दशाओं की व्यापकता को बढ़ाता है।
  - अनुमान है कि वर्ष 2050 तक भारत में **वृद्धजन आबादी 319 मिलियन (** कुल आबादी का 19.5%) तक पहुँच जाएगी।

ये प्रमुख वैश्विक स्वास्थ्य चुनौतियाँ समन्वित अंतर्राष्ट्रीय कार्रवाई और सहयोग की आवश्यकता को उजागर करती हैं। हालाँकि, इस तरह का समन्वय प्राप्त करना इतना आसान नहीं है, जैसा कि महामारी संधि (Pandemic Treaty) पर वैश्विक सहमति की वर्तमान कमी से स्पष्ट है।

महामारी संधि पर वैश्विक सहमति का अभाव क्यों है ?

- **चिकित्सा प्रति उपायों (Medical Countermeasures)** के प्रति समानता और पहुँच का संकट: वैश्विक असहमति के मूल में भविष्य की किसी महामारी के दौरान टीकों, उपचारों और निदान तक समतामूलक पहुँच का मुद्दा है।
  - **निम्न और मध्यम-आय देश (LMICs) इन संसाधनों** के एक महत्त्वपूर्ण हिस्से (कम से कम 20%) तक पहुँच की गारंटी के लिये दबाव बना रहे हैं, जबकि उच्च-आय देश ऐसे बाध्यकारी समझौतों के लिये प्रतिबद्ध होने के प्रति अनिच्छुक हैं।
  - यह **कोविड-19** महामारी के दौरान देखी गई घोर असमानताओं को परिलक्षित करता है, जहाँ धनी देशों ने आरंभ में ही अधिकांश वैक्सीन आपूर्ति को अपने लिये सुरक्षित कर लिया था।
- **बौद्धिक संपदा अधिकार और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण:** विवाद का एक अन्य प्रमुख मुद्दा बौद्धिक संपदा (IP) अधिकारों और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण से संबंधित है।
  - LMICs ऐसे प्रावधानों की वकालत कर रहे हैं जो टीकों और उपचारों के स्थानीय उत्पादन को सक्षम करने के लिये प्रौद्योगिकी एवं सूचना के हस्तांतरण को सुगम बनाएँगे।
    - इसमें स्वास्थ्य संबंधी आपातस्थितियों के दौरान बौद्धिक संपदा छूट की मांग भी शामिल है।
  - उच्च-आय देशों और दवा कंपनियों का तर्क है कि **अनुसंधान एवं विकास (R&D)** में **नवाचार और निवेश** को प्रोत्साहित करने के लिये प्रबल बौद्धिक संपदा संरक्षण आवश्यक है।
  - वे प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के लिये अनिवार्य तंत्र के स्थान पर स्वैच्छिक तंत्र को प्राथमिकता देते हैं।
  - **वैश्विक असहमति बौद्धिक संपदा अधिकारों के व्यापार-संबंधित पहलू (Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights- TRIPS)** से जुड़े लचीलेपन की व्याख्या और उपयोग तक विस्तारित होती है, जहाँ LMICs प्रस्तावित संधि में इस लचीलेपन के स्पष्ट समर्थन के लिये दबाव डाल रहे हैं।

नोट :

- **वित्तपोषण और संसाधन आवंटन:** महामारी की तैयारी और प्रतिक्रिया के वित्तपोषण के तरीके पर, विशेष रूप से संसाधन-सीमित परिस्थितियों में, गंभीर बहस जारी है।
  - LMICs मज़बूत स्वास्थ्य प्रणालियों के निर्माण और रखरखाव के लिये धनी देशों से पर्याप्त, पूर्वानुमानित वित्तपोषण प्रतिबद्धताओं की मांग कर रहे हैं।
  - उच्च-आय देश, समर्थन की आवश्यकता को स्वीकार करते हुए भी, अनिश्चित/अनिर्धारित वित्तीय प्रतिबद्धताओं के प्रति सतर्क बने हुए हैं।
  - एक **महामारी कोष (Pandemic Fund)** के गठन के प्रस्ताव को मिश्रित प्रतिक्रिया ही मिली है।
- **संप्रभुता और राष्ट्रीय स्वायत्तता:** कई देश राष्ट्रीय संप्रभुता के संभावित उल्लंघन को लेकर चिंता रखते हैं।
  - स्वास्थ्य संबंधी आपात स्थितियों के दौरान **विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO)** के प्राधिकार के बारे में जारी चर्चा में यह बात विशेष रूप से स्पष्ट होती है।
  - कुछ राष्ट्र किसी अंतर्राष्ट्रीय निकाय को निर्णय लेने की शक्ति सौंपने के प्रति अनिच्छुक हैं, क्योंकि उन्हें भय है कि इससे राष्ट्रीय नीतियों या हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।
- **वन हेल्थ दृष्टिकोण और बहुक्षेत्रीय समन्वय:** वन हेल्थ दृष्टिकोण—जो मानव, पशु और पर्यावरणीय स्वास्थ्य के बीच अंतर्संबंध को मान्यता देता है, को शामिल करने के विचार पर मिश्रित प्रतिक्रियाएँ मिली हैं।
  - जबकि कई उच्च-आय देश इस **समग्र दृष्टिकोण का दृढ़ता** से समर्थन करते हैं, कुछ LMICs इसे अपने पहले से ही तनावग्रस्त संसाधनों पर एक अतिरिक्त बोझ के रूप में देखते हैं।
  - चुनौती इस **दृष्टिकोण को विभिन्न क्षेत्रों में क्रियान्वित करने तथा यह सुनिश्चित** करने में है कि यह संसाधन-सीमित परिस्थितियों में तात्कालिक स्वास्थ्य आवश्यकताओं से संसाधनों को विचलित न करे।
- **भू-राजनीतिक तनाव और विश्वास की कमी:** इन तकनीकी मुद्दों के मूल में व्यापक भू-राजनीतिक तनाव और राष्ट्रों के बीच आपसी विश्वास की कमी है।
  - वैश्विक स्वास्थ्य प्रशासन में ऐतिहासिक असमानताएँ, जैव आतंकवाद का उदय और **कोविड-19** महामारी के दौरान प्राप्त अनुभवों ने संदेह को बढ़ा दिया है तथा उत्तर-दक्षिण विभाजन को मज़बूत किया है।
  - इस संदर्भ में विश्वास का पुनर्निर्माण करना और वास्तविक सहयोग को बढ़ावा देना एक महत्त्वपूर्ण चुनौती है।

वैश्विक स्वास्थ्य सेवा प्रयासों को आगे बढ़ाने में भारत क्या भूमिका निभा सकता है?

- **दवा विनिर्माण और आपूर्ति शृंखला:** भारत को अपनी दवा **विनिर्माण क्षमताओं के विस्तार और आधुनिकीकरण** पर ध्यान केंद्रित करना चाहिये, जो सस्ती दवाओं और टीकों की स्थिर वैश्विक आपूर्ति सुनिश्चित करने पर लक्षित हो।
  - **जेनेरिक दवाओं से नवीन औषधि** खोज की ओर मूल्य शृंखला को आगे बढ़ाने के लिये अनुसंधान एवं विकास में निवेश करना अत्यंत आवश्यक है।
  - भारत वैश्विक दवा आपूर्ति शृंखला को सुदृढ़ करने की पहल का नेतृत्व कर सकता है, जिससे किसी एक देश पर निर्भरता कम हो जाएगी।
  - **फार्मास्यूटिकल्स के लिये उत्पादन-आधारित प्रोत्साहन (PLI)** जैसी योजनाओं का लाभ उठाने से भारत की विनिर्माण क्षमता बढ़ेगी।
  - गुणवत्ता संबंधी चिंताओं को संबोधित करते हुए घरेलू आवश्यकताओं को वैश्विक प्रतिबद्धताओं के साथ संतुलित करने से भारत निर्विवाद रूप से **'विश्व के दवाख़ाना' (pharmacy of the world)** के रूप में स्थापित हो सकेगा।
- **डिजिटल स्वास्थ्य और टेलीमेडिसिन:** भारत को स्वास्थ्य प्रौद्योगिकी में अग्रणी देश के रूप में अपनी स्थिति को मज़बूत करने के लिये अपनी डिजिटल स्वास्थ्य पहलों, विशेष रूप से राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन, का लाभ उठाना चाहिये।
  - अन्य विकासशील देशों के साथ बड़े पैमाने पर डिजिटल स्वास्थ्य प्रणालियों के विकास एवं कार्यान्वयन में विशेषज्ञता की साझेदारी से भारत की नेतृत्वकारी भूमिका सुदृढ़ हो सकती है।
  - **कोविड-19 वैक्सीन प्रबंधन** के लिये **भारत के CoWIN प्लेटफॉर्म** की सफलता ने अन्य देशों को भी इसे अपनाने के लिये प्रेरित किया, जो **डिजिटल स्वास्थ्य के क्षेत्र में** भारत की नेतृत्वकारी क्षमता को प्रदर्शित करता है।
- **पारंपरिक चिकित्सा और एकीकृत स्वास्थ्य देखभाल:** भारत को आयुर्वेद जैसी **पारंपरिक चिकित्सा प्रणालियों में साक्ष्य-आधारित अनुसंधान** को बढ़ावा देना चाहिये और आधुनिक स्वास्थ्य देखभाल के साथ उनके एकीकरण को प्रोत्साहित करना चाहिये।

नोट :

- पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों के मानकीकरण और विनियमन में अग्रणी वैश्विक प्रयास भारत को इस क्षेत्र में एक प्राधिकार के रूप में स्थापित कर सकते हैं।
- **गुजरात में अवस्थित WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसीन** का लाभ उठाकर इन प्रयासों को बढ़ावा दिया जा सकता है।

- **वहनीय स्वास्थ्य सेवा मॉडल:** भारत को आयुष्मान भारत जैसी वृहत स्वास्थ्य बीमा योजनाओं को लागू करने से प्राप्त सर्वोत्तम अभ्यासों को वैश्विक समुदायों के साथ सक्रिय रूप से साझा करना चाहिये।
  - **नवोन्मेषी, निम्न-लागतपूर्ण चिकित्सा उपकरणों** और स्वास्थ्य सेवा वितरण मॉडल को बढ़ावा देने से भारत वहनीय स्वास्थ्य सेवा में अग्रणी स्थान प्राप्त कर सकता है।
  - देश सीमित संसाधनों वाले क्षेत्रों में गैर-संचारी रोगों के वहनीय प्रबंधन के लिये विभिन्न पहलों की अगुवाई कर सकता है।
- **वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा और महामारी संबंधी तैयारी:** भारत को वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा में केंद्रीय भूमिका निभाने के लिये अपनी वैक्सीन निर्माण क्षमताओं और संक्रामक रोगों के प्रबंधन के अनुभव का लाभ उठाना चाहिये।
  - वैश्विक रोग निगरानी नेटवर्क और पूर्व चेतावनी प्रणालियों में योगदान देना अत्यंत महत्त्वपूर्ण होगा।
  - भारत टीबी और एचआईवी/एड्स जैसी बीमारियों के प्रबंधन में अपनी विशेषज्ञता को अन्य देशों के साथ साझा कर सकता है।
  - **'क्वाड वैक्सीन पार्टनरशिप'** जैसी पहलों से आगे बढ़ते हुए भारत की स्थिति मज़बूत होगी।
- **चिकित्सा शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा कार्यबल:** भारत को चिकित्सा शिक्षा और प्रशिक्षण के लिये वैश्विक मानकों को विकसित करने में अग्रणी भूमिका निभानी चाहिये तथा विशाल स्वास्थ्य सेवा कार्यबल तैयार करने के अपने अनुभव का लाभ उठाना चाहिये।
  - 'ब्रेन ड्रेन' के बजाय नैतिक भर्ती और प्रतिभा संचलन के लिये वैश्विक कार्यक्रम शुरू करना अत्यंत महत्त्वपूर्ण होगा।
  - राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (NMC) की स्थापना जैसे हाल के सुधारों की राह पर बढ़ना महत्त्वपूर्ण होगा।
- **अनुसंधान और नैदानिक परीक्षणों को बढ़ावा देना:** भारत को अपनी विशाल और विविध जनसंख्या का लाभ उठाते हुए नैतिक और समावेशी नैदानिक परीक्षण अभ्यासों को बढ़ावा देना चाहिये।
  - वैश्विक दक्षिण में व्याप्त बीमारियों पर अग्रणी अनुसंधान भारत को वैश्विक स्वास्थ्य अनुसंधान में एक प्रमुख खिलाड़ी के रूप में स्थापित कर सकता है।
  - चिकित्सा अनुसंधान में, विशेष रूप से जीनोमिक्स और वैयक्तिक चिकित्सा में, वैश्विक सहयोग को सुगम बनाना अत्यंत महत्त्वपूर्ण होगा।

■■■

भारत में जैवविविधता संरक्षण की पुनर्कल्पना

भारत विकास और जैव-विविधता संरक्षण की अपनी यात्रा में एक महत्त्वपूर्ण मोड़ पर खड़ा है। विश्व के सबसे विविध देशों में से एक के रूप में (जो पृथ्वी के केवल 2.4% भू-भाग में वैश्विक **जैव विविधता** के 8% भाग को पर्यावास प्रदान करता है), भारत प्रकृति संरक्षण के प्रति एक अनूठी ज़िम्मेदारी रखता है। लेकिन, देश की तीव्र आर्थिक वृद्धि, शहरीकरण और औद्योगिक विस्तार इसके समृद्ध पारिस्थितिकी तंत्र को तेज़ी से खतरे में डाल रहे हैं।

वेदांता के स्वामित्व वाली केयर्न कंपनी (Cairn) द्वारा **असम के हूलोंगापार गिब्बन अभयारण्य (Hollongapar Gibbon Sanctuary) में ड्रिलिंग के प्रस्ताव को लेकर उभरे विवाद से प्रगति** और संरक्षण के बीच का यह नाजुक संतुलन फिर उजागर हुआ है। यह परियोजना भारत की एकमात्र वानर प्रजाति, लुप्तप्राय हूलॉक गिब्बन (Hoolock Gibbon) के पर्यावास को खतरे में डालती है, जो जैव विविधता संरक्षण के साथ विकास संबंधी आवश्यकताओं को सामंजित कर सकने में देश के समक्ष विद्यमान व्यापक चुनौतियों को परिलक्षित करती है।

दुनिया के सबसे विविधतापूर्ण देशों में से एक के रूप में भारत को वैश्विक जैव विविधता संरक्षण में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभानी है। हालाँकि, तीव्र शहरीकरण, औद्योगिक विस्तार और संसाधनों के दोहन से इसके समृद्ध पारिस्थितिकी तंत्र के लिये खतरा बढ़ रहा है। इस समस्या से निपटने के लिये, भारत को अपनी पर्यावरणीय प्रभाव आकलन प्रक्रियाओं को सुदृढ़ करने, व्यापक जैव विविधता मानचित्रण में निवेश करने और महत्त्वपूर्ण पर्यावासों के संरक्षण को प्राथमिकता देने की आवश्यकता है।

भारत के लिये जैव विविधता (Biodiversity) का क्या महत्त्व है?

- **पारिस्थितिक महत्त्व:** भारत 17 अत्यंत विविध या 'मेगा-डाइवर्स' (megadiverse) देशों में से एक है। यह समृद्ध जैव विविधता पारिस्थितिक संतुलन, पोषक चक्रण और जलवायु विनियमन को बनाए रखने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

नोट :

- **उदाहरण के लिये, पश्चिमी घाट** (जो जैव विविधता का 'हॉट-स्पॉट' है) मानसून पैटर्न को प्रभावित करता है, जो देश भर में कृषि के लिये महत्त्वपूर्ण है।
- **सुंदरबन** के मैंग्रोव वन चक्रवातों और सुनामी के विरुद्ध प्राकृतिक अवरोधक के रूप में कार्य करते हैं तथा तटीय समुदायों की रक्षा करते हैं।
- भारत में उगाए जाने वाले 50% से अधिक पादप फल, बीज और फली (nuts) पैदा करने के लिये परागणकों पर निर्भर हैं।

- **आर्थिक महत्त्व: जैव विविधता भारत में विभिन्न आर्थिक क्षेत्रों की रीढ़** है।
  - भारत की वन जैव विविधता लगभग 275 मिलियन लोगों की आजीविका को सहारा देती है जो वन संसाधनों पर निर्भर हैं।
  - भारत के विविधतापूर्ण वनस्पति एवं जंतुओं के आसपास केंद्रित पारिस्थितिक पर्यटन (Eco-tourism) अर्थव्यवस्था में महत्त्वपूर्ण योगदान देता है।
- **सांस्कृतिक और पारंपरिक महत्त्व: भारत की जैव विविधता उसके सांस्कृतिक** ढाँचे के साथ गहराई से जुड़ी हुई है।
  - कई प्रजातियाँ धार्मिक या सांस्कृतिक महत्त्व रखती हैं, जैसे पवित्र उपवन, जिन्होंने सदियों से जैव विविधता को संरक्षित रखने में मदद की है।
  - पारंपरिक ज्ञान प्रणालियाँ, विशेषकर चिकित्सा-संबंधी (**आयुर्वेद**, **सिद्ध** और **यूनानी**), देश की समृद्ध जैव विविधता पर आधारित हैं।
- **वैज्ञानिक और औषधीय महत्त्व:** भारत की जैव विविधता वैज्ञानिक अनुसंधान और औषधि खोज के लिये अपार संभावनाएँ प्रदान करती है।
  - देश ने पहले ही वैश्विक चिकित्सा में महत्त्वपूर्ण योगदान दिया है, जिसमें सिनकोना वृक्ष से प्राप्त मलेरिया-रोधी दवा जैसे उदाहरण शामिल हैं।
  - **भारत में औषधीय पौधों की 8000 से अधिक प्रजातियाँ** पाई जाती हैं। फसल की जंगली प्रजातियों (Wild Crop Relatives- WCRs) में मौजूद आनुवंशिक विविधता जलवायु-प्रतिरोधी और उच्च उपज देने वाली फसल किस्मों के विकास के लिये महत्त्वपूर्ण है, जो भविष्य की खाद्य सुरक्षा के लिये आवश्यक है।
- **जलवायु परिवर्तन शमन और अनुकूलन:** जैव विविधता भारत की जलवायु परिवर्तन रणनीतियों में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती है।
  - **वन, जो भारत के भौगोलिक क्षेत्र के लगभग 21.67% भाग** पर विस्तृत हैं, 'कार्बन सिंक' के रूप में कार्य करते हैं और भारत के कुल GHG उत्सर्जन के लगभग 7% का पृथक्करण (sequestration) करते हैं।

भारत में जैव विविधता संरक्षण से संबंधित प्रयास

- **परिचय:** भारत विभिन्न प्रजातियों और पारिस्थितिकी तंत्र की विविधता के मामले में अत्यंत समृद्ध है। देश के 10 जैव-भौगोलिक क्षेत्रों में 1,03,258 से अधिक जीव-जंतुओं की प्रजातियाँ और 55,048 से अधिक वनस्पतियों की प्रजातियाँ दर्ज की गई हैं।
  - पुष्प विविधता पर विचार करें तो भारत में ज्ञात 55,048 पादप प्रजातियों में से 12,095 स्थानिक हैं।
- **संवैधानिक और विधिक प्रावधान:**
  - **अनुच्छेद 48A** राज्य को पर्यावरण के संरक्षण एवं संवर्द्धन और वनों एवं वन्यजीवों की रक्षा करने का निर्देश देता है, जबकि अनुच्छेद 51A(G) वन, झील, नदी और वन्यजीवों सहित प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा एवं संवर्द्धन को नागरिकों का मूल कर्तव्य बनाता है।
  - **पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 केंद्र सरकार को प्रदूषण, खतरनाक पदार्थों एवं औद्योगिक गतिविधियों का प्रबंधन करने, उत्सर्जन मानक निर्धारित करने और राज्य प्राधिकरणों के साथ समन्वय करने का अधिकार देता** है, जिससे अप्रत्यक्ष रूप से जैव विविधता संरक्षण को बढ़ावा मिलता है।
  - **जैव-विविधता अधिनियम 2002 को जैविक संसाधनों के संरक्षण,** इसके सतत उपयोग के प्रबंधन और स्थानीय समुदायों के साथ जैविक संसाधनों के उपयोग एवं ज्ञान से उत्पन्न लाभों को उचित और न्यायसंगत रूप से साझा करने के लिये अधिनियमित किया गया था।
  - पशु कल्याण बोर्ड बनाम ए. नागराजा एवं अन्य (2014) के ऐतिहासिक मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत संवैधानिक अधिदेश पर बल देते हुए माना कि प्रत्येक प्रजाति को जीने का अंतर्निहित अधिकार प्राप्त है और इसे कानून द्वारा संरक्षित किया जाना चाहिये।
  - एम.के. रंजीत सिंह बनाम भारत संघ मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने स्वस्थ पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन से सुरक्षा के अधिकार की पुष्टि की तथा जलवायु कार्रवाई के प्रयासों के साथ प्रजातियों के संरक्षण को संतुलित करने पर बल दिया।

नोट :

- **जैव विविधता संरक्षण से संबंधित प्रमुख समितियाँ:**
  - माधव गाडगिल समिति की सिफारिशें:
    - 64% क्षेत्र को पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र (Ecologically Sensitive Area-ESA) में शामिल किया जाए।
    - संवेदनशील क्षेत्रों में कोई नया बड़ा बाँध या प्रदूषणकारी उद्योग स्थापित नहीं किया जाए।
    - मौजूदा उद्योगों का वर्ष 2016 तक शून्य प्रदूषण तक पहुँचना।
    - सांविधिक शक्तियों के साथ पश्चिमी घाट पारिस्थितिकी प्राधिकरण की स्थापना करना।
  - **कस्तूरीरंगन समिति की सिफारिशें:**
    - पश्चिमी घाट के 37% भाग को ESA घोषित किया जाए।
    - खनन, उत्खनन और नई ताप विद्युत परियोजनाओं पर प्रतिबंध।
    - जल विद्युत परियोजनाओं और निर्माण पर नियंत्रण हो।

भारत में जैव विविधता के लिये प्रमुख खतरे क्या हैं?

- **पर्यावास की क्षति - लुप्त होते जंगल:** भारत में तीव्र शहरीकरण और कृषि विस्तार के कारण पर्यावास की गंभीर क्षति हो रही है।
  - वर्ष 2001 से 2020 के बीच भारत ने 1.93 मिलियन हेक्टेयर वृक्षावरण खो दिया, जो वर्ष 2000 से 5.2% की कमी के बराबर है।
  - **पश्चिमी घाट** जैसे क्षेत्रों में वनों के विखंडन से लायन-टेल्ड मकाक जैसी स्थानिक प्रजातियों के लिये खतरा पैदा हो गया है।
  - **मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन** जैसी हाल की परियोजना, जो ठाणे क्रीक फ्लेमिंगो अभयारण्य से होकर गुज़रती है, इस बात की पुष्टि करती है कि किस प्रकार महत्त्वपूर्ण पर्यावासों की कीमत पर विकास प्राप्त किया जाता है।
- **आक्रामक प्रजातियाँ**- मूक आक्रमणकारी: गैर-देशी प्रजातियाँ भारत के पारिस्थितिकी तंत्र पर कहर बरपा रही हैं।
  - **भारत के जैवविविध पारिस्थितिकी तंत्र** को ब्रिटिश उपनिवेशीकरण के दौरान पेश किये गए **लैंटाना कैमारा**, पार्थेनियम हिस्टेरोफोरस, प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा जैसे विभिन्न विदेशी पादप प्रजातियों से खतरा पहुँच रहा है।
    - अकेले लैंटाना ने ही भारत के 44% वनों पर व्यापक रूप से आक्रमण कर दिया है।
  - अंडमान द्वीप समूह में बाहर से आई विशाल अफ्रीकी घोंघा प्रजाति स्थानीय जैव विविधता के लिये खतरा बन गई है।
  - **फॉल आर्मीवर्म** (Fall Armyworm) के प्रसार ने **वर्ष 2018 से विभिन्न भारतीय राज्यों में मक्का** की फसलों को प्रभावित किया है, जो आक्रामक प्रजातियों के आर्थिक प्रभाव को उजागर करता है।
- **जलवायु परिवर्तन** – एक मंडराता खतरा: जलवायु परिवर्तन भारत भर में पर्यावास और प्रवासन पैटर्न को बदल रहा है।
  - **सुंदरबन जैसे मैंग्रोव वन समुद्र-स्तर** में वृद्धि, पंक (mud) की कमी और सिकुड़ते पर्यावासों जैसे 'तिहरे खतरे' का सामना कर रहे हैं।
  - **हिमालय** क्षेत्र में तापमान में वृद्धि के कारण प्रजातियाँ अधिक ऊँचाई की ओर जा रही हैं, जिससे उच्च-तुंगता पर वास करने वाले **हिम तेंदुए** जैसे जीवों के लिये खतरा उत्पन्न हो रहा है।
  - **भारत की प्रवाल भित्तियाँ**, जो लगभग 5,790 वर्ग किलोमीटर में विस्तृत हैं, जलवायु परिवर्तन के कारण अनेक खतरों का सामना कर रही हैं।
    - **भारत के प्रमुख प्रवाल क्षेत्रों** में से एक मन्नार की खाड़ी में औसत जीवित प्रवाल आवरण वर्ष 2005 में 37% से घटकर वर्ष 2021 में 27.3% रह गया।
- **मानव-वन्यजीव संघर्ष** – एक असहज सह-अस्तित्व: जैसे-जैसे मानव बस्तियों का विस्तार हो रहा है, वन्यजीवों के साथ मानव संघर्ष भी तीव्र होता जा रहा है।
  - भारत में प्रति वर्ष मानव-हाथी संघर्ष के कारण 500 से अधिक लोगों और 100 हाथियों की मृत्यु हो जाती है।
  - **रणथम्भौर अभ्यारण्य** में मानव संघर्ष के बाद एक बाघ को स्थानांतरित करने का हालिया मामला मौजूदा चुनौती को उजागर करता है।
- **आनुवंशिक क्षरण – सिकुड़ता जीन पूल:** भारत की समृद्ध कृषि जैव विविधता आधुनिक कृषि पद्धतियों के कारण खतरे में है।
  - कई किसान आधुनिक संकर किस्मों की ओर आगे बढ़ गए हैं, जिसके कारण पारंपरिक फसल किस्में खोती जा रही हैं।
  - **भारत में धान किस्मों की संख्या 1970 के दशक में 110,000 से घटकर आज लगभग 6,000 रह गई है।**
  - यह क्षरण न केवल खाद्य सुरक्षा को प्रभावित करता है, बल्कि कीटों और जलवायु परिवर्तन के प्रति प्रत्यास्थता को भी कम करता है।

नोट :

- **प्रदूषण:** प्रदूषण के विभिन्न रूपों से जैव विविधता पर गंभीर असर पड़ रहा है। 50 से अधिक मछली प्रजातियों को पोषण देने वाली यमुना नदी अब औद्योगिक अपशिष्टों के कारण दिल्ली में लगभग 22 किलोमीटर के क्षेत्र में जैविक रूप से मृत हो चुकी है।
  - **माइक्रोप्लास्टिक प्रदूषण** गंगा नदी में कई मछली प्रजातियों को प्रभावित कर रहा है।
  - तटीय क्षेत्रों में प्रकाश प्रदूषण के कारण समुद्री कछुए भ्रम का शिकार बनते हैं।
- **नीति कार्यान्वयन** – निष्पादन संबंधी चुनौती: यद्यपि भारत में मज़बूत पर्यावरण कानून मौजूद हैं, उनका कार्यान्वयन प्राय: अपर्याप्त सिद्ध होता है।
  - **अरुणाचल प्रदेश में एटालिन जलविद्युत परियोजना** के लिये पर्यावरणीय मंज़ूरी पर हालिया विवाद (जिसे वर्तमान स्वरूप में अस्वीकृत कर दिया गया) नीति कार्यान्वयन में खामियों को उजागर करता है।
- **शहरी जैव विविधता हानि – 'कंक्रीट जंगल इफ़ेक्ट':** तीव्र शहरीकरण शहरी पारिस्थितिकी तंत्र को नष्ट कर रहा है।
  - पिछले चार दशकों में शहरीकरण, कृषि विस्तार और प्रदूषण के कारण भारत ने अपनी लगभग एक-तिहाई प्राकृतिक आर्द्रभूमि खो दी है।
  - शहरों में गौरैया की संख्या में कमी (कुछ क्षेत्रों में 80% से अधिक) सामान्य प्रजातियों पर पड़ने वाले प्रभाव का उदाहरण है।

भारत में जैव विविधता संरक्षण में सुधार के लिये कौन-सी रणनीतियाँ लागू की जा सकती हैं?

- **पारिस्थितिकी तंत्र आधारित प्रबंधन:** भारत को प्रजाति-केंद्रित से पारिस्थितिकी तंत्र आधारित संरक्षण की ओर आगे बढ़ना चाहिये।
  - इसमें केवल पृथक संरक्षित क्षेत्रों को ही नहीं, बल्कि संपूर्ण पारिस्थितिक नेटवर्क की पहचान करना और उसे संरक्षित करना शामिल है।
  - उदाहरण के लिये, नीलगिरी में मुदुमलाई टाइगर रिज़र्व (MTR) के आसपास के 438.904 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को पारिस्थितिक रूप से **संवेदनशील क्षेत्र (ESZ)** घोषित करने की वर्ष 2018 की पहल इस दिशा में एक कदम है।
  - **बेहतर कार्यान्वयन के लिये निम्नलिखित उपाय किये जा सकते हैं:**
    - राज्य और ज़िला स्तर पर भूमि उपयोग नियोजन में मानचित्रण को एकीकृत करना
    - इन गलियारों को बनाए रखने के लिये स्थानीय समुदायों को प्रोत्साहन प्रदान करना
- **समुदाय-नेतृत्व संरक्षण:** संरक्षण प्रयासों में स्थानीय समुदायों को शामिल करने से उल्लेखनीय सफलता मिली है।
  - उत्तराखंड में वन पंचायतें समुदाय-नेतृत्व वाले संरक्षण की क्षमता को प्रदर्शित करती हैं।
    - चंबल का एक पूर्व डकैत 'चीता मित्र' बन गया है जो कूनो, श्योपुर में चीतों के बारे में जागरूकता का प्रसार कर रहा है।
  - केरल के एक दंपति पामेला और अनिल मल्होत्रा ने भारत में निजी संरक्षण प्रयासों का एक प्रेरणादायक उदाहरण प्रस्तुत किया है।
    - उन्होंने वर्ष 1991 में कोडागु ज़िले में 55 एकड़ परित्यक्त भूमि खरीदी, जो मानवीय गतिविधियों के कारण क्षरित हो चुकी थी।
    - तीन दशकों में उन्होंने इस बंजर भूमि को एक हरे-भरे 300 एकड़ के निजी वन्यजीव अभयारण्य में बदल दिया है, जिसका नाम साई (Save Animals Initiative- SAI) अभयारण्य रखा गया है।
- इस दृष्टिकोण को बड़े पैमाने पर ले जाने के लिये निम्नलिखित कदम उठाए जा सकते हैं:
  - **संयुक्त वन प्रबंधन समितियों को सुदृढ़ और विस्तारित करना**
  - सामुदायिक संरक्षित क्षेत्रों को कानूनी मान्यता और सहायता प्रदान करना
  - संरक्षण तकनीकों में स्थानीय समुदायों के लिये क्षमता निर्माण कार्यक्रम विकसित करना
- **हरित अवसंरचना:** अवसंरचना विकास में जैव विविधता को शामिल करना अत्यंत आवश्यक है।
  - सड़क परियोजनाओं में पशुओं के आवागमन के संबंध में **भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण** द्वारा हाल ही में जारी दिशानिर्देश एक सकारात्मक कदम है।
  - आगे के उपायों में निम्नलिखित शामिल हो सकते हैं:
    - सभी प्रमुख अवसंरचना परियोजनाओं के लिये जैव विविधता प्रभाव आकलन को अनिवार्य करना

नोट :

- वन्यजीव क्रॉसिंग और हरित पुलों के लिये राष्ट्रीय मानक विकसित करना
- हरित छतों (green roofs), ऊर्ध्वाधर उद्यानों (vertical gardens) और शहरी वनों के माध्यम से शहरी जैव विविधता को बढ़ावा देना
- जैवविविधता के अनुकूल अवसंरचना समाधानों का राष्ट्रीय डेटाबेस तैयार करना

- **सतत् कृषि:** भारत के लगभग 60% भूमि क्षेत्र पर कृषि का कब्जा है, जो इसे जैव विविधता संरक्षण के लिये अत्यंत महत्त्वपूर्ण बनाता है।
  - अन्य उपायों में निम्नलिखित शामिल हो सकते हैं:
    - **आंध्र प्रदेश में शून्य बजट प्राकृतिक कृषि** (Zero Budget Natural Farming) जैसे सफल **कृषि-पारिस्थितिक मॉडल** को आगे बढ़ाना
    - फसल विविधीकरण और ऑन-फ़ार्म जैव विविधता के रखरखाव के लिये प्रोत्साहन/इंसेंटिव प्रदान करना
    - आर्थिक व्यवहार्यता सुनिश्चित करने के लिये कृषि जैवविविधता उत्पादों के लिये बाज़ार संपर्क का निर्माण करना
- **प्रौद्योगिकी-संचालित संरक्षण:** प्रौद्योगिकी का लाभ उठाकर संरक्षण प्रयासों को महत्त्वपूर्ण रूप से बेहतर बनाया जा सकता है।
  - **सुंदरवन में बाघों की निगरानी के लिये भारत द्वारा ड्रोन का उपयोग आशाजनक है।**
  - **अन्य अनुप्रयोगों में शामिल हैं:**
    - पर्यावास परिवर्तनों और अवैध गतिविधियों की रियल-टाइम निगरानी के लिये उपग्रह इमेजरी और AI का उपयोग करना
    - जलीय पारिस्थितिकी तंत्रों में गैर-आक्रामक जैव विविधता निगरानी के लिये eDNA तकनीकों का उपयोग
- **जैव विविधता वित्तपोषण:** दीर्घकालिक संरक्षण प्रयासों के लिये सतत वित्तपोषण महत्त्वपूर्ण है। भारत निम्नलिखित क्षेत्रों में भी आगे बढ़ सकता है:
  - व्यापक जैव विविधता संरक्षण परियोजनाओं को शामिल करने के लिये **अपर्याप्त प्रतिपूरक वनीकरण का विस्तार करना**
  - जैव विविधता संरक्षण परियोजनाओं के लिये विशेष रूप से हरित बॉण्ड विकसित करना
- **जलवायु-अनुकूली संरक्षण:** चूँकि **जलवायु परिवर्तन के कारण जैव विविधता पर प्रभाव पड़ रहा है, अनुकूली रणनीतियाँ (adaptive strategies) आवश्यक हैं:**
  - प्रमुख पारिस्थितिकी प्रणालियों और प्रजातियों की भेद्यता का आकलन करना
  - जलवायु-प्रत्यास्थी संरक्षित क्षेत्र नेटवर्क का विकास करना
  - विभिन्न जैवभौगोलिक क्षेत्रों में जलवायु शरणस्थलों (climate refugia) का निर्माण और रखरखाव
- **आक्रामक प्रजातियों का प्रबंधन:** आक्रामक प्रजातियों के मुद्दे से निपटने के लिये एक समन्वित दृष्टिकोण की आवश्यकता है:
  - 'राष्ट्रीय आक्रामक प्रजाति निगरानी और पूर्व चेतावनी प्रणाली' की स्थापना करना
  - बंदरगाहों और सीमाओं पर संगरोध (quarantine) उपायों को सशक्त करना
  - आक्रामक प्रजातियों के प्रभावों पर जन जागरूकता अभियान शुरू करना
- **आनुवंशिक संसाधन संरक्षण:** भविष्य की अनुकूलनशीलता के लिये आनुवंशिक विविधता को संरक्षित रखना आवश्यक है:
  - जंगली और घरेलू दोनों प्रजातियों के लिये जीन बैंकों के नेटवर्क का विस्तार करना
  - फसल की जंगली प्रजातियों के लिये स्व-स्थाने संरक्षण कार्यक्रमों को लागू करना
  - भारत के आनुवंशिक संसाधनों का डिजिटल डेटाबेस तैयार करना
- संकटग्रस्त प्रजातियों के संरक्षण के लिये जीनोमिक्स पर अनुसंधान को बढ़ावा देना

■■■

कृत्रिम बुद्धिमत्ता और नैतिकता

कृत्रिम बुद्धिमत्ता (Artificial Intelligence- AI), जो मशीनों **द्वारा मानवीय बुद्धिमत्ता की नकल** करने की क्षमता है, अपने उन्नत **डेटा प्रोसेसिंग एवं पूर्वानुमान क्षमताओं** के माध्यम से उद्योगों को रूपांतरित करने और मानवीय क्षमताओं को बढ़ाने का वादा करती है। हालाँकि, जैसे-जैसे AI दैनिक जीवन का अभिन्न अंग बनता जा रहा है, इसके नैतिक निहितार्थों पर तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता भी अनुभव की जा रही है। पूर्वाग्रहों को बनाए रखने, निजता का उल्लंघन करने और रोज़गार विस्थापन का कारण बनने की इस प्रौद्योगिकी की क्षमता महत्त्वपूर्ण चिंताएँ पैदा करती है। इसके

नोट :

अतिरिक्त, **AI विकास की तेज़ गति प्रायः मौजूदा नियामक ढाँचों** से संबोधित नहीं हो पाती, जिससे जवाबदेही तथा ज़िम्मेदार उपयोग की समस्याएँ और जटिल हो जाती हैं।

AI के संबंध में जारी नैतिक बहस में, महत्त्वपूर्ण क्षेत्रों में स्वचालित निर्णयन से लेकर रचनात्मक क्षेत्रों में इसकी भूमिका तक, **विभिन्न अनुप्रयोग शामिल** हैं। इन चिंताओं को संबोधित करने के लिये नीति निर्माताओं, प्रौद्योगिकीविदों और **नैतिकतावादियों को संलग्न करते हुए एक सहयोगी दृष्टिकोण** अपनाने की आवश्यकता है। मज़बूत नैतिक दिशा-निर्देश विकसित करना, पारदर्शिता सुनिश्चित करना और निजता की सुरक्षा करना आवश्यक कदम होंगे। जैसे-जैसे AI विकसित होता जा रहा है, जोखिमों को कम करते हुए इसके लाभों को अधिकतम करने और इसके उपयोग को सामाजिक मूल्यों के साथ संरेखित करने के लिये इसकी नैतिक सीमा पर विचार करना महत्त्वपूर्ण हो गया है।

कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) क्या है ?

- **परिचय:**
  - AI (AI) से आशय **किसी कंप्यूटर या कंप्यूटर द्वारा नियंत्रित रोबोट** की उस क्षमता से है, जिसके तहत वे ऐसे कार्य कर सकते हैं, जिनके लिये आमतौर पर मानवीय बुद्धिमत्ता एवं निर्णय क्षमता की आवश्यकता होती है।
    - हालाँकि कोई भी **AI उन सभी कार्यों को कर सकने में सक्षम** नहीं है जिन्हें एक औसत मानव कर सकता है, फिर भी कुछ AI प्रणालियाँ कुछ विशिष्ट कार्यों को करने में उत्कृष्टता रखती हैं।
- **विशेषताएँ एवं घटक:**
  - AI की प्रमुख विशेषता इसकी **युक्तिसंगतता और ऐसी कार्रवाई करने की क्षमता** है जो किसी विशेष लक्ष्य की प्राप्ति की संभावना को अधिकतम करती है।
  - **मशीन लर्निंग (ML)** AI का एक उपसमूह है और **डीप लर्निंग (DL)** तकनीकें **असंरचित डेटा (जैसे टेक्स्ट, इमेज या वीडियो)** की बड़ी मात्रा को संसाधित कर स्वचालित अधिगम की सुविधा प्रदान करती हैं।

एथिकल AI (Ethical AI) क्या है ?

- **परिचय:**
  - **एथिकल AI, जिसे नैतिक या ज़िम्मेदार AI (Moral or Responsible AI)** के रूप में भी जाना जाता है, AI प्रणालियों के इस तरह के विकास एवं उपयोग को संदर्भित करता है जो नैतिक सिद्धांतों, सामाजिक मूल्यों और मानव अधिकारों के साथ संरेखित हो।
  - यह **AI प्रौद्योगिकी के ज़िम्मेदार उपयोग पर बल देता** है ताकि सुनिश्चित किया जा सके कि यह व्यक्तियों, समुदायों और समग्र रूप से समाज को लाभान्वित करे तथा संभावित हानियों और पूर्वाग्रहों को न्यूनतम करे।
- **एथिकल AI के प्रमुख पहलू:**

सिद्धांत	विवरण
पारदर्शिता और व्याख्यात्मकता	AI प्रणालियों को इस तरह से डिज़ाइन एवं कार्यान्वित किया जाना चाहिये कि उसके संचालन तथा निर्णय लेने की प्रक्रियाएँ उपयोगकर्ताओं और हितधारकों के लिये समझने एवं समझाने योग्य हों। इससे विश्वास तथा जवाबदेही को बढ़ावा मिलेगा।
निष्पक्षता और पूर्वाग्रह शमन	एथिकल AI का उद्देश्य नस्ल, लिंग, जातीयता या सामाजिक- आर्थिक स्थिति जैसे कारकों के आधार पर कुछ व्यक्तियों या समूहों के विरुद्ध भेदभाव को रोकने के लिये पूर्वाग्रहों को कम करना और AI एल्गोरिदम एवं मॉडल में निष्पक्षता सुनिश्चित करना है।
निजता और डेटा संरक्षण	एथिकल AI व्यक्तियों की निजता के अधिकार को अक्षुण्ण रखता है और व्यक्तिगत डेटा के सुरक्षित एवं उत्तरदायी प्रबंधन का समर्थन करता है; यह प्रासंगिक निजता/गोपनीयता कानूनों और विनियमों के साथ सहमति एवं अनुपालन सुनिश्चित करता है।
जवाबदेही और ज़िम्मेदारी	AI प्रणालियाँ तैनात करने वाले डेवलपर्स और विभिन्न संगठनों को अपनी AI प्रौद्योगिकियों के परिणामों के लिये जवाबदेह होना चाहिये। त्रुटियों या हानिकारक प्रभावों को संबोधित करने तथा सुधार हेतु ज़िम्मेदारी सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है।

नोट :

सुदृढ़ता और विश्वसनीयता	AI प्रणाली सुदृढ़, विश्वसनीय और विभिन्न स्थितियों एवं परिस्थितियों में लगातार प्रदर्शन सक्षम होनी चाहिये। AI प्रणाली में हेर-फेर या उसे नष्ट करने जैसे प्रतिकूल प्रयासों से निपटने हेतु उपाय किये जाने चाहिये।
मानवता के लिये लाभ	AI का विकास और उपयोग मानव कल्याण को बढ़ावा देने, सामाजिक चुनौतियों को हल करने तथा समाज, अर्थव्यवस्था एवं पर्यावरण में सकारात्मक योगदान देने हेतु किया जाना चाहिये।

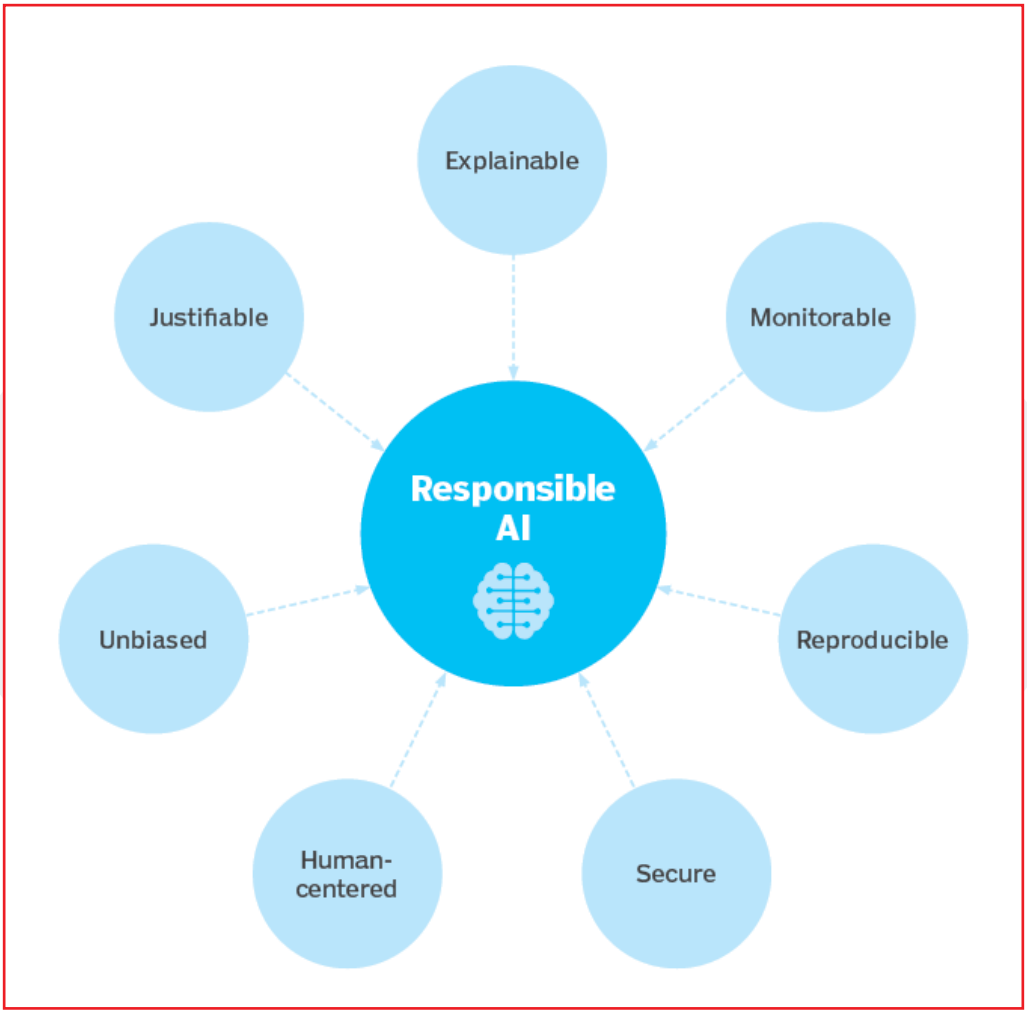

AI से जुड़ी नैतिक चिंताएँ:

- **'डीपफेक' और गलत सूचना संबंधी चिंता:** AI-जनित डीपफेक की बढ़ती परिष्कृतता गलत **सूचना और भ्रामक सूचना** (misinformation and disinformation) के प्रसार के लिये एक महत्त्वपूर्ण खतरा बन गई है।
  - उदाहरण के लिये, एक अभिनेत्री का चेहरा दिखाने वाले वायरल डीपफेक वीडियो के निर्माता ने पुलिस के सामने स्वीकार किया कि यह वीडियो इंस्टाग्राम चैनल पर फॉलोअर्स की संख्या बढ़ाने के लिये बनाया गया था। यह ऐसी तकनीकों के उपयोग में नैतिकता की कमी को दर्शाता है।
- **एल्गोरिदम संबंधी पूर्वाग्रह:** यदि AI प्रणालियों को पक्षपातपूर्ण डेटा पर प्रशिक्षित किया जाए तो वे मौजूदा सामाजिक पूर्वाग्रहों को कायम रख सकती हैं या बढ़ा सकती हैं, जिसके भेदभावपूर्ण परिणाम सामने आ सकते हैं।

नोट :

- उदाहरण के लिये, जब शोधकर्त्ताओं ने एक जनरेटिव AI मॉडल **'स्टेबल डिफ्यूजन'** (Stable Diffusion) से एक गरीब व्यक्ति की छवि सृजित करने के लिये कहा तो उसने प्राय: अश्वेत लोगों की छवि दिखाई।
- इसके अलावा, **संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन** (UNESCO के एक अध्ययन में पाया गया कि LLMs (Large Language Models) में गंभीर लैंगिक पूर्वाग्रह, समलैंगिकता-विरोध और नस्लीय रूढ़िवादिता प्रदर्शित होती है।
  - उदाहरण के लिये, महिलाएँ असमान रूप से घरेलू भूमिकाओं और 'घर' एवं 'परिवार' जैसे शब्दों से संबद्ध की गई थीं, जबकि पुरुष प्राय: 'व्यवसाय' एवं 'करियर' जैसे शब्दों से संबद्ध थे।

- **प्राथमिक स्रोत प्रतिनिधित्व की चुनौतियाँ:** AI प्रणालियाँ प्राय: द्वितीयक स्रोतों पर निर्भर रहती हैं, जो मुख्यत: अंग्रेज़ी में होते हैं, और अभिलेखीय **दस्तावेजों एवं मौखिक परंपराओं** जैसे प्राथमिक स्रोतों को शामिल नहीं करतीं।
  - प्राथमिक स्रोतों की अनदेखी करने से कुछ समाजों और संस्कृतियों का कम प्रतिनिधित्व या गलत प्रतिनिधित्व हो सकता है। **इस अनदेखी के कारण प्राय: AI** मॉडल को प्रशिक्षित करने के लिये इस्तेमाल किये जाने वाले डेटा में पूर्वाग्रहों का समावेश हो जाता है।
  - प्राथमिक साक्षरता स्रोतों तक पहुँच और उनका डिजिटलीकरण विविध संस्कृतियों एवं इतिहासों के बारे में AI की समझ को बढ़ा सकता है, लेकिन अभी भी इसका काफी हद तक दोहन नहीं हुआ है।
- **डेटा गोपनीयता/निजता:** AI विकास के लिये व्यक्तिगत डेटा का संग्रह एवं उपयोग निजता के **उल्लंघन और दुरुपयोग के बारे में चिंताएँ पैदा** करता है। इसके साथ ही, निगरानी उद्देश्यों के लिये AI पर बढ़ती निर्भरता बड़े पैमाने पर निगरानी और नागरिक स्वतंत्रता के क्षरण का कारण बन सकती है।
  - उदाहरण के लिये, इंटरनेट से प्राप्त डेटा पर प्रशिक्षित जनरेटिव AI टूल्स व्यक्तियों के निजी विवरण को बनाए रख सकते हैं, जिसमें उनके परिवार और मित्रों के बारे में जानकारी शामिल है, जिससे पहचान की चोरी या धोखाधड़ी की संभावना उत्पन्न हो सकती है।
- **'ब्लैक बॉक्स' समस्या:** कई AI मॉडल जटिल और समझने में कठिन होते हैं, जिससे उनकी निर्णय लेने की प्रक्रिया को समझाना चुनौतीपूर्ण हो जाता है। **पारदर्शिता की यह कमी** जवाबदेही में बाधा डाल सकती है।
  - उदाहरण के लिये, स्वचालित कारों को जटिल नैतिक दुविधाओं का सामना करना पड़ता है, जैसे कि यह तय करना कि दुर्घटना की स्थिति में किसे प्राथमिकता दी जाए।
- **उत्तरदायित्व का मुद्दा:** जब कोई **AI प्रणाली क्षति पहुँचाती** है तो इसका निर्धारण करना एक जटिल कानूनी एवं नैतिक चुनौती है कि ज़िम्मेदार किसे ठहराया जाए।
  - उदाहरण के लिये, एयर कनाडा को अपने एक चैटबॉट द्वारा ग्राहक को दी गई लापरवाहीपूर्ण गलत जानकारी के लिये उत्तरदायी ठहराया गया था, जो इस बात को उजागर करता है कि AI टूल्स अपनाते समय व्यवसायों को किन व्यापक जोखिमों पर विचार करना चाहिये।
- **स्वचालन और बेरोज़गारी:** AI द्वारा नौकरियों को स्वचालित करने की क्षमता से नौकरी या रोज़गार विस्थापन और आर्थिक असमानता के बारे में चिंताएँ पैदा होती हैं। **AI विकास की तेज़** गति से आर्थिक व्यवधान और उद्योगों एवं श्रमिकों के लिये चुनौतियाँ पैदा हो सकती हैं।
  - उदाहरण के लिये, **विश्व आर्थिक मंच (WEF)** के अनुसार, **वर्ष 2025 तक AI के** कारण लगभग 85 मिलियन नौकरियाँ समाप्त हो सकती हैं। इस परिदृश्य में फिर आर्थिक असमानता बढ़ सकती है।
- **डेटा स्वामित्व:** व्यक्तियों द्वारा उत्पन्न डेटा का स्वामित्व एक जटिल कानूनी और नैतिक मुद्दा है। जैसे-जैसे AI सिस्टम उपयोगकर्ता-जनित सामग्री पर अधिक से अधिक निर्भर होते जा रहे हैं, सवाल खड़ा हो रहा है कि डेटा का स्वामित्व किसके पास है और इसका उपयोग कैसे किया जा सकता है। यह कॉपीराइट और बौद्धिक संपदा अधिकारों (IPR) के बारे में भी चिंताएँ पैदा करता है।
  - उदाहरण के लिये, **AI के उपयोग से कला (art) का सृजन कॉपीराइट स्वामित्व** और साहित्यिक चोरी (plagiarism) एवं कॉपीराइट उल्लंघन की संभावना के बारे में सवाल उठाता है।
- **स्वायत्त हथियार:** स्वायत्त हथियारों का विकास निर्णय प्रक्रियाओं लेने में मानवों की भूमिका और अनपेक्षित परिणामों की संभावना के बारे में सवाल उठाता है। स्वायत्त प्रणालियों द्वारा घातक बल का उपयोग जटिल नैतिक एवं सुरक्षा संबंधी दुविधाएँ पेश करता है।
- **'डिजिटल डिवाइड':** AI प्रौद्योगिकी तक असमान पहुँच मौजूदा सामाजिक असमानताओं को बढ़ा सकती है।

नोट :

- उदाहरण के लिये, **भारत में कुल जनसंख्या के लगभग 52% तक इंटरनेट** की पहुँच है, ऐसे में AI के भेदभावपूर्ण उपयोग से डिजिटल डिवाइड और AI के लाभों में अंतराल और बढ़ सकता है।

- **पर्यावरणीय नैतिकता:** AI प्रौद्योगिकियों के विकास और परिनियोजन का पर्यावरणीय प्रभाव उत्पन्न होता , जिससे संवहनीयता और नैतिक ज़िम्मेदारी के बारे में सवाल खड़े होते हैं।
  - अपनी नवीनतम वार्षिक **पर्यावरण रिपोर्ट में गूगल (Google) ने वर्ष 2023 में डेटा** केंद्रों द्वारा बिजली के **उपयोग में 17% की वृद्धि दर्ज** की। यह प्रवृत्ति अभी जारी रहने की उम्मीद है क्योंकि AI टूल्स अधिक व्यापक रूप से तैनात और उपयोग किये जा रहे हैं।

AI से संबद्ध नैतिक चिंताओं को दूर करने के लिये कौन-से कदम उठाए गए हैं?

- **अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर:**
  - **सामाजिक उद्यमिता के लिये वैश्विक गठबंधन (Global Alliance for Social Entrepreneurship):** दावोस में आयोजित विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक (2024) में श्वाब फाउंडेशन (Schwab Foundation) के सामाजिक उद्यमिता के लिये वैश्विक गठबंधन द्वारा माइक्रोसॉफ्ट के सहयोग से सामाजिक नवाचार के लिये AI (AI for Social Innovation) पर एक नई पहल शुरू की गई।
    - प्रमुख प्रौद्योगिकी और पारिस्थितिकी तंत्र कंपनियों को शामिल करते हुए लॉन्च की गई इस पहल का उद्देश्य सकारात्मक सामाजिक प्रभाव के लिये AI के उपयोग को बढ़ावा देना, सफल अनुप्रयोगों को प्रदर्शित करना और ज़िम्मेदार कार्यान्वयन दिशानिर्देश विकसित करना है।
  - **यूरोपीय संघ का AI अधिनियम:** यूरोपीय संघ (EU) **पहला व्यापक AI विनियमन** (EU AI Act) लेकर आया है, जिसका उद्देश्य AI प्रणालियों के जोखिमों को नियंत्रित करना और यूरोपीय संघ के नागरिकों के मूल अधिकारों की रक्षा करना है।
    - चीन, कनाडा और सिंगापुर जैसे देशों ने अपने स्वयं के AI विनियमन या दिशानिर्देश पेश किये हैं।
  - **कैलिफोर्निया का उदाहरण:** कैलिफोर्निया के विधि निर्माताओं ने एक विधेयक पेश किया है, जिसमें AI कंपनियों को अपने सिस्टम का परीक्षण करने और दुरुपयोग को रोकने के लिये (जैसे कि इलेक्ट्रिक ग्रिड पर हमले या रासायनिक हथियार निर्माण में सहायता करना) सुरक्षा उपायों को लागू करने की आवश्यकता होगी।
  - **दिग्गज टेक कंपनियों की भूमिका:** माइक्रोसॉफ्ट, मेटा, गूगल, अमेज़न और ट्विटर उन कंपनियों में शामिल हैं जिन्होंने ज़िम्मेदार AI टीमों का गठन किया है, जो **कृत्रिम बुद्धिमत्ता** का उपयोग करने वाले उपभोक्ता उत्पादों की सुरक्षा पर सलाह देते हैं और नैतिक मानकों के साथ उनके संरेखण की देखरेख करते हैं तथा जवाबदेही को बढ़ावा देते हैं।
  - **यूके AI सुरक्षा शिखर सम्मेलन:** वर्ष 2023 में आयोजित **यूके AI सुरक्षा शिखर सम्मेलन (UK AI Safety Summit)** में AI के सुरक्षा एवं संरक्षा पहलुओं पर ध्यान केंद्रित किया गया और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता पर बल दिया गया।
- **राष्ट्रीय स्तर पर:**
  - **AI मॉडल पर सलाह:** इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeITY) ने **सूचना प्रौद्योगिकी नियम 2021 के तहत वर्ष 2024 में AI मॉडल** और डीपफेक पर एक सलाह जारी की।
  - **इंडियाAI मिशन: इंडियाAI मिशन (IndiaAI mission) का उद्देश्य रणनीतिक सार्वजनिक-निजी भागीदारी** के माध्यम से एक सुदृढ़ पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण कर AI नवाचार को बढ़ावा देना है।
    - यह कंप्यूटिंग पहुँच, **डेटा गुणवत्ता और स्वदेशी AI क्षमताओं को बढ़ाएगा,** शीर्ष प्रतिभाओं को आकर्षित करेगा, स्टार्टअप्स को समर्थन देगा तथा भारत के AI क्षेत्र में ज़िम्मेदार, समावेशी विकास के लिये नैतिक, प्रभावशाली AI को बढ़ावा देगा।
  - **युवाओं के लिये उत्तरदायी AI:** सरकार ने **'युवाओं के लिये उत्तरदायी कृत्रिम बुद्धिमत्ता' (Responsible Artificial Intelligence for Youth)** नामक कार्यक्रम शुरू किया है।
  - **AI पर राष्ट्रीय रणनीति:** वर्ष 2018 में नीति आयोग ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर राष्ट्रीय रणनीति (National Strategy on Artificial Intelligence-

नोट :

NSAI) जारी की, जिसमें भारत के पाँच सार्वजनिक क्षेत्रों में सुरक्षित एवं समावेशी AI के अंगीकरण के लिये एक रूपरेखा तैयार की गई।

- इस रणनीति में भविष्य में AI विकास के लिये एक मानक के रूप में **'AI for All' के मंत्र को अपनाया गया और AI के ज़िम्मेदार** उपयोग को सुनिश्चित करने पर बल दिया गया।

AI से संबंधित अन्य पहलें

- **वैश्विक INDIAai शिखर सम्मेलन (Global INDIAai Summit)**
- **कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर वैश्विक भागीदारी (Global Partnership on Artificial Intelligence-GPAI) शिखर सम्मेलन**
- **कृत्रिम बुद्धिमत्ता सुरक्षा शिखर सम्मेलन (Artificial Intelligence Safety Summit) 2023**
- **कृत्रिम बुद्धिमत्ता मिशन (Artificial Intelligence Mission)**
- **अमेरिका भारत कृत्रिम बुद्धिमत्ता पहल (US India Artificial Intelligence Initiative)**

आगे की राह :

AI से संबंद्ध नैतिक चुनौतियों का समाधान करने के लिये नीति निर्माताओं, प्रौद्योगिकीविदों, नैतिकतावादियों और नागरिक समाज को शामिल करते हुए एक बहु-विषयक दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता है। प्रमुख कदम में शामिल होंगे:

- **नैतिक ढाँचे का विकास एवं कार्यान्वयन:** AI विकास एवं परिनियोजन को नियंत्रित करने के लिये राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापक नैतिक दिशानिर्देश एवं विनियमनों का निर्माण करना।
- **विविधता और समावेशिता को बढ़ावा:** सुनिश्चित किया जाए कि पूर्वाग्रहों को कम करने और समावेशी डिज़ाइन को बढ़ावा देने के लिये AI विकास टीमें विविधतापूर्ण हों। उदाहरण के लिये, प्राथमिक साहित्यिक स्रोतों तक पहुँच और उनका डिजिटलीकरण विविध संस्कृतियों और इतिहासों के बारे में AI की समझ को बढ़ा सकता है, लेकिन अभी भी इसका काफी हद तक दोहन नहीं किया गया है।
- **सांस्कृतिक विरासत का डिजिटलीकरण:** यह AI को समृद्ध और विविध डेटासेट प्रदान कर सकता है, जिससे इतिहास की हमारी समझ में बदलाव आएगा और सांस्कृतिक कलाकृतियों की सुरक्षा होगी। यह प्रयास डेटा तक पहुँच को लोकतांत्रिक बनाकर और वैश्विक नवाचार को बढ़ावा देकर छोटी कंपनियों तथा ओपन-सोर्स AI समुदाय को लाभ पहुँचा सकता है।
- **सर्वोत्तम अभ्यासों को अपनाना:** AI प्रणालियों में पारदर्शिता, निष्पक्षता और जवाबदेही के लिये सर्वोत्तम अभ्यासों का पालन किया जाए।
- **पारदर्शिता और व्याख्यात्मकता को बढ़ावा देना :** ऐसी AI प्रणालियाँ डिज़ाइन की जाएँ जो अपने निर्णयों एवं कार्यों के लिये स्पष्ट और समझने योग्य व्याख्या प्रदान करें।
- **एल्गोरिदम संबंधी ऑडिट लागू करना:** जवाबदेही बनाए रखने के लिये ऑडिट के माध्यम से निष्पक्षता और पूर्वाग्रह की जाँच के लिये नियमित रूप से AI प्रणालियों का आकलन किया जाए।
- **निजता और डेटा सुरक्षा को मज़बूत करना:** डेटा गोपनीयता के लिये मज़बूत उपाय अपनाएँ और व्यक्तिगत एवं संवेदनशील सूचना का सुरक्षित संचालन सुनिश्चित करें। इसके साथ ही, व्यक्तियों का डेटा एकत्र करने या उसका उपयोग करने से पहले उनकी स्पष्ट सहमति ली जाए।
- **AI नैतिकता शिक्षा और प्रशिक्षण में निवेश करना:** AI और कंप्यूटर विज्ञान पाठ्यक्रम में नैतिकता पाठ्यक्रमों को एकीकृत किया जाए तथा AI पेशेवरों के लिये निरंतर नैतिकता प्रशिक्षण प्रदान किया जाए।
- **जन जागरूकता बढ़ाना:** आम लोगों को AI प्रौद्योगिकियों, उनके लाभों, जोखिमों और नैतिक निहितार्थों के बारे में शिक्षित किया जाए।
- **जवाबदेही और निरीक्षण तंत्र स्थापित करना:** AI प्रणालियों की निगरानी और नैतिक मानकों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिये नियामक निकायों का विकास किया जाए।
- **जवाबदेही उपायों को लागू करना:** AI निर्णयों और परिणामों के लिये ज़िम्मेदारी की स्पष्ट सीमाएँ परिभाषित की जाएँ और कानूनी एवं नियामक ढाँचे के माध्यम से उल्लंघनों को संबोधित किया जाए।

■■■

GM फसलों के प्रति संतुलित दृष्टिकोण

सर्वोच्च न्यायालय ने हाल ही में **आनुवंशिक रूप से संशोधित (Genetically Modified- GM) सरसों** की खेती पर अस्थायी रोक लगा दी है। GM सरसों की खेती की अनुमति दी जाए या नहीं, इस पर न्यायालय की राय विभाजित थी। **GM सरसों पर अलग-अलग विचारों** के बावजूद, न्यायालय ने सर्वसम्मति से सहमति व्यक्त की कि भारत को आनुवंशिक रूप से संशोधित जीवों को विनियमित करने के लिये एक स्पष्ट और व्यापक नीति की

नोट :

तत्काल आवश्यकता है। इस **नीति को कृषि में GM प्रौद्योगिकी के सुरक्षित और ज़िम्मेदार विकास** एवं उपयोग को सुनिश्चित करना चाहिये, साथ ही संभावित जोखिमों को भी संबोधित करना चाहिये।

जबकि नई प्रौद्योगिकियों को पेश करते समय सावधानी बरतना आवश्यक है, **GM फसलों पर सरकार** की अनिर्णयता ने कृषि प्रगति और खाद्य सुरक्षा को बाधित किया है। स्पष्ट विनियमनों के अभाव ने आयातित खाद्य उत्पादों में **GM सामग्री के बारे में अनिश्चितताओं को भी जन्म** दिया है। भारत को इन चुनौतियों को संबोधित करने के लिये विज्ञान-आधारित दृष्टिकोण अपनाना चाहिये, जहाँ GM फसलों और अन्य खाद्य पदार्थों के लिये कठोर सुरक्षा प्रोटोकॉल एवं निगरानी प्रणाली स्थापित की जानी चाहिये।

आनुवंशिक रूप से संशोधित फसलें क्या हैं?

- **आनुवंशिक रूप से संशोधित फसलें (Genetically Modified Crops- GMO Crops)** उन पादपों को इंगित करती हैं जिनके DNA को आनुवंशिक इंजीनियरिंग तकनीकों का उपयोग कर बदल दिया गया है।
  - इस प्रक्रिया में वांछित लक्षण उत्पन्न करने के लिये नए **जीनों (genes)** को शामिल **करना या मौजूदा जीनों को संशोधित** करना शामिल है।
- **वैश्विक अंगीकरण और उपयोग:**
  - **परिचय:** GM फसलों को सर्वप्रथम संयुक्त राज्य अमेरिका में **फ्लेवर सेवर टमाटर (Flavr Savr tomato)** के रूप में पेश किया गया था। **टमाटर के पकने की प्रक्रिया** को धीमा करने और इसके नरम पड़ने एवं सड़ने को विलंबित करने के लिये आनुवंशिक संशोधन के साथ यह टमाटर किस्म विकसित की गई थी।
  - **वर्तमान स्थिति:** कृषि-जैव प्रौद्योगिकी अनुप्रयोगों के **अधिग्रहण हेतु अंतर्राष्ट्रीय सेवा (International Service for the Acquisition of Agri-biotech Applications- ISAAA)** के हाल के आँकड़ों से पता चलता है कि **भारत सहित 29 देशों में 18 मिलियन** से अधिक किसानों ने वर्ष 2019 में 190 मिलियन हेक्टेयर **(469.5 मिलियन एकड़)** से अधिक भूमि में GM फसलें लगाईं।
- **भारत में GM फसलें**
  - **स्वीकृत फसल: बीटी कपास (Bt cotton)** भारत में खेती के लिये स्वीकृत एकमात्र GM फसल है।
    - बुवाई क्षेत्र: देश में लगभग 11 मिलियन हेक्टेयर भूमि पर इसकी खेती की जाती है।
  - **अनुसंधान एवं परीक्षण:** सरसों, चना, अरहर और गन्ना जैसी अन्य फसलें अभी अनुसंधान, क्षेत्र परीक्षण और विचार-विमर्श के विभिन्न चरणों से गुज़र रही हैं।
  - **भारत में नियामक ढाँचा:** यह **पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986** के अंतर्गत **"खतरनाक सूक्ष्मजीवों, आनुवंशिक रूप से इंजीनियर्ड जीवों या कोशिकाओं के निर्माण, उपयोग, आयात, निर्यात और भंडारण के नियम" (नियम 1989)** द्वारा शासित है।
    - नियम 1989 के तहत सक्षम प्राधिकरण अधिसूचित किये गए हैं।

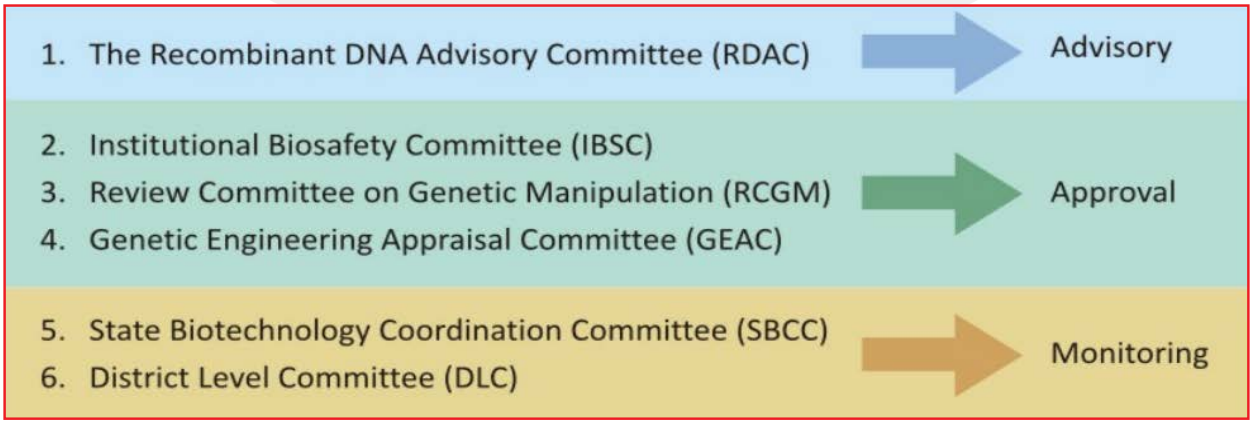

आनुवंशिक रूप से संशोधित फसलों के क्या लाभ हैं?

- **कीटों और रोगों से लड़ने की क्षमता:** GM फसलों को कीटों और रोगों से बचाने के लिये इंजीनियर्ड किया जा सकता है, जिससे रासायनिक कीटनाशकों की आवश्यकता कम हो जाती है।

नोट :

- उदाहरण के लिये, **बीटी कपास अपना स्वयं का कीटनाशक उत्पन्न** करता है, जो बॉलवर्म के संक्रमण को प्रभावी ढंग से नियंत्रित करता है।
  - इससे न केवल उपज बढ़ती है बल्कि खेती का **पर्यावरणीय प्रभाव भी कम** होता है।
  - बीटी कपास के अंगीकरण से **कपास उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है,** जिससे भारत विश्व में अग्रणी कपास उत्पादक देश बन गया है।
  - यह कीट प्रतिरोध उन भूभागों में विशेष रूप से महत्त्वपूर्ण सिद्ध हो सकता है जहाँ कीटों के कारण फसल की हानि एक प्रमुख चिंता का विषय है।

- **मौसम-रक्षित खेती (Weather-Proof Farming):** GM फसलों को चरम मौसम की स्थिति का सामना करने के लिये डिज़ाइन किया जा सकता है, जो जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में एक महत्त्वपूर्ण लाभ है।
  - उदाहरण के लिये, **सूखा-सहिष्णु मक्का** किस्में जल-तनाव की स्थिति में भी पैदावार बनाए रख सकती हैं।
  - यह प्रत्यास्थता अनियमित वर्षा या दीर्घकालिक सूखे की स्थिति वाले भूभागों में खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने में मदद कर सकती है।
  - केन्या जैसे देशों में **सूखा-सहिष्णु मक्का ने शुष्क मौसम के दौरान पैदावार** में सुधार लाने में आशाजनक परिणाम दिखाए हैं।

- **'न्यूट्रीशनल पावरहाउस' - प्रच्छन्न भुखमरी से मुक़ाबला:** आनुवंशिक संशोधन के माध्यम से **बायोफोर्टिफिकेशन (Biofortification) फसलों** के पोषण मूल्य को बढ़ा सकता है।
  - **बीटा-कैरोटीन से समृद्ध गोल्डन राइस** विकासशील देशों में विटामिन A की कमी को दूर करने का लक्ष्य रखता है।
  - इसके अन्य उदाहरणों में **लौह-समृद्ध चावल और जिंक-युक्त गेंहूँ** शामिल हैं।
  - पोषण की दृष्टि से उन्नत इन फसलों में कुपोषण और सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी से निपटने की क्षमता है, विशेष रूप से उन भूभागों में जहाँ विविधतापूर्ण आहार प्राप्त करना चुनौतीपूर्ण है।

- **हरित क्रांति 2.0:** GM फसलें प्राय: उच्च पैदावार और बेहतर संसाधन दक्षता का दावा करती हैं।
  - **खरपतवार-सहिष्णु फसलें खरपतवार** पर अधिक प्रभावी नियंत्रण प्रदान करती हैं, जिससे पोषक तत्वों और जल के लिये प्रतिस्पर्द्धा कम हो जाती है।
  - उन्नत प्रकाश संश्लेषण या नाइट्रोजन उपयोग के लिये संशोधित फसलें कम निवेश से अधिक उत्पादन प्रदान कर सकती हैं।
    - उदाहरण के लिये, **C4 चावल पर अनुसंधान** का उद्देश्य चावल की पैदावार में उल्लेखनीय वृद्धि लाना है।
  - ये प्रगतियाँ बढ़ती वैश्विक खाद्य मांग को पूरा करने में महत्त्वपूर्ण सिद्ध हो सकती हैं, साथ ही कृषि भूमि के विस्तार को न्यूनतम किया जा सकता है, जिससे प्राकृतिक पर्यावासों की रक्षा हो सकेगी।

- **पर्यावरण-अनुकूल खेती - कृषि के प्रभाव को कम करना:** GM फसलें अधिक सतत्/संवहनीय कृषि पद्धतियों में योगदान दे सकती हैं।
  - **खरपतवार-सहिष्णु फसलें प्राय: जुताई-रहित खेती (no-till farming)** को संभव बनाती हैं, जिससे मृदा अपरदन और कार्बन उत्सर्जन में कमी आती है।
  - कीट प्रतिरोधी फसलें कीटनाशकों के उपयोग को कम करती हैं, जिससे **गैर-लक्षित जीवों (non-target organisms)** को लाभ मिलता है और समग्र पारिस्थितिकी तंत्र के स्वास्थ्य में सुधार होता है।

- **'शेल्फ-लाइफ सुपरस्टार' (Shelf-Life Superstar)s:** GM प्रौद्योगिकी का उपयोग विस्तारित शेल्फ-लाइफ वाली फसलों को विकसित करने के लिये किया जा सकता है, जिससे कटाई उपरांत होने वाली हानियों (post-harvest losses) में व्यापक कमी आएगी।
  - **फ्लेवर सेवर टमाटर,** हालाँकि अब इसका उत्पादन नहीं किया जा रहा, पकने की गति को धीमा करने का एक आरंभिक उदाहरण था।
  - विस्तारित शेल्फ लाइफ से शीघ्र नष्ट होने वाली वस्तुओं के बार-बार परिवहन और प्रशीतन से जुड़े **'कार्बन फुटप्रिंट'** में भी कमी आ सकती है।
    - यह विकासशील देशों में विशेष रूप से प्रभावकारी सिद्ध हो सकता है, जहाँ प्रशीतन सुविधाओं की कमी और कमज़ोर परिवहन अवसंरचना के कारण बड़ी मात्रा में खाद्यान्न की बर्बादी होती है।

- **फसलें - औषधि कारख़ानों के रूप में:** पादपों को आनुवंशिक रूप से संशोधित कर टीके, एंटीबॉडी और अन्य औषधीय यौगिक तैयार किये जा सकते हैं।

नोट :

- यह दृष्टिकोण, जिसे '**बायोफार्मिंग**' (**biopharming**) के रूप में जाना जाता है, संभावित रूप से लागत को कम कर सकता है और कुछ दवाओं की पहुँच को बढ़ा सकता है।
- उदाहरण के लिये, **केले और आलू जैसी फसलों में खाद्य टीकों (edible vaccines)** के निर्माण पर अनुसंधान चल रहा है।
- यद्यपि यह प्रौद्योगिकी अभी भी अनुसंधान चरण में है, फिर भी इसमें टीका और औषधि उत्पादन में क्रांतिकारी बदलाव ला सकने की संभावना है।

- **फाइटोरिमेडिएशन चैंपियन (Phytoremediation Champions):** कुछ GM पादपों को मृदा से विशिष्ट प्रदूषकों को अवशोषित करने और सांद्रित करने की उनकी क्षमता के लिये विकसित किया जा रहा है, जिस प्रक्रिया को '**फाइटोरिमेडिएशन**' के रूप में जाना जाता है।
  - पादपों को भारी धातुओं को बेहतर ढंग से अवशोषित करने या कार्बनिक प्रदूषकों को विखंडित करने के लिये संशोधित किया गया है।
  - उदाहरण के लिये, संशोधित पोपलर (poplars) वनस्पति ने दूषित स्थलों को साफ करने की उन्नत क्षमता दर्शाई है।

भारत ने बीटी कॉटन के बाद से किसी भी GM फसल की वाणिज्यिक खेती को मंज़ूरी क्यों नहीं दी है?

- **विनियामक बाधाएँ और नीतिगत असंगतियाँ:** GM फसलों के लिये भारत का विनियामक ढाँचा जटिलता और लगातार परिवर्तनों से ग्रस्त रहा है, जिससे अनुमोदन के लिये अनिश्चित वातावरण पैदा होता है।
  - GM फसलों को मंज़ूरी देने के लिये ज़िम्मेदार **जेनेटिक इंजीनियरिंग मूल्यांकन समिति (GEAC)** प्राय: वैज्ञानिक अनुशंसाओं और राजनीतिक दबावों के बीच फँसी रहती है।
  - उदाहरण के लिये, वर्ष 2009 में GEAC ने **बीटी बैंगन (Bt brinjal) के वाणिज्यीकरण** की सिफ़ारिश की थी, लेकिन तत्कालीन पर्यावरण मंत्री ने और अधिक अध्ययन तथा सार्वजनिक परामर्श की आवश्यकता का हवाला देते हुए इसे टाल दिया।
  - वैज्ञानिक निकायों द्वारा अनुमोदन देने के बाद राजनीतिक हस्तक्षेप की इस प्रवृत्ति ने नियामक गतिरोध पैदा कर दिया है।
- **सार्वजनिक विरोध और सक्रिय कार्यकर्ताओं का दबाव:** पर्यावरण समूहों, किसान संगठनों और कुछ वैज्ञानिकों के कड़े विरोध ने भारत में GM फसल से जुड़ी बहस को गंभीर रूप से प्रभावित किया है।
  - इन समूहों ने जैव सुरक्षा, जैव विविधता की हानि और छोटे किसानों पर सामाजिक-आर्थिक प्रभाव के बारे में चिंता जताई है।
  - GM सरसों का मामला इस दबाव का उदाहरण है, जहाँ **वर्ष 2017 में GEAC** की मंज़ूरी के बाद भी जारी कानूनी चुनौतियों के कारण इसकी वाणिज्यिक खेती को मंज़ूरी नहीं प्राप्त हुई।
- **आर्थिक एवं व्यापारिक पक्ष:** GM फसलों पर भारत का रुख आर्थिक एवं व्यापारिक कारकों से भी प्रभावित है।
  - ऐसी चिंताएँ व्यक्त की गई हैं कि **GM फसलों के व्यापक अंगीकरण** से भारत के कृषि निर्यात पर, विशेष रूप से यूरोप जैसे **GM-संवेदनशील बाज़ारों** में, असर पड़ सकता है।
  - इसके अलावा, **बीटी कपास के मामले में पैदावार की वृद्धि तो हुई लेकिन बीज** की कीमतों और बाजार संकेंद्रण के बारे में भी मुद्दे खड़े हुए।
  - **GM बीज बाज़ार में बहुराष्ट्रीय कंपनियों के प्रभुत्व के कारण बीज संप्रभुता** और घरेलू बीज कंपनियों पर पड़ने वाले प्रभाव को लेकर चिंताएँ उत्पन्न हुई हैं।
- **राजनीतिक और संघीय जटिलताएँ:** भारत का **संघीय ढाँचा GM फसलों की मंज़ूरी में** जटिलता की एक और परत का योग करता है।
  - जबकि समग्र नीति केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित की जाती है, कृषि राज्य सूची का विषय है, जिससे राज्य सरकारों को कृषि संबंधी निर्णयों में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाने का अधिकार प्राप्त है।
    - इससे ऐसी स्थितियाँ उत्पन्न हो गई हैं कि राज्यों ने **अनुमोदन के बाद भी GM** फसलों के परीक्षण पर प्रतिबंध लगा दिया है।
    - उदाहरण के लिये, **वर्ष 2018 में राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, दिल्ली, पंजाब, पश्चिम बंगाल और केरल** सहित कई राज्यों ने GM सरसों का विरोध किया था।

नोट :

आनुवंशिक रूप से संशोधित फसलों से संबंधित प्रमुख चुनौतियाँ:

- **पर्यावरण संबंधी चिंताएँ:** GM फसलों से गंभीर पारिस्थितिक प्रश्न जुड़े हुए हैं। फसलों की जंगली किस्मों में संभावित जीन प्रवाह के बारे में चिंता व्यक्त की गई है, जो खरपतवारों के प्रति प्रतिरोधी **'सुपरवीड्स' (superweeds) उत्पन्न** कर सकता है।
  - गैर-लक्षित जीवों पर प्रभाव एक अन्य चिंता का विषय है। जबकि बीटी फसलें समग्र कीटनाशक उपयोग को कम करती हैं, वे लाभकारी कीटों को भी प्रभावित कर सकती हैं।
  - इसके अलावा, इस बात पर भी बहस चल रही है कि क्या **GM फसलें एकल कृषि या मोनोकल्चर (monoculture)** को बढ़ावा देकर जैव विविधता को हानि पहुँचा सकती हैं।
- **स्वास्थ्य और सुरक्षा संबंधी अनिश्चितताएँ:** यद्यपि अनेक अध्ययनों में पाया गया है कि GM खाद्य पदार्थ उपभोग के लिये सुरक्षित हैं, फिर भी इनके दीर्घकालिक स्वास्थ्य प्रभावों के बारे में चिंताएँ बनी हुई हैं।
  - आलोचकों का तर्क है कि वर्तमान **सुरक्षा मूल्यांकन सूक्ष्म या दीर्घकालिक प्रभावों का** सटीक अनुमान नहीं दे सकते।
    - नई एलर्जी या पोषण सामग्री में परिवर्तन की संभावना के बारे में भी चिंताएँ व्यक्त की गई हैं।
  - उदाहरण के लिये, वर्ष 2000 में **स्टारलिंक मक्का विवाद (StarLink corn controversy)**, जहाँ **केवल पशु चारे के लिये अनुमोदित एक GM मक्का किस्म** का मानव खाद्य आपूर्ति में प्रवेश हो गया था, ने पर-संदूषण (cross-contamination) को रोकने से जुड़ी चुनौतियों को उजागर किया।
- **सामाजिक-आर्थिक प्रभाव:** GM फसलों के अंगीकरण से जटिल सामाजिक-आर्थिक परिणाम उत्पन्न हो सकते हैं।
  - हालाँकि वे पैदावार और किसानों की आय बढ़ा सकते हैं, जैसा कि **भारत में बीटी कपास के मामले में देखा गया है, लेकिन इससे बाज़ार संकेंद्रण और बीज कंपनियों** पर किसानों की निर्भरता के बारे में चिंताएँ भी उत्पन्न होती हैं।
  - GM बीजों और संबंधित **आदानों/इनपुट की उच्च लागत छोटे किसानों** के लिये भारी पड़ सकती है।
  - GM फसलों के पेटेंट पर मौजूद वैश्विक विवाद (जैसे मोनसेंटो द्वारा किसानों के साथ कानूनी लड़ाई) कृषि में बौद्धिक संपदा अधिकारों के मुद्दों को उजागर करते हैं।
- **नियामक चुनौतियाँ:** GM फसलों के लिये प्रभावी नियामक ढाँचा स्थापित करना जटिल है।
  - विभिन्न देशों में **अनुमोदन प्रक्रिया और लेबलिंग आवश्यकताएँ** भिन्न-भिन्न हैं, जिससे व्यापार संबंधी जटिलताएँ पैदा होती हैं।
  - यूरोपीय संघ के कड़े नियम संयुक्त राही अमेरिका के अधिक **अनुमोदनकारी दृष्टिकोण** के विपरीत हैं, जिसके कारण व्यापार विवाद उत्पन्न होते हैं।
  - विकासशील देशों में प्राय: व्यापक जैव सुरक्षा विनियमन के लिये संसाधनों का अभाव पाया जाता है।
  - विनियमनों की **निगरानी और प्रवर्तन की चुनौती, विशेष रूप से छिद्रपूर्ण सीमाओं** वाले क्षेत्रों में, जटिलता को और बढ़ा देती है।
- **नैतिक और सांस्कृतिक पक्ष:** GM फसलें प्रकृति में मानव हस्तक्षेप की सीमा के बारे में नैतिक प्रश्नों को भी जन्म देती हैं।
  - मानव द्वारा **'सर्जक' की भूमिका ग्रहण करने ('playing God')** और प्रजातिगत बाधाओं को पार करने के नैतिक निहितार्थों के बारे में भी चिंताएँ मौजूद हैं।
  - GM फसलों का मुद्दा खाद्य संप्रभुता और समुदायों के अपने **स्वयं के खाद्य प्रणालियों** को निर्धारित करने के अधिकार के बारे में व्यापक बहस से भी संबद्ध है।
    - ये नैतिक आयाम GM फसलों से संबंधित वैज्ञानिक एवं आर्थिक पक्षों में जटिलता की परतों का योग करते हैं।
- **सह-अस्तित्व और संदूषण संबंधी मुद्दे:** GM और गैर-GM फसलों के सह-अस्तित्व का प्रबंधन व्यावहारिक चुनौतियाँ प्रस्तुत करता है।
  - **पर-परागण (Cross-pollination) के कारण गैर-GM या जैविक फसलों में GM** सामग्री की अनपेक्षित उपस्थिति हो सकती है।
  - वर्ष 2013 में **ओरेगन (संयुक्त राज्य अमेरिका)** के एक किसान को अपने खेत में अनधिकृत GM गेहूँ मिला, जिसके कारण कुछ देशों ने इसके आयात पर अस्थायी प्रतिबंध लगा दिया।
  - संपूर्ण आपूर्ति श्रृंखला में प्रभावी पृथक्करण पद्धतियाँ स्थापित करना जटिल एवं महंगा है।

नोट :

- यह मुद्दा विशेष रूप से जैविक किसानों के लिये समस्याजनक है, क्योंकि यदि उनकी फसलें संदूषित हो जाती हैं तो उनके समक्ष प्रमाणीकरण खोने का खतरा रहता है।

- **प्रतिरोध का विकास:** लक्षित कीटों और खरपतवारों में प्रतिरोध का विकास GM फसलों की दीर्घकालिक प्रभावकारिता के लिये एक गंभीर खतरा पैदा करता है।
  - बीटी कपास, जो आरंभ में **बॉलवर्म के विरुद्ध अत्यधिक प्रभावी** रही थी, की प्रभावकारिता में कुछ क्षेत्रों में कीट प्रतिरोध के कारण कमी देखी गई है।
  - इसी प्रकार, ग्लाइफोसेट-प्रतिरोधी फसलों के व्यापक उपयोग के कारण कई क्षेत्रों में **ग्लाइफोसेट-प्रतिरोधी खरपतवार** भी उग आए हैं।
  - इससे एक **'टेक्नोलॉजिकल ट्रेडमिल' (techno-logical treadmill) का निर्माण** होता है, जहाँ किसान अपनी पैदावार बनाए रखने के लिये निरंतर विकसित हो रही GM प्रौद्योगिकियों पर निर्भर हो जाते हैं।

भारत में GM फसलों के संतुलित उपयोग को बढ़ावा देने के लिये कौन-से उपाय किये जा सकते हैं?

- **पारदर्शी परीक्षण – 'विश्वास के बीज बोना':** GM फसलों के लिये पारदर्शी, सार्वजनिक रूप से सुलभ क्षेत्र परीक्षणों की प्रणाली लागू किया जाए।
  - एक ऑनलाइन पोर्टल स्थापित किया जाए जहाँ सभी परीक्षण डेटा और परिणाम रियल-टाइम में प्रकाशित किये जाएँ।
  - स्वतंत्र वैज्ञानिकों और हितधारकों को परीक्षणों का निरीक्षण एवं सत्यापन करने के लिये प्रोत्साहित किया जाए।
  - यह पारदर्शिता आम लोगों के बीच विश्वास निर्माण में मदद कर सकती है और निर्णय-निर्माण के लिये मज़बूत साक्ष्य आधार प्रदान कर सकती है।

- **'बायोटेक ब्रिजेज़' (Biotech Bridges) –** सार्वजनिक-निजी भागीदारी को बढ़ावा देना: सार्वजनिक संस्थानों और निजी कंपनियों के बीच सहयोगात्मक अनुसंधान के लिये एक ढाँचा तैयार किया जाए।
  - इससे लाभ की मंशा और जनहित के बीच संतुलन बनाने में मदद मिलेगी तथा यह सुनिश्चित होगा कि **GM प्रौद्योगिकी स्थानीय कृषि आवश्यकताओं** को पूरा करे।
  - बौद्धिक संपदा और लाभों को साझा करने के लिये स्पष्ट दिशा-निर्देश स्थापित किये जाएँ। ऐसी साझेदारियाँ सार्वजनिक निगरानी बनाए रखते हुए निजी क्षेत्र के नवाचार का लाभ उठा सकती हैं।
  - यह दृष्टिकोण विशेष रूप से भारतीय कृषि परिदृश्यों और पोषण संबंधी आवश्यकताओं के अनुरूप GM फसलों को विकसित करने में भी मदद कर सकता है।

- **'ग्रीन जीन बैंक' (Green Gene Bank) – कृषि विरासत का संरक्षण:** स्वदेशी फसल किस्मों को संरक्षित करने के लिये एक व्यापक राष्ट्रीय जीन बैंक की स्थापना की जाए।
  - पारंपरिक बीजों के संग्रहण, **दस्तावेज़ीकरण और भंडारण के लिये धन आवंटित** किया जाए।
  - इस पहल से जैव विविधता की सुरक्षा हो सकेगी और GM फसलों के विकास को बढ़ावा मिलेगा।
  - **आनुवंशिक विविधता को संरक्षित करने के रूप में यह उपाय आनुवंशिक क्षरण** के संबंध में विद्यमान चिंताओं को संबोधित करेगा और भविष्य में फसल विकास के लिये विकल्प बनाए रखेगा।

- **'फार्मर फर्स्ट' नीतियाँ (Farmer-First Policies) –** ज़मीनी स्तर के किसानों को सशक्त बनाना: ऐसी नीतियाँ विकसित की जाएँ जो GM फसल के अंगीकरण में छोटे और सीमांत किसानों को प्राथमिकता दें।
  - निर्णय-निर्माण प्रक्रिया में भागीदारी के लिये ज़िला स्तर पर किसान समितियों का गठन किया जाए।
  - GM प्रौद्योगिकी अपनाने वाले किसानों के लिये व्यापक प्रशिक्षण और सहायता प्रणाली प्रदान की जाए।
  - GM फसलों की संभावित विफलताओं से किसानों को बचाने के लिये बीमा योजनाएँ लागू की जाएँ।
  - यह दृष्टिकोण सुनिश्चित करेगा कि सबसे भेद्य कृषि समुदायों के हित GM फसल नीतियों के केंद्र में हों।

- **पारिस्थितिकी प्रभाव आकलन – पर्यावरणीय सद्भाव का विकास:** किसी भी GM फसल को मंज़ूरी देने से पहले दीर्घकालिक पर्यावरणीय प्रभाव अध्ययन को अनिवार्य बनाया जाए।
  - स्थानीय पारिस्थितिक तंत्रों पर पड़ने वाले प्रभावों की निगरानी के लिये **पारिस्थितिक वेधशालाओं** का एक नेटवर्क स्थापित किया जाए।
  - गैर-लक्ष्यित जीवों और जैव विविधता पर प्रभाव का आकलन करने के लिये प्रोटोकॉल विकसित किये जाएँ।
  - संचयी पर्यावरणीय प्रभावों का आकलन करने के लिये आवधिक समीक्षा की प्रणाली लागू की जाए।

नोट :

- **पोषण संबंधी प्रयास - प्रच्छन्न भुखमरी को लक्ष्य करना:** GM फसल अनुसंधान का ध्यान भारत में व्याप्त विशिष्ट पोषण संबंधी कमियों को दूर करने की ओर केंद्रित किया जाए।
  - विभिन्न भूभागों में **आवश्यक प्रमुख पोषक तत्वों की पहचान करने के लिये** स्वास्थ्य विशेषज्ञों के साथ सहयोग स्थापित किया जाए।
  - स्थानीय आहार संबंधी आदतों और कमियों के अनुरूप बायोफोर्टिफाइड फसलें विकसित की जाएँ।
  - पोषण के दृष्टिकोण से **संवर्द्धित इन GM फसलों की प्रभावशीलता** का आकलन करने के लिये पायलट कार्यक्रम लागू किये जाएँ।
  - यह **लक्षित दृष्टिकोण GM प्रौद्योगिकी के ठोस स्वास्थ्य लाभों को प्रदर्शित** कर सकता है, जिससे संभावित रूप से इसकी सार्वजनिक स्वीकृति बढ़ सकती है।
- **विनियामक पुनःस्थापना (Regulatory Reboot) - विज्ञान के साथ सुव्यवस्थित करना:** GM फसलों के लिये एक स्पष्ट, विज्ञान-आधारित अनुमोदन प्रक्रिया के सृजन के लिये विनियामक ढाँचे में सुधार किया जाए।
  - विभिन्न हितधारकों के प्रतिनिधित्व के साथ एक स्वतंत्र जैव प्रौद्योगिकी नियामक प्राधिकरण की स्थापना की जाए।
  - अनिश्चितकालीन विलंब से बचने के लिये समयबद्ध निर्णय-निर्माण प्रक्रिया को लागू किया जाए।
  - जोखिम मूल्यांकन और प्रबंधन के लिये स्पष्ट दिशा-निर्देश विकसित किये जाएँ।
  - यह सुव्यवस्थित, पारदर्शी नियामक प्रणाली अनुमोदन प्रक्रिया में विश्वास बढ़ा सकती है और ज़िम्मेदार नवाचार को प्रोत्साहित कर सकती है।
- **'लेबल लॉजिक' (Label Logic) - उपभोक्ता विकल्प को सशक्त बनाना:** GM उत्पादों के लिये एक व्यापक, समझने में आसान लेबलिंग प्रणाली को लागू किया जाए।
  - GM उत्पाद के लिये स्पष्ट दिशा-निर्देश तैयार करें कि किन उत्पादों पर लेबलिंग की आवश्यकता होगी।
  - **GM लेबलिंग** के बारे में उपभोक्ताओं को शिक्षित करने के लिये जन जागरूकता अभियान शुरू किये जाएँ।
  - लेबलिंग विनियमों के गैर-अनुपालन के लिये कठोर दंड के प्रावधान किये जाएँ।
  - यह उपाय उपभोक्ताओं के सूचना एवं विकल्प के अधिकार का सम्मान करेगा और अनजाने में GM उत्पादों के उपभोग से संबंधित चिंताओं को कम करने में सहायक होगा।
- **'सह-अस्तित्व गलियारे' (Coexistence Corridors) - विविध कृषि पद्धतियों के बीच संतुलन का निर्माण करना:** GM और गैर-GM फसलों के सह-अस्तित्व के लिये दिशा-निर्देश और अवसंरचना का विकास किया जाए।
  - GM और गैर-GM फसलों के बीच पर-परागण को रोकने के लिये **बफ़र ज़ोन और अलगाव दूरी (isolation distances)** स्थापित किये जाएँ।
  - यह दृष्टिकोण विभिन्न कृषि प्रणालियों के बीच संघर्ष को न्यूनतम करते हुए कृषि विविधता की अनुमति देगा।
- **अंतर्राष्ट्रीय मानकों में सामंजस्य:** GM फसलों के लिये सामंजस्यपूर्ण मानक विकसित करने के लिये अंतर्राष्ट्रीय मंचों में सक्रिय रूप से भागीदारी की जाए।
  - प्रमुख व्यापारिक साझेदारों के साथ पारस्परिक रूप से मान्यता प्राप्त सुरक्षा मूल्यांकन प्रक्रियाएँ स्थापित करने की दिशा में कार्य किया जाए।
  - GM फसल विनियमन और व्यापार में वैश्विक सर्वोत्तम अभ्यासों के विकास में योगदान किया जाए।
  - यह भागीदारी व्यापार-संबंधी मुद्दों को सुलझाने तथा **GM फसल प्रशासन के प्रति अधिक समेकित वैश्विक दृष्टिकोण** को बढ़ावा देने में सहायक सिद्ध हो सकती है।
  - भारत नेतृत्वकारी भूमिका निभाकर यह सुनिश्चित कर सकता है कि उसके हित और चिंताएँ अंतर्राष्ट्रीय GM फसल नीतियों में प्रतिबिंबित हों।

■■■

दक्षिण एशिया में भारत की भूमिका

दक्षिण एशिया में उभरते **भू-राजनीतिक परिदृश्य** भारत के लिये आवश्यक बनाते हैं कि वह अपने पड़ोसी देशों के प्रति अपने **दृष्टिकोण को विवेकपूर्ण और व्यावहारिक रूप** प्रदान करे। बांग्लादेश में हाल के घटनाक्रम, जिसके परिणामस्वरूप बांग्लादेश की प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना पड़ा और देश में सेना का अंतरिम शासन स्थापित हुआ, **क्षेत्रीय राजनीति की अस्थिरता और भारत के लिये रणनीतिक** संबंधों को बनाए रखते हुए अपने पड़ोसी देशों की लोकतांत्रिक आकांक्षाओं का समर्थन करने की अनिवार्यता को उजागर करता है। ताज़ा घटनाक्रम के बहाने हम **वर्ष 2006 में नेपाल में बहुदलीय लोकतंत्र के लिये चले आंदोलन** को याद करें तो आवश्यक होगा कि भारत का कूटनीतिक रुख लोकप्रिय आकांक्षा के अनुरूप हो और स्थिरता एवं सकारात्मक संलग्नता को बढ़ावा दिया जाए।

नोट :

चूँकि क्षेत्रीय समीकरण लगातार बदल रहे हैं, अपने **पड़ोस में शांति, स्थिरता और विकास को बढ़ावा** देने के लिये भारत की प्रतिबद्धता न केवल उसके अपने रणनीतिक हितों को सुरक्षित करेगी, बल्कि क्षेत्रीय सद्भाव एवं समृद्धि के व्यापक लक्ष्य में भी योगदान देगी।

भारत के पड़ोसी देश लगातार राजनीतिक एवं आर्थिक उथल-पुथल का सामना क्यों कर रहे हैं?

- **नागरिक शासन में सैन्य हस्तक्षेप:** दक्षिण एशिया के कई देशों में **सैन्य तख्तापलट** और हस्तक्षेप का इतिहास रहा है, जो लोकतांत्रिक संस्थाओं को कमज़ोर करता है।
  - स्वतंत्रता के बाद से पाकिस्तान ने अपने अस्तित्व के लगभग आधे समय तक प्रत्यक्ष सैन्य शासन का सामना किया है।
  - **म्याँमार में 2021 सैन्य तख्तापलट** में **सेना (Tatmadaw)** ने सत्ता पर कब्ज़ा कर लिया और असैन्य नेताओं को हिरासत में ले लिया, जिससे व्यापक नागरिक अशांति का प्रसार हुआ।

नोट :

- बांग्लादेश में भी सेना ने कई बार हस्तक्षेप किया है, जिनमें **वर्ष 2007-2008 का** घटनाक्रम सबसे उल्लेखनीय है।
- इन हस्तक्षेपों से प्राय: **राजनीतिक अस्थिरता, मानवाधिकार उल्लंघन और आर्थिक व्यवधान** की स्थिति बनती है।

- **आर्थिक कमज़ोरियाँ और बाह्य निर्भरताएँ:** वर्ष 2022 में श्रीलंका का आर्थिक संकट इसका एक स्पष्ट उदाहरण है, जिसमें बाह्य ऋण सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुँच गया।
  - बांग्लादेश की वस्त्र उद्योग पर निर्भरता, जो उसके निर्यात में **80% हिस्सेदारी रखता** है, उसे वैश्विक वस्त्र मांग में उतार-चढ़ाव के प्रति संवेदनशील बनाती है।
  - मालदीव का पर्यटन क्षेत्र उसके सकल घरेलू उत्पाद में लगभग **28% का योगदान** देता है, जिसके कारण उसे कोविड-19 महामारी जैसे बाह्य आघातों के कारण संकट का सामना करना पड़ा और उसकी अर्थव्यवस्था सिकुड़ गई।
  - वर्ष 2022 के अंत तक पाकिस्तान का **विदेशी ऋण 130.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर** तक पहुँच गया था, जिसमें चीन की हिस्सेदारी **लगभग 30%** थी। इसके कारण चीन को पाकिस्तान पर आर्थिक प्रभाव रखने का अवसर प्राप्त होता है।
- **भू-राजनीतिक प्रतिस्पर्द्धा और बाह्य प्रभाव:** चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारा (CPEC) के माध्यम से पाकिस्तान की अवसंरचना में चीन के निवेश ने **इस्लामाबाद पर बीजिंग** के प्रभाव को गंभीर रूप से बढ़ा दिया है।
  - श्रीलंका में ऋण संबंधी समस्याओं के कारण हंबनटोटा बंदरगाह **को 99 वर्ष के पट्टे** पर चीन को सौंपना इस बात का उदाहरण है कि आर्थिक निर्भरता किस प्रकार रणनीतिक रियायतों में परिणत हो सकती है।
  - नेपाल द्वारा भारत और चीन दोनों के साथ **संतुलनकारी संबंध रखने का दृष्टिकोण** चीन की सहायता से निर्मित पोखरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे जैसी अवसंरचना परियोजनाओं में स्पष्ट प्रकट होता है।
- **जलवायु परिवर्तन और पर्यावरणीय चुनौतियाँ:** मालदीव, जिसका **80% भूभाग समुद्र तल से 1 मीटर से भी कम ऊँचाई** पर है, बढ़ते समुद्री स्तर के कारण अस्तित्व के लिये संकट का सामना कर रहा है।
  - विश्व बैंक के अनुसार, **वर्ष 2050 तक बांग्लादेश में संभावित रूप से 13.3 मिलियन** आंतरिक जलवायु प्रवासी (internal climate migrants) होंगे।
  - वर्ष 2022 में पाकिस्तान में विनाशकारी बाढ़ आई जिससे लाखों लोग प्रभावित हुए और भारी आर्थिक क्षति पहुँची।
  - नेपाल के ग्लेशियर **प्रति वर्ष 10 से 60 मीटर की दर से पीछे** हट रहे हैं, जिससे लाखों लोगों के लिये जल सुरक्षा खतरे में पड़ गई है।
- **औपनिवेशिक संरचनाओं और कमज़ोर संस्थाओं की विरासत:** वर्ष 1947 में जल्दबाज़ी में खींची गई रेडक्लिफ रेखा ने कई सीमा विवादों को जन्म दिया, जिसमें कश्मीर को लेकर जारी भारत-पाकिस्तान संघर्ष भी शामिल है।
  - **वर्ष 1971 में बांग्लादेश का निर्माण औपनिवेशिक** सीमाओं की अस्थिरता का ही एक अन्य उदाहरण है।
  - इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट' के डेमोक्रेसी इंडेक्स 2020 के अनुसार, अधिकांश दक्षिण एशियाई देश **'त्रुटिपूर्ण लोकतंत्र' (flawed democracy) या 'हाइब्रिड शासन'** की श्रेणियों में आते हैं, जो कमज़ोर संस्थानों में निहित राजनीतिक अस्थिरता को उजागर करते हैं।
- **जनसांख्यिकीय दबाव और सामाजिक-आर्थिक असमानताएँ:** भारत के पड़ोसी देशों में युवाओं की विशाल आबादी पाई जाती है।
  - पाकिस्तान में **लगभग 64% आबादी 30 वर्ष से कम आयु** के लोगों की है, जिससे रोज़गार सृजन करने और उन्हें चरमपंथी विचारधाराओं की ओर आकर्षित होने से रोकने के लिये व्यापक दबाव पैदा हो रहा है।
  - क्षेत्र में युवा बेरोज़गारी दर उच्च है; जैसे **नेपाल में 20.5% और श्रीलंका में 24.74%**।

भारत को अपने पड़ोस में वर्तमान में किन प्रमुख चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है?

- **पाकिस्तान: कश्मीर और सीमा-पार आतंकवाद** को लेकर भारत-पाकिस्तान संबंध तनावपूर्ण बने हुए हैं।
  - पाकिस्तान हाल के समय में देश में जारी **आर्थिक संकट, राजनीतिक अस्थिरता और IMF** के वार्ता जैसे मुद्दों से जूझ रहा है।
  - चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारे के माध्यम से चीन के साथ पाकिस्तान की बढ़ती निकटता भारत के लिये रणनीतिक चुनौतियाँ उत्पन्न कर रही है।
  - हाल में रियासी **ज़िले में हुए आतंकवादी हमले, जो कथित रूप से पाकिस्तान** द्वारा प्रायोजित थे, ने तनाव को और बढ़ा दिया है।

नोट :

- **बांग्लादेश:** विरोध प्रदर्शनों के बीच वर्तमान प्रधानमंत्री के इस्तीफे के कारण बांग्लादेश में गंभीर राजनीतिक उथल-पुथल की स्थिति व्याप्त है।
  - यह परिदृश्य पिछले दशक में विकसित हुई **भारत-बांग्लादेश** संबंधों की सकारात्मक दिशा को प्रभावित कर सकता है।
  - **साझा जल संसाधनों का प्रबंधन (विशेष रूप से तीस्ता नदी समझौता),** अवैध प्रवासन से निपटना और आर्थिक सहयोग बनाए रखना दोनों देशों के बीच मौजूद प्रमुख मुद्दे हैं।
    - **असम जैसे भारतीय राज्यों द्वारा अवैध प्रवासन (विशेषकर बांग्लादेश से) के** बारे में लंबे समय से चिंताएँ जताई जा रही हैं।
    - **अगस्त 2024 में एक क्षेत्रीय दल ने बांग्लादेश** में अशांति और सीमा के बाड़रहित हिस्सों से अवैध आव्रजन में वृद्धि के बारे में चिंता व्यक्त की।
    - ऐसी आशंकाएँ व्यक्त की गई हैं कि अवैध प्रवासियों के आने से असमिया लोग अपने ही राज्य में अल्पसंख्यक बन सकते हैं, जैसा कि त्रिपुरा और सिक्किम राज्यों में हुआ।
    - **बांग्लादेश में संभावित सैन्य शासन से ये मुद्दे और भी गंभीर** बन सकते हैं, जिनमें प्रवासन दबाव और अल्पसंख्यक संबंधी चिंताएँ भी शामिल हैं।
- **नेपाल:** नेपाल का राजनीतिक परिदृश्य जटिल बना हुआ है और सरकार में लगातार परिवर्तन के कारण नीतिगत स्थिरता प्रभावित हो रही है।
  - **'बेल्ट एंड रोड' पहल** सहित चीन के साथ नेपाल के बढ़ते आर्थिक संबंध भारत के लिये चिंता का विषय हैं।
  - सीमा विवाद, विशेषकर कालापानी क्षेत्र का मुद्दा, दोनों देशों के बीच तनाव का स्रोत बना हुआ है।
  - हालाँकि **सांस्कृतिक और लोगों के परस्पर संबंध मज़बूत** बने हुए हैं और जलविद्युत एवं अवसंरचना विकास में सहयोग बढ़ाने की व्यापक संभावनाएँ मौजूद हैं।
- **श्रीलंका:** श्रीलंका धीरे-धीरे अपने गंभीर आर्थिक संकट से उबर रहा है, जहाँ भारत उसे आर्थिक सहायता प्रदान करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। भारत वह **पहला देश था जिसने श्रीलंका के वित्तपोषण और ऋण पुनर्गठन** के लिये अपना समर्थन पत्र अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को सौंपा था।
  - **कच्चातीवु द्वीप**, श्रीलंका में तमिल अल्पसंख्यकों के साथ दुर्व्यवहार और श्रीलंका के संविधान में 13वें संशोधन का कार्यान्वयन द्विपक्षीय संबंधों में महत्त्वपूर्ण मुद्दे बने हुए हैं।
- **मालदीव:** मालदीव में चीन समर्थक राष्ट्रपति के निर्वाचन के साथ देश की विदेश नीति में बदलाव आया है, जहाँ देश में भारतीय सैन्य उपस्थिति को कम करने की मांग की गई और सत्तारूढ़ दल द्वारा चुनाव प्रचार के दौरान व्यापक रूप से **'इंडिया-आउट' अभियान** चलाया गया।
  - इससे हिंद महासागर क्षेत्र में भारत के रणनीतिक हितों के लिये चुनौती उत्पन्न हुई है।
- **म्याँमार:** म्याँमार में सैन्य तख्तापलट और उसके बाद उत्पन्न नागरिक अशांति ने भारत के लिये जटिल चुनौतियाँ पैदा की।
  - पूर्वोत्तर राज्यों में **रोहिंग्या शरणार्थी** की आमद तथा अस्थिर म्याँमार में चीन के प्रभाव में वृद्धि की संभावना भारत के लिये गंभीर चिंता का विषय हैं।
  - यद्यपि भारत के म्याँमार के साथ रणनीतिक एवं आर्थिक हित जुड़े हुए हैं, जिनमें पूर्वोत्तर में उग्रवाद का मुक़ाबला करना और **'एक्ट-ईस्ट नीति** के माध्यम से कनेक्टिविटी परियोजनाओं को क्रियान्वित करना शामिल है, फिर भी उसे मानवाधिकारों और लोकतंत्र संबंधी चिंताओं के साथ संतुलन बनाए रखना होगा।
- **भूटान:** यद्यपि भारत-भूटान संबंध मज़बूत बने हुए हैं, लेकिन **भूटान द्वारा अपने विदेशी संबंधों** में विविधता लाने तथा भारत पर आर्थिक निर्भरता कम करने के प्रयास नए समीकरण प्रस्तुत कर रहे हैं।
  - भूटान-भारत और चीन के बीच डोकलाम का अनसुलझा मुद्दा रणनीतिक चिंता का विषय बना हुआ है।
  - भारत भूटान का प्रमुख विकास साझेदार बना हुआ है, लेकिन भूटान की उभरती आकांक्षाओं को प्रतिबिंबित करने के लिये संबंधों को अद्यतन करने की आवश्यकता है।
- **अफगानिस्तान:** तालिबान की सत्ता में वापसी ने **भू-राजनीतिक परिदृश्य को नया रूप प्रदान** किया है, लेकिन भारत मानवीय सहायता और अफगानिस्तान क्रिकेट टीम की मेजबानी के माध्यम से सौहार्दपूर्ण संबंध बनाए रखने में सफल रहा है।
  - हालाँकि, अफगानिस्तान के विकास में भारत का महत्त्वपूर्ण निवेश खतरे में है क्योंकि इसका रणनीतिक प्रभाव कम हो गया है।

नोट :

पड़ोसी देशों में राजनीतिक और आर्थिक उथल-पुथल के इतिहास के बावजूद भारत किस प्रकार प्रत्यास्थी बना रहा है?

- **प्रबल संवैधानिक ढाँचा और संस्थागत सामर्थ्य:** भारत का लोकतंत्र इसके व्यापक संविधान पर आधारित है, जिसने **वर्ष 1950 से अब तक विभिन्न चुनौतियों** का डटकर मुक़ाबला किया है।
  - **संविधान के मूल संरचना का सिद्धांत (basic structure doctrine),** जिसे ऐतिहासिक **केशवानंद भारती मामले (1973)** में स्थापित किया गया था, संविधान के मर्म की रक्षा करता है।
  - भारत की **स्वतंत्र न्यायपालिका,** जिसकी **पुष्टि 2G स्पेक्ट्रम मामले में (2012) 122 दूरसंचार लाइसेंस रद्द** करने जैसे महत्त्वपूर्ण हस्तक्षेप से हुई, कार्यपालिका की शक्ति पर एक मज़बूत अंकुश के रूप में कार्य करती है।
    - इसके अतिरिक्त, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका के बीच शक्तियों का पृथक्करण एक संतुलित एवं जवाबदेह शासन संरचना सुनिश्चित करता है।
  - **भारत निर्वाचन आयोग (ECI)** ने और विश्व की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक प्रक्रिया का कुशल प्रबंधन करते हुए लगातार स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव संपन्न कराए हैं।
  - इन संस्थाओं ने, यदा-कदा विवादों के बावजूद, लोकतांत्रिक मानदंडों को कायम रखने में प्रत्यास्थता का प्रदर्शन किया है।
- **जीवंत नागरिक समाज और स्वतंत्र प्रेस:** भारत में एक गतिशील नागरिक समाज और मीडिया परिदृश्य मौजूद है जो लोकतांत्रिक संवाद में सक्रिय रूप से भाग लेता है।
  - **सूचना का अधिकार अधिनियम (2005)** ने नागरिकों को जवाबदेही की मांग करने का अधिकार दिया है, जिसके तहत प्रतिदिन 4800 से अधिक RTI आवेदन दायर किये जाते हैं।
  - नागरिक समाज के आंदोलनों ने सरकार की नीतियों को महत्त्वपूर्ण रूप से प्रभावित किया है, जैसा कि जन लोकपाल आंदोलन के दबाव में भ्रष्टाचार विरोधी कानून के अधिनियमन के रूप में देखा गया।
  - भारत का प्रेस राजनीतिक पूर्वाग्रहों की चुनौतियों का सामना करता रहा है, लेकिन **100,000 से अधिक पंजीकृत प्रकाशनों** के साथ यह काफी हद तक स्वतंत्र और विविधतापूर्ण भी बना हुआ है।
  - डिजिटल क्रांति ने सूचना तक पहुँच को और अधिक लोकतांत्रिक बना दिया है, जहाँ **2022 तक भारत में 759 मिलियन से अधिक इंटरनेट उपयोगकर्त्ता** थे।
- **भारत के अराजनीतिक सशस्त्र बल और नागरिक नियंत्रण:** भारत के सशस्त्र बलों ने स्वतंत्रता के बाद से ही नागरिक प्राधिकार का सम्मान करते हुए लगातार अपना अराजनीतिक रुख बनाए रखा है।
  - कुछ पड़ोसी देशों के विपरीत भारत में कभी भी सैन्य तख्तापलट नहीं हुआ है।
  - नागरिक नियंत्रण का सिद्धांत गहराई से समाहित है, जहाँ **राष्ट्रपति सर्वोच्च कमांडर** होता है और नीतिगत निर्णय निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा लिये जाते हैं।
  - **राजनीतिक सत्ता के बजाय राष्ट्रीय सुरक्षा पर सशस्त्र बलों** का ध्यान प्राकृतिक आपदाओं के दौरान उनकी महत्त्वपूर्ण भूमिका से स्पष्ट होता है (जैसे कि वर्ष 2013 में उत्तराखंड बाढ़ बचाव **अभियान और अभी वायनाड में जारी बचाव अभियान**) और असैन्य नेतृत्व में राष्ट्र की सेवा के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को सुदृढ़ करता है।
- **संघीय संरचना और विकेंद्रीकरण:** भारत की संघीय प्रणाली शक्ति वितरण और क्षेत्रीय स्वायत्तता का अवसर प्रदान करती है, जो एक विविध राष्ट्र के प्रबंधन के लिये महत्त्वपूर्ण है।
  - **73वें और 74वें संविधान संशोधन (1992)** ने स्थानीय शासन को मज़बूत किया।
  - वर्ष 2017 में वस्तु एवं सेवा कर (GST) के कार्यान्वयन ने, प्रारंभिक चुनौतियों के बावजूद, सहकारी संघवाद को प्रदर्शित किया।
  - भारत का **संघीय ढाँचा विशिष्ट क्षेत्रीय** आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये विशेष उपबंधों की अनुमति देता है।
    - संविधान का अनुच्छेद 371 कई पूर्वोत्तर राज्यों को, उनकी विशिष्ट सांस्कृतिक पहचान का सम्मान करते हुए, विशेष दर्जा प्रदान करता है।
    - **वर्ष 2019 में जम्मू और कश्मीर का पुनर्गठन,** हालाँकि विवादास्पद था, लेकिन इसे संवैधानिक तरीकों से किया गया था।
    - क्षेत्रीय मांगों के जवाब में तेलंगाना (2014) जैसे नए राज्यों का निर्माण प्रणाली के लचीलेपन को परिलक्षित करता है।
  - **विभिन्न क्षेत्रों में राज्यों की स्वायत्तता नीतिगत प्रयोग और स्थानीय शासन** की अनुमति देती है, जैसा कि केरल की **कोविड-19** के प्रति सफल प्रतिक्रिया या गुजरात की आर्थिक नीतियों में देखा गया है।

नोट :

- **राजनीतिक परिवर्तन और बहुदलीय प्रणाली:** भारत के लोकतंत्र ने कई बार सत्ता का शांतिपूर्ण हस्तांतरण प्रदर्शित किया है, जो लोकतांत्रिक स्वास्थ्य का एक प्रमुख संकेतक है।
  - वर्ष 2014 के चुनाव के परिणामस्वरूप नेतृत्व में बदलाव हुआ, **जबकि 2024 के चुनावों में एक मज़बूत लोकतांत्रिक** प्रक्रिया देखने को मिली, जहाँ किसी भी एक दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला।
- **आर्थिक उदारीकरण और मध्यम वर्ग की वृद्धि:** वर्ष 1991 के बाद से भारत के आर्थिक सुधारों ने उभरते मध्यम वर्ग को बढ़ावा देकर और गरीबी को कम कर लोकतांत्रिक स्थिरता में योगदान दिया है।
  - **लगभग 350 मिलियन की आबादी के साथ भारतीय मध्यम वर्ग लोकतंत्र** में एक स्थायित्वकारी शक्ति के रूप में कार्य करता है।
- **भिन्न हितों और अलगाववादी प्रवृत्तियों का प्रबंधन:** भारत का लोकतंत्र अपनी सांस्कृतिक विविधता से शक्ति प्राप्त करता है, जहाँ **संविधान में 22 आधिकारिक भाषाओं** को मान्यता दी गई है और कई सकारात्मक कार्रवाई नीतियाँ अपनाई गई हैं।
  - विवादों के बावजूद आरक्षण प्रणाली ने हाशिये पर स्थित समुदायों का प्रतिनिधित्व बढ़ाया है।
    - भारत ने अपने लोकतांत्रिक ढाँचे के भीतर क्षेत्रीय आकांक्षाओं और अलगाववादी आंदोलनों से निपटने में उल्लेखनीय क्षमता दिखाई है।
  - **वर्ष 2015 का नागा शांति समझौता और वर्ष 2019 में त्रिपुरा** के NLFT के साथ संपन्न त्रिपक्षीय समझौता इसके प्रमुख उदाहरण हैं।
  - केवल सैन्य समाधान के बजाय समझौता वार्ता और राजनीतिक एकीकरण का भारत का दृष्टिकोण विविधता के बीच एकता बनाए रखने में महत्त्वपूर्ण तत्व रहा है।

भारत अपने पड़ोसी देशों के साथ संबंधों को बेहतर बनाने के लिये कौन-से कदम उठा सकता है?

- **कनेक्टिविटी उत्प्रेरण - 'ब्रिजिंग बॉर्डर्स, बिल्डिंग बॉण्ड्स' (Connectivity Catalyst -Bridging Borders, Building Bonds):** भारत को बांग्लादेश-भूटान-भारत-नेपाल (BBIN) मोटर वाहन समझौते और भारत-म्याँमार-थाईलैंड त्रिपक्षीय राजमार्ग जैसी अपनी कनेक्टिविटी पहलों में तेज़ी लानी चाहिये।
  - भारत अपनी सीमाओं पर **नेपाल और बांग्लादेश के साथ सफल एकीकृत जाँच** चौकियों (Integrated Check Posts- ICPs) की तरह और भी ICPs स्थापित कर सकता है।
  - इसके अतिरिक्त, **दक्षिण एशियाई उपग्रह (South Asian Satellite)** जैसी परियोजनाओं के माध्यम से डिजिटल कनेक्टिविटी का विस्तार क्षेत्रीय एकीकरण को बढ़ावा दे सकता है।
  - ये पहलें भारत को क्षेत्रीय समृद्धि के सूत्रधार के रूप में स्थापित करेंगी और क्षेत्रीय आधिपत्यवादी देश होने की धारणा या आशंका को खारिज करेंगी।
- **आर्थिक सशक्तिकरण - सहायता से व्यापार तक (Economic Empowerment - From Aid to Trade):** भारत को **सहायता-केंद्रित दृष्टिकोण से व्यापार और निवेश-केंद्रित** रणनीति की ओर आगे बढ़ना चाहिये।
  - अधिमान्य व्यापार शर्तों (preferential trade terms) के साथ पड़ोस प्रथम आर्थिक क्षेत्र (Neighborhood First Economic Zone) के क्रियान्वयन से क्षेत्रीय आर्थिक एकीकरण को बढ़ावा मिल सकता है।
  - सफल सिद्ध हुए भारत-बांग्लादेश सीमा हाटों की तरह संयुक्त आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने से स्थानीय अर्थव्यवस्थाओं को बढ़ावा मिलेगा।
  - इस दृष्टिकोण से पारस्परिक आर्थिक निर्भरता पैदा होगी, जिससे पड़ोसियों के बीच प्रतिकूल नीतियों का आकर्षण कम हो जाएगा।
- **सांस्कृतिक संगम - 'सॉफ्ट पावर' की हिलोर (Cultural Confluence - Soft Power Surge):** भारत को अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का लाभ उठाते हुए भारतीय **सांस्कृतिक संबंध परिषद (ICCR) छात्रवृत्ति** जैसी पहलों का विस्तार करना चाहिये और पड़ोसी देशों में भारतीय सांस्कृतिक केंद्रों की संख्या बढ़ानी चाहिये।
  - **'बुद्धिस्ट सर्किट'** जैसी पहलों के माध्यम से सीमा-पार पर्यटन को बढ़ावा देने से लोगों के बीच परस्पर संपर्क बढ़ सकता है।
  - भारत को अपने प्रमुख संस्थानों में पड़ोसी देशों के छात्रों को अवसर देने के लिये अपनी क्षमता बढ़ानी चाहिये।
  - सांस्कृतिक समझ को बढ़ावा देने के लिये बॉलीवुड और भारत के अन्य क्षेत्रीय सिनेमा को रणनीतिक रूप से प्रोत्साहित किया जा सकता है।
- **आपदा कूटनीति - प्रतिकूल परिस्थितियों में एकजुटता (Disaster Diplomacy - United in**

नोट :

Adversity): प्राकृतिक आपदाओं के प्रति क्षेत्र की संवेदनशीलता को देखते हुए, भारत को दक्षिण एशियाई आपदा प्रतिक्रिया बल (South Asian Disaster Response Force) की स्थापना में अग्रणी भूमिका निभानी चाहिये।

- इसमें साझा पूर्व-चेतावनी प्रणालियाँ और समन्वित प्रतिक्रिया तंत्र शामिल हो सकते हैं।
- अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में भारत की विशेषज्ञता का उपयोग क्षेत्रीय उपग्रह-आधारित आपदा प्रबंधन प्रणाली विकसित करने के लिये किया जा सकता है।
- यह दृष्टिकोण भारत को एक ज़िम्मेदार क्षेत्रीय नेता के रूप में स्थापित करेगा, जो संकट के समय व्यावहारिक सहायता के माध्यम से सद्भावना को बढ़ावा देगा।

- **बहुपक्षीय मध्यस्थता – क्षेत्रीय मंचों को पुनर्जीवित करना (Multilateral Mediation-Revitalizing Regional Forums)**: भारत को आम सहमति बनाने के लिये जलवायु परिवर्तन, सार्वजनिक स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे **गैर-विवादास्पद क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करते हुए सार्क (SAARC)** को पुनर्जीवित करने की दिशा में कार्य करना चाहिये।
  - ट्रैक II कूटनीति और थिंक टैंक सहयोग को प्रोत्साहित करने से विवादास्पद मुद्दों को सुलझाने में मदद मिल सकती है।
  - भारत बहुपक्षवाद को बढ़ावा देकर अपना प्रभुत्व जमाने संबंधी आशंकाओं को दूर कर सकता है और अधिक सहयोगात्मक क्षेत्रीय वातावरण का निर्माण कर सकता है।
- **हरित कूटनीति – पारिस्थितिकी सहयोगी (Green Diplomacy – Eco-Allies)**: चूँकि जलवायु परिवर्तन के कारण क्षेत्र के कई देशों के लिये अस्तित्व का खतरा उत्पन्न हो गया है, भारत को दक्षिण **एशियाई हरित गठबंधन (South Asian Green Alliance)** का नेतृत्व करना चाहिये।
  - इसमें स्वच्छ प्रौद्योगिकियों को साझा करना, **जलवायु-अनुकूल कृषि पर संयुक्त अनुसंधान करना और वैश्विक जलवायु** वार्ता में समन्वित रुख अपनाना शामिल हो सकता है।
  - भारत अपने पड़ोसियों को अपने उभरते **हरित हाइड्रोजन और सौर प्रौद्योगिकी क्षेत्रों तक अधिमान्य पहुँच की पेशकश** भी कर सकता है।
  - यह हरित कूटनीति भारत को क्षेत्रीय पारिस्थितिक सुरक्षा में एक ज़िम्मेदार हितधारक के रूप में स्थापित करेगी।
- **खेल एकता – एथलेटिक प्रयासों के माध्यम से एकजुटता (Sports Solidarity-Uniting Through Athletic Endeavors)**: भारत दक्षिण एशियाई खेलों को पुनर्जीवित करने और विस्तारित करने में अग्रणी भूमिका निभा सकता है, जहाँ अधिकाधिक खेल और सांस्कृतिक कार्यक्रम शामिल किये जा सकते हैं।
  - **दक्षिण एशियाई खेल विकास कोष (South Asian Sports Development Fund)** की स्थापना से पूरे भूभाग में खेल अवसंरचना में सुधार लाने में मदद मिल सकती है।
  - भारत पड़ोसी **देशों के एथलीटों को अपनी विश्वस्तरीय प्रशिक्षण सुविधाएँ और कोच** प्रदान कर सकता है।
  - इस भूभाग में क्रिकेट की लोकप्रियता को देखते हुए अधिकाधिक द्विपक्षीय और बहुपक्षीय क्रिकेट शृंखलाओं के आयोजन से लोगों के बीच आपसी संपर्क को बढ़ावा मिल सकता है।
  - यह खेल कूटनीति सकारात्मक सहभागिता के अवसर पैदा करेगी तथा भारत के **'सॉफ्ट पावर'** को प्रदर्शित करेगी।

■■■

भारत में पोषण सुरक्षा

राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय (National Sample Survey Office- NSSO) द्वारा आयोजित**घरेलू उपभोग व्यय सर्वेक्षण (Household Consumption Expenditure Survey- HCES) 2022-23** से भारत की गरीबी और पोषण परिदृश्य के बारे में महत्त्वपूर्ण अंतर्दृष्टि प्राप्त होती है। इस डेटा का उपयोग कर कैलोरी सेवन और व्यय के आधार पर गरीबी के स्तर का अनुमान लगाने के लिये एक विश्लेषण किया गया। अध्ययन में पाया गया कि स्वस्थ जीवन के लिये औसत दैनिक प्रति व्यक्ति कैलोरी की आवश्यकता ग्रामीण भारत में **2,172 किलो कैलोरी और शहरी भारत में 2,135** किलो कैलोरी है। लेकिन आबादी का निर्धनतम या सबसे गरीब 10% तबका ग्रामीण क्षेत्रों में औसत दैनिक सेवन महज **1,564-1,764 किलो कैलोरी और शहरी क्षेत्रों में 1,607-1,773 किलो कैलोरी** के साथ इस स्तर से बहुत दूर है।

खाद्य और गैर-खाद्य व्यय दोनों पर विचार करते हुए संपन्न इस विश्लेषण से अनुमान लगाया गया कि **ग्रामीण आबादी का 17.1% और शहरी आबादी का 14% 'गरीब' (poor) या 'वंचित' (deprived)** के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। समाज

नोट :

के सबसे गरीब वर्गों में पोषण की कमी लक्षित पोषण योजनाओं की तत्काल आवश्यकता को उजागर करती है। जबकि सरकार ने खाद्य सुरक्षा के उद्देश्य से विभिन्न कल्याणकारी कार्यक्रम लागू किये हैं, सबसे कमज़ोर आबादी की पोषण स्थिति में सुधार करने के लिये विशेष रूप से डिज़ाइन की गई पहलों की तत्काल आवश्यकता है, ताकि वे स्वस्थ जीवन जी सकें।

पोषण सुरक्षा क्या है?

- **पोषण सुरक्षा (Nutritional Security)** से तात्पर्य ऐसी स्थिति से है, जहाँ व्यक्तियों के किसी समूह को इतना पर्याप्त, सुरक्षित और पौष्टिक खाद्य उपलब्ध होता है, जो सक्रिय एवं स्वस्थ जीवन के लिये उनकी आहार संबंधी आवश्यकताओं और खाद्य प्राथमिकताओं को पूरा कर सके।
  - इसमें न केवल **खाद्य की उपलब्धता एवं अभिगम्यता** शामिल है, बल्कि इसकी गुणवत्ता और अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिये व्यक्तियों द्वारा इसका प्रभावी ढंग से उपयोग कर सकने की क्षमता भी शामिल है।

खाद्य सुरक्षा के साथ-साथ पोषण सुरक्षा क्यों आवश्यक है?

- **समग्र स्वास्थ्य परिणाम:** पोषण सुरक्षा केवल कैलोरी सेवन तक सीमित नहीं रहती हुई उपभोग किये जाते पोषक तत्वों की गुणवत्ता और विविधता पर भी ध्यान केंद्रित करती है।
  - जबकि **खाद्य सुरक्षा (Food Security) पर्याप्त कैलोरी** की उपलब्धता एवं अभिगम्यता सुनिश्चित करती है, पोषण सुरक्षा शरीर की मैक्रो एवं माइक्रो पोषक तत्वों के संतुलित सेवन की आवश्यकता को पूरा करती है।
  - इससे यह तथ्य स्पष्ट होता है कि केवल **कैलोरी की पर्याप्तता से ही सर्वोत्तम स्वास्थ्य** परिणाम की गारंटी नहीं मिल जाती।
- **आर्थिक उत्पादकता:** पोषण सुरक्षा प्रत्यक्ष रूप से आर्थिक उत्पादकता को प्रभावित करती है। **कुपोषण (Malnutrition)** के कारण कार्य क्षमता में कमी आती है, स्वास्थ्य सेवा की लागत बढ़ती है और बीमारी के कारण उत्पादकता घटती है।
  - भारत में सूक्ष्मपोषक कुपोषण (micronutrient malnutrition) की अल्पकालिक आर्थिक लागत **सकल घरेलू उत्पाद के 0.8% से 2.5%** तक है।
  - इसलिये, **पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करना न केवल स्वास्थ्य के लिये अनिवार्य** है, बल्कि एक आर्थिक आवश्यकता भी है, जो अधिक उत्पादक कार्यबल में योगदान देता है और स्वास्थ्य देखभाल के बोझ को कम करता है।
- **संज्ञानात्मक विकास और शिक्षा:** पर्याप्त पोषण, विशेष रूप से आरंभिक बाल्यावस्था में, संज्ञानात्मक विकास और शैक्षिक परिणामों के लिये महत्त्वपूर्ण है।
  - अध्ययनों से पता चलता है कि जिन **बच्चों को उनके जीवन के पहले 1000 दिनों में उचित पोषण** प्राप्त होता है, उनकी बौद्धिक क्षमता अधिक होती है, स्कूल में उनका प्रदर्शन बेहतर होता है और वयस्क होने पर उनमें अधिक अर्जन क्षमता होती है।
  - समाज खाद्य सुरक्षा के साथ-साथ **पोषण सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित** कर मानव पूंजी विकास को संवृद्ध कर सकता है और गरीबी एवं कुपोषण के अंतर-पीढ़ीगत चक्र को तोड़ सकता है।
- **रोगों के प्रति प्रत्यास्थता:** पोषण सुरक्षा रोगों के प्रति प्रत्यास्थता के निर्माण में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती है।
  - **सुपोषित आबादी संक्रमणों** से लड़ने और बीमारियों से उबरने के लिये बेहतर ढंग से तैयार होती है।

नोट :

- **कोविड-19 महामारी** ने इस पहलू को उजागर किया है, जहाँ अध्ययनों से पता चला कि खराब पोषण के कारण पहले से स्वास्थ्य संबंधी खतरे (जैसे मोटापा, मधुमेह) रखने वाले व्यक्ति **कोविड-19** के गंभीर परिणामों के प्रति अधिक संवेदनशील थे।
- इस प्रकार, पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करना सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिये एक प्रमुख रणनीति है, जो स्वास्थ्य देखभाल प्रणालियों पर बोझ को कम करती है और समग्र जनसंख्या स्वास्थ्य में सुधार लाती है।

- **जैव विविधता और पोषण:** पोषण सुरक्षा आहार विविधता को बढ़ावा देती है, जो फिर जैव विविधता संरक्षण का समर्थन करती है।
  - FAO की रिपोर्ट के अनुसार, **खाद्य के लिये 6,000 पादप प्रजातियों** की खेती की जाती है, लेकिन **केवल 9 प्रजातियाँ ही कुल फसल उत्पादन में 66% हिस्सेदारी** रखती हैं।
  - पोषण सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित करने से उपेक्षित और कम उपयोग की जाने वाली प्रजातियों सहित विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों की खेती और उपभोग को बढ़ावा मिलता है।
  - इससे न केवल पोषण संबंधी परिणामों में सुधार होता है, बल्कि **कृषि जैव विविधता, पारिस्थितिकी तंत्र प्रत्यास्थता** और सांस्कृतिक खाद्य विरासत संरक्षण को भी बढ़ावा मिलता है।

भारत को लगातार पोषण संबंधी चुनौतियों का सामना क्यों करना पड़ रहा है?

- **आर्थिक असमानता – धन-पोषण अंतराल (Economic Disparity - The Wealth-Nutrition Gap):** भारत के आर्थिक विकास के बावजूद धन का वितरण अत्यधिक असमान बना हुआ है।
  - **वर्ष 2022 की विश्व असमानता रिपोर्ट (World Inequality Report)** से पता चलता है कि **शीर्ष 10% भारतीयों के पास राष्ट्रीय आय का 57% भाग** पाया जाता है।
  - गरीब परिवारों को विविध एवं पोषक तत्वों से भरपूर आहार का खर्च उठाने में कठिनाई का सामना करना पड़ता है और वे प्राय: सस्ते एवं कैलोरी-युक्त लेकिन पोषक तत्वों से रहित खाद्य पदार्थों पर निर्भर रहते हैं, जैसा कि **बेनेट के नियम (Bennett's Law)** द्वारा रेखांकित किया गया है।
    - यह आर्थिक असमानता अप्रत्यक्ष रूप से पोषण संबंधी असमानता में परिणत हो जाती है।
  - हाल ही में जारी **HCES 2022-23 के आँकड़े इसकी** पुष्टि करते हैं, जिसमें दिखाया गया है कि सबसे गरीब 10% लोग अनुशंसित दैनिक कैलोरी सेवन से बहुत कम उपभोग करते हैं। यह गरीबी और कुपोषण के बीच लगातार बने रहे संबंध को उजागर करता है।
- **हरित क्रांति की मिश्रित विरासत:** भारत की कृषि नीतियों ने, जो मुख्यत: हरित क्रांति से प्रभावित हैं, विविध एवं पोषक तत्वों से भरपूर फसलों की तुलना में मुख्य फसल उत्पादन (मुख्यत: गेहूँ और चावल) को प्राथमिकता दी है।
  - यद्यपि इस दृष्टिकोण ने कैलोरी उपलब्धता के संदर्भ में खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की है, लेकिन इससे अनजाने में सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी हो गई है।
  - **वैश्विक भूखमरी सूचकांक (Global Hunger Index- GHI) 2023** में भारत को **125 देशों की सूची में 111वें स्थान** पर रखा गया है, जो यह दर्शाता है कि केवल खाद्य की प्रचुर उपलब्धता से ही पोषण संबंधी चुनौतियों का समाधान नहीं हो जाता।
  - **मोटे अनाज (millets)** को बढ़ावा देने (जहाँ वर्ष **2023 को अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज** वर्ष घोषित किया गया था) जैसी हाल की पहलें सही दिशा में उठाए गए कदम हैं, लेकिन पोषण विविधता को संबोधित करने के लिये कृषि नीतियों में अधिक व्यापक आमूलचूल बदलाव की आवश्यकता है।
- **जलवायु परिवर्तन – पोषण सुरक्षा के लिये मंडराता खतरा (Climate Change - The Looming Threat to Nutritional Security):** जलवायु परिवर्तन भारत की खाद्य सुरक्षा और पोषण के लिये एक बड़ा खतरा बन गया है।
  - अनियमित **मौसम पैटर्न, सूखे एवं बाढ़ की बढ़ती आवृत्ति और बढ़ता तापमान** फसल की पैदावार एवं पोषण गुणवत्ता को प्रभावित करते हैं।
  - **वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक (Global Climate Risk Index) 2021** ने भारत को जलवायु परिवर्तन प्रभावों से 7वाँ सर्वाधिक प्रभावित देश बताया।
  - ये पर्यावरणीय तनाव न केवल खाद्य उपलब्धता को कम करते हैं, बल्कि खाद्य कीमतों में भी वृद्धि करते हैं, जिससे कमज़ोर आबादी के लिये पौष्टिक आहार और भी अधिक अप्राप्य हो जाता है।

नोट :

- **ज्ञान का अंतराल:** साक्षरता दर में सुधार के बावजूद, भारत के कई हिस्सों में पोषण संबंधी जागरूकता कम है।
  - **संतुलित आहार, आहार विविधता के महत्त्व और नवजात एवं छोटे बच्चों** को उचित आहार देने की पद्धतियों के बारे में जानकारी का अभाव, खराब पोषण परिणामों में योगदान देता है।
  - शिक्षा की वार्षिक स्थिति रिपोर्ट (Annual Status of Education Report- ASER) 2022 से पता चलता है कि **स्कूल नामांकन में सुधार हुआ** है, लेकिन अधिगम प्रतिफल (learning outcomes) अभी भी अपेक्षाकृत कम हैं।
  - शिक्षा और पोषण का यह संबंध महत्त्वपूर्ण है, क्योंकि बेहतर शिक्षित व्यक्ति अधिक **सूचना-संपन्न आहार विकल्प** चुनने में सक्षम होते हैं तथा **कुपोषण के पीढ़ी-दर-पीढ़ी** चक्र को तोड़ पाते हैं।
    - भारत वास्तव में अधिक साक्षर हो रहा है, लेकिन खाद्य लेबल को समझने की क्षमता (जैसा कि हाल ही में बॉर्नविटा से **'हेल्थ ड्रिंक' का टैग** को हटाने के विवाद से उजागर हुआ है) अब भी कम है, जो पोषण साक्षरता में एक महत्त्वपूर्ण अंतराल को रेखांकित करता है।
- **स्वास्थ्य सेवा अवसंरचना - पोषण में लुप्त कड़ी (Healthcare Infrastructure - The Missing Link in Nutrition):** भारत की स्वास्थ्य सेवा प्रणाली, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में, प्राय: पर्याप्त पोषण संबंधी हस्तक्षेप एवं सहायता प्रदान करने के लिये संघर्ष करती रही है।
  - **कोविड-19 महामारी** ने इन कमज़ोरियों को उजागर किया और इनकी वृद्धि की।
  - जबकि **राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन** जैसी योजनाओं ने स्वास्थ्य सेवा तक पहुँच में सुधार किया है, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-5 (NFHS-5) से पता चलता है कि केवल 77% बच्चों का ही पूर्ण टीकाकरण हो पाया है, जो बुनियादी स्वास्थ्य सेवाओं में अंतराल को दर्शाता है।
- **शहरीकरण - एक दोधारी तलवार (Urbanization- The Double - Edged Sword:** भारत में तीव्र शहरीकरण पोषण के लिये अवसर और चुनौतियाँ दोनों प्रस्तुत करता है।
  - जबकि **शहरी क्षेत्रों में प्राय: विविध खाद्य पदार्थों** तक बेहतर पहुँच होती है, उन्हें **'फूड डेज़र्ट' (food deserts),** प्रसंस्करित खाद्य पदार्थों पर अत्यधिक निर्भरता और गतिहीन जीवन शैली की समस्याओं का भी सामना करना पड़ता है।
  - आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 में इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि **सोशल मीडिया, स्क्रीन टाइम, निष्क्रिय आदतें और अस्वास्थ्यकर खाद्य** एक ऐसे एक घातक मिश्रण का निर्माण करते हैं जो सार्वजनिक स्वास्थ्य और उत्पादकता को कमज़ोर कर सकते हैं तथा भारत की आर्थिक क्षमता में कमी ला सकते हैं।
- **नीति क्रियान्वयन - मंशा और प्रभाव के बीच का अंतराल (Policy Implementation - The Gap Between Intent and Impact):** भारत में पोषण पर केंद्रित विभिन्न नीतियाँ और कार्यक्रम क्रियान्वित हैं, जैसे **पोषण अभियान (राष्ट्रीय पोषण मिशन)।**
  - लेकिन नौकरशाही की अकुशलता, भ्रष्टाचार और विभिन्न सरकारी विभागों के बीच समन्वय की कमी के कारण इन नीतियों का कार्यान्वयन प्राय: अपूर्ण रह जाता है।
  - पोषण अभियान अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सका और इसका एक मुख्य कारण कई मामलों में धन का कम उपयोग होना है।
    - मध्याह्न भोजन योजना में बच्चों को भोजन में अंडे देने के मामले को धार्मिक संवेदनशीलता के कारण चुनौतियों का सामना करना पड़ा, जिसके परिणामस्वरूप अंडा वितरण बंद करना पड़ा।
- **खाद्य सुरक्षा और गुणवत्ता - अनदेखा आयाम (Food Safety and Quality - The Overlooked Dimension):** खाद्य सुरक्षा के मुद्दे भारत में पोषण संबंधी परिणामों को महत्त्वपूर्ण रूप से प्रभावित करते हैं।
  - मिलावट, **संदूषण और खाद्य पदार्थों के प्रबंधन की अकुशल पद्धतियाँ** न केवल स्वास्थ्य के लिये खतरा पैदा करती हैं, बल्कि खाद्य के पोषण मूल्य को भी कम करती हैं।
  - कर्नाटक में भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) की एक रिपोर्ट से उजागर हुआ कि राज्य में बेचे जा रहे पानी पूरी के लगभग **22% नमूने गुणवत्ता मानकों** पर खरे नहीं उतर रहे थे।
- **खाद्य हानि और बर्बादी:** भारत अपर्याप्त भंडारण, परिवहन और प्रसंस्करण सुविधाओं के कारण अपने खाद्य उत्पादन का एक महत्त्वपूर्ण भाग खो देता है।
  - संयुक्त राष्ट्र का अनुमान है कि भारत में उत्पादित 40% से अधिक खाद्य उपभोक्ता तक पहुँचने से पहले ही बर्बाद हो जाता है।

नोट :

- इससे न केवल संभावित पोषण की हानि होती है, बल्कि खाद्य पदार्थों की कीमतें भी बढ़ जाती हैं, जिससे पौष्टिक आहार कम वहनीय हो जाते हैं।

पोषण संबंधी चुनौतियों से निपटने के लिये भारत सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

- मिशन पोषण 2.0
- एकीकृत बाल विकास सेवा (ICDS) योजना
- प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (PMMVY)
- मध्याह्न भोजन योजना
- किशोर बालिकाओं के लिये योजना (SAG)
- माँ का पूर्ण स्नेह ((Mother's Absolute Affection- MAA) कार्यक्रम
- पोषण वाटिकाएँ

पोषण अंतराल को दूर करने के लिये भारत कौन-से उपाय कर सकता है?

- **पोषण-एकीकृत सामाजिक सुरक्षा जाल:** व्यापक पोषण घटकों को एकीकृत कर मौजूदा सामाजिक कल्याण कार्यक्रमों को उन्नत बनाया जाए।
  - उदाहरण के लिये, **सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS)** का विस्तार कर इसमें दाल, मोटे अनाज और फोर्टिफाइड तेलों जैसे पोषक तत्वों से भरपूर खाद्य पदार्थों को शामिल किया जाना चाहिये।
  - **मनरेगा (MGNREGA) जैसी योजनाओं के अंतर्गत लाभ** प्राप्त करने के लिये पोषण शिक्षा सत्र को एक पूर्व शर्त के रूप में शामिल किया जाना चाहिये।
  - सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत **'पोषण क्रेडिट प्रणाली'** लागू की जाए, जहाँ लाभार्थी स्वास्थ्यवर्द्धक खाद्य विकल्प चुनने पर अतिरिक्त अंक अर्जित करेंगे, जिन्हें फिर स्वास्थ्य संबंधी सेवाओं या उत्पादों के लिये भुनाया जा सकेगा।
- **लक्षित पोषण कूपन कार्यक्रम:** कुपोषण से निपटने के लिये **भारत लक्षित पोषण कूपन कार्यक्रम (Targeted Nutrition Coupon Program)** लागू कर सकता है।
  - इस पहल के तहत कुपोषित या उच्च जोखिम वाले व्यक्तियों और परिवारों को अनुकूलित खाद्य कूपन उपलब्ध कराए जा सकते हैं।
  - इन कूपनों को स्थानीय बाज़ारों में और किसानों से मौसमी उपलब्धता के अनुसार विशिष्ट पोषक तत्वों से भरपूर खाद्य पदार्थों की खरीद के लिये भुनाया जा सकेगा।
  - तत्काल पोषण सहायता प्रदान करने और लाभार्थियों को स्वास्थ्यवर्धक खाद्य विकल्प चुनने में सशक्त बनाने के रूप में इस दृष्टिकोण का उद्देश्य गरीबी एवं कुपोषण के चक्र को तोड़ना है।
- **शैक्षिक संस्थानों को पोषण केंद्रों में परिणत करना:** मध्याह्न भोजन योजना को एक व्यापक **'स्कूल पोषण कार्यक्रम'** में पुनर्गठित किया जाए।
  - इसमें न केवल संतुलित भोजन उपलब्ध कराना शामिल होगा, बल्कि स्कूल उद्यानों की स्थापना करना, पाठ्यक्रम में पोषण शिक्षा को शामिल करना और छात्रों के लिये नियमित स्वास्थ्य जाँच एवं पोषण मूल्यांकन करना भी शामिल होगा।
  - माता-पिता को अपने बच्चों के शारीरिक और पोषण संबंधी स्वास्थ्य के बारे में जागरूक करने के लिये शैक्षिक रिपोर्ट के साथ-साथ 'खेल और पोषण रिपोर्ट कार्ड' भी प्रस्तुत किये जाएँ।
- **न्यूट्री-प्रेन्योर कार्यक्रम (Nutri-Preneur Program):** पोषण में सुधार पर केंद्रित व्यवसायों को समर्थन और प्रोत्साहन देने के लिये एक न्यूट्री-प्रेन्योर कार्यक्रम कार्यक्रम शुरू किया जाए।
  - इसमें नवोन्मेषी फोर्टिफाइड खाद्य उत्पाद विकसित करने वाली स्टार्ट-अप कंपनियाँ, निम्न लागतपूर्ण पोषण परीक्षण किट निर्माता कंपनियाँ या ताज़ा उपज के लिये कुशल कोल्ड चेन स्थापित करने वाले उद्यम शामिल हो सकते हैं।
  - इन पोषण-केंद्रित उद्यमियों को प्रारंभिक वित्तपोषण, मार्गदर्शन और बाज़ार संपर्क प्रदान किया जाए।
  - इस क्षेत्र में आशाजनक परियोजनाओं को वित्तपोषित करने के लिये, संभवत: सार्वजनिक-निजी भागीदारी मॉडल के माध्यम से, एक विशेष 'पोषण नवाचार निधि' (Nutrition Innovation Fund) का सृजन किया जाए।
- **पोषण के लिये व्यवहारिक अर्थशास्त्र:** लोगों को स्वास्थ्यवर्द्धक खाद्य विकल्पों की ओर प्रेरित करने के लिये व्यवहारिक अर्थशास्त्र के सिद्धांतों को लागू किया जाए।
  - इसमें खाद्य पैकेजिंग को पुन: डिज़ाइन करना शामिल हो सकता है ताकि पोषण संबंधी सूचना को अधिक प्रमुखता से

नोट :

और समझने योग्य भाषा में प्रकट किया जा सके तथा दुकानों में स्वास्थ्यप्रद विकल्पों को आसानी से नज़र आ सकने वाली जगहों पर रखा जाए।

- विपणन विशेषज्ञों के साथ मिलकर ऐसे आकर्षक सार्वजनिक स्वास्थ्य अभियानों का सृजन किया जाए जो पौष्टिक आहार ग्रहण को आकांक्षापूर्ण बनाएँ।

- **एकीकृत पोषण निगरानी प्रणाली:** एक ऐसी एकीकृत पोषण निगरानी प्रणाली (Integrated Nutrition Surveillance System) स्थापित की जाए जो पूरे देश में पोषण संकेतकों पर रियल-टाइम डेटा एकत्र करे।
  - डेटा संग्रहण के लिये मौजूदा **स्वास्थ्य अवसंरचना, आँगनवाड़ी केंद्रों और मोबाइल प्रौद्योगिकी** का लाभ उठाया जा सकता है।
  - पोषण संबंधी रुझानों और संभावित संकट क्षेत्रों का पूर्वानुमान लगाने के लिये उन्नत विश्लेषण और मशीन लर्निंग एल्गोरिदम का उपयोग किया जाए।
  - एक **'पोषण आपातकालीन प्रतिक्रिया प्रोटोकॉल' (Nutrition Emergency Response Protocol)** लागू किया जाए जो किसी भी क्षेत्र में निश्चित पोषण सीमाओं का उल्लंघन होने पर तत्काल हस्तक्षेप शुरू करे।
  - यह प्रणाली उभरती पोषण संबंधी चुनौतियों के लिये त्वरित, डेटा-आधारित प्रतिक्रिया को सक्षम करेगी।
- **'फोर्टिफिकेशन प्लस' - मुख्य खाद्य पदार्थों को उन्नत बनाना (Fortification Plus - Enhancing Staple Foods):** राष्ट्रीय फूड फोर्टिफिकेशन कार्यक्रम का विस्तार और सुदृढ़ीकरण किया जाए।
  - चावल, गेहूँ का आटा और खाद्य तेल जैसे मुख्य खाद्य पदार्थों को आवश्यक सूक्ष्म पोषक तत्वों (जैसे आयरन, फोलिक एसिड और विटामिन A) से फोर्टिफाइ या सुदृढ़ करने पर ध्यान दिया जाए।
  - यह दृष्टिकोण आहार संबंधी आदतों में महत्त्वपूर्ण परिवर्तन किये बिना पोषण सेवन में सुधार करने के लिये मौजूदा खाद्य वितरण चैनलों का लाभ उठाता है।
- **'न्यूट्री-स्मार्ट' कृषि (Nutri-Smart Agriculture):** पोषण-कुशल या **'न्यूट्री-स्मार्ट'** कृषि पहल की शुरुआत की जाए जो किसानों को अधिक विविध, पोषक तत्वों से भरपूर फसलों की खेती करने के लिये प्रोत्साहित करे।
  - पोषणयुक्त फसलों के लिये MSP में सुधार किया जाए। इसमें **बायोफोर्टिफाइड किस्मों को उगाने के लिये सब्सिडी प्रदान करना, मृदा स्वास्थ्य एवं पोषक तत्वों** की मात्रा में सुधार लाने वाली फसल चक्र प्रणालियों के लिये समर्थन देना और कम ज्ञात लेकिन पौष्टिक देशी फसलों के लिये बाज़ार संपर्क का निर्माण करना शामिल हो सकता है।
  - पोषण-संवेदनशील कृषि पद्धतियों के बारे में किसानों को शिक्षित करने के लिये मौजूदा कृषि विस्तार सेवाओं के साथ-साथ **'पोषण विस्तार सेवा' (Nutrition Extension Service)** को क्रियान्वित किया जाए।
- **सामुदायिक पोषण चैंपियन (Community Nutrition Champions):** सामुदायिक पोषण चैंपियन का एक राष्ट्रव्यापी नेटवर्क स्थापित किया जाए, जिसमें आशा कार्यकर्ता शामिल हो सकती हैं, जो प्रशिक्षित स्थानीय स्वयंसेवक हैं और पोषण शिक्षा दाता के रूप में भूमिका निभाती हैं।
  - ये पोषण चैंपियन नियमित रूप से पोषण जागरूकता सत्र आयोजित करेंगे, स्थानीय स्तर पर उपलब्ध **पौष्टिक सामग्रियों का उपयोग कर कुकिंग डेमो** देंगे और व्यक्तिगत पोषण परामर्श प्रदान करेंगे।
  - यह **पीयर-टू-पीयर (P2P)** दृष्टिकोण सांस्कृतिक बाधाओं को प्रभावी ढंग से दूर कर सकता है और ज़मीनी स्तर पर स्थायी आहार परिवर्तनों को बढ़ावा दे सकता है।

■■■

मध्य-पूर्व में भारत के हित

मध्य पूर्व (Middle East) विश्व के लिये एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण क्षेत्र बना हुआ है और भारत भी इसका अपवाद नहीं है। हाल के समय में **इज़राइल और ईरान समर्थित शक्तियों के बीच तनाव** की वृद्धि हुई है, जो हिंसा और प्रतिशोध के एक दुष्चक्र से चिह्नित होती है और इस क्षेत्र के जटिल समीकरण को रेखांकित करती है। इस दीर्घकालिक अस्थिरता ने न केवल इस भूभाग को अस्थिर किया है, बल्कि इसके **वैश्विक परिणाम भी उत्पन्न** हुए हैं, जिसमें तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव और भू-राजनीतिक तनाव में वृद्धि शामिल हैं।

इस **भू-भाग** की रणनीतिक अवस्थिति, ऊर्जा सुरक्षा हितों और बढ़ते आर्थिक संबंधों को देखते हुए, **एक स्थिर मध्य-पूर्व में भारत अत्यंत महत्त्वपूर्ण** हित रखता है। यह क्षेत्र **भारत के लिये ऊर्जा का एक महत्त्वपूर्ण स्रोत** बना हुआ है, साथ ही यह भारत की वस्तुओं एवं सेवाओं के लिये एक प्रमुख बाज़ार भी है। इस परिदृश्य में, भारत

नोट :

के लिये आवश्यक है कि वह सभी प्रमुख हितधारकों के साथ सक्रिय रूप से संलग्न हो और एक संतुलित एवं स्वतंत्र विदेश नीति का पालन करे।

भारत के लिये मध्य-पूर्व का क्या महत्त्व है?

- **ऊर्जा सुरक्षा और व्यापार संबंध:** मध्य-पूर्व भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिये अत्यंत महत्त्वपूर्ण है।
  - यह क्षेत्र भारत की **भारत की कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस की आवश्यकताओं** की पूर्ति करता है, जिससे यह भारत की **तेज़ी से विकास करती अर्थव्यवस्था** के लिये ईंधन का एक महत्त्वपूर्ण स्रोत बन गया है।
  - IEA के **गोल्बल एनर्जी आउटलुक 2021** के अनुसार, वैश्विक प्राथमिक ऊर्जा उपभोग में भारत की वर्तमान **हिस्सेदारी 6.1%** है और घोषित नीति परिदृश्यों के तहत यह **वर्ष 2050 तक लगभग 9.8% तक पहुँच** सकती है।
    - **सऊदी अरब, इराक़ और संयुक्त अरब अमीरात जैसे देश भारत के प्रमुख ऊर्जा** भागीदार हैं।
  - क्षेत्र की ऊर्जा आपूर्ति में व्यवधान या वैश्विक तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव का भारत के आर्थिक प्रदर्शन और मुद्रास्फीति के स्तर पर प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है।
- **आतंकवाद-रोधी सहयोग:** मध्य-पूर्व ऐतिहासिक रूप से अल-कायदा, ISIS और उनके सहयोगियों सहित विभिन्न आतंकवादी संगठनों के लिये सुरक्षित शरणस्थली रहा है, जो भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिये गंभीर खतरा उत्पन्न करता है।
  - भारत इस भू-भाग में **संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब और इज़राइल** जैसे देशों के साथ खुफिया जानकारी साझा करने, आतंकवाद विरोधी प्रयासों में समन्वय करने और इन आतंकवादी समूहों के वित्तपोषण एवं रसद को बाधित करने के लिये सहयोग कर रहा है।
    - SIPRI के अनुसार, पिछले **10 वर्षों में भारत ने इज़राइल से 2.9 बिलियन** अमेरिकी डॉलर के सैन्य उपकरण आयात किये हैं।
    - सऊदी अरब ने हाल ही में खुफिया जानकारी साझा करने और आतंकवाद के वित्तपोषण को रोकने के माध्यम से आतंकवाद से मुक़ाबला करने के लिये भारत के साथ अपनी साझेदारी को मज़बूत करने की प्रतिबद्धता जताई है।
  - इस सहयोग से भारत को ऐसे कई **आतंकवादी षड्यंत्रों को विफल करने** और चरमपंथी नेटवर्क को ध्वस्त करने में मदद मिली है, जिन्होंने घरेलू और विदेशी दोनों ही स्तरों पर भारतीय हितों को निशाना बनाया है।
- **भारतीय प्रवासी और धन प्रेषण का प्रवाह:** मध्य-पूर्व में बड़ी संख्या में भारतीय प्रवासी निवास करते हैं।
  - **1.34 करोड़ अनिवासी भारतीयों (NRIs) में से 66%** से अधिक संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, कुवैत, क़तर, ओमान और बहरीन जैसे देशों में रहते हैं।
  - ये **प्रवासी समुदाय न केवल स्थानीय अर्थव्यवस्था में योगदान** देते हैं, बल्कि भारत के लिये **धन प्रेषण (remittances) का एक महत्त्वपूर्ण स्रोत** भी हैं।
  - इस **प्रवासी समुदाय का कल्याण एवं सुरक्षा भारत के लिये एक प्रमुख** चिंता का विषय है और भारत ने उनकी सुरक्षा के लिये विभिन्न उपाय किये हैं, जैसा कि हाल ही में क़तर में भारतीय नौसेना के पूर्व अधिकारियों के मामले में देखा गया।
- **सांस्कृतिक और सभ्यतागत संबंध:** मध्य-पूर्व भारत के साथ गहरे सांस्कृतिक, सभ्यतागत और ऐतिहासिक संबंध साझा करता है, जो प्राचीन समुद्री व्यापार मार्गों तक जुड़ा हुआ है।
  - वर्तमान में ये संबंध **भारत और इस क्षेत्र के बीच साझे स्थापत्य विरासत, पाक-कला परंपराओं और कला, साहित्य एवं विद्वत्ता** के जीवंत आदान-प्रदान में प्रतिबिंबित होते हैं।
  - **भारत-अरब लीग मीडिया संगोष्ठी (India-Arab League media symposium) तथा अबू धाबी में BAPS हिंदू मंदिर** जैसी हालिया पहलों का उद्देश्य इन सांस्कृतिक संबंधों को और मज़बूत करना है।
- **क्षेत्रीय संपर्क और आधारभूत संरचना:** भारत मध्य-पूर्व में क्षेत्रीय संपर्क और आधारभूत संरचना परियोजनाओं के विकास में सक्रिय रूप से संलग्न रहा है, जिसका उसके आर्थिक और रणनीतिक हितों पर महत्त्वपूर्ण प्रभाव पड़ सकता है।
  - उदाहरण के लिये, ईरान के **चाबहार बंदरगाह परियोजना, अंतर्राष्ट्रीय उत्तर-दक्षिण परिवहन गलियारा (INSTC) और भारत-मध्य पूर्व-यूरोप आर्थिक गलियारे** में भारत की भागीदारी का उद्देश्य मध्य-पूर्व भूभाग के माध्यम से मध्य एशिया एवं यूरोप तक भारत की पहुँच को बढ़ाना है।
  - इन पहलों से भारत के व्यापार को बढ़ावा मिलेगा, उसके **क्षेत्रीय प्रभाव का विस्तार होगा और अफगानिस्तान एवं अन्य क्षेत्रों तक पहुँच** के लिये पाकिस्तान पर उसकी निर्भरता कम होगी।

नोट :

- **बहुपक्षीय सहभागिता और वैश्विक प्रभाव:** मध्य-पूर्व के साथ भारत की सक्रिय सहभागिता उसे संयुक्त राष्ट्र, , इस्लामिक सहयोग संगठन (OIC) और अरब लीग जैसे बहुपक्षीय मंचों पर अपना प्रभाव डालने का अवसर भी प्रदान करती है।
  - इन जटिल क्षेत्रीय गतिशीलताओं को समझने और गठबंधन का निर्माण कर सकने की भारत की क्षमता रणनीतिक महत्त्व के मुद्दों (जैसे **जलवायु परिवर्तन वित्तपोषण और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद** जैसे अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों में सुधार) पर उसकी वैश्विक स्थिति तथा सौदेबाज़ी की शक्ति को बढ़ा सकती है।
    - यह घरेलू मुद्दों को सुलझाने में, जैसे समान विचारधारा वाले **OIC देशों के साथ सहयोग के माध्यम से कश्मीर मुद्दे** को सुलझाने, में भी भारत की स्थिति को मज़बूत कर सकती है।

मध्य-पूर्व लगातार संघर्ष और अस्थिरता का क्षेत्र क्यों बना हुआ है?

- **भू-राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता और छद्म संघर्ष: मध्य-पूर्व ईरान, सऊदी अरब, इज़राइल, तुर्की और संयुक्त राज्य अमेरिका** सहित विभिन्न क्षेत्रीय एवं वैश्विक शक्तियों के बीच भू-राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता का केंद्र बना रहा है।
  - ये प्रतिद्वंद्विताएँ प्राय: **छद्म संघर्षों (proxy conflicts)** के माध्यम से प्रकट होती हैं, जहाँ विभिन्न देश अपने रणनीतिक हितों को आगे बढ़ाने के लिये गैर-राज्य अभिकर्ताओं (non-state actors) या विरोधी गुटों को प्रश्रय एवं समर्थन प्रदान करते हैं।
  - यमन में संघर्ष, जहाँ **ईरान समर्थित हूती (Houthi)** विद्रोही सऊदी नेतृत्व वाले गठबंधन से लड़ रहे हैं, इसका एक प्रमुख उदाहरण है कि किस प्रकार ये भू-राजनीतिक तनाव दीर्घकालिक एवं विनाशकारी युद्धों में बदल सकते हैं।
  - स्पष्ट शक्ति संतुलन के अभाव तथा स्थानीय संघर्षों में बाह्य शक्तियों के हस्तक्षेप की प्रवृत्ति ने क्षेत्र में अस्थिरता को बनाए रखा है।
- **दीर्घकालिक संघर्ष और अनसुलझे विवाद:** मध्य-पूर्व में अनेक दीर्घकालिक संघर्ष, जैसे इज़राइल-फिलिस्तीनी संघर्ष, बने रहे हैं जिनका दशकों से समाधान नहीं हो पाया है।
  - बाह्य शक्तियों की संलग्नता, **पक्षकारों के रुख में कठोरता और व्यापक, समावेशी एवं न्यायपूर्ण शांति** प्रक्रिया के अभाव के कारण ये संघर्ष और भी गंभीर हो जाते हैं।
  - अब्राहम समझौते **(Abraham Accords)** जैसे प्रस्ताव—जिसने **इज़राइल, संयुक्त अरब अमीरात और बहरीन** के बीच संबंधों को सामान्य बनाया था, अब असफलताओं का सामना कर रहे हैं तथा पूर्व में की गई प्रगति को पीछे धकेल रहे हैं।
- **सांप्रदायिक विभाजन और पहचान की राजनीति:** मध्य-पूर्व में गहरा सांप्रदायिक विभाजन व्याप्त है, विशेष रूप से **सुन्नी और शिया मुसलमानों के बीच**, जिसने अनेक द्वंद्वों और सत्ता संघर्षों को बढ़ावा दिया है।
  - इन सांप्रदायिक तनावों का विभिन्न राजनीतिक शक्तियों द्वारा समर्थन जुटाने, अपनी सत्ता मज़बूत करने और विरोधी समूहों को हाशिये पर धकेलने के लिये लाभ उठाया गया है।
  - अरब **राष्ट्रवाद और इस्लामवाद जैसे पहचान-आधारित आंदोलनों** के उदय ने भी क्षेत्र के **राजनीतिक विखंडन और कट्टरपंथी विचारधाराओं** के उदय में योगदान दिया है।
  - सीरियाई गृह युद्ध, जहाँ संघर्ष ने एक विशिष्ट सांप्रदायिक चरित्र ग्रहण कर लिया है, इस बात का एक प्रमुख उदाहरण है कि किस प्रकार ये **पहचान-आधारित विभाजन** हिंसक टकरावों में परिणत हो सकते हैं।
- **सत्तावादी शासन और लोकतंत्रीकरण का अभाव:** मध्य-पूर्व के कई देशों में सत्तावादी **शासन (Authoritarian Regimes)** स्थापित हैं जो अपने नागरिकों की भलाई की अपेक्षा शासन की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हैं।
  - ये शासन सत्ता पर अपनी पकड़ बनाए रखने के लिये प्राय: दमनकारी उपायों पर निर्भर रहते हैं, जैसे असहमति को कुचलना, राजनीतिक विरोधियों को क़ैद करना और नागरिक स्वतंत्रता का दमन करना।
  - वास्तविक **लोकतांत्रिक सुधारों और जवाबदेह शासन** के अभाव ने जनता के असंतोष को बढ़ावा दिया है, जिसके परिणामस्वरूप वर्ष 2011 में 'अरब स्प्रिंग' जैसे विद्रोह और क्रांतियाँ हुईं।
  - इन विद्रोहों के मूल कारणों, जैसे **आर्थिक असमानता, भ्रष्टाचार और राजनीतिक वंचना** को संबोधित करने की विफलता ने क्षेत्र में अस्थिरता के चक्र को कायम बना रखा है।
- **संसाधनों की कमी और पर्यावरणीय चुनौतियाँ:** मध्य-पूर्व गंभीर पर्यावरणीय चुनौतियों का सामना कर रहा है, जिसमें घटते तेल संसाधन, जल की कमी, मरुस्थलीकरण और जलवायु परिवर्तन के विभिन्न प्रभाव शामिल हैं।

नोट :

- संसाधन संबंधी इन बाधाओं से मौजूदा तनावों के बढ़ने और सीमित संसाधनों के नियंत्रण एवं वितरण को लेकर नए संघर्षों को बढ़ावा मिलने की संभावना है।
- उदाहरण के लिये, **नील नदी पर ग्रैंड इथियोपियन रेनेसां बाँध (Grand Ethiopian Renaissance Dam) के निर्माण को लेकर विवाद ने मिस्र, सूडान और इथियोपिया** के बीच तनाव को बढ़ा दिया है।

भारत मध्य-पूर्व के साथ अपने संबंध किस प्रकार मज़बूत कर सकता है?

- **संतुलित एवं सूक्ष्म विदेश नीति दृष्टिकोण:** मध्य-पूर्व के प्रमुख खिलाड़ियों के साथ संतुलित एवं सूक्ष्म संबंध बनाए रखने की भारत की क्षमता एक मूल्यवान आस्ति है।
  - भारत इस क्षेत्र की **भू-राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता** में किसी का पक्ष लेने के प्रलोभन से बचते हुए स्वयं को एक तटस्थ मध्यस्थ एवं संवाद को बढ़ावा देने वाले देश के रूप में स्थापित कर सकता है। भारत का यह रुख हाल में इज़राइल-हमास संघर्ष के दौरान प्रदर्शित भी हुआ, जहाँ भारत ने इज़राइल पर आतंकवादी हमलों की निंदा की, लेकिन साथ ही फिलिस्तीन के लिये **दो-राज्य समाधान (two-state solution) का समर्थन** भी किया।
  - इसके अलावा, **अमेरिकी प्रतिबंधों के बावजूद ईरान के साथ संवाद के खुले चैनल** बनाए रखने के भारत के हालिया प्रयास इस संतुलित विदेश नीति दृष्टिकोण के प्रति उसकी प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करते हैं।
- **आर्थिक संलग्नता और अंतर-निर्भरता को बढ़ाना:** आर्थिक संबंधों और अंतर-निर्भरता को मज़बूत करना भारत की **मध्य-पूर्व रणनीति का एक महत्त्वपूर्ण तत्व** हो सकता है।
  - भारत व्यापार, निवेश और ऊर्जा सहयोग का विस्तार कर क्षेत्रीय स्थिरता और शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व के लिये साझा प्रोत्साहन पैदा कर सकता है।
  - **भारत-यूएई व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता** (India-UAE Comprehensive Economic Partnership Agreement) जैसी पहल, पारस्परिक रूप से लाभकारी आर्थिक संबंध विकसित करने के लिये एक मॉडल के रूप में कार्य कर सकती है।
  - इसके अतिरिक्त, भारत मध्य-पूर्व में अपनी डिजिटल पैठ और प्रभाव को बढ़ाने के लिये इस क्षेत्र में एकीकृत भुगतान इंटरफेस को बढ़ावा देने में अपने विशाल प्रवासी समुदाय का लाभ उठा सकता है।
- **रक्षा एवं सुरक्षा सहयोग को मज़बूत करना:** भारत मध्य-पूर्व में प्रमुख भागीदारो के साथ अपने रक्षा एवं सुरक्षा सहयोग को गहरा कर सकता है।
  - इसमें **संयुक्त सैन्य अभ्यास और रक्षा प्रौद्योगिकियों** का सह-विकास करना शामिल हो सकता है।
  - भारत स्वयं को एक विश्वसनीय सुरक्षा भागीदार के रूप में स्थापित कर क्षेत्रीय स्थिरता में योगदान दे सकता है, आक्रामकता को रोक सकता है और अपने मध्य-पूर्वी समकक्षों के बीच भरोसे का निर्माण कर सकता है।
- **वैश्विक उत्तर और वैश्विक दक्षिण के बीच की कड़ी के रूप में मध्य-पूर्व:** वैश्विक दक्षिण (Global South) की अग्रणी आवाज़ के रूप में भारत की स्थिति उसे मध्य-पूर्वी देशों और पारंपरिक पश्चिमी शक्तियों के बीच मध्यस्थता की भूमिका निभाने में सक्षम बना सकती है।
  - भारत विकासशील देशों के हितों की वकालत करने, **वैश्विक शासन संरचनाओं में सुधार का समर्थन करने और दक्षिण-दक्षिण सहयोग** को बढ़ावा देने के रूप में विभाजन को दूर करने तथा संवाद एवं वार्ता के लिये अधिक समावेशी मंच का निर्माण करने में मदद कर सकता है।
  - इसमें मध्य-पूर्व के देशों की चिंताओं को मुखरता से प्रकट करने और अधिक समतापूर्ण वैश्विक व्यवस्था को बढ़ावा देने के लिये **इस्लामिक सहयोग संगठन** तथा अन्य क्षेत्रीय निकायों के साथ भारत की संलग्नता को बढ़ाना शामिल हो सकता है।
- **पारस्परिक पर्यटन को बढ़ावा देना:** भारत समान विचारधारा वाले **मध्य-पूर्वी देशों से आग्रह** कर सकता है कि वे मध्य-पूर्व और भारत के बीच पारस्परिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिये इसके विशाल पर्यटन बाज़ार का लाभ उठाएँ।
  - इसमें **सहयोगात्मक विपणन अभियान** शामिल हो सकते हैं, जैसे कि हाल ही में **इंडियन प्रीमियर लीग (IPL)** के दौरान प्रदर्शित 'विजिट सऊदी' का विज्ञापन, जहाँ दोनों क्षेत्रों के साझा हितों और आकांक्षाओं का लाभ उठाया गया था।
  - भारत मध्य-पूर्व के आगंतुकों की प्राथमिकताओं के अनुरूप **वीज़ा प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित** कर सकता है तथा उनके लिये विशेष पर्यटन पैकेज विकसित कर सकता है, जिससे दोनों क्षेत्रों के बीच पर्यटन एवं आतिथ्य संबंधों को और मज़बूती मिलेगी।

नोट :

- **आपदा प्रबंधन और मानवीय सहायता को सुदृढ़ बनाना:** भारत अपनी मौजूदा क्षमताओं और अनुभव के आधार पर आपदा प्रबंधन और मानवीय सहायता के लिये मध्य-पूर्व में एक विश्वसनीय भागीदार के रूप में अपनी स्थिति मज़बूत कर सकता है।
  - इसमें पूर्व-चेतावनी प्रणाली विकसित करने, आपातकालीन प्रतिक्रिया क्षमताओं को बढ़ाने तथा प्राकृतिक आपदाओं या जटिल मानवीय संकटों के दौरान त्वरित राहत प्रदान करने के लिये क्षेत्रीय संगठनों और राष्ट्रीय प्राधिकरणों के साथ समन्वय करना शामिल हो सकता है।
  - तुर्की और सीरिया में चलाया गया 'ऑपरेशन दोस्त' भारत की त्वरित मानवीय सहायता का एक प्रमुख उदाहरण है।

निष्कर्ष:

मध्य-पूर्व भारत के लिये अत्यंत महत्त्वपूर्ण क्षेत्र बना हुआ है, जिसके साथ इसके गहरे ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और आर्थिक संबंध हैं। भारत **'वैश्विक दक्षिण'** की अग्रणी आवाज़ के रूप में अपनी स्थिति का लाभ उठाकर मध्य-पूर्वी देशों और पारंपरिक वैश्विक शक्तियों के बीच की खाई को दूर करने में एक रचनात्मक भूमिका निभा सकता है, साथ ही आतंकवाद और जलवायु परिवर्तन जैसी साझा चुनौतियों का समाधान भी कर सकता है।

■■■

वर्ष 2047 तक 30 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने का भारत का लक्ष्य

भारत की आर्थिक वृद्धि पर किसी समीक्षा में प्राय: एक अतिशय आशावादी स्वर या विजयोन्माद प्रकट होता है। भारत की प्रभावशाली 7% से अधिक जीडीपी वृद्धि दर और वैश्विक स्तर पर सबसे तेज़ी से विकास करती वृहत अर्थव्यवस्था के रूप में इसकी स्थिति के साथ माना जाता है कि भारत की आर्थिक उन्नति अपरिहार्य है। हालाँकि, ऐसी ऐतिहासिक मिसालें मौजूद हैं जो दिखाती है कि कई देश इसी स्तर तक पहुँचने के बावजूद विकसित राष्ट्र का दर्जा प्राप्त करने में विफल रहे। वर्ष 2047 तक 30 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने के सरकार के स्वप्न को साकार करने के लिये भारत को उदार आर्थिक नीतियों के माध्यम से तीव्र आर्थिक विकास बनाए रखना चाहिये और निजी क्षेत्र की क्षमता का दोहन करना चाहिये।

जबकि **भारत वर्ष 2047 में अपनी स्वतंत्रता का शताब्दी** वर्ष मनाने की ओर अग्रसर है, विकासशील से विकसित अर्थव्यवस्था में परिणत होने का इसका स्वप्न चुनौती और अवसर दोनों प्रस्तुत करता है। **विविधतापूर्ण और गतिशील आर्थिक परिदृश्य** के साथ, भारत को इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिये गंभीर चुनौतियों का समाधान करते हुए अपनी क्षमता का लाभ उठाना चाहिये। यहाँ नवीनतम डेटा और अनुमानों से समृद्ध एक विस्तृत रोडमैप प्रदान किया गया है, जहाँ बताया गया है कि **भारत वर्ष 2047 तक किस प्रकार एक विकसित अर्थव्यवस्था** में परिणत हो सकता है।

वर्ष 2047 तक विकसित अर्थव्यवस्था का दर्जा हासिल करने की राह की चुनौतियाँ:

- **गरीबी और असमानता:**
  - वर्ष 1947 में स्वतंत्रता से लेकर वर्ष 1991 तक गरीबी कम करने के उद्देश्य से समाजवादी नीतियों के क्रियान्वयन के बावजूद भारत की गरीबी **दर 50% के** आसपास बनी रही।
  - हालाँकि, उदारीकरण के बाद (1991-2011) गरीबी लगभग **20% तक कम** हो गई, जहाँ 350 मिलियन लोग गरीबी से बाहर आ गए।
- **मध्यम-आय जाल:**
  - विश्व बैंक की परिभाषा के अनुसार, **मध्यम-आय जाल (Middle-Income Trap)** से तात्पर्य ऐसी स्थिति से है, जिसमें एक मध्यम-आय देश बढ़ती लागत और घटती प्रतिस्पर्द्धा के कारण **उच्च-आय अर्थव्यवस्था** में परिवर्तित होने में विफल रहता है।
  - भारत के लिये भी मध्यम-आय जाल में फँसने का खतरा है, जहाँ देश मध्यम-आय से उच्च-आय की स्थिति में पहुँचने में विफल हो जाते हैं।
  - **वर्ष 1960 में 101 मध्यम-आय अर्थव्यवस्थाओं** में से केवल 23 ही वर्ष 2018 तक उच्च-आय अर्थव्यवस्था बन सके।
  - ऐसी आशंकाएँ व्यक्त की जाती हैं कि विकसित अर्थव्यवस्था की राह पर आगे बढ़ते हुए भारतीय अर्थव्यवस्था मध्यम-आय जाल में फँस सकती है। माना जाता है कि **5,000-6,000 अमेरिकी डॉलर प्रति व्यक्ति आय** तक पहुँचने के बाद यह अधिक तेज़ी से आगे नहीं बढ़ पाएगी।
- **वृद्ध होती आबादी:**
  - भारत की आबादी, जो वर्तमान में लगभग 1.4 बिलियन है, वर्ष 2048 तक 1.64 बिलियन के सर्वोच्च स्तर पर पहुँचने के बाद बाद वर्ष 2100 तक घटकर 1.45 बिलियन रह जाएगी।
  - इसके परिणामस्वरूप, भारत को वृद्ध होती आबादी से जुड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, जिसमें स्वास्थ्य देखभाल पर बढ़ते खर्च, बढ़ती पेंशन देनदारियाँ और संभावित श्रम की कमी शामिल हैं।

नोट :

- **गतिहीन कृषि:**
  - कृषि क्षेत्र भारत की लगभग **46% आबादी को रोज़गार** प्रदान करता है और भारत के सकल घरेलू उत्पाद में इसका योगदान लगभग 16.5% है।
  - हालाँकि, अप्रभावी भूमि सुधारों, अवैज्ञानिक अभ्यासों, संस्थागत ऋण प्रवाह की कमी और जलवायु अनिश्चितताओं के कारण यह गतिहीन एवं निम्न उत्पादक क्षेत्र बना हुआ है।
- **विनिर्माण क्षेत्र का पिछड़ापन:**
  - आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार, विनिर्माण क्षेत्र भारत के केवल **11.4%** कार्यबल को रोज़गार प्रदान करता है।
  - इसके अलावा, विनिर्माण क्षेत्र को उच्च इनपुट लागत और अस्थिर मांग के कारण चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है।
- **अकुशल लॉजिस्टिक्स:**
  - आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 से पता चलता है कि भारत में लॉजिस्टिक्स लागत सकल घरेलू उत्पाद के **14-18% के बीच** है, जो वैश्विक **बेंचमार्क 8% से अधिक** है। इसके साथ ही, लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक **(LPI) 2023 में भारत 38वें स्थान** पर है।
- **रोज़गारहीनता और प्रच्छन्न बेरोज़गारी:**
  - आईटी सेवाओं में उछाल से प्रेरित भारत के उच्च विकास **वर्षों (2000-10) के बावजूद 46% श्रम शक्ति** अभी भी कृषि में संलग्न है, जो **सकल घरेलू** उत्पाद में केवल 18% का योगदान देती है। इसकी उत्पादकता कम है और यह अल्प-रोज़गार (underemployment) की समस्या से भी ग्रस्त है।
  - इसके अलावा, CMIE के अनुसार भारत में बेरोज़गारी दर **मई 2024 में 7% से तेज़ी** से बढ़कर **जून 2024 में 9.2%** हो गई।
- **श्रम बल गतिशीलता:**
  - **महिला श्रम बल भागीदारी मात्र 37%** है, हालाँकि **वर्ष 2019 में 26% की तुलना** में इसमें सुधार हुआ है। फिर भी, यह स्तर अन्य तेज़ी से विकास करते देशों की तुलना में कम है।
- **वैश्विक आर्थिक मंदी:**
  - वैश्विक आर्थिक मंदी, वस्तुओं की अस्थिर कीमतें, भू-राजनीतिक तनाव और कठिन होती वित्तीय स्थितियाँ निर्यात में कमी, **आयात लागत में वृद्धि तथा विकास परियोजनाओं** के लिये भर्ती एवं वित्तपोषण में कमी लाकर भारत के आर्थिक निवेश विकास में बाधा उत्पन्न कर रही हैं।

सरकार द्वारा कौन-से प्रमुख कदम उठाए गए हैं?

- **पूंजीगत व्यय में वृद्धि:** पिछले वर्ष की तुलना में वित्त वर्ष 24 में पूंजीगत व्यय (Capital Expenditure-CAPEX) में 28.2% की वार्षिक वृद्धि हुई है, जहाँ अवसंरचना विकास और निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित किया गया है।
- **ऋण विकास:** अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा ऋण वितरण 20.2% की वृद्धि के साथ 164.3 लाख करोड़ रुपए तक पहुँच गया, जो व्यय में वृद्धि को दर्शाता है। इसके अलावा, **सकल गैर-निष्पादित परिसंपत्ति (GNPA)** अनुपात सुधरकर 2.8% हो गया, जो 12 वर्ष का न्यूनतम स्तर है।
- **अवसंरचनात्मक विकास:**
  - **आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24** के अनुसार राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण की गति वित्त **वर्ष 2014 में 11.7 किमी प्रति दिन** से बढ़कर **वित्त वर्ष 2024 तक 34 किमी प्रति दिन** हो गई है।
    - इसके अलावा, गति शक्ति योजना या **मल्टी-मॉडल कनेक्टिविटी योजना** के लिये राष्ट्रीय मास्टर प्लान को कार्यान्वित किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य **लॉजिस्टिक्स लागत को कम** करने के लिये अवसंरचनात्मक परियोजनाओं हेतु समन्वित योजना-निर्माण एवं निष्पादन सुनिश्चित करना है।
- राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन **(National Monetisation Pipeline- NMP):** इसमें **चार वर्ष की अवधि (वित्त वर्ष 2022 से 2025)** में सड़क, रेलवे, बिजली, तेल एवं गैस पाइपलाइन, दूरसंचार, नागरिक उड्डयन जैसे क्षेत्रों में केंद्र सरकार की प्रमुख परिसंपत्तियों को पट्टे/लीज़ पर देने के **माध्यम से 6 लाख करोड़ रुपए** की कुल मुद्रीकरण क्षमता की परिकल्पना की गई है।
- **डिजिटल इंडिया पहल:** इसका उद्देश्य डिजिटल अवसंरचना विकास के माध्यम से राष्ट्रीय सशक्तीकरण करना, जीवन स्तर को ऊपर उठाना और पारदर्शिता को बढ़ावा देना है।
- **राष्ट्रीय शिक्षा नीति और 'स्किल इंडिया' मिशन:** सरकार गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने और देश की जनसांख्यिकी को कुशल बनाने के लिये इन पहलों को क्रियान्वित कर रही है।

नोट :

- **प्रत्यक्ष लाभ प्रदान करना:** प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (Direct Benefit Transfer- DBT) और जन धन योजना से राजकोषीय दक्षता बढ़ी और 'लीकेज' कम हुआ, जिससे लोगों की व्यय क्षमता में वृद्धि हुई।
- **संवहनीयता और जलवायु प्रत्यास्थता को बढ़ावा देना:** भारत 'पंचामृत' लक्ष्यों और सौर मिशन तथा राष्ट्रीय पवन-सौर हाइब्रिड नीति जैसी अनेक योजनाओं के माध्यम से संवहनीय आर्थिक विकास को बढ़ावा दे रहा है।

एक विकसित देश के रूप में भारत के लिये क्या चुनौतियाँ होंगी?

- **आर्थिक भेद्यता:**
  - विकसित अर्थव्यवस्थाएँ वैश्विक वित्तीय प्रणालियों और बाज़ारों में अधिक एकीकृत होती हैं, जिससे वे अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक उतार-चढ़ाव के प्रति अधिक संवेदनशील हो जाती हैं।
    - उदाहरण के लिये, विकसित देशों को **वर्ष 2007-08 के सबप्राइम संकट** और कोविड-19 मंदी के बाद अधिक आर्थिक आघातों का सामना करना पड़ा।
  - जैसे-जैसे भारत आगे बढ़ेगा, उसे वैश्विक वित्तीय संकटों, व्यापार व्यवधानों और अंतर्राष्ट्रीय कमोडिटी मूल्यों में बदलाव का अधिक सामना करना पड़ेगा।
- **जलवायु संवेदनशीलता में वृद्धि:**
  - भारत को एक विकसित राष्ट्र के रूप में जलवायु संबंधी मुद्दों को संबोधित करने के लिये अत्यधिक दबाव का सामना करना पड़ेगा। इसमें **अवसंरचना, कृषि और सार्वजनिक स्वास्थ्य पर जलवायु परिवर्तन** के प्रभाव का प्रबंधन करना शामिल है।
  - अपनी विविध भौगोलिक स्थिति के कारण भारत अनेक प्रकार के जलवायु जोखिमों **(जैसे गंभीर बाढ़, ग्रीष्म लहरें और चक्रवात शामिल)** के प्रति संवेदनशील है, जो आर्थिक स्थिरता और जीवन की गुणवत्ता को प्रभावित कर सकते हैं।
- **रोज़गार वृद्धि:**
  - विकसित अर्थव्यवस्थाओं मे **ऑटोमेशन, उद्योग की बदलती आवश्यकताओं और जनसांख्यिकीय परिवर्तनों** के कारण कभी-कभी रोज़गार सृजन की गति आर्थिक वृद्धि से पीछे रह जाती है। भारत को औद्योगिकीकरण और आधुनिकीकरण के विस्तार के साथ-साथ गतिहीन रोज़गार सृजन की संभावना को संबोधित करने की आवश्यकता होगी।
  - अर्थव्यवस्था में तीव्र तकनीकी प्रगति और संरचनात्मक परिवर्तनों के कारण कौशल असंतुलन उत्पन्न हो सकता है, जहाँ उपलब्ध **रोज़गार कार्यबल के कौशल के अनुरूप** नहीं होते हैं।
- **वि-वैश्वीकरण:**
  - **वि-वैश्वीकरण (Deglobalization)** का तात्पर्य वैश्विक व्यापार और निवेश पर निर्भरता कम करने की प्रवृत्ति से है, जो प्राय: संरक्षणवाद और व्यापार बाधाओं में वृद्धि की विशेषता रखता है। इसका असर भारत के निर्यात-उन्मुख क्षेत्रों और वैश्विक आपूर्ति शृंखलाओं पर पड़ सकता है।
  - वैश्विक व्यापार नीतियों में परिवर्तन और भू-राजनीतिक गतिशीलता में बदलाव अंतर्राष्ट्रीय निवेश तथा व्यापार संबंधों के लिये अनिश्चितताएँ पैदा कर सकते हैं।

आगे की राह:

- औद्योगिक संकुलों का विकास: सरकार को व्यापक सहायता प्रणालियों के साथ **औद्योगिक संकुलों (Industrial Clusters) का विकास कर अवसंरचनात्मक सुधार** के अपने प्रयासों को आगे बढ़ाना चाहिये।
  - **संकुल या क्लस्टर आधारित मॉडल,** जहाँ विशिष्ट क्षेत्रों में विनियमों में ढील दी जाती है, विनिर्माण के लिये अनुकूल वातावरण का निर्माण कर सकता है।
  - इसके अतिरिक्त, सरकार को उच्च टैरिफ के अधिरोपण से बचना चाहिये, जिससे स्थानीय निर्माताओं के लिये अलाभ की स्थिति बन सकती है और निर्यात प्रतिस्पर्द्धा में बाधा उत्पन्न हो सकती है।
- **विकास की गति को बनाए रखना:** वित्त वर्ष 2024 में भारत की वास्तविक **जीडीपी में 8.2%** की प्रभावशाली वृद्धि दर्ज की गई, जो चार में से तीन तिमाहियों में 8% से अधिक रही। विकसित अर्थव्यवस्था का दर्जा हासिल करने के लिये भारत को इस मज़बूत विकास प्रक्षेपवक्र को बनाए रखना होगा।
- **मध्यम-आय जाल को संबोधित करना और विकास सुनिश्चित करना:** भारत को मध्यम-आय जाल से बचने के लिये एक बाज़ार-आधारित अर्थव्यवस्था की आवश्यकता है जो न्यूनतम सरकारी हस्तक्षेप के साथ निजी उद्यम का समर्थन करती हो। अर्थव्यवस्था का फोकस 'कारोबार सुगमता' **(ease of doing business)** को बढ़ाने और आर्थिक सुधारों को जारी रखने पर होना चाहिये।

नोट :

- विश्व बैंक की **विश्व विकास रिपोर्ट 2024** के अनुसार नीतियों को '**3i' रणनीति की** ओर बढ़ने की आवश्यकता है, यानी **मध्यम-आय जाल से बचने** के लिये निवेश, प्रेरणा और नवाचार (Investment, Infusion, and Innovation)।
- दक्षिण कोरिया **3i रणनीति के सभी तीन चरणों से गुज़रने** और इस विकास पथ पर आगे बढ़ने के मामले में एक उत्कृष्ट उदाहरण है।

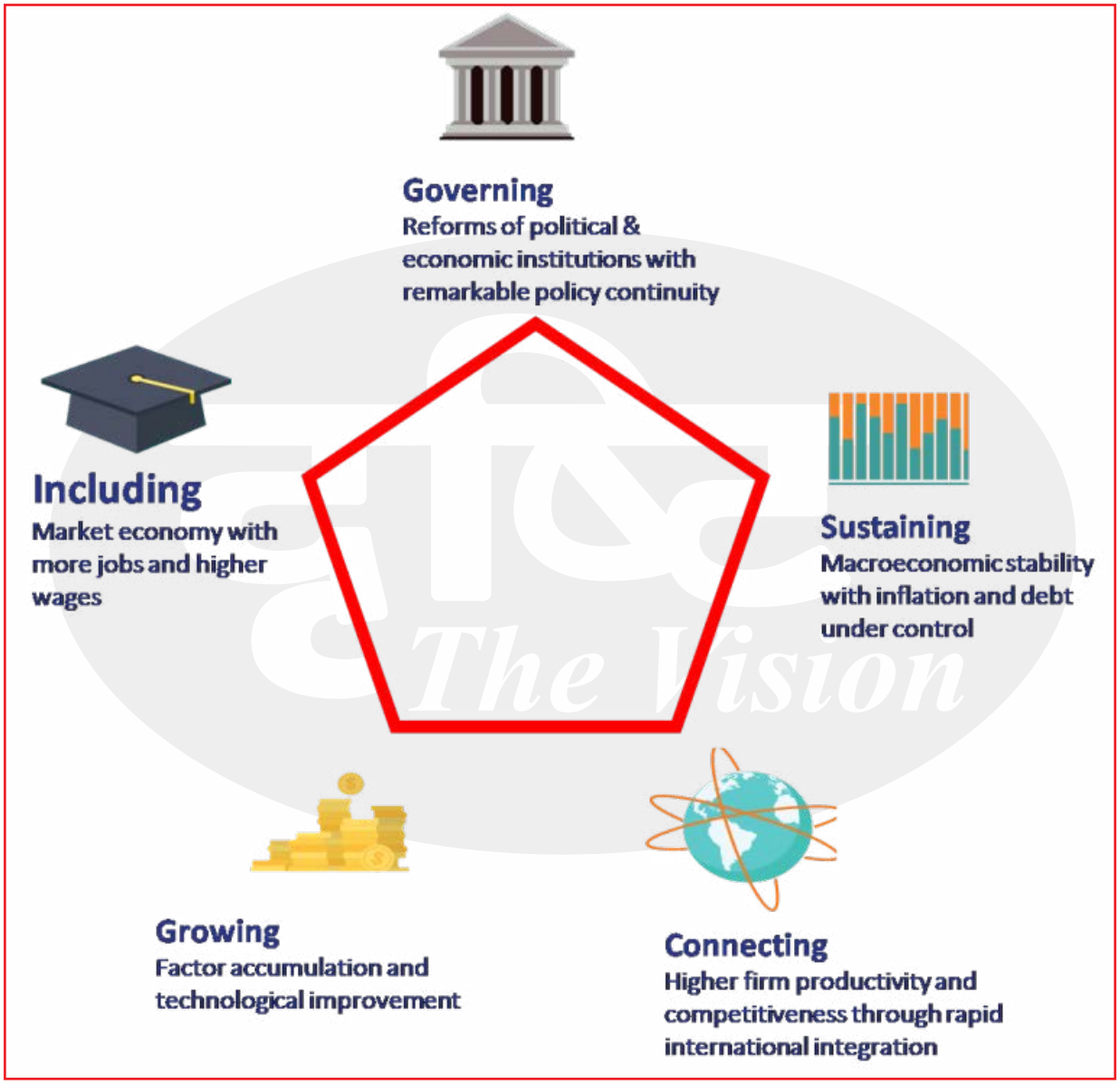

- **अवसंरचना का विस्तार:** परिवहन, शहरी विकास और डिजिटल अवसंरचना में निवेश जारी रखने की आवश्यकता है। राष्ट्रीय राजमार्गों और नए हवाई अड्डे टर्मिनलों के निर्माण की गति में वृद्धि एक सकारात्मक प्रवृत्ति को दर्शाती है।
  - प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जैसी योजनाओं के माध्यम से ग्रामीण और शहरी संपर्क को बढ़ावा देने की आवश्यकता है।
- **वित्तीय क्षेत्र और मौद्रिक स्थिरता को बढ़ावा देना:** बैंकिंग क्षेत्र के स्वास्थ्य और वित्तीय मध्यस्थता को बढ़ाने की आवश्यकता है, जहाँ इसे दिवाला एवं दिवालियापन संहिता (IBC) जैसे विधिक समर्थन प्राप्त हों।

नोट :

- **कौशल विकास और रोज़गार पर ध्यान केंद्रित करना:** शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण में निवेश कर कौशल अंतराल को दूर किया जाए; बेहतर रोज़गार परिणाम और उच्च कार्यबल भागीदारी का लक्ष्य रखा जाए।
  - अध्ययनों से पता चलता है कि कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी बढ़ने से देश को व्यापक लाभ प्राप्त हो सकता है। IMF का सुझाव है कि भारत की महिला श्रम शक्ति भागीदारी दर को पुरुषों के बराबर करने से भारत की **जीडीपी में 27% की वृद्धि** हो सकती है।
- **जनसांख्यिकीय लाभांश को साकार करना:** भारत की कार्यशील आयु जनसंख्या की क्षमता को साकार करने के लिये निम्न-कुशल, रोजगार-गहन विनिर्माण क्षेत्र रोज़गार अवसरों की आवश्यकता है। दक्षिण कोरिया और वियतनाम जैसे **'एशियन टाइगर्स'** द्वारा ऐसी ही रणनीतियाँ अपनाई गई हैं।
- **विविधता और विस्तार:** फार्मास्यूटिकल्स और इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे प्रमुख उद्योगों में वृद्धि का समर्थन करना जारी रखें। **वैश्विक बाज़ार हिस्सेदारी** को और बढ़ाने के लिये सेवाओं में भारत की शक्ति का लाभ उठाएँ।
- **नवाचार को बढ़ावा देना: स्टार्ट-अप और गिग अर्थव्यवस्था** के विकास को प्रोत्साहित किया जाए, जो नए व्यापार मॉडल और तकनीकी उन्नति को आगे बढ़ाने के लिये आवश्यक है।
- **हरित संक्रमण:** स्वच्छ ऊर्जा और संवहनीय अभ्यासों में निवेश की वृद्धि की जाए। नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का विस्तार जारी रखते हुए ऊर्जा आवश्यकताओं में अनुमानित वृद्धि को संबोधित किया जाए।

निष्कर्ष

चूँकि भारत का लक्ष्य **वर्ष 2047 तक एक विकसित देश** बनना है, इसलिये उसे केवल आर्थिक विकास पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय समग्र विकास सुनिश्चित करने की आवश्कयता है। इसका अर्थ है कि न केवल आर्थिक कारकों बल्कि सामाजिक, पर्यावरणीय और संस्थागत कारकों पर भी ध्यान देना होगा। भारत निम्नलिखित तरीकों से समग्र विकास सुनिश्चित कर सकता है:

- **जीवन की गुणवत्ता में सुधार के लिये बेहतर शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और कौशल विकास** के माध्यम से मानव पूंजी में निवेश करना।
- संवहनीय और न्यायसंगत विकास को बढ़ावा देना जिससे आय असमानता कम हो और सभी को अवसर मिले।
- **जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता हानि और संसाधनों** की कमी से निपटने के लिये पर्यावरणीय पहलुओं को विकास योजनाओं में एकीकृत करना।
- समावेशी और पारदर्शी निर्णय प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिये **लोकतांत्रिक संस्थाओं, शासन व्यवस्था और विधि** के शासन को मज़बूत करना।
- एक विविध अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना जो विभिन्न क्षेत्रों में रोज़गार के अवसर पैदा करे, न कि केवल कुछ उद्योगों पर निर्भर रहे।
- भारत एक व्यापक दृष्टिकोण अपनाकर संतुलित और सतत् विकास प्राप्त कर सकता है जो उसके नागरिकों के समग्र कल्याण को बढ़ावा देगा।

■■■

भारत में सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज

हाल ही में संपन्न **आर्थिक सर्वेक्षण (HCES 2022-23)** के विश्लेषण से पता चलता है कि गरीबी से प्रेरित स्वास्थ्य **आघातों के विरुद्ध देश के संघर्ष में एक सकारात्मक रुझान नज़र** आ रहा है। वर्ष 2011-12 से 2022-23 के बीच अस्पताल भर्ती व्यय करने वाले परिवारों के **अनुपात में वृद्धि हुई** है, जो स्वास्थ्य सेवा तक बेहतर पहुँच का संकेत देती है। इससे भी महत्त्वपूर्ण बात यह है कि इन परिवारों पर अस्पताल में भर्ती होने का वित्तीय बोझ कम हुआ है, जहाँ अस्पताल में भर्ती सुविधा लेने वाले परिवारों के लिये मासिक घरेलू व्यय में स्वास्थ्य व्यय का हिस्सा **10.8% से घटकर 9.4% हो गया** है।

हालाँकि, **सार्वभौमिक स्वास्थ्य सेवा** की राह अभी भी बाधाओं से भरी हुई है। स्वास्थ्य सेवा तक पहुँच, गुणवत्ता और समग्र वहनीयता में असमानताएँ कई भूभागों को अभी भी बाधित कर रही हैं। बढ़ते स्वास्थ्य बोझ के रूप में **गैर-संचारी रोगों** के उभरने पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। भारत को अपनी गति को बनाए रखना चाहिये, **'आयुष्मान भारत'** जैसी योजनाओं की सफलताओं का लाभ उठाते हुए आगे बढ़ना चाहिये और अपने सभी नागरिकों के लिये एक स्वस्थ भविष्य सुनिश्चित करने के लिये इन स्थायी मुद्दों को संबोधित करना चाहिये।

भारत के स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र से संबंधित वर्तमान प्रमुख मुद्दे :

- **असंतुलित प्राथमिकताएँ** – अवसंरचना और प्रतिफल का अंतराल: हालाँकि भारत ने स्वास्थ्य सेवा अवसंरचना के मामले में प्रगति की है, लेकिन इसके प्रतिफल उसी गति से प्राप्त नहीं हुए हैं।
  - **राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन** ने स्वास्थ्य केंद्रों की संख्या में वृद्धि की है, लेकिन भारत में लगभग **80% सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाएँ** न्यूनतम आवश्यक मानकों को पूरा नहीं करती हैं।

नोट :

- **CAG रिपोर्ट (2023)** से खुलासा हुआ कि आयुष्मान भारत के तहत **'मृत' के रूप में चिह्नित रोगियों** का भी इलाज चल रहा था और **आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (PMJAY)** के 9.85 लाभार्थी एक ही मोबाइल नंबर से पंजीकृत थे।
- गुणवत्ता की अपेक्षा मात्रा पर अधिक ध्यान देने के कारण ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है कि पहले से अधिक भारतीयों को स्वास्थ्य सुविधाओं तक पहुँच तो मिल रही है, लेकिन प्राय: उन्हें पर्याप्त देखभाल नहीं मिल पाती।
- प्राथमिकताओं का यह असंतुलन लगातार बनी रही उच्च मातृ मृत्यु दर से स्पष्ट है, जो संस्थागत प्रसव में वृद्धि के बावजूद 103 के स्तर पर थी (UN MMEIG 2020 रिपोर्ट के अनुसार)।

- **'डिजिटल डिवाइड': कोविड-19** महामारी ने भारत में टेलीमेडिसिन के अंगीकरण को गति प्रदान की और सरकार का **ई-संजीवनी प्लेटफॉर्म 2024 की शुरुआत में 200 मिलियन** परामर्शों को पार कर गया।
  - हालाँकि, इस डिजिटल छलाँग ने अनजाने में ही स्वास्थ्य सेवा की खाई को और चौड़ा कर दिया है। जबकि शहरी, टेक-सैवी आबादी को लाभ हुआ है, बदतर इंटरनेट कनेक्टिविटी और कम डिजिटल साक्षरता रखने वाले ग्रामीण क्षेत्र पीछे छूट गए हैं।
- **वर्ष 2023 तक लगभग 45% ग्रामीण आबादी के पास इंटरनेट** तक पहुँच नहीं थी, जो डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं तक असमान पहुँच की स्थिति को उजागर करता है।
  - **प्रतिभा पलायन और कौशल असंतुलन:** भारत की स्वास्थ्य सेवा प्रणाली योग्य पेशेवरों की गंभीर कमी से जूझ रही है।
    - यद्यपि **देश में चिकित्सक-जनसंख्या अनुपात 1:834** है, जो **विश्व स्वास्थ्य संगठन के मानक 1:1000** से बेहतर है, लेकिन यह सभी स्वास्थ्य देखभाल क्षेत्रों में एकसमान नहीं है।
  - उदाहरण के लिये, भारत में **विश्व के एक चौथाई वृद्धजनों का वास** है, लेकिन यहाँ **प्रति वर्ष केवल 20 वृद्धावस्था विशेषज्ञ (geriatricians)** ही उपलब्ध होते हैं।
- इसके अलावा, **चिकित्सा शिक्षा और प्राथमिक देखभाल आवश्यकताओं** के बीच एक बेमेल संबंध पाया जाता है, जिसके कारण कम संख्या में नए **चिकित्सा स्नातक पारिवारिक चिकित्सा या ग्रामीण स्वास्थ्य सेवा** में करियर का चयन करते हैं।

- **OOPE व्यय का जाल:** आयुष्मान भारत जैसी पहलों (जिसका **लक्ष्य 500 मिलियन भारतीयों** को स्वास्थ्य सेवा प्रदान करना है) के बावजूद निजी व्यय या OOPE (Out-of-Pocket Expense) स्वास्थ्य सेवा तक पहुँच में एक बड़ी बाधा बना हुआ है।
  - **विश्व स्वास्थ्य संगठन** की मार्च 2022 की रिपोर्ट में पाया गया है कि **17% से अधिक भारतीय परिवारों को प्रति वर्ष** भारी स्वास्थ्य व्यय का वहन करना पड़ता है।
- **निवारक स्वास्थ्य देखभाल** - उपेक्षित सार्वजनिक स्वास्थ्य दृष्टिकोण: भारत की स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली काफी हद तक निवारक के बजाय प्रतिक्रियात्मक बनी रही है।
  - जबकि संचारी रोगों में कमी आ रही है, **गैर-संचारी रोग (NCDs)** बढ़ रहे हैं, जो भारत में होने वाली कुल **मृत्यु में 63% का योगदान** करते हैं।
  - स्वास्थ्य शिक्षा, **जीवनशैली में सुधार और प्रारंभिक जाँच (स्क्रीनिंग)** कार्यक्रमों पर बल नहीं दिये जाने के कारण निवारण-योग्य बीमारियों में वृद्धि हुई है।
  - **आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24** में इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि **सोशल मीडिया, स्क्रीन टाइम, निष्क्रिय आदतें** और अस्वास्थ्यकर आहार संयुक्त रूप से सार्वजनिक स्वास्थ्य, उत्पादकता और भारत की आर्थिक क्षमता के लिये गंभीर खतरे उत्पन्न करते हैं।
- **देखभाल की गुणवत्ता** – विश्वसनीयता का संकट: भारत में स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता में व्यापक भिन्नता पाई जाती है, जहाँ **गुणवत्ताहीन देखभाल, चिकित्सा लापरवाही** और मानकीकरण की कमी जैसी चिंताएँ मौजूद हैं।
  - अपर्याप्त स्वास्थ्य सेवा पहुँच की तुलना में खराब गुणवत्तापूर्ण देखभाल के कारण अधिक मौतें होती हैं। वर्ष **2016 में खराब गुणवत्तापूर्ण देखभाल के कारण 1.6** मिलियन भारतीयों की मृत्यु हुई, जो **स्वास्थ्य सेवा तक पहुँच की कमी से मृत्यु का** शिकार होने वाले लोगों की संख्या से अधिक थी।
  - निजी स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं (जो बाह्य रोगी देखभाल के एक बड़े अनुपात में भूमिका रखते हैं) के लिये एक सुदृढ़ नियामक ढाँचे का अभाव इस समस्या को और बढ़ा देता है।
- चिकित्सा क्षेत्र के घोटालों, जैसे **दिल्ली के एक प्रमुख अस्पताल में वर्ष 2017 में सामने आया अधिक शुल्क वसूली और चिकित्सकीय लापरवाही** का मामला, ने स्वास्थ्य सेवा प्रणाली में आम लोगों के भरोसे को और कम कर दिया है।

नोट :

- **मानसिक स्वास्थ्य** – एक उपेक्षित संकट: मानसिक स्वास्थ्य भारत की स्वास्थ्य सेवा प्रणाली का एक गंभीर रूप से उपेक्षित पहलू बना हुआ है।
  - भारत में **लगभग 60 से 70 मिलियन लोग सामान्य** से लेकर गंभीर मानसिक विकारों से पीड़ित हैं।
    - यह तथ्य चिंताजनक है कि भारत को विश्व की आत्महत्या की राजधानी (world's suicide capital) के रूप में जाना जाता है, जहाँ प्रति वर्ष 2.6 लाख से अधिक आत्महत्या के मामले सामने आते हैं।
  - **मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम 2017** जो मानसिक स्वास्थ्य देखभाल के अधिकार की गारंटी देता है, के कार्यान्वयन के बावजूद देश में मानसिक स्वास्थ्य पेशेवरों की गंभीर कमी है।
    - **भारत में प्रति 100,000 व्यक्तियों पर केवल 0.75 मनोचिकित्सक** उपलब्ध हैं, जबकि **वांछनीय अनुपात प्रति 100,000 पर 3** है।
    - कोविड-19 महामारी ने मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं को और बढ़ा दिया है, जहाँ विभिन्न अध्ययनों से दुश्चिंता और अवसाद की दर में वृद्धि की पुष्टि हुई है।
- **दवा उद्योग से जुड़े मुद्दे:** भारत का दवा उद्योग, जिसे प्राय: **'विश्व का दवाख़ाना'** कहा जाता है, वैश्विक स्वास्थ्य सेवा में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
  - हालाँकि, इस उद्योग को गुणवत्ता नियंत्रण के मुद्दों, सक्रिय दवा सामग्री (API) के लिये चीन पर भारी निर्भरता और कड़े मूल्य नियंत्रण जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है।
  - विश्व स्वास्थ्य संगठन ने **वर्ष 2023 में उज्बेकिस्तान में कम से कम 20 बच्चों की मौत** से जुड़े दो भारत निर्मित कफ सिरप के उपयोग के विरुद्ध चेतावनी जारी की थी।

भारत में स्वास्थ्य सेवा से संबंधित प्रमुख पहलें:

- **आयुष्मान भारत**: इस प्रमुख कार्यक्रम का उद्देश्य सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज प्राप्त करना है और इसमें दो मुख्य घटक शामिल हैं:
  - प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना योजना (PM-JAY): यह द्वितीयक और तृतीयक अस्पताल भर्ती देखभाल के लिये प्रति वर्ष प्रति परिवार 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा कवरेज प्रदान करती है।
  - स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्र: व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करने के लिये 150,000 स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्र स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है।
- **राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन**: एक छत्र कार्यक्रम जिसमें शामिल हैं:
  - राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (NRHM)
  - राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन (NUHM)
  - इसका उद्देश्य स्वास्थ्य सेवा अवसंरचना में सुधार करना, **मातृ एवं शिशु मृत्यु दर में** कमी लाना और ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुँच बढ़ाना है।
- **राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन (NDHM):** इसका उद्देश्य सभी नागरिकों के लिये **विशिष्ट स्वास्थ्य पहचान पत्र, डिजिटल स्वास्थ्य रिकॉर्ड और चिकित्सकों एवं स्वास्थ्य प्रतिष्ठानों** की रजिस्ट्री के साथ एक डिजिटल स्वास्थ्य पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करना है।
- **प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना (PMSSY):** यह स्वास्थ्य सेवा में क्षेत्रीय असंतुलन को ठीक करने पर ध्यान केंद्रित करती है, जिसमें शामिल है:
  - नए अखिल **भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थानों (AIIMS)** की स्थापना करना
  - मौजूदा सरकारी मेडिकल कॉलेजों का उन्नयन करना
- **मिशन इंद्रधनुष**: यह एक **टीकाकरण कार्यक्रम** है जिसका उद्देश्य आंशिक रूप से टीकाकृत या गैर-टीकाकृत बच्चों और गर्भवती महिलाओं के बीच टीकाकरण कवरेज को बढ़ाना है।
- **जननी सुरक्षा योजना (JSY)**: यह **NHM के तहत एक सुरक्षित मातृत्व हस्तक्षेप** है, जो नकद सहायता प्रदान कर गरीब गर्भवती महिलाओं के बीच संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देता है।
- **प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना (PMBJP):** इसका उद्देश्य **जन औषधि केंद्र** नामक समर्पित खुदरा दुकानों के माध्यम से सस्ती कीमतों पर गुणवत्तापूर्ण दवाइयाँ उपलब्ध कराना है।
- **राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम (NMHP):** यह मानसिक विकारों के उपचार एवं रोकथाम के साथ सुलभ और सस्ती मानसिक स्वास्थ्य सेवाएँ प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित करता है।

भारत अपने स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में सुधार के लिये कौन-से उपाय कर सकता है?

- **शहरी-ग्रामीण विभाजन को दूर करना:** भारत शहरी-ग्रामीण स्वास्थ्य देखभाल अंतराल को दूर करने के लिये **मोबाइल स्वास्थ्य (mHealth)** प्रौद्योगिकियों का लाभ उठा सकता है।

नोट :

- टेलीमेडिसिन सुविधाओं, नैदानिक उपकरणों और आवश्यक दवाओं से सुसज्जित मोबाइल स्वास्थ्य इकाइयों का एक राष्ट्रव्यापी नेटवर्क विकसित करने से ग्रामीण स्वास्थ्य सेवा पहुँच में उल्लेखनीय सुधार हो सकता है।
- इन इकाइयों को **आशा (ASHA) कार्यकर्ताओं** और सामान्य सेवा केंद्रों द्वारा समर्थित किया जा सकता है ।
- तमिलनाडु में मोबाइल मेडिकल यूनिट जैसे सफल मॉडल को पूरे देश में लागू किया जा सकता है।

- **प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल को सुदृढ़ करना:** भारत की प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली को पुनर्जीवित करना समग्र स्वास्थ्य सुधार के लिये अत्यंत महत्त्वपूर्ण है।
  - सरकार को अपने वादे के अनुसार आयुष्मान भारत योजना के तहत **वर्ष 2025 तक** सभी 150,000 स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्रों को उन्नत बनाने और उनमें पूर्ण कार्यबल क्षमता उपलब्ध कराने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिये।
  - इन केंद्रों को **NCD प्रबंधन, मानसिक स्वास्थ्य सहायता और निवारक देखभाल** सहित विभिन्न सेवाओं की एक व्यापक श्रृंखला प्रदान करनी चाहिये।
  - पारिवारिक चिकित्सक मॉडल (family physician model), जहाँ प्रत्येक केंद्र में एक निर्धारित जनसंख्या के लिये ज़िम्मेदार समर्पित चिकित्सक की उपस्थिति होती है, को लागू करने से देखभाल की निरंतरता सुनिश्चित हो सकती है और द्वितीयक एवं तृतीयक सुविधाओं पर बोझ कम हो सकता है।
- **सार्वजनिक-निजी भागीदारी - सफलता के लिये तालमेल:** भारत स्वास्थ्य सेवा वितरण में सुधार के लिये **सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP)** की क्षमता का उपयोग कर सकता है।
  - सरकार को स्वास्थ्य सेवा में सार्वजनिक-निजी भागीदारी के लिये एक सुदृढ़ ढाँचा तैयार करना चाहिये, जिसमें **अस्पताल प्रबंधन, नैदानिक सेवा और विशेषज्ञ देखभाल** जैसे क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिये।
  - नारायण हेल्थ के साथ राजस्थान सरकार की साझेदारी जैसे सफल मॉडल को सभी राज्यों में दोहराया जा सकता है।
- **डिजिटल स्वास्थ्य पारिस्थितिकी तंत्र - प्रभाव के लिये अंतर-संचालनीयता:** स्वास्थ्य सेवा दक्षता और पहुँच में सुधार के लिये एक व्यापक, अंतर-संचालनीय डिजिटल स्वास्थ्य पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण आवश्यक है।
  - सरकार को **आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के कार्यान्वयन** में तेज़ी लानी चाहिये।
  - मानकीकृत इलेक्ट्रॉनिक स्वास्थ्य रिकॉर्ड (EHRs) विकसित करना और सार्वजनिक एवं निजी स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं द्वारा उनका अंगीकरण सुनिश्चित करना महत्त्वपूर्ण है।
  - **राष्ट्रव्यापी स्वास्थ्य सूचना एक्सचेंज (Health Information Exchange- HIE)** को लागू करने से निर्बाध डेटा साझाकरण की सुविधा मिल सकती है, दुहरावपूर्ण परीक्षणों में कमी आ सकती है और देखभाल समन्वय में सुधार हो सकता है।
  - **भारत के लिये स्वदेशी अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा देना:** संदर्भ-विशिष्ट और लागत प्रभावी समाधान विकसित करने के लिये भारत की स्वास्थ्य सेवा अनुसंधान एवं विकास क्षमताओं को बढ़ाना महत्त्वपूर्ण है।
  - सरकार को स्वास्थ्य सेवा **अनुसंधान एवं विकास पर व्यय को सकल घरेलू उत्पाद** के 2.5% तक बढ़ाना चाहिये।
  - सफल सिद्ध हुए **'मेड-इन-थाईलैंड मेडिकल इनोवेशन'** के समान भारत में भी बायोमेडिकल अनुसंधान पार्कों का एक नेटवर्क स्थापित करने से शिक्षा जगत, उद्योग और स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं के बीच सहयोग को बढ़ावा मिल सकता है।
  - **स्वास्थ्य देखभाल और फर्मास्यूटिकल मानकों को बढ़ाना:** स्वास्थ्य देखभाल और फर्मास्यूटिकल सुविधाओं के लिये सुदृढ़ गुणवत्ता नियंत्रण उपायों एवं मान्यता प्रणालियों को लागू करना आवश्यक है।
  - इसमें **रोगी सुरक्षा, नैदानिक परिणामों और स्वास्थ्य देखभाल** प्रबंधन के लिये कड़े मानक निर्धारित करना तथा उन्हें लागू करना शामिल है।
  - नियमित ऑडिट, पारदर्शी रिपोर्टिंग तंत्र और पुरस्कार एवं दंड की एक प्रणाली गुणवत्ता में सुधार ला सकती है।
  - मरीजों की प्रतिक्रिया को प्रोत्साहित करना तथा उन्हें स्वास्थ्य देखभाल संबंधी निर्णय लेने में शामिल करना देखभाल की गुणवत्ता को और बेहतर बना सकता है।

■■■

भारत का अनुसंधान एवं विकास परिदृश्य

हाल ही में **राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार (RVP)** प्रदान करने की घोषणा **वैज्ञानिक उत्कृष्टता को मान्यता देने के भारत के**

नोट :

दृष्टिकोण में एक महत्त्वपूर्ण बदलाव को परिलक्षित किया है। लंबे समय से दिये जा रहे **शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कारों को प्रतिस्थापित करने वाला RVP विभिन्न करियर चरणों** और विषयों में वैज्ञानिकों को सम्मानित करने के लिये एक नया ढाँचा पेश करता है। जबकि इस परिवर्तन का उद्देश्य **भारत में वैज्ञानिक पुरस्कारों के महत्त्व को सुव्यवस्थित और बेहतर करना** है, यह देश के अनुसंधान/शोध समुदाय के समक्ष विद्यमान मूलभूत चुनौतियों का समाधान करने में इस तरह के पुरस्कार या सम्मान की प्रभावशीलता के बारे में सवाल भी उठाता है।

वैज्ञानिक मान्यता को बढ़ावा देने के सरकार के प्रयासों के बावजूद **भारत का अनुसंधान एवं विकास (R&D) परिदृश्य** गंभीर बाधाओं से जूझ रहा है। पुरस्कारों और सम्मानों पर अधिक ध्यान केंद्रित करने **से बजटीय आवंटन में वृद्धि, बेहतर अनुसंधान अवसंरचना** और वैज्ञानिक जिज्ञासा के लिये अधिक अनुकूल वातावरण प्रदान करने की तत्काल आवश्यकता पर असर पड़ सकता है। चूँकि **भारत वैज्ञानिक नवाचार के वैश्विक मंच पर प्रतिस्पर्द्धा** करने की आकांक्षा रखता है, इसलिये इन **अंतर्निहित मुद्दों को संबोधित करना महत्त्वपूर्ण** हो जाता है जो इसके अनुसंधान पारिस्थितिकी तंत्र की प्रगति में बाधा उत्पन्न करते हैं।

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में भारत की हाल की प्रमुख अनुसंधान एवं विकास उपलब्धियाँ:

- **जैव प्रौद्योगिकी:** भारत के जैव प्रौद्योगिकी क्षेत्र ने **कोविड-19 महामारी** के दौरान स्वदेशी टीकों के तीव्र गति से विकास और उत्पादन के साथ अपनी क्षमता का प्रदर्शन किया।
  - **ICMR** के सहयोग से 'भारत बायोटेक' द्वारा विकसित **कोवैक्सिन (Covaxin)** ने टीका अनुसंधान एवं विकास में भारत की क्षमता को प्रदर्शित किया।
  - बड़े पैमाने पर टीकों का निर्माण कर सकने की देश की क्षमता ने न केवल अपने स्वयं के **टीकाकरण अभियान को समर्थन प्रदान** किया, बल्कि '**वैक्सीन मैत्री**' जैसी पहल के माध्यम से वैश्विक टीका आपूर्ति में भी योगदान दिया।
- **नवीकरणीय ऊर्जा:** भारत ने नवीकरणीय ऊर्जा अनुसंधान, विशेष रूप से सौर एवं हरित हाइड्रोजन प्रौद्योगिकियों में उल्लेखनीय प्रगति की है।
  - देश ने सौर ऊर्जा की लागत में रिकॉर्ड कमी हासिल की है और फ्लोटिंग सौर परियोजनाओं (जैसे **केरल में कायमकुलम फ्लोटिंग सौर ऊर्जा संयंत्र**) में तेज़ी से आगे बढ़ रहा है।
  - ये उपलब्धियाँ भारत के महत्त्वाकांक्षी **नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्यों और वर्ष 2070** तक शुद्ध-शून्य उत्सर्जक देश बनने के लक्ष्य के लिये महत्त्वपूर्ण हैं।
- **कृषि:** भारत फसल प्रत्यास्थता और उत्पादकता को बढ़ाने के लिये कृषि जैव प्रौद्योगिकी में उल्लेखनीय प्रगति कर रहा है।
  - भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने **61 फसलों की 109 उच्च-पैदावार, जलवायु-अनुकूल और जैव-सशक्त (biofortified) किस्में** विकसित की हैं।
  - जलवायु परिवर्तन के मद्देनजर खाद्य सुरक्षा और संवहनीय कृषि सुनिश्चित करने के लिये ये नवाचार महत्त्वपूर्ण हैं।
- **5G और 6G प्रौद्योगिकी:** भारत स्वदेशी 5G प्रौद्योगिकी विकसित करने और 6G की तैयारी करने पर सक्रिय रूप से कार्य कर रहा है।
  - **सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स (C-DOT)** ने पूरी तरह से स्वदेशी 5G NSA Core का सफलतापूर्वक विकास और परीक्षण किया है।
    - **दूरसंचार विभाग (DoT) अनुसंधान** को व्यावहारिक प्रौद्योगिकी में परिणत करने के रूप में स्वदेशी **5G और उभरती प्रौद्योगिकियों** को आगे बढ़ाने के लिये '**डिजिटल कम्युनिकेशन इनोवेशन स्क्वायर (DCIS)' योजना** को क्रियान्वित कर रहा है।
  - **नोकिया (Nokia)** ने अगली पीढ़ी की **वायरलेस प्रौद्योगिकी में अनुसंधान** को आगे बढ़ाने के लिये अपने **बेंगलुरु केंद्र में 6G लैब** की स्थापना की है।
  - इन प्रयासों का उद्देश्य भारत को **दूरसंचार प्रौद्योगिकी में अग्रणी बनाना तथा विदेशी** विक्रेताओं पर निर्भरता को कम करना है।
- **अंतरिक्ष अन्वेषण:** भारत के **अंतरिक्ष कार्यक्रम ने अगस्त 2023 में चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र में चंद्रयान-3** की सफल सॉफ्ट लैंडिंग के साथ ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की।
  - इस मिशन की सफलता के साथ भारत चंद्रमा की सतह पर पहुँचने वाला **विश्व का चौथा और चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव** पर पहुँचने वाला विश्व का पहला देश बन गया।
  - इस मिशन ने अंतरिक्ष अन्वेषण में भारत की बढ़ती क्षमताओं को प्रदर्शित किया, जिसमें सटीक **लैंडिंग प्रौद्योगिकी और लूनर रोवर** संचालन शामिल हैं।
  - इसने भविष्य के चंद्र अन्वेषण और संभावित संसाधन उपयोग मिशनों का भी मार्ग प्रशस्त किया।

नोट :

- भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023 और **भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्द्धन और प्राधिकरण केंद्र (IN-SPACe)** की स्थापना इस दिशा में महत्त्वपूर्ण कदम हैं।

- **क्वांटम प्रौद्योगिकी: भारत ने IISER, पुणे में आई-हब क्वांटम प्रौद्योगिकी फाउंडेशन (I-Hub QTF)** की स्थापना के साथ **क्वांटम प्रौद्योगिकी अनुसंधान** में महत्त्वपूर्ण प्रगति की है।
  - **राष्ट्रीय क्वांटम मिशन** और अन्य पहलों का उद्देश्य क्वांटम कंप्यूटर, क्वांटम संचार प्रणाली और क्वांटम सेंसर विकसित करना है, ताकि भारत इस अत्याधुनिक क्षेत्र में एक अग्रणी देश के रूप में स्थापित हो सके।
- **सुपरकंप्यूटिंग:** भारत ने विश्व के सबसे शक्तिशाली सुपरकंप्यूटरों में से एक **परम सिद्धि-एआई (PARAM Siddhi-AI)** के विकास के साथ सुपरकंप्यूटिंग के क्षेत्र में भी महत्त्वपूर्ण प्रगति की है।
  - इस **सुपरकंप्यूटर का उपयोग कृत्रिम बुद्धिमत्ता, वैज्ञानिक सिमुलेशन और बिग** डेटा एनालिटिक्स में उन्नत अनुसंधान के लिये किया जा रहा है।
  - **राष्ट्रीय सुपरकंप्यूटिंग मिशन** के तहत देश भर के अनेक संस्थानों में उच्च-प्रदर्शन कंप्यूटिंग प्रणालियाँ स्थापित की गई हैं, जिससे विभिन्न क्षेत्रों में अनुसंधान क्षमताओं को बढ़ावा मिला है।
- **जीनोमिक्स (Genomics):** वर्ष 2020 में शुरू की गई **जीनोमइंडिया परियोजना** (GenomeIndia Project) का उद्देश्य भारतीय जनसंख्या के लिये संदर्भ डेटाबेस का निर्माण करने हेतु 10,000 भारतीय जीनोमों को अनुक्रमित करना है।
  - यह परियोजना भारत में वैयक्तिक चिकित्सा और आनुवंशिक विविधता को समझने के लिये महत्त्वपूर्ण है।
  - भारतीय शोधकर्त्ताओं ने SARS-CoV-2 वायरस के जीनोम अनुक्रमण के वैश्विक प्रयासों में सक्रिय रूप से योगदान दिया, जिससे उत्परिवर्तन (mutation) और वेरिएंट (variants) को ट्रैक करने में मदद मिली।
  - भारत के SARS-CoV-2 जीनोमिक्स कंसोर्टियम (INSACOG) ने इस प्रयास में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई, जहाँ उसने वर्ष 2021 के मध्य तक हज़ारों नमूनों का अनुक्रमण किया।
- **नैनोटेक्नोलॉजी:** भारतीय शोधकर्ताओं ने नैनोटेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, विशेषकर नवीन नैनो-मैटेरियल्स के विकास में महत्त्वपूर्ण प्रगति की है।
  - उदाहरण के लिये, **IIT मद्रास के वैज्ञानिकों ने एक नैनो-कोटेड मैग्नीशियम मिश्र** धातु विकसित की है जिसका उपयोग बायोडिग्रेडेबल प्रत्यारोपण के लिये किया जा सकता है, जो आर्थोपेडिक उपचार में क्रांतिकारी बदलाव ला सकता है।
  - इफको **नैनो यूरिया (तरल) विश्व का पहला नैनो-फ़र्टिलाइज़र** है जिसे भारत सरकार के उर्वरक नियंत्रण आदेश (FCO, 1985) द्वारा अधिसूचित किया गया है।
  - IISc बेंगलुरु की एक अन्य टीम ने जल से माइक्रोप्लास्टिक्स को हटाने के लिये एक नवीन हाइड्रोजेल (hydrogel) तैयार किया है।
- **रोबोटिक्स और ऑटोमोशन:** भारत ने रोबोटिक्स में, विशेष रूप से इसके स्वास्थ्य देखभाल अनुप्रयोगों में, उल्लेखनीय प्रगति की है।
  - उदाहरण के लिये, **IIT मद्रास के शोधकर्त्ताओं ने भारत का पहला स्वदेशी रूप से** विकसित पॉलीसेंट्रिक प्रोस्थेटिक घुटना (Polycentric Prosthetic Knee) लॉन्च किया है, जिसे 'कदम' नाम दिया गया है।
  - ये नवाचार व्यावहारिक अनुप्रयोगों के लिये रोबोटिक्स और AI को एकीकृत करने में भारत की बढ़ती क्षमताओं को प्रदर्शित करते हैं।

भारत अभी भी अनुसंधान एवं विकास (R&D) में पीछे क्यों है?

- **वित्तपोषण का अभाव - अनुसंधान एवं विकास में संसाधनों की कमी:** R&D में भारत का निवेश वैश्विक मानकों की तुलना में गंभीर रूप से कम है।
  - वर्ष 2021 तक की स्थिति के अनुसार, भारत ने अपने सकल घरेलू उत्पाद का केवल 0.7% R&D पर खर्च किया, जो वैश्विक **औसत 1.8% से पर्याप्त कम है और इज़राइल (4.9%) एवं दक्षिण कोरिया (4.6%)** जैसे देशों से तो बहुत कम है।
  - इस कम निवेश के कारण कुछ ही अनुदान प्रदान किये जाते हैं, उपकरण पुराने हो चुके हैं और शोधकर्ताओं के लिये सीमित संसाधन उपलब्ध हैं।
  - **भारत में R&D में निजी क्षेत्र** का योगदान भी कम है जो कुल **अनुसंधान एवं विकास व्यय का लगभग 37%** है। यह वैश्विक प्रवृत्ति के विपरीत है, जहाँ व्यावसायिक उद्यम आमतौर पर **अनुसंधान एवं विकास में 65% से अधिक** का योगदान करते हैं।

नोट :

- **प्रतिभा पलायन (Brain Drain):** भारत में प्रतिभा पलायन की समस्या लगातार बनी हुई है, जहाँ बेहतर अवसरों की तलाश में कई शीर्ष शोधकर्ता और वैज्ञानिक दूसरे देशों में पलायन कर जाते हैं।
  - अमेरिका में अवस्थित थिंक-टैंक **'सेंटर फॉर सिक्यूरिटी एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी'** की एक रिपोर्ट से पता चलता है कि **वर्ष 2000 से 2015 के बीच अमेरिका में STEM पीएचडी कार्यक्रम पूरा करने वाले लगभग 87%** भारतीय नागरिक अभी भी अमेरिका में ही रह रहे हैं।
  - इस पलायन के कारण भारत अपने प्रतिभाशाली लोगों से वंचित हो रहा है और एक मज़बूत घरेलू अनुसंधान पारिस्थितिकी तंत्र के विकास में बाधा उत्पन्न हो रही है।
  - प्रतिस्पर्द्धी वेतन का अभाव, **सीमित अनुसंधान निधि और देश में अवसंरचना** की कमी इस लगातार बनी रही चुनौती में योगदान करते हैं।
- **नौकरशाही संबंधी बाधाएँ - लालफीताशाही से नवाचार में बाधा:** भारतीय अनुसंधान परिदृश्य प्राय: नौकरशाही प्रक्रियाओं में फँसा रहता है, जो प्रगति को धीमा कर देता है।
  - जटिल खरीद प्रक्रियाएँ, धनराशि जारी करने में देरी और अत्यधिक कागजी कार्रवाई गंभीर बाधाएँ उत्पन्न करती हैं।
  - उदाहरण के लिये, भारत में विशेष वैज्ञानिक उपकरणों के आयात में **औसतन 6-12 माह का समय** लगता है, जबकि विभिन्न विकसित देशों में इसमें **महज 1-2 माह का** समय लगता है।
- **पाठ्यक्रम और उद्योग की आवश्यकताओं के बीच असंबद्धता:** भारत की शिक्षा प्रणाली शिक्षा के आरंभिक चरणों में अनुसंधान कौशल और नवाचार मानसिकता को पोषित करने में प्राय: विफल रहती है।
  - **आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24** में कहा गया है कि दो में से एक स्नातक अभी भी कॉलेज से निकलते ही रोज़गार पाने की योग्यता नहीं रखते।
  - शैक्षिक पाठ्यक्रम और उद्योग की आवश्यकताओं के बीच असंबद्धता के परिणामस्वरूप कुशल शोधकर्ताओं की कमी हो रही है।
  - इसके अलावा, स्कूलों में आलोचनात्मक सोच और समस्या समाधान की अपेक्षा रटने पर अधिक बल दिए जाने से बच्चों में कम उम्र से ही शोध योग्यता का विकास करने में बाधा उत्पन्न होती है।
- **'पब्लिश ऑर पेरिश' - शोध कार्य में गुणवत्ता से अधिक मात्रा पर ज़ोर:** यद्यपि भारत का शोध कार्य बढ़ा है, फिर भी गुणवत्ता को लेकर चिंताएँ बनी हुई हैं।
  - भारत वर्ष 2022 में **शोध पत्रों के प्रकाशन के मामले में विश्व में तीसरे स्थान पर था,** लेकिन प्रति शोध पत्र प्राप्त **उद्धरणों (citations)** की संख्या के मामले में यह 153वें स्थान पर था।
- **STEM में लैंगिक अंतराल:** भारत को वैज्ञानिक अनुसंधान में लैंगिक असमानता का सामना करना पड़ रहा है। यूनेस्को द्वारा किये गए एक अध्ययन में पाया गया कि **भारत में उच्च शिक्षा में STEM छात्रों में से केवल 35% महिलाएँ** थीं।
  - नेतृत्वकारी पदों पर **महिलाओं का अल्प प्रतिनिधित्व और भी अधिक** स्पष्ट है।
  - यह लैंगिक अंतराल न केवल इस क्षेत्र को विविध **दृष्टिकोणों से वंचित** करता है, बल्कि एक विशाल अप्रयुक्त प्रतिभा पूल का भी प्रतिनिधित्व करता है, जो भारत की अनुसंधान क्षमताओं को महत्त्वपूर्ण रूप से बढ़ा सकता है।
- **बौद्धिक संपदा की समस्या:** बौद्धिक संपदा सृजन में भारत का प्रदर्शन उसके अनुसंधान उत्पादन की तुलना में निम्नतर बना हुआ है।
  - **भारतीय पेटेंट कार्यालय के अनुसार, वर्ष 2020-2021 में भारत में 58,503 पेटेंट** आवेदन दायर किये गए, जो चीन या अमेरिका की तुलना में व्यापक रूप से कम है।
  - इससे भी अधिक गंभीर बात यह है कि भारत में पेटेंट अनुदान दर जापान और अमेरिका जैसे देशों की तुलना में बहुत कम है।
  - यह कम **पेटेंट आउटपुट न केवल अनुप्रयुक्त अनुसंधान में अंतराल** को दर्शाता है, बल्कि संभावित व्यावसायीकरण से प्राप्त हो सकने वाले आर्थिक अवसरों के खोने का भी कारण बनता है।
- **अंत:विषयक विभाजन:** भारतीय अनुसंधान प्राय: अंत:विषयक सहयोग के अभाव से ग्रस्त पाया जाता है।
  - यह **'साइलो' मानसिकता (समन्यव के बजाय अकेले कार्य करना) नवाचार** को बाधित करती है, विशेष रूप से AI, जैव प्रौद्योगिकी और नैनो प्रौद्योगिकी जैसे उभरते क्षेत्रों में, जहाँ कई विषयों के एकीकरण की आवश्यकता होती है।

नोट :

- उदाहरण के लिये, जबकि **भारत में कंप्यूटर विज्ञान और जीव विज्ञान** के अपने-अपने स्वतंत्र और सशक्त विभाग हैं, जैव सूचना विज्ञान (bioinformatics) का क्षेत्र सीमित अंतर-विभागीय सहयोग के कारण पिछड़ा हुआ है।
- विचारों के पर-परागण का अभाव जटिल, **बहुआयामी अनुसंधान चुनौतियों से निपटने** की भारत की क्षमता को गंभीर रूप से सीमित करता है।

भारत अपनी अनुसंधान एवं विकास क्षमताओं को बढ़ाने के लिये कौन-से उपाय कर सकता है?

- **वित्तपोषण की वृद्धि करना:** सार्वजनिक R&D व्यय को **वर्तमान 0.7%** से बढ़ाकर सकल घरेलू उत्पाद का कम से कम 2% करना।
  - **R&D में निवेश** करने वाली निजी कंपनियों के लिये कर प्रोत्साहन लागू करना, R&D पर कर कटौती की पेशकश करना।
  - उच्च-जोखिम, उच्च-लाभ परियोजनाओं को **वित्तपोषित** करने के लिये एक राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन का गठन किया जाए।
  - **स्टार्टअप्स और अनुसंधान-गहन SMEs** को समर्थन देने के लिये एक संप्रभु नवाचार निधि की स्थापना की जाए।
  - इन उपायों से भारत में **अनुसंधान और नवाचार के लिये वित्तीय पारिस्थितिकी तंत्र** की उन्नति होगी।
- **'ब्रेन गेन' पहल:** विदेशों में कार्यरत भारतीय वैज्ञानिकों को आकर्षित करने के लिये प्रतिस्पर्द्धी वेतन और अनुसंधान अनुदान की पेशकश करते हुए 'रिवर्स ब्रेन ड्रेन' कार्यक्रम शुरू किया जाए।
  - शोधकर्त्ताओं को भारतीय और विदेशी संस्थानों के बीच अपना समय बाँट सकने का अवसर देने देने के लिये एक **'फ्लेक्सी-रिटर्न' (Flexi-Return) नीति लागू** की जा सकती है।
  - सहयोग और ज्ञान हस्तांतरण को सुगम बनाने के लिये एक **'वैश्विक भारतीय वैज्ञानिक नेटवर्क' (Global Indian Scientist Network)** की स्थापना करें। इन कदमों से भारत को अपनी बौद्धिक पूंजी पुन: प्राप्त करने और अपनी शोध क्षमताओं को बढ़ाने में मदद मिलेगी।
- **उद्योग-शैक्षिक जगत के बीच सेतु:** अनिवार्य किया जाए कि **CSR निधि का 2% शैक्षिक** संस्थानों के साथ संयुक्त अनुसंधान परियोजनाओं के लिये आवंटित किया जाएगा।
  - उद्योग, शैक्षिक जगत और स्टार्टअप को एक साथ लाते हुए क्षेत्र-विशिष्ट **'नवाचार संकुल' (Innovation Clusters)** स्थापित किये जाएँ।
  - संकाय सदस्यों के लिये उद्योग में कार्य करने हेतु और औद्योगिक पेशेवरों के शैक्षिक जगत में कार्य करने हेतु एक **'रिसर्चर-इन-रेजिडेंस' कार्यक्रम** का क्रियान्वयन किया जाए।
  - एक राष्ट्रीय पोर्टल का निर्माण किया जाए जहाँ उद्योग जगत अपनी शोध संबंधी समस्याएँ प्रकट कर सकता है और **शैक्षिक जगत उनका समाधान** प्रस्तुत कर सकता है। इन पहलों से **उद्योग और शैक्षिक जगत के बीच संबंध मज़बूत** होंगे तथा अधिक अनुप्रयुक्त शोध को बढ़ावा मिलेगा।
- **गुणवत्ता खोज:** नैतिक अनुसंधान अभ्यासों की निगरानी और उन्हें बढ़ावा देने के लिये एक **राष्ट्रीय अनुसंधान अखंडता कार्यालय (national research integrity office)** की स्थापना की जाए।
  - उच्च-प्रभावशील पत्रिकाओं में प्रकाशन को प्रोत्साहित करने के लिये **स्तरीकृत जर्नल रैंकिंग प्रणाली लागू** की जाए।
  - सभी पीएचडी छात्रों के लिये अनिवार्य अनुसंधान पद्धति और वैज्ञानिक लेखन पाठ्यक्रम स्थापित किया जाए।
  - करियर के आरंभिक चरण में स्थित शोधकर्त्ताओं को प्रख्यात वैज्ञानिकों के साथ जोड़ने के लिये एक **राष्ट्रीय मेंटरशिप कार्यक्रम** का निर्माण किया जाए। इन कदमों से भारतीय शोध उत्पादन की समग्र गुणवत्ता और प्रभाव को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी।
- **सभी के लिये STEM: 'Women in STEM' छात्रवृत्ति कार्यक्रम शुरू** किया जाए।
  - अनुसंधान संस्थानों में विस्तारित मातृत्व अवकाश और बाल देखभाल सहायता सहित लिंग-संवेदनशील नीतियों को लागू किया जाए।
  - **महिला वैज्ञानिकों हेतु आरक्षित अनुसंधान** पद सृजित किये जाएँ।
  - **ग्रामीण और अर्द्ध-शहरी क्षेत्रों में STEM आउटरीच** केंद्रों का एक राष्ट्रीय नेटवर्क स्थापित किया जाए। इन उपायों से भारत में अधिक विविध और समावेशी अनुसंधान पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करने में मदद मिलेगी।
- **'इनोवेशन इन्क्यूबेटर्स':** डीप-टेक स्टार्टअप पर ध्यान केंद्रित करते हुए **विश्वविद्यालयों में प्रौद्योगिकी व्यवसाय ऊष्मायन केंद्रों (इन्क्यूबेटर्स)** की स्थापना की जाए।

नोट :

- अनुसंधान परिणामों के व्यावसायीकरण के लिये धन उपलब्ध कराने हेतु **'लैब टू मार्केट'** अनुदान कार्यक्रम क्रियान्वित किया जाए।
- उद्योग जगत के लिये पेटेंट की आसान लाइसेंसिंग को सुगम बनाने एक राष्ट्रीय IP बैंक का निर्माण किया जाए।
- प्रमुख राष्ट्रीय समस्याओं के समाधान के लिये बड़े पुरस्कारों के साथ एक **'इनोवेशन चैलेंज' श्रृंखला** लॉन्च की जाए।
  - इन पहलों से अधिकाधिक अनुसंधान को विपणन योग्य नवाचारों और आर्थिक मूल्य में बदलने में मदद मिलेगी।

- **वैश्विक अनुसंधान संपर्क:** AI, क्वांटम कंप्यूटिंग और जैव प्रौद्योगिकी जैसे प्राथमिकता क्षेत्रों में शीर्ष वैश्विक विश्वविद्यालयों के साथ संयुक्त अनुसंधान केंद्र स्थापित किये जाएँ।
  - विदेशी परियोजनाओं के लिये भारतीय शोधकर्ताओं को प्रतिवर्ष वित्तपोषित करने हेतु **'अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान फेलोशिप'** कार्यक्रम शुरू किया जाए।
  - विदेश नीति उद्देश्यों से संरेखित अनुसंधान साझेदारी के निर्माण के लिये **'वैश्विक विज्ञान कूटनीति' (Global Science Diplomacy)** पहल का सृजन किया जाए।
  - भारत आने वाले अंतर्राष्ट्रीय शोधकर्ताओं के लिये फास्ट-ट्रैक वीज़ा लागू करना। इन उपायों से वैश्विक वैज्ञानिक प्रयासों में भारत की भागीदारी को व्यापक रूप से बढ़ावा मिलेगा।
- **अनुसंधान अवसंरचना का उन्नयन:** एक 'अनुसंधान अवसंरचना आधुनिकीकरण' कार्यक्रम शुरू किया जाए।
  - पार्टिकल फिजिक्स, **जीन एडिटिंग और एडवांस्ड मैटेरियल्स जैसे अग्रणी क्षेत्रों में** राष्ट्रीय अनुसंधान सुविधाएँ स्थापित की जाएँ।
  - एक राष्ट्रीय अनुसंधान क्लाउड कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म का सृजन किया जाए जो सभी सभी मान्यता प्राप्त शोधकर्ताओं के लिये सुलभ हो। उच्च-स्तरीय वैज्ञानिक उपकरणों के उपयोग को अनुकूलित करने के लिये एक साझा उपकरण कार्यक्रम लागू किया जाए। ये कदम भारतीय शोधकर्त्ताओं को अत्याधुनिक शोध करने के लिये विश्वस्तरीय सुविधाएँ प्रदान करेंगे।
- **अंत:विषयक संबंध:** जटिल राष्ट्रीय चुनौतियों पर ध्यान केंद्रित करते हुए अंत:विषयक **अनुसंधान उत्कृष्टता केंद्र (Centers of Interdisciplinary Research Excellence)** स्थापित किये जाएँ।
  - शोधकर्त्ताओं को उनकी प्राथमिक विशेषज्ञता से बाहर के क्षेत्रों में कार्य करने हेतु सक्षम करने के लिये **'डिसिप्लिन हॉपिंग' (Discipline Hopping) फेलोशिप** क्रियान्वित किया जाए।
  - **मानविकी और सामाजिक विज्ञान के साथ STEM** को जोड़ते हुए अंत:विषयक पीएचडी कार्यक्रमों का निर्माण किया जाए।
  - विशेष रूप से विभिन्न विषयों से संबंधित परियोजनाओं के लिये 'कंवर्जेंस रिसर्च' (Convergence Research) अनुदान कार्यक्रम शुरू किया जाए।

■■■

भारत की साइबर सुरक्षा

वर्ष 2024 में जैसे **डिजिटल खतरों** के एक नए युग का आरंभ हो गया है, जहाँ **कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI)** और इसके विभिन्न रूपों **(जैसे जनरेटिव AI और आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस-AGI) से** संबद्ध सुरक्षा चिंताएँ सबसे प्रमुख हैं। **डिजिटल हमलों, दुष्प्रचार (disinformation) अभियानों** और साइबर खतरों की उच्च संभावना बनी हुई है। **माइक्रोसॉफ्ट विंडो सॉफ्टवेयर अपडेट** में एक 'ग्लिच' के कारण हाल ही में उत्पन्न हुआ वैश्विक व्यवधान हमारी परस्पर जुड़ी डिजिटल अवसंरचना में विद्यमान कमज़ोरियों की याद दिलाता है।

शेष विश्व की तरह भारत के लिये भी खतरे का यह परिदृश्य तेज़ी से आकार ग्रहण कर रहा है। AI-सक्षम **'डीप फेक'** से लेकर महत्त्वपूर्ण अवसंरचना को निशाना बनाने वाले परिष्कृत साइबर हमलों तक, हमारे समक्ष बहुआयामी चुनौतियाँ मौजूद हैं और उनकी जटिलता में वृद्धि हो रही हैं। आम नागरिकों को प्रभावित करने वाली **साइबर धोखाधड़ी (जैसे फिशिंग', पहचान की चोरी, वित्तीय स्कैम** आदि) में वृद्धि लोगों में जागरूकता को बढ़ाने और सुदृढ़ साइबर सुरक्षा उपायों को अपनाने की आवश्यकता को रेखांकित करती है। इस नई डिजिटल वास्तविकता का सामना करने के लिये भारत में सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों के लिये **साइबर सुरक्षा को प्राथमिकता देना, उन्नत सुरक्षात्मक उपायों में निवेश करना तथा राष्ट्रीय सुरक्षा एवं व्यक्तिगत निजता** की रक्षा के लिये डिजिटल सतर्कता की संस्कृति को बढ़ावा देना अनिवार्य हो गया है।

भारत के समक्ष विद्यमान प्रमुख साइबर खतरे:

- **रैनसमवेयर का प्रकोप (Ransomware Rampage):** भारत में हाल में **रैनसमवेयर हमलों** में वृद्धि देखी गई है, जहाँ स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र विशेष रूप से असुरक्षित है।

नोट :

- **सिक्यूरिटी सॉफ्टवेयर निर्माता कंपनी क्विक हील (Quick Heal)** ने बताया कि उसने भारत में **'WannaCry' रैनसमवेयर हमले के 48000** से अधिक मामलों का पता लगाया।
- नवंबर 2022 में **अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) दिल्ली** पर साइबर हमले का मामला प्रकाश में आया।
  - **भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (ICMR)** के सर्वर को हैक करने के कम से कम 6,000 प्रयास किये गए।

- **'फिशिंग पैराडॉक्स' (Phishing Paradox):** भारत में **वर्ष 2023 में 79 मिलियन से अधिक** फिशिंग हमले दर्ज किये गए। वित्तीय क्षेत्र को इसका खामियाजा भुगतना पड़ा, जो अधिकांश फिशिंग हमलों का शिकार हुआ।
  - इसके उदाहरणों में **भारतीय स्टेट बैंक के उपयोगकर्त्ताओं** को लक्षित करने वाले **फिशिंग अभियान शामिल** हैं, जहाँ धोखेबाज़ों ने लाखों ग्राहकों को नकली SMS संदेश भेजकर उनके बैंकिंग क्रेडेंशियल्स चुराने का प्रयास किया।
  - यह रुझान उपयोगकर्ता शिक्षा और उन्नत ईमेल सुरक्षा समाधान के महत्त्व को रेखांकित करता है।
- **क्लाउड की पहेली (Cloud Conundrum):** चूँकि भारत तेज़ी से क्लाउड प्रौद्योगिकियों को अपना रहा है, जहाँ वर्ष 2028 तक समग्र **भारतीय सार्वजनिक क्लाउड सेवा (PCS) बाज़ार** के 24.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुँचने की उम्मीद है, **क्लाउड संबंधी सुरक्षा खतरे** गंभीर चिंता का विषय बन गए हैं।
  - वर्ष 2023 में **एयर इंडिया पर एक गंभीर डेटा उल्लंघन हमले ने 4.5 मिलियन** यात्रियों के व्यक्तिगत डेटा को उजागर कर दिया। इस घटना के लिये **क्लाउड सेवा प्रदाता के सिस्टम** में कमज़ोरी को ज़िम्मेदार माना गया था।
  - यह घटना **उओयुक्त कॉन्फिगरेशन, एक्सेस प्रबंधन और निरंतर निगरानी** सहित सशक्त क्लाउड सुरक्षा रणनीतियों की आवश्यकता को उजागर करती है।
- **IoT पर आक्रमण:** भारत के IoT बाज़ार के वर्ष 2025 तक 9.28 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुँचने के अनुमान के साथ **इंटरनेट ऑफ थिंग्स (IoT)** से संबंद्ध उपकरणों की सुरक्षा भी एक गंभीर महत्त्वपूर्ण मुद्दा बन गया है।
  - शोधकर्त्ताओं ने भारत भर में लगाए गए लाखों स्मार्ट मीटरों में एक कमज़ोरी का पता लगाया है, जिससे हैकर्स को बिजली खपत के आँकड़ों में हेरफेर करने का अवसर प्राप्त हो सकता है।
  - इससे **उपभोक्ता और औद्योगिक व्यवस्था दोनों में ही IoT उपकरणों** के लिये कड़े सुरक्षा मानकों और नियमित अद्यतन की आवश्यकता उजागर होती है।
- **आपूर्ति शृंखला की घेराबंदी (Supply Chain Siege):** भारत की डिजिटल आपूर्ति शृंखलाओं को वर्ष 2023 में अभूतपूर्व हमलों का सामना करना पड़ा, जहाँ सॉफ्टवेयर आपूर्ति शृंखला से जुड़ी कमज़ोरियों में बड़े पैमाने पर वृद्धि हुई।
  - वर्ष 2023 में आईटी सेवा दिग्गज कंपनी पर **सोलरविंड्स (SolarWinds)** जैसा हमला इसका प्रमुख उदाहरण है।
  - इस घटना ने **आपूर्ति शृंखला हमलों (supply chain attacks)** के व्यापक प्रभाव को उजागर किया और भारतीय उद्योगों में विक्रेता जोखिम प्रबंधन एवं सॉफ्टवेयर अखंडता सत्यापन प्रक्रियाओं की आवश्यकता पर प्रकाश डाला।
- **क्रिप्टो अपराधों की लहर:** **'ब्रॉडबैंड इंडिया फोरम'** द्वारा प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष **2021 में क्रिप्टोकरेंसी चोरी में लगभग 3.2 बिलियन डॉलर मूल्य की वृद्धि** हुई, जो वर्ष 2020 की तुलना में 516% की वृद्धि थी।
  - **कुख्यात वज़ीरएक्स क्रिप्टो हाइस्ट (WazirX Crypto Heist)**—जिसने वज़ीरएक्स की **45% क्रिप्टो परिसंपत्तियों** को जोखिम में डाल दिया, ने डिजिटल परिसंपत्ति प्लेटफॉर्मों में गंभीर कमज़ोरियों को उजागर किया।
  - इस प्रवृत्ति को देखते हुए मज़बूत विनियमन, **क्रिप्टो एक्सचेंजों के लिये उन्नत साइबर** सुरक्षा उपायों और सुरक्षित क्रिप्टो अभ्यासों के बारे में उपयोगकर्ता जागरूकता बढ़ाने की आवश्यकता है।
- **'डीपफेक डाइलेमा'** (Deepfake Dilemma): भारत में वर्ष 2023 में डीपफेक वीडियो में 230% की वृद्धि देखी गई, जिसमें राजनीतिक भ्रामक सूचना अभियान सबसे आगे रहे।
  - **वर्ष 2024 के चुनाव अभियान के दौरान वाइरल** हुए एक डीपफेक विडियो (जिसमें एक प्रमुख भारतीय नेता को भड़काऊ बयान देते हुए दिखाया गया) व्यापक सामाजिक अशांति का कारण बना।
  - यह घटना **डीपफेक डिटेक्शन प्रौद्योगिकियों, सख्त कंटेंट मॉडरेशन नीतियों और डिजिटल मीडिया साक्षरता** के बारे में जन जागरूकता अभियान की तत्काल आवश्यकता को उजागर करती है।

नोट :

- **साइबर सुरक्षा पेशेवरों की कमी:** भारत को कुशल साइबर सुरक्षा पेशेवरों की भारी कमी का सामना करना पड़ रहा है, जिससे भारतीय संगठन साइबर खतरों के प्रति असुरक्षित बने हुए हैं।
  - भारत में लगभग **8 लाख साइबर सुरक्षा पेशेवरों** की कमी है। विशेष रूप से AI और क्लाउड सुरक्षा जैसी उभरती प्रौद्योगिकियों में इनकी गंभीर कमी पाई जाती है।
  - विशेषज्ञता की यह कमी साइबर सुरक्षा उपायों और घटना प्रतिक्रिया क्षमताओं के कार्यान्वयन में बाधा उत्पन्न करती है, जिससे यह भारत की समग्र साइबर सुरक्षा स्थिति के लिये एक गंभीर खतरा बन जाता है।
- **'हनी ट्रैप' का खतरा:** **'हनी ट्रैपिंग'** भारत में एक महत्त्वपूर्ण साइबर खतरे के रूप में उभरा है, जो विशेष रूप से सरकारी अधिकारियों, सैन्य कर्मियों और हाई-प्रोफ़ाइल व्यक्तियों को निशाना बनाता है।
  - धोखाधड़ी के इस अभ्यास में में आमतौर पर आकर्षक व्यक्तियों के फर्जी सोशल मीडिया प्रोफाइल बनाकर लक्षित व्यक्तियों को समझौतापूर्ण स्थितियों में फँसाने या संवेदनशील सूचना का खुलासा करने का प्रयास किया जाता है।
  - भारतीय सेना ने पाया कि वर्ष 2023 में पिछले वर्ष की तुलना में इसके कर्मियों की हनी ट्रैपिंग के प्रयासों में नाटकीय वृद्धि हुई।
  - वर्ष 2023 में **DRDO के एक वरिष्ठ तकनीकी अधिकारी** को भारत के मिसाइल परीक्षण के बारे में एक पाकिस्तानी खुफिया ऑपरेटिव को सूचना देने के संदेह में हिरासत में लिया गया था।

भारत में साइबर सुरक्षा से संबंधित प्रमुख सरकारी पहलें:

- राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा नीति **(National Cyber Security Policy):** यह नीति साइबरस्पेस सूचना एवं अवसंरचना की रक्षा करने, **साइबर हमलों को रोकने एवं जवाबी** कार्रवाई के लिये क्षमताओं का निर्माण करने और संस्थागत संरचनाओं, व्यक्तियों, प्रक्रियाओं एवं प्रौद्योगिकी के समन्वित प्रयासों के माध्यम से क्षति को न्यूनतम करने के लिये विभिन्न उद्देश्यों एवं रणनीतियों की रूपरेखा तैयार करता है।
- भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र **(Indian Cyber Crime Coordination Centre-I4C):** इस केंद्र की स्थापना **कानून प्रवर्तन एजेंसियों** को व्यापक एवं समन्वित तरीके से साइबर अपराधों से निपटने के लिये एक रूपरेखा एवं पारितंत्र प्रदान करने के लिये की गई थी। इसके सात घटक हैं:
  - **नेशनल साइबरक्राइम थ्रेट एनालिटिक्स यूनिट (National Cybercrime Threat Analytics Unit)**
  - नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल (National Cyber Crime Reporting Portal)
  - संयुक्त साइबर अपराध जाँच दल के लिये मंच (Platform for Joint Cyber Crime Investigation Team)
  - राष्ट्रीय साइबर अपराध फोरेंसिक प्रयोगशाला पारिस्थितिकी तंत्र (National Cyber Crime Forensic Laboratory Ecosystem)
  - राष्ट्रीय साइबर क्राइम प्रशिक्षण केंद्र (National Cyber Crime Training Centre)
  - साइबर क्राइम इकोसिस्टम मैनेजमेंट यूनिट (Cyber Crime Ecosystem Management Unit)
  - राष्ट्रीय साइबर अनुसंधान और नवाचार केंद्र (National Cyber Research and Innovation Centre)
- कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया दल - **भारत (CERT-In):** यह **इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY)** के तहत कार्यरत संगठन है, जो साइबर घटनाओं पर सूचना संग्रहण, विश्लेषण और प्रसारण के साथ-साथ साइबर सुरक्षा खतरों पर चेतावनी जारी करने के लिये ज़िम्मेदार है।
- **'साइबर सुरक्षित भारत' पहल:** साइबर अपराधों के बारे में जागरूकता बढ़ाने और सभी सरकारी विभागों में **मुख्य सूचना सुरक्षा अधिकारियों (CISOs)** एवं अग्रिम पंक्ति के आईटी कर्मचारियों के लिये सुरक्षा उपायों का क्रियान्वयन करने के लिये इस पहल की शुरुआत की गई थी।
- साइबर स्वच्छता केंद्र **(बॉटनेट शोधन और मालवेयर विश्लेषण केंद्र):** वर्ष 2017 में लॉन्च किये गए इस केंद्र का उद्देश्य भारत में बॉटनेट संक्रमणों का पता लगाकर और भविष्य के संक्रमणों को रोकने के लिये उपयोगकर्त्ताओं को अपने सिस्टम का शोधन करने एवं उसे सुरक्षित बनाने के लिये सूचित कर एक सुरक्षित साइबरस्पेस का निर्माण करना है।

नोट :

- **राष्ट्रीय महत्त्वपूर्ण सूचना अवसंरचना संरक्षण केंद्र (National Critical Information Infrastructure Protection Centre- NCIIPC):** इसे बिजली, बैंकिंग, दूरसंचार, परिवहन, सरकार और रणनीतिक उद्यमों जैसे क्षेत्रों में महत्त्वपूर्ण सूचना अवसंरचना (CIC) की सुरक्षा के लिये स्थापित किया गया।
  - **DCyA में हैकिंग, निगरानी, डेटा रिकवरी, एन्क्रिप्शन और विभिन्न साइबर खतरों** के विरुद्ध जवाबी कार्रवाई सहित साइबर ऑपरेशन करने की क्षमता है।
- **रक्षा साइबर एजेंसी (Defence Cyber Agency-DCyA):** यह भारतीय सशस्त्र बलों की एक त्रि-सेवा कमान है जो साइबर सुरक्षा खतरों से निपटने के लिये ज़िम्मेदार है।
  - CII को ऐसे कंप्यूटर संसाधन के रूप में परिभाषित किया गया है, जिसके नष्ट होने से राष्ट्रीय सुरक्षा, अर्थव्यवस्था, सार्वजनिक स्वास्थ्य या सुरक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।
- **डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम (Digital Personal Data Protection Act) 2023:** इस ऐतिहासिक विधान का उद्देश्य भारत में व्यक्तियों के डिजिटल व्यक्तिगत डेटा की सुरक्षा करना और ऐसे डेटा के **संग्रहण, भंडारण, प्रसंस्करण एवं साझाकरण को** विनियमित करना है।
  - **प्रमुख विशेषताएँ:**
    - अनुपालन प्रवर्तित करने के लिये भारतीय डेटा संरक्षण बोर्ड की स्थापना की गई
    - **डेटा संग्रहण और प्रसंस्करण** के लिये स्पष्ट सहमति की आवश्यकता है
    - डेटा फिड्यूशरीज़ (data fiduciaries) को उचित सुरक्षा उपाय लागू करने का आदेश दिया गया

भारत अपनी साइबर सुरक्षा को सुदृढ़ करने के लिये कौन-से उपाय कर सकता है?

- **साइबर फ्यूज़न सेंटर (Cyber Fusion Centers):** सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों के बीच वास्तविक समय में खतरे की खुफिया सूचना साझा करने की सुविधा प्रदान करने के लिये क्षेत्रीय साइबर फ्यूज़न सेंटर स्थापित किये जाएँ।
  - पूर्वानुमानित खतरा विश्लेषण के लिये **उन्नत AI और मशीन लर्निंग प्रणालियों** को लागू किया जाए।
  - बड़ी साइबर घटनाओं से निपटने के लिये त्वरित तैनाती में सक्षम एक **केंद्रीकृत घटना प्रतिक्रिया दल (centralized incident response team)** का गठन किया जाए।
  - समन्वय का परीक्षण करने और उसे बेहतर बनाने के लिये विभिन्न हितधारकों को संलग्न करते हुए नियमित रूप से संयुक्त **साइबर अभ्यास** आयोजित किये जाएँ।
- **डिजिटल साक्षरता अभियान:** साइबर सुरक्षा जागरूकता पर ध्यान केंद्रित करने के साथ जनसांख्यिकी के सभी वर्गों को लक्षित करते हुए एक राष्ट्रव्यापी डिजिटल साक्षरता अभियान शुरू किया जाए।
  - **साइबर सुरक्षा शिक्षा** को माध्यमिक से लेकर उच्च शिक्षा स्तर तक स्कूल पाठ्यक्रम में एकीकृत किया जाए।
  - नागरिकों को रियल-टाइम साइबर सुरक्षा संबंधी सुझाव और खतरे की चेतावनी देने के लिये एक मोबाइल ऐप विकसित किया जाए।
  - **स्थानीय भाषाओं और प्रासंगिक परिदृश्यों** का उपयोग करते हुए ग्रामीण क्षेत्रों में नियमित रूप से साइबर स्वच्छता कार्यशालाएँ आयोजित की जाएँ।
  - युवाओं में साइबर सुरक्षा के प्रति जागरूकता के प्रसार के लिये सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के साथ साझेदारी का निर्माण करें।
- **वर्तमान डेटा संरक्षण ढाँचे को सुदृढ़ करना:** भारत को व्यक्तिगत डेटा के **AI संचालित** उल्लंघनों को विनियमित करने, उल्लंघनों के लिये कठोर दंड आरोपित करने और कठोर कार्यान्वयन एवं संवीक्षा लागू करने के प्रावधानों को शामिल करने के माध्यम से मौजूदा **डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम 2023** को सुदृढ़ बनाना चाहिये।
  - वर्तमान अधिनियम के दायरे एवं क्षमता को बढ़ाकर विधायी प्रयासों के दुहराव के बिना नवीन उभरते खतरों का समाधान किया जा सकेगा।
- **सिक्योर-बाय-डिज़ाइन पहल (Secure-by-Design Initiative):** विभिन्न उद्योगों में सॉफ्टवेयर एवं हार्डवेयर विकास में 'सिक्योर-बाय-डिज़ाइन' दृष्टिकोण को बढ़ावा दिया जाए।
  - सुरक्षा मानकों का पालन सुनिश्चित करने के लिये एक राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा उत्पाद प्रमाणन कार्यक्रम (national cybersecurity product certification program) स्थापित किया जाए।
  - साइबर सुरक्षा समाधान विकसित करने पर ध्यान केंद्रित करने वाले स्टार्टअप्स के लिये अनुदान और वित्तपोषण की पेशकश की जाए।

नोट :

- भविष्य के खतरों से निपटने के लिये तैयारी हेतु क्वांटम-प्रतिरोधी क्रिप्टोग्राफी के लिये एक समर्पित अनुसंधान एवं विकास निधि का गठन किया जाए।

- **AI-संचालित साइबर सुरक्षा:** भारत के अपने विशिष्ट खतरा परिदृश्य के अनुरूप AI-संचालित साइबर सुरक्षा समाधान विकसित करने में निवेश किया जाए।
  - **नेटवर्क ट्रैफिक और उपयोगकर्त्ता** व्यवहार में विसंगति का पता लगाने के लिये मशीन लर्निंग एल्गोरिदम को लागू किया जाए।
  - उभरते साइबर खतरों की सक्रिय रूप से पहचान करने और उन्हें प्रभावहीन करने के लिये AI-संचालित खतरा निवारण क्षमताओं का विकास किया जाए।
- **आपूर्ति श्रृंखला का सुदृढ़ीकरण:** हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर खरीद दोनों के लिये एक व्यापक आपूर्ति श्रृंखला जोखिम प्रबंधन ढाँचे को लागू किया जाए।
  - थर्ड-पार्टी विक्रेताओं और सेवा प्रदाताओं का नियमित सुरक्षा मूल्यांकन किया जाए।
  - विश्वसनीय आपूर्तिकर्ताओं का एक **राष्ट्रीय डाटाबेस विकसित** किया जाए और सरकारी एवं अन्य महत्त्वपूर्ण क्षेत्रों की खरीद में इसके उपयोग को अनिवार्य बनाया जाए।
  - डिजिटल आपूर्ति श्रृंखलाओं में बेहतर पता **लगाने की क्षमता (traceability)** और **अखंडता (integrity)** के लिये ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी का प्रयोग किया जाए।
- **क्लाउड सुरक्षा – भारत के डिजिटल स्पेस को सुरक्षित करना:** सभी क्लाउड सेवा प्रदाताओं के लिये कठोर अनुपालन आवश्यकताओं के साथ एक राष्ट्रीय क्लाउड सुरक्षा ढाँचा स्थापित किया जाए।
  - क्लाउड में संग्रहित सभी डेटा के लिये अनिवार्य एन्क्रिप्शन लागू किया जाए, ताकि वैसी कमज़ोरियों को दूर किया जा सके जो एयर इंडिया डेटा उल्लंघन मामले में उजागर हुई थीं।
  - सार्वजनिक क्लाउड सेवाओं में खतरों की निगरानी करने और उन पर प्रतिक्रिया देने के लिये एक **क्लाउड सुरक्षा परिचालन केंद्र (Cloud Security Operations Center)** का सृजन किया जाए।
- **डीपफेक से रक्षा:** भारत में संचालित सभी प्रमुख सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों के लिये सख्त कंटेंट सत्यापन प्रोटोकॉल लागू किया जाए।
  - चुनाव जैसे महत्त्वपूर्ण समय के दौरान वायरल डीपफेक की समस्या से निपटने के लिये एक त्वरित प्रतिक्रिया दल का गठन किया जाए।
  - डीपफेक की पहचान करने और उसकी रिपोर्ट करने के लिये एक जन जागरूकता अभियान शुरू किया जाए।
- **साइबर योद्धा पहल (Cyber Warrior Initiative):** भारत को साइबर सुरक्षा पेशेवरों की गंभीर कमी को दूर करने के लिये एक व्यापक 'साइबर योद्धा पहल' शुरू करनी चाहिये।
  - इस कार्यक्रम में विश्वविद्यालयों के साथ साझेदारी के माध्यम से विशिष्ट साइबर सुरक्षा पाठ्यक्रम विकसित करना, **राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा छात्रवृत्ति कार्यक्रम** की स्थापना करना और साइबर रिज़र्व बल का गठन करना शामिल हो सकता है।
  - राष्ट्रीय प्रमाणन कार्यक्रम लागू करने तथा कर्मचारी साइबर सुरक्षा प्रशिक्षण में निवेश करने वाली कंपनियों को कर प्रोत्साहन प्रदान करने से कार्यबल को और मज़बूती मिलेगी।

नागरिक स्वतंत्रता में सर्वोच्च न्यायालय की भूमिका

*9 अगस्त को **सर्वोच्च न्यायालय (SC)** ने निर्णय दिया कि संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत त्वरित सुनवाई (speedy trial) एक मूल अधिकार है और बिना सुनवाई के लंबे समय तक कारावास, यहाँ तक कि **धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA)** जैसे कड़े कानूनों के तहत भी, इस अधिकार का उल्लंघन है। न्यायालय का यह निर्णय, जो इस बात पर बल देता है कि 'स्वतंत्रता संवैधानिकता का एक अंतर्निहित अंग है', इस सिद्धांत की पुष्टि करता है कि जमानत को अपवाद के बजाय नियम के रूप में देखा जाना चाहिये (यानी यह एक मानक अभ्यास हो, न कि कोई दुर्लभ या असाधारण अभ्यास)। यह **अनुच्छेद 21** के तहत एक मूल अधिकार के रूप में निष्पक्ष एवं समय पर सुनवाई सुनिश्चित करने की न्यायालय की प्रतिबद्धता को परिलक्षित करता है।*

*न्यायालय ने अपने निर्णय में न केवल जमानत के इस मामले विशेष को संबोधित किया, बल्कि आपराधिक न्याय प्रणाली में, विशेष रूप से PMLA जैसे कड़े कानूनों के तहत, अंतर्निहित विलंबन एवं अक्षमताओं के बारे में व्याप्त व्यापक चिंताओं पर भी मत व्यक्त किया। न्यायालय ने अत्यधिक देरी और ऐसे कानूनों के समस्याग्रस्त अनुप्रयोग को उजागर कर न्याय के प्रशासन के तरीके पर पुनर्विचार करने का आह्वान किया, जहाँ उसका उद्देश्य प्रक्रियात्मक अतिक्रमण (procedural excesses) के विरुद्ध **नागरिक स्वतंत्रता** की रक्षा करना हो।*

नोट :

*यह निर्णय न्याय को अक्षुण्ण रखने और **लोकतांत्रिक मूल्यों** को सुदृढ़ करने में न्यायालय की महत्त्वपूर्ण भूमिका की याद दिलाता है, जहाँ एक ऐसी न्याय प्रणाली की ओर बदलाव का आग्रह करता है जो व्यक्तिगत अधिकारों का सम्मान करती हो और प्रणालीगत अकुशलताओं से निपटती हो।*

***सर्वोच्च न्यायालय** संविधान के संरक्षक के रूप में प्रतिष्ठित है, लेकिन हाल के वर्षों में इसे अधिकाधिक संवीक्षा का सामना करना पड़ा है। समकालीन राजनीतिक एवं संवैधानिक टिप्पणीकारों ने इसके कार्यकरण के विभिन्न पहलुओं पर चिंता जताई है और इसकी स्वतंत्रता, निरंतरता एवं प्रभावशीलता पर सवाल उठाए हैं।*

भारत का सर्वोच्च न्यायालय

- वर्ष 1947 में भारत की स्वतंत्रता के बाद **26 जनवरी 1950 को** भारत ने अपना संविधान अंगीकृत किया। इसके तुरंत बाद ही भारत का सर्वोच्च न्यायालय स्थापित किया गया, जिसका उद्घाटन सत्र **28 जनवरी 1950 को आयोजित** हुआ।
- भारतीय संविधान के **भाग V (संघ) और अध्याय 6 (संघीय न्यायपालिका)** के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय का उपबंध किया गया है।
- संविधान के **भाग V में शामिल अनुच्छेद 124 से 147 सर्वोच्च न्यायालय** के संगठन, स्वतंत्रता, अधिकार क्षेत्र, शक्तियों एवं प्रक्रियाओं से संबंधित हैं।
- भारतीय संविधान के **अनुच्छेद 124(1)** में कहा गया है कि भारत का एक सर्वोच्च न्यायालय होगा जो **भारत के मुख्य न्यायमूर्ति** और, जब तक संसद विधि द्वारा अधिक संख्या विहित नहीं करती है तब तक, सात से अनधिक अन्य न्यायाधीशों से मिलकर बनेगा।
  - वर्तमान में शीर्ष न्यायालय में न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या 34 है।
- **भारत के सर्वोच्च न्यायालय** के अधिकार क्षेत्र को मोटे तौर पर मूल अधिकार क्षेत्र, अपीलीय अधिकार क्षेत्र और सलाहकार अधिकार क्षेत्र के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। हालाँकि, सर्वोच्च न्यायालय के पास अन्य कई शक्तियाँ भी हैं।
- सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय अधिकारपूर्ण (authoritative) होते हैं और भारत के सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी होते हैं।
- न्यायालय के पास **न्यायिक समीक्षा** की शक्ति है, जो उसे संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन करने, संघ एवं राज्यों के बीच शक्ति संतुलन को बाधित करने या संविधान द्वारा गारंटीकृत मूल अधिकारों का उल्लंघन करने वाले विधायी एवं कार्यकारी कृत्यों को अमान्य घोषित करने में सक्षम बनाती है। इस प्रकार, भारत का सर्वोच्च न्यायालय भारत में **नागरिक स्वतंत्रता का संरक्षक या 'गारंटर'** है।

कौन-से प्रावधान सर्वोच्च न्यायालय को नागरिक स्वतंत्रता का संरक्षक बनाते हैं?

- **संवैधानिक प्रावधान:**
  - **अनुच्छेद 13:** यह प्रावधान सुनिश्चित करता है कि कोई भी विधि जो **मूल अधिकारों** का उल्लंघन करती है या उन्हें छीनती है, उसे शून्य माना जाता है। सर्वोच्च न्यायालय यह तय कर सकता है कि कोई विधि असंवैधानिक है या नागरिक स्वतंत्रता का उल्लंघन करता है।
  - **अनुच्छेद 32:** यह अनुच्छेद **संवैधानिक उपचारों का अधिकार** प्रदान करता है, जिससे व्यक्ति मूल अधिकारों के प्रवर्तन के लिये सीधे सर्वोच्च न्यायालय में जा सकता है। यह सर्वोच्च न्यायालय को मूल अधिकारों और नागरिक स्वतंत्रता का रक्षक बनाता है।
  - **अनुच्छेद 136:** यह प्रावधान सर्वोच्च न्यायालय को किसी भी न्यायालय या न्यायाधिकरण के किसी भी निर्णय, डिक्री या आदेश के विरुद्ध अपील करने के लिये विशेष अनुमति देने की विशेष शक्तियाँ प्रदान करता है, जिसमें नागरिक स्वतंत्रता से संबंधित मामले भी शामिल हैं।
    - **विशेष अनुमति याचिका (SLP):** यह सर्वोच्च न्यायालय को सौंपी जाती एक याचिका है जिसमें महत्त्वपूर्ण विधिक मुद्दों पर अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णयों के विरुद्ध अपील करने की अनुमति मांगी जाती है।
  - **अनुच्छेद 142:** यह अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय को नागरिक स्वतंत्रता और मूल अधिकारों की सुरक्षा सहित किसी भी मामले में पूर्ण न्याय करने के लिये आवश्यक कोई भी आदेश या डिक्री पारित करने की शक्ति प्रदान करता है।
- **अन्य साधन:**
  - **रिट:** ये उच्चतर न्यायालयों द्वारा मूल अधिकारों को प्रवर्तित करने या सार्वजनिक प्राधिकारों को निर्देश देने के लिये जारी विधिक आदेश हैं। **नागरिक स्वतंत्रता को लागू करने के लिये बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, निषेध, उत्प्रेषण और अधिकार-पृच्छा रिट** उपलब्ध हैं।
  - **जनहित याचिका (PIL):** ये आम लोगों को प्रभावित करने वाले मुद्दों को संबोधित करने और व्यापक सामाजिक सरोकार के मामलों पर न्याय सुनिश्चित करने के लिये दायर की गई याचिकाएँ हैं।
  - **न्यायिक समीक्षा:** यह विधियों और सरकारी कृत्यों की संवैधानिकता का आकलन करने की न्यायालयों की शक्ति है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे संविधान के अनुरूप हैं।

नोट :

- **विभिन्न सिद्धांत:**
- **मूल ढाँचा सिद्धांत (Basic Structure Doctrine):** यह सर्वोच्च न्यायालय द्वारा स्थापित एक सिद्धांत है जो बलपूर्वक स्थापित करता है कि संविधान की कुछ मूल विशेषताओं को संशोधनों द्वारा बदला या नष्ट नहीं किया जा सकता है।
  - यह सिद्धांत सुनिश्चित करता है कि संविधान में संशोधन से उसके आवश्यक ढाँचे, जैसे लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता और विधि के शासन पर कोई असर नहीं पड़ना चाहिये। **केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य मामले (1973)** में इसे औपचारिक रूप प्रदान किया गया था।
- **विच्छेदनीयता का सिद्धांत (Doctrine of Severability):** इस सिद्धांत के अनुसार यदि किसी विधि का कोई भाग असंवैधानिक पाया जाता है तो उस भाग को शेष विधि से अलग किया जा सकता है, जो तभी वैध रहेगा जब वह स्वतंत्र रूप से कार्य कर सके।
  - यह विधि के केवल असंवैधानिक हिस्सों को अमान्य करने में मदद करता है तथा शेष विधि को सुरक्षित बनाए रखता है।
- **आच्छादन का सिद्धांत (Doctrine of Eclipse):** इस सिद्धांत के अनुसार, यदि कोई विधि मूल अधिकारों का उल्लंघन करती है तो वह उल्लंघन की सीमा तक शून्य या 'आच्छादित' हो जाती है, लेकिन पूरी तरह से शून्य एवं निरस्त नहीं होती है। यह तब तक निष्क्रिय बनी रहती है जब तक यह मूल अधिकारों का उल्लंघन करती है, लेकिन यदि असंगतता को दूर कर दिया जाए तो इसे पुनर्जीवित किया जा सकता है।
  - यह सिद्धांत यह प्रावधान करता है कि मूल अधिकारों का उल्लंघन करने वाली विधियों को पूरी तरह से अवैध घोषित नहीं किया जाएगा, बल्कि उन्हें तब तक निलंबित कर दिया जाएगा जब तक कि वे संविधान के अनुरूप नहीं हो जाते।
- **मूलभूत सम्यक प्रक्रिया का सिद्धांत (Doctrine of Substantive Due Process):** यह सिद्धांत केवल प्रक्रियात्मक निष्पक्षता से आगे बढ़कर मूल अधिकारों (fundamental rights) के रूप में कुछ मूलभूत अधिकारों (substantive rights) के संरक्षण को शामिल करता है तथा यह सुनिश्चित करता है कि विधियाँ मूल अधिकारों के मूल सार का उल्लंघन न करें।
  - यह व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा करता है और यह सुनिश्चित करता है कि ऐसी स्वतंत्रता को प्रभावित करने वाली विधियाँ न्यायसंगत, निष्पक्ष और उचित हों।
- **छद्मता का सिद्धांत (Doctrine of Colorable Legislation):** छद्मता का सिद्धांत एक विधिक सिद्धांत है जो सरकार को अपने विधायी अधिकार का असंवैधानिक तरीके से उपयोग करने से रोकता है। इसे 'संविधान के साथ धोखाधड़ी' (Fraud on the Constitution) के रूप में भी जाना जाता है। इसका अर्थ यह है कि जो कार्य प्रत्यक्षत: नहीं किये जा सकते, उन्हें अप्रत्यक्षत: भी नहीं किया जा सकता।

ऐसे कौन-से उदाहरण हैं जहाँ सर्वोच्च न्यायालय ने नागरिक स्वतंत्रता के संरक्षक के रूप में कार्य किया है?

- **दिल्ली आबकारी नीति मामला (2024):**
  - इस हालिया निर्णय में सर्वोच्च न्यायालय ने पुन: पुष्टि की कि शीघ्र सुनवाई का अधिकार (right to a speedy trial) **अनुच्छेद 21** के तहत एक मूल अधिकार है।
    - करतार सिंह बनाम पंजाब राज्य (1994) मामले में सर्वोच्च न्यायालय की संवैधानिक पीठ द्वारा शीघ्र सुनवाई के अधिकार को मूल अधिकार घोषित किया गया था।
  - इस निर्णय में इस बात पर बल दिया गया कि बिना सुनवाई के लंबे समय तक कारावास में रखना नागरिक स्वतंत्रता का उल्लंघन है, विशेष रूप से **धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA)** जैसे कड़े कानूनों के संदर्भ में।
- **अर्नब गोस्वामी बनाम महाराष्ट्र राज्य (2020):**
  - निर्णय में स्वतंत्रता और **शीघ्र सुनवाई के अधिकार** को रेखांकित किया गया तथा इस बात पर बल दिया गया कि मनमाने या अतिक्रमणकारी विधिक कानूनी उपायों के माध्यम से व्यक्तिगत स्वतंत्रता को खतरा नहीं पहुँचाया जा सकता।
  - इसने इस **संवैधानिक सिद्धांत को दोहराया** कि जमानत मानक या आदर्श स्थिति है और कारावास में बनाए रखना अपवाद है। यह सिद्धांत न्यायमूर्ति **वी. आर. कृष्ण अय्यर द्वारा वर्ष 1977** में व्यक्त किया गया था।
  - यह भारतीय **संविधान के अनुच्छेद 21** के तहत निष्पक्ष एवं शीघ्र सुनवाई के अधिकार के अनुरूप है।
- **नवतेज सिंह जौहर बनाम भारत संघ (2018):**
  - सर्वोच्च न्यायालय ने भारतीय दंड संहिता की **धारा 377** को निरस्त करते हुए सहमतिपूर्ण समलैंगिक संबंधों को अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया।

नोट :

- इस ऐतिहासिक निर्णय ने LGBTQ+ समुदाय के अधिकारों की पुष्टि की तथा भेदभावपूर्ण कानूनों के विरुद्ध व्यक्तिगत गरिमा एवं निजता को बनाए रखने के प्रति न्यायालय की प्रतिबद्धता को उजागर किया।

- **न्यायमूर्ति के. एस. पुट्टस्वामी बनाम भारत संघ (2017):**
  - सर्वोच्च न्यायालय ने **निजता के अधिकार** को संविधान के तहत मूल अधिकार माना।
  - निर्णय में इस बात पर बल दिया गया कि निजता किसी व्यक्ति की गरिमा का अभिन्न अंग है और इसे राज्य की मनमानी कार्रवाइयों से संरक्षित किया जाना चाहिये, ताकि भारत में नागरिक स्वतंत्रता का दायरा बढ़ सके।
- **श्रेया सिंघल बनाम भारत संघ (2015):**
  - सर्वोच्च न्यायालय ने **सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 66A** को रद्द कर दिया, जो आपत्तिजनक या धमकीपूर्ण ऑनलाइन सामग्री को अपराध मानती थी।
  - न्यायालय ने निर्णय दिया कि यह प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत वाक् एवं अभिव्यक्ति-स्वातंत्र्य के मूल अधिकार का उल्लंघन करता है।
- **ललिता कुमारी बनाम उत्तर प्रदेश सरकार (2014):**
  - सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि संज्ञेय अपराधों की शिकायत मिलने पर पुलिस प्रथम सूचना रिपोर्ट या प्राथमिकी (FIR)) दर्ज करने के लिये बाध्य है।
  - इस निर्णय ने शिकायतों का कानून प्रवर्तन द्वारा समाधान किये जाने के व्यक्तियों के अधिकार को सुदृढ़ किया, ताकि त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित हो और नागरिक स्वतंत्रता की सुरक्षा हो।
- **लिली थॉमस बनाम भारत संघ (2013):**
  - न्यायालय ने घोषणा की कि यदि कोई विधि-निर्माता या सदन सदस्य दो वर्ष या उससे अधिक कारावास से दंडनीय अपराध के लिये दोषी पाया जाता है तो उसे (अपील के लंबित रहने के बावजूद) दोषसिद्धि के तुरंत बाद पद पर बने रहने के लिये अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा।
  - यह निर्णय निर्वाचित प्रतिनिधियों की विश्वसनीयता और जवाबदेही बढ़ाने की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण कदम था।
- **गौरव जैन बनाम भारत संघ (1997):**
  - इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने वेश्यावृत्ति के संदर्भ में महिलाओं और बच्चों के अधिकारों को संबोधित किया।
  - न्यायालय ने कहा कि देह व्यापार में संलग्न महिलाओं को अपराधी के बजाय सामाजिक-आर्थिक कठिनाइयों के पीड़ित के रूप में देखा जाना चाहिये तथा उन्हें और उनके बच्चों को गरिमा, सुरक्षा एवं बिना किसी कलंक के समाज में पुन: एकीकृत होने का अवसर मिलना चाहिये।
- **मेनका गांधी बनाम भारत संघ (1978):**
  - इस मामले ने **अनुच्छेद 21** के दायरे को बढ़ाया, जो **प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी** देता है। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि यह अधिकार केवल अस्तित्व तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें गरिमा के साथ जीने का अधिकार भी शामिल है।
  - निर्णय में इस बात पर बल दिया गया कि किसी व्यक्ति को उसकी स्वतंत्रता से वंचित करने वाला कोई भी कानून निष्पक्ष, न्यायसंगत एवं उचित होना चाहिये; इस प्रकार, प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपायों को सुदृढ़ किया गया।
- **केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य (1973):**
  - इस ऐतिहासिक मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने **'मूल ढाँचा सिद्धांत'** की स्थापना की और कहा कि नागरिक स्वतंत्रता के संरक्षण सहित संविधान की कुछ मूल विशेषताओं को संशोधनों द्वारा बदला नहीं जा सकता।
  - न्यायालय ने कहा कि संविधान में निहित **मूल अधिकार** उसकी मूल संरचना अंग हैं, जिन्हें संरक्षित किया जाना चाहिये।
- **ए. के. गोपालन बनाम मद्रास राज्य (1950):**
  - इस आरंभिक मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने निवारक निरोध (preventive detention) के मुद्दे पर विचार किया। हालाँकि इस निर्णय ने आरंभ में **निवारक निरोध कानूनों की वैधता को बरकरार रखा, लेकिन इसने बाद के निर्णयों के लिये एक मंच तैयार किया** जहाँ मूल अधिकारों के साथ बेहतर तालमेल के लिये ऐसे कानूनों के दायरे को संबोधित एवं सीमित किया गया।
- **रोमेश थापर बनाम मद्रास राज्य (1950):**
  - भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि मद्रास में एक समाचार पत्र के प्रवेश एवं प्रसार पर प्रतिबंध लगाने वाला सरकारी आदेश संविधान के **अनुच्छेद 19(1)(a)** के तहत वाक् एवं अभिव्यक्ति-स्वातंत्र्य के मूल अधिकार का उल्लंघन करता है और माना कि प्रेस की स्वतंत्रता वाक् एवं अभिव्यक्ति-स्वातंत्र्य के अधिकार का एक अनिवार्य अंग है।
  - इसमें इस बात पर बल दिया गया कि राज्य प्रेस पर मनमाने प्रतिबंध नहीं लगा सकता; इस प्रकार, नागरिक स्वतंत्रता की सुरक्षा को मज़बूत किया और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर सरकार की शक्ति को सीमित किया।

नोट :

सर्वोच्च न्यायालय के कार्यकरण से संबद्ध प्रमुख चुनौतियाँ

- **निर्णयों का क्रियान्वयन:**
  - आलोचकों ने सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों के **क्रियान्वयन एवं प्रवर्तन** के बारे में चिंता जताई है। कुछ मामलों में, न्यायालय के स्पष्ट निर्देशों के बावजूद, उसके आदेशों का क्रियान्वयन सुस्त या अपर्याप्त रहा है।
  - **संवैधानिक विशेषज्ञों** का तर्क है कि सुदृढ़ कार्यान्वयन ढाँचे के बिना न्यायालय के निर्णयों का प्रभाव कम हो सकता है, जिससे वादियों में निराशा पैदा होगी और विधि का शासन कमज़ोर होगा।
  - इसके अलावा, नागरिक स्वतंत्रता को सुरक्षित करने के लिये सर्वोच्च न्यायालय द्वारा समर्थित विभिन्न सिद्धांतों के अनुप्रयोग में एकरूपता मौजूद नहीं है ।
  - विभिन्न पीठों में सैद्धांतिक एकरूपता के अभाव के कारण कानूनी परिणामों में भ्रम और अप्रत्याशितता उत्पन्न होती है।
- **मामले में देरी और लंबितता:**
  - सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष एक अन्य महत्त्वपूर्ण मुद्दा लंबित मामलों के विशाल बोझ का है, जिसके कारण न्याय मिलने में व्यापक देरी हो रही है।
    - राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड के अनुसार, भारतीय न्यायालयों में लगभग 4.4 करोड़ मामले लंबित पड़े हैं, जिनमें से 1 करोड़ से अधिक मामले सिविल मुक़दमे हैं।
  - न्यायनिर्णयन में देरी से न केवल न्यायपालिका में लोगों का विश्वास कम होता है, बल्कि वादियों के जीवन पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। विभिन्न पीठों में सैद्धांतिक एकरूपता की कमी से कानूनी परिणामों में भ्रम और अनिश्चितता पैदा होती है।
- **'मास्टर ऑफ द रोस्टर' का मुद्दा:**
  - न्यायाधीशों सहित विभिन्न आलोचकों ने 'मास्टर ऑफ द रोस्टर' की अवधारणा की आलोचना की है, जो मुख्य न्यायाधीश को पीठों के गठन और मामलों के आवंटन का विशेष अधिकार प्रदान करती है। उनका तर्क है कि इसका अर्थ यह नहीं होना चाहिये कि मुख्य न्यायाधीश अन्य न्यायाधीशों पर श्रेष्ठ स्थिति रखता है।
  - उनका मानना है कि रोस्टर प्रबंधन को निर्देशित करने वाली पारंपरिक परंपराओं की अनदेखी की गई है, जिसके परिणामस्वरूप मुख्य न्यायाधीश द्वारा चुनिंदा और संभावित रूप से पक्षपातपूर्ण मामलों का आवंटन किया गया है।
- **न्यायिक अतिक्रमण और सक्रियता:**
  - सर्वोच्च न्यायालय की सबसे अधिक आलोचनाओं में से एक इसके न्यायिक अतिक्रमण और सक्रियता (Judicial Overreach and Activism) के लिये की जाती रही है।
  - आलोचकों का तर्क है कि न्यायालय ने कई बार विधायिका एवं कार्यपालिका के अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण किया है, जिससे सरकार की तीनों शाखाओं के बीच शक्ति संतुलन बिगड़ गया है।
  - इस तरह की सक्रियता से शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत (principle of separation of powers) के कमज़ोर पड़ने का खतरा है और न्यायिक सत्तावाद (judicial authoritarianism) के आरोप लग सकते हैं।
- **नियुक्तियाँ एवं पारदर्शिता संबंधी मुद्दे:**
  - सर्वोच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया भी आलोचना का केंद्र बिंदु रही है। नियुक्ति प्रक्रिया में सुधार के उद्देश्य से बनाए गए राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग (NJAC) अधिनियम को वर्ष 2015 में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रद्द कर दिया गया।
  - पारदर्शिता एवं संपूर्णता का अभाव तथा न्यायाधीशों की उपयुक्तता के आकलन के लिये स्पष्ट मानकों का अभाव 'कॉलेजियम' की ईमानदारी के प्रति भरोसे को कम करती है।
- **न्यायपालिका की स्वतंत्रता:**
  - न्यायपालिका की स्वतंत्रता भारत में एक मूल सिद्धांत है, जिसकी गारंटी संविधान द्वारा **अनुच्छेद 50 और अनुच्छेद 124(2)** जैसे प्रावधानों के माध्यम से दी गई है, जिसका उद्देश्य न्यायिक कार्यों को कार्यपालिका के प्रभाव से स्वतंत्र रखना है।
  - इन सुरक्षा उपायों के बावजूद, न्यायिक नियुक्तियाँ, प्रक्रियागत देरी और भ्रष्टाचार जैसी चुनौतियाँ इस स्वतंत्रता के लिये खतरा पैदा करती हैं।

न्यायिक आचरण के 'बैंगलोर सिद्धांत'

- न्यायिक आचरण के बैंगलोर सिद्धांतों (Bangalore Principles of Judicial Conduct) का उद्देश्य न्यायाधीशों के लिये नैतिक मानक निर्धारित करना है।
- वे न्यायिक व्यवहार को विनियमित करने के लिये एक रूपरेखा प्रदान करते हैं और न्यायिक नैतिकता बनाए रखने पर मार्गदर्शन प्रदान करते हैं।

नोट :

- ये सिद्धांत छह प्रमुख मूल्यों को चिह्नित करते हैं: **स्वतंत्रता (independence), निष्पक्षता (impartiality), अखंडता/सत्यनिष्ठा (integrity), औचित्य (propriety), समानता (equality) और योग्यता एवं कर्मठता (competence and diligence)।**
  - **स्वतंत्रता:** न्यायाधीशों को बाह्य दबावों या प्रभावों से मुक्त होकर निर्णय लेना चाहिये तथा यह सुनिश्चित करना चाहिये कि उनके निर्णय पूरी तरह विधि पर आधारित हों।
  - **निष्पक्षता:** न्यायाधीशों को पूर्वाग्रहरहित एवं निष्पक्ष होना चाहिये, सभी पक्षों के साथ समान व्यवहार करना चाहिये और साक्ष्य एवं विधिक सिद्धांतों के आधार पर मामलों का निर्णय करना चाहिये।
  - **अखंडता:** न्यायाधीशों को ईमानदारी एवं नैतिकता से कार्य करना चाहिये तथा सत्यनिष्ठा एवं पारदर्शिता के उच्च मानकों को बनाए रखना चाहिये।
  - **औचित्य:** न्यायाधीशों को न्यायालय के अंदर और बाहर अपने पद की गरिमा के अनुरूप आचरण करना चाहिये।
  - **समानता:** न्यायाधीशों को सभी के साथ समान व्यवहार करना चाहिये, यह सुनिश्चित करना चाहिये कि किसी के साथ अनुचित भेदभाव न हो तथा न्याय निष्पक्ष रूप से हो।
  - **योग्यता एवं कर्मठता:** न्यायाधीशों के पास आवश्यक विधिक विशेषज्ञता होनी चाहिये और उन्हें मामलों को सावधानीपूर्वक एवं गहनता से निपटाना चाहिये, ताकि समयबद्ध और सुविचारित निर्णय सुनिश्चित हो सके।
- ये सिद्धांत इन मूल्यों को परिभाषित करते हैं और प्रत्येक मूल्य का प्रभावी ढंग से पालन करने के लिये न्यायाधीशों से अपेक्षित आचरण का विवरण प्रदान करते हैं।

आगे की राह

- **कार्यान्वयन ढाँचे को सुदृढ़ करना:**
  - सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों के कार्यान्वयन के लिये स्पष्ट, प्रवर्तनीय दिशानिर्देश विकसित किया जाए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि निर्देशों पर शीघ्र एवं प्रभावी ढंग से कार्रवाई हो।
  - आदेशों के निष्पादन पर नज़र रखने और गैर-अनुपालन के मुद्दों को हल करने के लिये निगरानी तंत्र स्थापित किया जाए।
- **लंबित मामलों को कम करना:**
  - सुनवाई प्रक्रिया में तेज़ी लाने और लंबित मामलों को कम करने के लिये न्यायाधीशों एवं न्यायालय के कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि की जाए।
  - प्रक्रियाओं को सरल बनाने और दक्षता बढ़ाने के लिये ई-फाइलिंग एवं केस प्रबंधन प्रणालियों जैसे प्रौद्योगिकी-संचालित समाधानों को लागू किया जाए।
    - उदाहरण के लिये, भारत सरकार द्वारा प्रौद्योगिकी का उपयोग कर न्याय तक पहुँच में सुधार लाने के उद्देश्य से ज़िला एवं अधीनस्थ न्यायालयों के कम्प्यूटरीकरण के लिये देश में **ई-कोर्ट एकीकृत मिशन मोड परियोजना** शुरू की गई है।
- **सिद्धांतगत एकरूपता सुनिश्चित करना:**
  - निर्णयों में भिन्नता को कम करने के लिये क्रॉस-बेंच संवाद को बढ़ावा देकर और न्यायिक दृष्टिकोण को मानकीकृत करके विधिक सिद्धांतों के एकरूप या सार्वभौमिक अनुप्रयोग को बढ़ावा दिया जाए।
    - उदाहरण के लिये, सर्वोच्च न्यायालय के हाल के निर्णय (जहाँ निष्पक्ष एवं समयबद्ध सुनवाई के अधिकार को अनुच्छेद 21 के तहत मूल अधिकार के रूप में देखा गया है) की भावना को अन्य लंबित मामलों की शीघ्र सुनवाई के लिये लागू किया जाना चाहिये।
  - न्यायिक निर्णयों में एकरूपता सुनिश्चित करने के लिये व्यापक दिशानिर्देशों के विकास को प्रोत्साहित किया जाए।
- **न्यायिक अतिक्रमण को संबोधित करना:**
  - विधायी और कार्यकारी मामलों में न्यायिक हस्तक्षेप की सीमाओं को स्पष्ट कर शक्तियों के पृथक्करण को सुदृढ़ किया जाए।
  - न्यायिक संयम को बढ़ावा दिया जाए तथा अतिक्रमण के आरोपों से बचने और सरकारी शाखाओं के बीच संतुलन बनाए रखने के लिये संवैधानिक सीमाओं के पालन पर बल दिया जाए।
- **नियुक्तियों और पारदर्शिता में सुधार:**
  - न्यायिक नियुक्ति प्रक्रिया में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने के लिये 'कॉलेजियम प्रणाली' को संशोधित किया जाए।
  - न्यायिक उम्मीदवारों के मूल्यांकन के लिये स्पष्ट मानक स्थापित करने तथा अधिक पारदर्शी चयन प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिये आवश्यक सुधारों पर विचार किया जाए।
- **न्यायिक स्वतंत्रता की रक्षा करना:**
  - न्यायिक स्वतंत्रता के लिये विद्यमान खतरों का समाधान कर संवैधानिक सुरक्षा उपायों को अक्षुण्ण बनाए रखा जाए, जिसमें नियुक्तियों, प्रक्रियागत देरी और भ्रष्टाचार से संबंधित चिंताओं का समाधान करना भी शामिल है।

नोट :

- न्यायिक प्रणाली की स्वतंत्रता और अखंडता को सुदृढ़ करने के लिये न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका के बीच जारी संवाद को प्रोत्साहित किया जाए।

निष्कर्ष

न्यायपालिका की स्वतंत्रता को प्राय: लोकतांत्रिक राजनीति की आधारशिला माना जाता है। भारत में यह सिद्धांत संविधान में निहित है, जिसमें न्यायपालिका को कार्यपालिका और विधायिका के हस्तक्षेप से स्वतंत्रता की गारंटी देने वाले उपबंध किये गए हैं।

हालाँकि, न्यायपालिका की स्वतंत्रता को पिछले कुछ वर्षों में चुनौतियों का सामना करना पड़ा है। कथित तौर पर कार्यकारी अतिक्रमण और न्यायिक निर्णयों को प्रभावित करने के प्रयासों के कई उदाहरण सामने आए हैं। इन चुनौतियों के बावजूद, भारतीय न्यायपालिका ने संविधान को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिये अपने साहस एवं प्रतिबद्धता का प्रदर्शन किया है। मूल अधिकारों, चुनावी सुधारों और भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों पर ऐतिहासिक निर्णयों ने संवैधानिक अधिकारों के संरक्षक के रूप में इसकी स्थिति को सुदृढ़ किया है।

■■■

अंडमान और निकोबार के लिये एक सतत् भविष्य की रूपरेखा

गैलाथिया खाड़ी में 42,000 करोड़ रुपए के ट्रांसशिपमेंट पोर्ट के इर्द-गिर्द केंद्रित ग्रेट निकोबार आइलैंड प्रोजेक्ट भारत में विकास महत्त्वाकांक्षाओं और पर्यावरण संरक्षण के बीच के तनाव को प्रकट करता है। इस क्षेत्र की समृद्ध जैव विविधता—जिसमें लुप्तप्राय समुद्री कछुओं और स्थानिक निकोबार मेगापोड के नेस्टिंग स्थल के साथ ही कोरल कॉलोनियाँ और मैंग्रोव शामिल हैं, के बावजूद अधिकारियों ने कई विवादास्पद निर्णय लेते हुए परियोजना को आगे बढ़ाया है। इन निर्णयों में वन्यजीव अभयारण्य को गैर-अधिसूचित करना, स्पष्ट उल्लंघनों के बावजूद पर्यावरण मंज़ूरी प्रदान करना और क्षेत्र के तटीय विनियमन क्षेत्र के दर्जे को पुन: वर्गीकृत करना शामिल है।

यह मामला वृहत-स्तरीय विकास परियोजनाओं को समायोजित करने के लिये पर्यावरण विनियमनों को कमज़ोर करने के प्रयास को उजागर करता है। इस प्रक्रिया में संदिग्ध प्रशासनिक दाँव-पेंच, समीक्षा समितियों में संभावित हितों का टकराव और **वैज्ञानिक साक्ष्य एवं संरक्षण अनिवार्यताओं की उपेक्षा करना शामिल** है। **अंडमान और निकोबार द्वीप समूह** में विकास लक्ष्यों के भारत के प्रयास **दीर्घकालिक पर्यावरणीय लागतों और भारत के पर्यावरण संरक्षण ढाँचे** की अखंडता के बारे में गंभीर चिंताएँ उत्पन्न करते हैं। यह एक अधिक संतुलित दृष्टिकोण की आवश्यकता को रेखांकित करता है जो **गंभीरता से आर्थिक आकांक्षाओं के साथ-साथ पारिस्थितिक संरक्षण** पर विचार करे।

भारत के लिये अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह का क्या महत्त्व है?

- **ब्लू इकोनॉमिक गेटवे:** ये द्वीप प्रमुख शिपिंग मार्गों के **चौराहे पर स्थित** हैं, जो **भारत की ब्लू इकोनॉमी पहलों** के लिये **अपार संभावनाएँ** प्रदान करते हैं।
  - **ग्रेट निकोबार** में प्रस्तावित **ट्रांसशिपमेंट पोर्ट** का उद्देश्य इस रणनीतिक स्थान का लाभ उठाना है।
  - यह संभावित रूप से **प्रतिवर्ष 4 मिलियन ट्वेन्टी-फुट इक्विवेलेंट यूनिट्स (TEUs)** का संचालन कर सकता है, जो **सिंगापुर जैसे प्रमुख बंदरगाहों का प्रतिस्पर्द्धी** बन सकता है।
  - द्वीप समूह की **समृद्ध समुद्री जैव विविधता मत्स्य पालन, जलकृषि और समुद्री जैवप्रौद्योगिकी** जैसे क्षेत्रों में भी अवसर प्रदान करती है, जो भारत की आर्थिक वृद्धि में महत्त्वपूर्ण योगदान देती है।
- **पारिस्थितिकीय भंडार:** **अंडमान और निकोबार द्वीप समूह** जैव विविधता का **'हॉटस्पॉट'** है, जहाँ 9,100 से अधिक जीव-जंतु प्रजातियाँ पाई जाती हैं।
  - अंडमान में **प्रवाल भित्तियाँ** 11,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत हैं, जबकि निकोबार में इनका प्रसार **2,700 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र** तक है।
  - **लेदरबैक कछुए और निकोबार मेगापोड** जैसी प्रमुख प्रजातियों के लिये ये नेस्टिंग स्थल हैं।
  - यह अद्वितीय पारिस्थितिकी तंत्र न केवल वैज्ञानिक अनुसंधान को समर्थन प्रदान करता है, बल्कि भारत को **वैश्विक जैव विविधता संरक्षण प्रयासों** में एक प्रमुख खिलाड़ी के रूप में भी स्थापित करता है।
- **भू-राजनीतिक लाभ:** ये द्वीप दक्षिण-पूर्व एशिया में भारत की रणनीतिक पहुँच की महत्त्वपूर्ण रूप से वृद्धि करते हैं तथा इसकी **'एक्ट ईस्ट' नीति** के लिये आधार का कार्य करते हैं।
  - ये इंडोनेशिया से महज **90 समुद्री मील** की दूरी पर स्थित हैं, जो भारत को **आसियान देशों के साथ कूटनीतिक, आर्थिक और सैन्य संलग्नता** के लिये प्रवेश द्वार प्रदान करते हैं।
  - वर्ष 2001 में स्थापित अंडमान एवं निकोबार त्रिसेवा कमान चीन की **'स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स'** रणनीति का मुकाबला करते हुए क्षेत्र में शक्ति प्रदर्शन और **संयुक्त अभियान** चलाने की भारत की क्षमता को बढ़ाती है।

नोट :

Coco Channel
Land Fall Island
East Island
Peacock Island
NORTH ANDAMAN
Diglipur
Smith Island
Ross Island
Saddle Peak
Kalipur Beach
North Reef Island
Ram Nagar Beach
Sound Island
Interview Island
Avis Island
Mayabunder
Karmatang Beach
MIDDLE ANDAMAN
Curtbert Bay Beach
Dhani Nallah Mangrove walk-way
Morice Dera Beach
Rangat
Amkunj Beach
Rangat Bay
Lalaji Bay Beach
Yerata Creek
Long Island
North Button Island
North Passage
Baratang Island
(Middle Strait)
Havelock Island
Neil Island
SOUTH ANDAMAN
Madhuban
Mt. Harriet
Ross Island
Andaman Sea
Port Blair
Corbyn's Cove
Red Skin Island
Jolly Buoy
North Sentinel Island
Wandoor Beach
Chidiyatapu (Sunset Point)
Rutland
North Cinque Island
South Cinque Island
Passage Island
The Sisters Island
South Sentinel Island
North Brother Island
South Brother Island
LITTLE ANDAMAN
Butler Bay Beach (Surfing)
Netaji Nagar Beach
Waterfall
Hulbay
Harmander Bay Beach
Ten Degree Channel
INDEX
Andaman Trunk Road
Tourist Place
1 Guitar Island
2 Merk Bay Beach
HAVELOCK ISLAND
3 Elephant Beach
4 Kalapathar Beach
5 Radhanagar Beach
NEIL ISLAND
6 Bharatpur Beach
7 Sitapur Beach
8 Laxmanpur Beach
BARATANG ISLAND
9 Mud Volcano
10 Lime Stone Cave
11 Parrot Island
12 Yeratta Mangrove Park
Chengappa Bridge
Barren Island
(only Active Volcano in India)
Ten Degree Channel
Car Nicobar Island
Indira Point
Not to Scale

नोट :

- **बंगाल की खाड़ी में प्रथम प्रतिक्रियाकर्त्ता:** ये द्वीप अपनी अवस्थिति के कारण संपूर्ण बंगाल की खाड़ी क्षेत्र के लिये **आपदा प्रबंधन में महत्त्वपूर्ण भूमिका** निभाते हैं।
  - वे **सुनामी और चक्रवातों** के लिये पूर्व **चेतावनी प्रणाली** के क्रियान्वयन में भूमिका निभाते हैं, जहाँ **भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र (INCOIS)** द्वारा प्रमुख निगरानी स्टेशनों का संचालन किया जाता है।
  - **वर्ष 2004 में हिंद महासागर में आई सुनामी** के दौरान इन द्वीपों ने राहत प्रयासों के समन्वय में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।
    - प्रस्तावित **अवसंरचना विकास का उद्देश्य** इस क्षमता को बढ़ाना है तथा **भारत को क्षेत्रीय मानवीय संकटों** में एक विश्वसनीय प्रथम प्रतिक्रियादाता के रूप में स्थापित करना है।
- **ऊर्जा सुरक्षा:** अनुमान है कि **अंडमान अपतटीय बेसिन** में हाइड्रोकार्बन का बड़ा भंडार मौजूद हैं।
  - इन संसाधनों को विकसित करने से **भारत की ऊर्जा सुरक्षा में व्यापक वृद्धि** हो सकती है और आयात पर निर्भरता कम हो सकती है।
  - **नवीकरणीय ऊर्जा, विशेषकर महासागरीय तापीय ऊर्जा रूपांतरण और ज्वारीय ऊर्जा** के लिये इन द्वीपों की क्षमता **सतत् विकास और ऊर्जा नवाचार** के लिये भी अवसर प्रस्तुत करती है।
- **सांस्कृतिक मेलजोल:** अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह **छह स्थानीय जनजातियों के निवास क्षेत्र** हैं, जिनमें **सेंटिनलीज़ जनजाति** भी शामिल है जो विश्व के अंतिम संपर्कविहीन समुदाय में से एक है।
  - यह **अद्वितीय सांस्कृतिक विविधता** भारत के लिये स्वदेशी जीवन शैली के संरक्षण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता प्रदर्शित करने का उत्तरदायित्व एवं अवसर दोनों प्रस्तुत करती है।
  - द्वीप समूह का बहुसांस्कृतिक समाज, **मुख्य भूमि भारत, म्याँमार और औपनिवेशिक इतिहास** के प्रभावों से मिश्रित होकर भारत की सांस्कृतिक कूटनीति एवं समावेशी विकास मॉडल का सूक्ष्म रूप प्रस्तुत करता है।

अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह से संबंधित प्रमुख चुनौतियाँ क्या हैं ?

- **संकट में स्वर्ग – पर्यावरण क्षरण:** अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह अपनी अद्वितीय जैव विविधता को संरक्षित करने और आर्थिक विकास को आगे बढ़ाने के बीच एक गंभीर दुविधा का सामना कर रहे हैं।
  - **ग्रेट निकोबार में प्रस्तावित 42,000 करोड़ रुपए** के ट्रांसशिपमेंट पोर्ट से महत्त्वपूर्ण पर्यावासों के लिये खतरा है।
    - इस परियोजना को समायोजित करने के लिये **गैलेथिया खाड़ी वन्यजीव अभयारण्य की अधिसूचना** रद्द करना संरक्षण पर विकास को प्राथमिकता देने का उदाहरण प्रस्तुत करता है।
  - यदि यह प्रवृत्ति जारी रही तो इससे अपरिवर्तनीय पारिस्थितिक क्षति उत्पन्न हो सकती है, जिसका संभावित रूप से **जैव विविधता और जलवायु विनियमन पर प्रभाव पड़** सकता है।
- **भू-राजनीतिक बिसात:** इन द्वीपों की रणनीतिक अवस्थिति, लाभप्रद होने के बावजूद, उन्हें **हिंद-प्रशांत भू-राजनीतिक तनाव** के केंद्र में रखती है।
  - हिंद महासागर में चीन की बढ़ती उपस्थिति—जिसकी पुष्टि उसकी **'स्ट्रिंग ऑफ पर्ल' रणनीति** से होती है, महत्त्वपूर्ण सुरक्षा चुनौतियाँ उत्पन्न कर रही हैं।
  - मलक्का जलडमरूमध्य से निकटता, जिससे **भारत का लगभग 40% व्यापार परिवहन** होता है, रणनीतिक जटिलता की वृद्धि करती है।
- **अवसंरचनात्मक कमी:** अपने रणनीतिक महत्त्व के बावजूद ये द्वीप गंभीर अवसंरचनात्मक कमी से ग्रस्त हैं।
  - **572 द्वीपों में से केवल 38** पर ही लोगों का वास है और उनके बीच संपर्क भी सीमित है।
  - **राजधानी पोर्ट ब्लेयर मुख्य भूमि से 1,200 किमी** से अधिक दूर है, जिससे रसद एवं संसाधन आवंटन जटिल हो जाता है।
- **'सांस्कृतिक चौराहा':** अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह की मूल जनजातियाँ, जिनमें **जारवा , ओंज और सेंटिनली** शामिल हैं , आधुनिकीकरण और बाहरी संपर्क के कारण अस्तित्व संबंधी खतरों का सामना कर रही हैं।
  - ग्रेट अंडमानी लोगों की संख्या **1850 के दशक में 5,000 से घटकर वर्ष 2021 में** केवल 59 रह गई।
  - जारवा क्षेत्र से **गुज़रते अंडमान ट्रंक रोड** के निर्माण से परस्पर संपर्क और संभावित शोषण में वृद्धि हुई है।
- **पर्यटन की कठिन राह:** पर्यटन इन द्वीपों के लिये एक प्रमुख आर्थिक चालक है और यहाँ पर्यटकों की संख्या लगातार बढ़ रही है।
  - यद्यपि इससे आर्थिक लाभ प्राप्त होता है, लेकिन **स्थानीय संसाधनों और पारिस्थितिकी तंत्र** पर दबाव भी पड़ता है।

नोट :

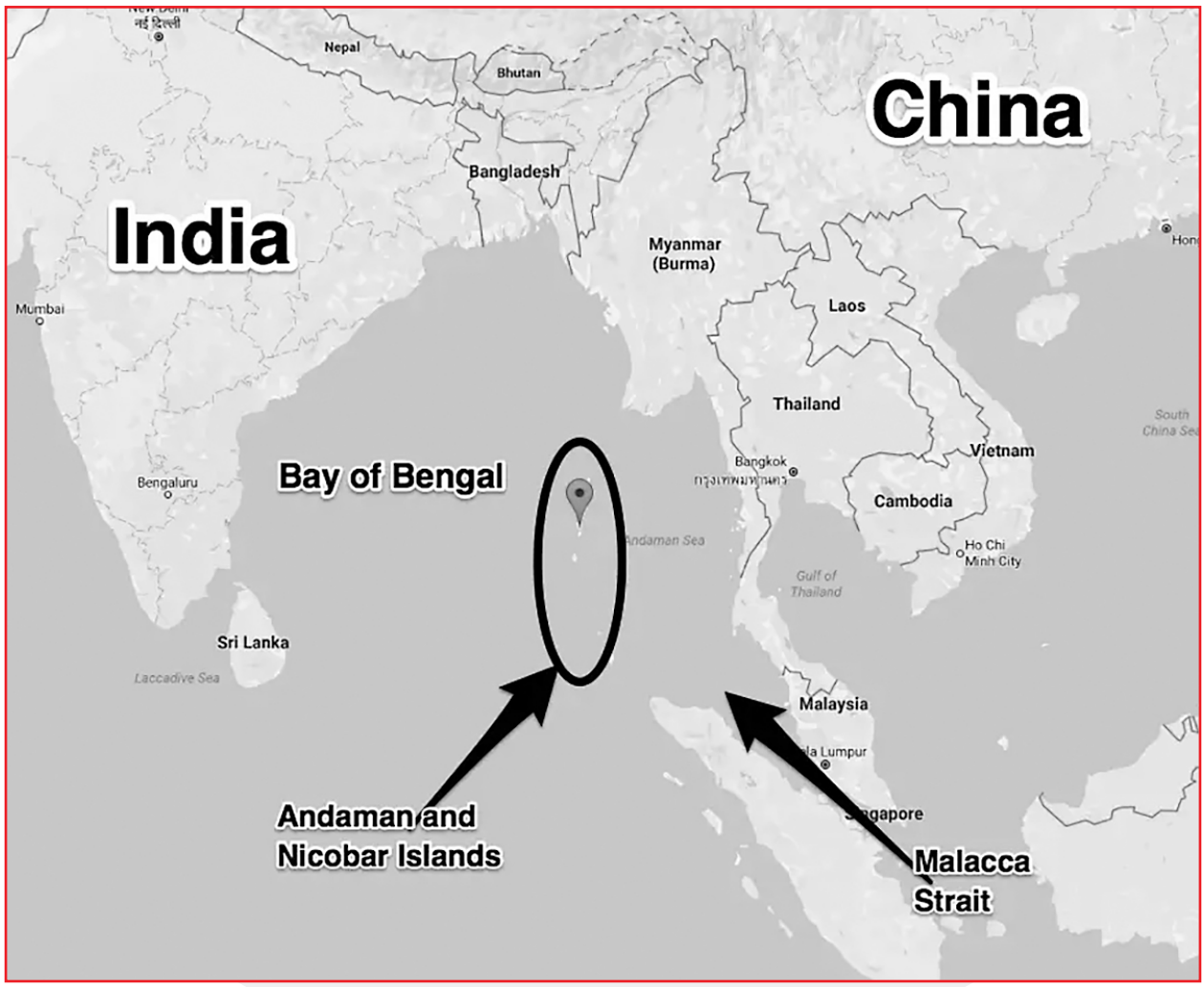

- द्वीपों को संवहनीय **अवसंरचना विकास, अपशिष्ट प्रबंधन और संवेदनशील क्षेत्रों** की सुरक्षा में चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है।

- **जलवायु भेद्यता:** ये द्वीप जलवायु परिवर्तन के प्रभावों का सर्वाधिक खतरा रखते हैं और इन्हें **समुद्र-स्तर में वृद्धि, चक्रवात की तीव्रता में वृद्धि** तथा वर्षा के बदलते पैटर्न से खतरों का सामना करना पड़ रहा है।
  - जलवायु परिवर्तन पर अंतर-सरकारी पैनल (IPCC) ने **वर्ष 2050** तक इन द्वीपों के निचले इलाकों के जलमग्न होने की आशंका जताई है।
  - **वर्ष 2010 में समुद्र की सतह** की तापमान **विसंगतियों और** एल नीनो दक्षिणी दोलन (ENSO) के कारण बड़े पैमाने पर प्रवाल विरंजन की घटना हुई, जिसके परिणामस्वरूप साउथ बटन द्वीप, हैवलॉक द्वीप, नॉर्थ बे, चिड़ियाटापु और रेडस्किन द्वीप में लगभग 70% जीवित प्रवाल नष्ट हो गए।
- **प्राकृतिक आपदा हॉटस्पॉट:** अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह **भूकंपीय रूप से सक्रिय ज़ोन V** में अवस्थित है, जिससे वे **भूकंप और सुनामी** के लिये अत्यधिक संवेदनशील हैं।
  - वर्ष 2004 में हिंद महासागर में आई विनाशकारी सुनामी, जिसने इन **द्वीपों को बुरी तरह प्रभावित** किया था, इस भेद्यता को उजागर करती है।

नोट :

- वर्ष 2009 में पोर्ट ब्लेयर के निकट **7.5 तीव्रता का भूकंप** आया था, जिससे व्यापक क्षति हुई थी और इन द्वीपों के लिये भूकंपीय खतरा बने रहने का संकेत मिला था।
- इन द्वीपों की अवस्थिति और स्थलाकृति के कारण, विशेषकर मानसून के मौसम में, भूस्खलन की संभावना भी बनी रहती है।

अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के संबंध में भारत क्या कदम उठा सकता है?

- **सतत् अवसंरचना विकास:** एक व्यापक सतत् अवसंरचना योजना लागू की जाए, जहाँ **नवीकरणीय ऊर्जा, जल संरक्षण और पर्यावरण-अनुकूल अपशिष्ट प्रबंधन** को प्राथमिकता दी जाए।
  - **डीजल जनरेटर** पर निर्भरता कम करने के लिये सौर एवं पवन ऊर्जा प्रतिष्ठानों के विकास पर ध्यान केंद्रित किया जाए।
  - जल की कमी को दूर करने के लिये वर्षा **जल संचयन प्रणालियाँ और अलवणीकरण संयंत्र** स्थापित किये जाएँ।
  - **पुनर्चक्रण और कंपोस्टिंग** पर बल देते हुए एक सुदृढ़ अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली स्थापित की जाए।
  - सुनिश्चित किया जाए कि सभी **नए निर्माण कार्य हरित भवन मानकों** का पालन करें तथा उनमें स्थानीय सामग्रियों और जलवायु प्रत्यास्थता के लिये अनुकूलित पारंपरिक डिज़ाइनों को शामिल किया जाए।
- **तटीय और समुद्री संरक्षण में वृद्धि करना: 'नो-टेक ज़ोन'** (no-take zones) का विस्तार कर और कड़े प्रवर्तन उपायों को लागू कर मौजूदा समुद्री संरक्षित क्षेत्र नेटवर्क को सुदृढ़ किया जाए।
  - **अवैध मत्स्यग्रहण** की समस्या से निपटने और लुप्तप्राय प्रजातियों की रक्षा करने के लिये जल के नीचे ड्रोन एवं उपग्रह इमेजिंग जैसी उन्नत निगरानी प्रौद्योगिकियों में निवेश किया जाए।
  - समुदाय आधारित संरक्षण कार्यक्रम विकसित किया जाए, जहाँ स्थानीय मछुआरों को संवहनीय अभ्यासों और समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र की निगरानी में संलग्न किया जाए।
  - एक व्यापक **प्रवाल पुनर्स्थापन** कार्यक्रम लागू किया जाए, जिसमें कृत्रिम भित्तियों के साथ-साथ प्रत्यास्थी प्रवाल प्रजातियों का सक्रिय रूप से पुन:रोपण किया जाना शामिल हो।
  - इन द्वीपों के जल की अद्वितीय जैव विविधता का अध्ययन और संरक्षण करने के लिये एक समर्पित समुद्री अनुसंधान केंद्र की स्थापना की जाए।
- **सांस्कृतिक अभयारण्य – स्वदेशी विरासत का संरक्षण करना:** अतिक्रमण और अवांछित संपर्क को रोकने के लिये स्वदेशी जनजातियों के क्षेत्रों के आसपास बफ़र ज़ोन स्थापित किये जाएँ।
  - **सांस्कृतिक रूप से संवेदनशील स्वास्थ्य देखभाल कार्यक्रम** विकसित किये जाएँ जो आधुनिक चिकित्सा को पारंपरिक अभ्यासों के साथ जोड़ते हों और स्वदेशी ज्ञान का सम्मान करते हों।
  - **पारंपरिक भाषाओं, रीति-रिवाजों और पारिस्थितिक ज्ञान** के दस्तावेज़ीकरण एवं संरक्षण के लिये एक स्वदेशी ज्ञान एवं संस्कृति केंद्र की स्थापना की जाए।
  - जनजातीय क्षेत्रों के निकट पर्यटन पर कड़े नियम लागू किये जाएँ और उल्लंघन पर भारी जुर्माना लगाया जाए।
  - **स्वदेशी समुदायों को अपने अधिकारों का दावा करने** तथा उनकी भूमि को प्रभावित करने वाली निर्णयन प्रक्रियाओं में उनकी भागीदारी के लिये विधिक एवं प्रशासनिक सहायता प्रदान की जाए।
- **हरित पर्यटन – पारिस्थितिकी पर्यटन और सतत् आगंतुक प्रबंधन:** एक व्यापक पारिस्थितिकी पर्यटन रणनीति विकसित की जाए जो प्रत्येक द्वीप की वहन क्षमता के अध्ययन के आधार पर आगंतुकों की संख्या को सीमित कर सके।
  - **पर्यावरण-अनुकूल आवासों और टूर ऑपरेटरों** के लिये एक प्रमाणन कार्यक्रम लागू किया जाए, जहाँ संवहनीय अभ्यासों को प्रोत्साहित किया जाए।
  - द्वीपों के अद्वितीय पारिस्थितिकी तंत्र और संस्कृतियों पर ध्यान केंद्रित करते हुए गहन, शैक्षिक अनुभव का सृजन किया जाए तथा संरक्षण जागरूकता को बढ़ावा दिया जाए।
- **आपदा प्रत्यास्थता – प्रकृति के प्रकोप के विरुद्ध सुदृढ़ीकरण: भूकंपीय, सुनामी, चक्रवात और भूस्खलन चेतावनियों** को एकीकृत करते हुए एक बहु-जोखिम पूर्व-चेतावनी प्रणाली का विकास किया जाए, ताकि सभी बसे हुए द्वीपों तक सूचना एवं चेतावनी का त्वरित प्रसार सुनिश्चित हो सके।
  - **भूकंपीय गतिविधि, तूफानी लहरों और भूस्खलन** के जोखिमों को ध्यान में रखते हुए सख्त भवन संहिता और भूमि-उपयोग विनियमनों को लागू किया जाए तथा मौजूदा महत्त्वपूर्ण अवसंरचना को इनके अनुकूल बनाया जाए।

नोट :

- नियमित सामुदायिक **तैयारी अभ्यासों और जागरूकता कार्यक्रमों** के साथ द्वीपों में आपदा-रोधी आश्रयों और निकासी मार्गों का एक नेटवर्क विकसित किया जाए।
- **आपदा प्रतिरोधी अवसंरचना और प्रकृति** आधारित समाधान (जैसे कि मैंग्रोव पुनरुद्धार और प्रवाल भित्ति संरक्षण) के निर्माण में निवेश किया जाए, ताकि तूफ़ानों एवं सुनामी के विरुद्ध ये प्राकृतिक अवरोधक के रूप में कार्य कर सकें, साथ ही जैव विविधता को भी बढ़ाया जा सके।

- **जलवायु परिवर्तन के लिये अनुकूली रणनीतियाँ:** एक व्यापक जलवायु परिवर्तन अनुकूलन योजना को लागू किया जाए, जिसमें **समुद्र-स्तर में वृद्धि का मानचित्रण** और सभी बसे हुए द्वीपों के लिये भेद्यता आकलन शामिल हो।
  - प्रकृति आधारित **तटीय रक्षा प्रणालियों** का विकास किया जाए, जिसमें मैंग्रोव पुनरुद्धार को पारगम्य समुद्री दीवारों जैसे इंजीनियर्ड समाधानों के साथ संयोजित करना शामिल है।
  - **जलवायु-अनुकूल कृषि पद्धतियों** को अपनाया जाए, जहाँ लवण-सहिष्णु फसल किस्मों और जल-कुशल कृषि तकनीकों को बढ़ावा दिया जाए।
  - **चरम मौसमी घटनाओं** के लिये एक पूर्व-चेतावनी प्रणाली स्थापित की जाए, साथ ही समुदाय-आधारित आपदा तैयारी कार्यक्रमों का निर्माण हो।
  - स्थानीय प्रभावों की निगरानी करने तथा विशिष्ट अनुकूलन रणनीति विकसित करने के लिये एक समर्पित **जलवायु परिवर्तन अनुसंधान केंद्र** की स्थापना की जाए।
- **द्वीप संपर्क – संवहनीय परिवहन नेटवर्क:** इलेक्ट्रिक नौकाओं, सौर ऊर्जा चालित जल टैक्सियों और पर्यावरण-अनुकूल भूमि परिवहन विकल्पों को संयुक्त करते हुए एक एकीकृत एवं संवहनीय परिवहन प्रणाली का विकास किया जाए।
  - शहरी क्षेत्रों में वाहनों के प्रवाह को अनुकूलतम करने तथा उत्सर्जन को कम करने के लिये स्मार्ट यातायात प्रबंधन प्रणाली लागू की जाए।
- **ब्लू इकोनॉमी को बढ़ावा देना:** संवहनीय जलकृषि परियोजनाएँ विकसित की जाएँ, देशी प्रजातियों पर ध्यान केंद्रित किया जाए और अपशिष्ट को न्यूनतम करने के लिये चक्रीय अर्थव्यवस्था के सिद्धांतों को अपनाया जाए।
  - एक संवहनीय उद्योग के रूप में **समुद्री शैवाल की खेती में निवेश किया जाए जो कार्बन पृथक्करण (carbon sequestration)** में योगदान देगा और वैकल्पिक आजीविका भी प्रदान करेगा।
  - द्वीपों की समुद्री जैव विविधता के संभावित औषधीय एवं औद्योगिक अनुप्रयोगों का पता लगाने के लिये एक **समुद्री जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान केंद्र** की स्थापना की जाए।
  - प्रशिक्षण कार्यक्रमों, उपकरण आधुनिकीकरण और उत्तरदायी तरीके से **सी-फ़ूड पकड़ने के लिये प्रोत्साहन (incentives)** प्रदान करने के माध्यम से संवहनीय मत्स्यग्रहण अभ्यासों को बढ़ावा दिया जाए।
- **द्वीप विकास के लिये प्रौद्योगिकी का लाभ उठाना:** सभी बसे हुए द्वीपों तक **हाई-स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी** का विस्तार किया जाए, ताकि दूरस्थ कार्य के अवसर उपलब्ध हो सकें और शिक्षा एवं स्वास्थ्य सेवा तक बेहतर पहुँच सुनिश्चित हो।
  - **वायु एवं जल गुणवत्ता, वन्यजीवों की गतिविधियों और पारिस्थितिकी तंत्र** के स्वास्थ्य की रियल-टाइम निगरानी के लिये **IoT-आधारित पर्यावरण निगरानी प्रणालियाँ** लागू की जाएँ।

■■■

भारत में समान नागरिक संहिता (UCC)

समान नागरिक संहिता (**Uniform Civil Code-UCC**) भारत के विधिक एवं सामाजिक परिदृश्य में **एक लंबे समय से लंबित और जटिल** मुद्दा बना रहा है। UCC का उद्देश्य वर्तमान प्रणाली को बदलना है, जहाँ **विभिन्न धार्मिक समुदाय विवाह, तलाक, उत्तराधिकार और दत्तक ग्रहण** जैसे मामलों में अपने स्वयं के व्यक्तिगत कानूनों (personal laws) का पालन करते हैं। समर्थकों का तर्क है कि UCC राष्ट्रीय एकीकरण, लैंगिक न्याय और विधि के समक्ष समता को बढ़ावा देगा, जबकि आलोचक चिंता जताते हैं कि यह धार्मिक एवं सांस्कृतिक विविधता के संरक्षण को क्षति पहुँचा सकता है।

समान नागरिक संहिता की अवधारणा स्वतंत्रता के बाद से ही **भारत के संवैधानिक ढाँचे का अंग** रही है, जिसे **राज्य के नीति के निदेशक तत्त्व (DPSP)** के रूप में शामिल किया गया है। हालाँकि इसका कार्यान्वयन दशकों से बहस और विवाद का विषय रहा है। **समान नागरिक संहिता** के **इर्द-गिर्द होने वाली चर्चा धार्मिक स्वतंत्रता, अल्पसंख्यक अधिकार** और समान नागरिक विधि एवं भारत की विविध सांस्कृतिक परंपराओं के बीच संतुलन जैसे संवेदनशील मुद्दों को स्पर्श करती है

समान नागरिक संहिता क्या है?

- समान नागरिक संहिता भारत के सभी नागरिकों के लिये **विवाह, तलाक, दत्तक ग्रहण, विरासत एवं उत्तराधिकार** जैसे व्यक्तिगत मामलों को नियंत्रित करने वाली विधियों के एक समूह को संदर्भित करती है।

नोट :

- समान नागरिक संहिता की अवधारणा का उल्लेख **भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44** में **राज्य नीति के निदेशक तत्व के रूप** में किया गया है, जहाँ कहा गया है कि राज्य भारत के समस्त राज्यक्षेत्र में नागरिकों के लिये एकसमान नागरिक संहिता सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा।
  - हालाँकि, यह ध्यान रखना महत्त्वपूर्ण है कि यह **कानूनी रूप से प्रवर्तनीय (enforceable) अधिकार नहीं** है, बल्कि राज्य के लिये एक मार्गदर्शक सिद्धांत है।

समान नागरिक संहिता से संबंधित संवैधानिक इतिहास और प्रमुख न्यायिक घोषणाएँ:

- **आरंभिक बहस:**
  - **मूल अधिकारों पर उप-समिति:** संविधान के लिये मूल अधिकारों का मसौदा तैयार करने के क्रम में **उप-समिति सदस्यों (बी. आर. अंबेडकर, के. एम. मुंशी और मीनू मसानी) ने UCC को अपने मसौदे** में शामिल किया था।
  - **अधिकारों का विभाजन:** उप-समिति ने मूल अधिकारों को **वाद-योग्य (justiciable) और वाद-अयोग्य (non-justiciable) श्रेणियों** में विभाजित किया। UCC को वाद-अयोग्य श्रेणी में रखा गया।
    - **मीनू मसानी, हंसा मेहता और अमृत कौर** ने इसका विरोध करते हुए तर्क दिया कि धर्म पर आधारित व्यक्तिगत कानून राष्ट्रीय एकता में बाधा डाल सकते हैं।
    - उन्होंने **समान नागरिक संहिता को वाद-योग्य अधिकार** के रूप में पेश करने की वकालत की।
- **संविधान सभा की बहस:**
  - **अनुच्छेद 35 का मसौदा:** अंबेडकर द्वारा प्रस्तुत **अनुच्छेद 35 के मसौदे (जो बाद में अनुच्छेद 44 बना)** ने समान नागरिक संहिता को निदेशक तत्वों में शामिल किया, जिससे यह **गैर-अधिदेशात्मक (non-mandatory)** हो गया।
    - इस्माइल साहब और पोकर साहिब बहादुर जैसे मुस्लिम नेताओं ने तर्क दिया कि समान नागरिक संहिता धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लंघन करती है और इससे असामंजस्य पैदा होगा।
  - **UCC के बचाव में तर्क:**
    - **के. एम. मुंशी:** उन्होंने राष्ट्रीय एकता और धर्मनिरपेक्षता के लिये समान नागरिक संहिता की वकालत की, जहाँ हिंदू समुदायों की चिंताओं पर भी ध्यान दिया।
    - **अल्लादी कृष्णास्वामी अय्यर:** उन्होंने तर्क दिया कि समान नागरिक संहिता से सद्भाव को बढ़ावा मिलेगा और सवाल उठाया कि मौजूदा समान दंड संहिता के विरुद्ध कोई विरोध क्यों नहीं हुआ।
    - **भीमराव अंबेडकर:** उन्होंने समान नागरिक संहिता की वैकल्पिक प्रकृति पर बल दिया और इसे नीति निदेशक तत्वों में शामिल करने को समझौता (compromise) बतलाया।
- **UCC पर प्रमुख न्यायिक घोषणाएँ**
  - **शाह बानो केस (1985) :** न्यायालय ने एक मुस्लिम महिला के भरण-पोषण के अधिकार की पुष्टि की और समान नागरिक संहिता को राष्ट्रीय एकीकरण से जोड़कर देखा।
  - **1985 - जॉर्डन डिएंगडेह मामला:** तलाक कानूनों की विसंगतियों को उजागर किया गया और विधिक एकरूपता के लिये UCC की मांग की गई।
  - **1995 - सरला मुद्गल मामला:** समान नागरिक संहिता (UCC) का प्रबल समर्थन किया गया, विशेष रूप से बहुसंख्यक हिंदू आबादी के लिये, और इसके कार्यान्वयन में हो रही देरी पर सवाल उठाया।
  - **1996 - पन्नालाल बंसीलाल पिट्टी मामला:** भारत की बहुलवादिता को स्वीकार किया गया तथा समान नागरिक संहिता के क्रमिक कार्यान्वयन का तर्क दिया गया।
  - **2000 - लिली थॉमस मामला:** सर्वोच्च न्यायालय ने उत्तराधिकार के संदर्भ में UCC के महत्त्व पर बल दिया।
  - **2003 - जॉन वल्लमट्टम मामला:** ईसाई पर्सनल लॉ में मौजूद भेदभावपूर्ण प्रावधानों को निरस्त कर दिया गया और समान नागरिक संहिता की आवश्यकता पर बल दिया गया।
  - **2014 - शबनम हाशमी मामला:** किशोर न्याय अधिनियम को UCC से जोड़ा गया और धर्मनिरपेक्ष कानूनों की आवश्यकता पर बल दिया गया।
  - **शायरा बानो केस- 2017:** इसने तीन तलाक के मुद्दे को संबोधित किया, समान नागरिक संहिता पर बहस को फिर से प्रेरित किया, लेकिन इसे मानवाधिकारों के मुद्दे से अलग कर देखा।

समान नागरिक संहिता के पक्ष में तर्क:

- **विधि के अंतर्गत समता – धार्मिक बाधाओं को तोड़ना:** समान नागरिक संहिता सभी नागरिकों के लिये **समान अधिकार और व्यवहार सुनिश्चित** करेगी, चाहे उनकी धार्मिक पृष्ठभूमि कुछ भी हो।

नोट :

- यह **भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14** के अनुरूप है, जो विधि के समक्ष समता की गारंटी देता है।
- **समान नागरिक संहिता विवाह कानूनों** को मानकीकृत करेगी तथा लैंगिक समानता एवं धार्मिक तटस्थता को बढ़ावा देगी।
- उत्तराखंड में हाल ही में समान नागरिक संहिता का कार्यान्वयन, जहाँ बहुविवाह पर प्रतिबंध लगाया गया है और सभी के लिये **विवाह की आयु 21 वर्ष** निर्धारित की गई है, संभावित राष्ट्रीय कार्यान्वयन के लिये एक मॉडल के रूप में कार्य कर सकता है।

- **महिला सशक्तीकरण – पितृसत्तात्मक मानदंडों को चुनौती देना:** कई व्यक्तिगत कानूनों की महिलाओं के प्रति भेदभावपूर्ण होने के लिये आलोचना की जाती है।
  - समान नागरिक संहिता **तीन तलाक, असमान उत्तराधिकार अधिकार और बाल विवाह** जैसे मुद्दों का समाधान कर सकती है।
  - NFHS-5 के अनुमानों से पता चलता है कि **20-24 आयु वर्ग की 23.3% महिलाओं का विवाह 18 वर्ष की आयु** से पहले हो गया था; यह समान विवाह कानूनों की आवश्यकता को उजागर करता है।
    - UCC संभावित रूप से इस संख्या को कम कर सकती है।
- **कानूनी प्रणाली को सरल बनाना – व्यक्तिगत कानूनों को सुव्यवस्थित करना:** भारत में धर्म के आधार पर कई व्यक्तिगत कानूनों की वर्तमान प्रणाली एक जटिल कानूनी परिदृश्य का निर्माण करती है।
  - **समान नागरिक संहिता इस प्रणाली को सरल** बनाएगी, जिससे न्यायालयों के लिये न्याय करना आसान हो जाएगा तथा नागरिकों के लिये अपने अधिकारों को समझना सरल हो जाएगा।
  - **सिविल मामलों में पर्सनल लॉ** संबंधी **विवाद एक बड़ी हिस्सेदारी** रखते हैं, जिससे न्यायालय के समक्ष लंबित मामलों में वृद्धि होती है। एक **एकीकृत संहिता संभावित रूप से इस बोझ** को कम कर सकती है और कानूनी प्रक्रियाओं को सरल बना सकती है।
- **राष्ट्रीय एकता – एकीकृत भारतीय पहचान को बढ़ावा देना:** समर्थकों का तर्क है कि समान नागरिक संहिता नागरिक मामलों में धार्मिक पहचान की तुलना में नागरिकता पर बल देकर राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देगी।
  - यह जर्गेन हेबरमास (Jürgen Habermas) जैसे विद्वानों द्वारा समर्थित **'संवैधानिक देशभक्ति' (constitutional patriotism)** के विचार से मेल खाता है।
  - सभी समुदायों के लिये **समान दंड संहिता (भारतीय दंड संहिता- IPC)** का सफल कार्यान्वयन इस बात का उदाहरण है कि भारत जैसे विविधतापूर्ण समाज में एक एकीकृत कानून किस प्रकार कार्य कर सकता है।
- **आधुनिकीकरण और सामाजिक सुधार: समान नागरिक संहिता** सभी समुदायों में पुरानी प्रथाओं में सुधार लाने और व्यक्तिगत कानूनों को समकालीन सामाजिक मूल्यों के अनुरूप बनाने का एक अवसर सिद्ध हो सकता है।
  - उदाहरण के लिये, **वर्ष 2018 में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा समलैंगिक संबंधों** को वैध बनाना आधुनिक व्यक्तिगत कानूनों की आवश्यकता को उजागर करता है।
  - समान नागरिक संहिता संभावित रूप से विवाह, दत्तक ग्रहण और उत्तराधिकार जैसे मामलों में **LGBTQ+ अधिकारों** जैसे मुद्दों को संबोधित कर सकती है, जिन्हें वर्तमान में विभिन्न व्यक्तिगत कानूनों के तहत समान रूप से मान्यता नहीं दी गई है।
- **अंतर्राष्ट्रीय संरेखण – वैश्विक प्रवृत्तियों के साथ तालमेल बनाए रखना:** विविध जनसंख्या वाले कई देशों ने एकीकृत नागरिक संहिताओं को सफलतापूर्वक लागू किया है।
  - **वर्ष 1926 में तुर्की द्वारा धर्मनिरपेक्ष नागरिक संहिता का अंगीकरण** इसका एक प्रमुख उदाहरण है।
  - **समान नागरिक संहिता (UCC)** के अंगीकरण से भारत अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार मानकों के अनुरूप बन सकता है, जिससे वैश्विक सूचकांकों (जैसे ग्लोबल जेंडर गैप सूचकांक) पर इसकी स्थिति में सुधार हो सकता है, जहाँ वह वर्तमान में 146 देशों के बीच 129वें स्थान पर है।

समान नागरिक संहिता के विरुद्ध तर्क:

- **सांस्कृतिक संरक्षण – भारत की विविध विरासत की रक्षा करना:** भारत का बहुलवादी समाज सांस्कृतिक एवं धार्मिक प्रथाओं के समृद्ध मिश्रण से चिह्नित होता है, जिनमें से कई व्यक्तिगत कानूनों के तहत संरक्षित हैं।
  - आलोचकों का तर्क है कि **समान नागरिक संहिता इस विविधता को नष्ट** कर सकती है और सांस्कृतिक एकरूपता की ओर ले जा सकती है।

नोट :

- उदाहरण के लिये, खासी जनजाति की अद्वितीय मातृवंशीय उत्तराधिकार प्रणाली खतरे में पड़ सकती है।

- **धार्मिक स्वतंत्रता - धर्मनिरपेक्षता एवं आस्था में संतुलन रखना:** समान नागरिक संहिता के विरोधियों का तर्क है कि यह संविधान के **अनुच्छेद 25 द्वारा गारंटीकृत धार्मिक स्वतंत्रता** के अधिकार का उल्लंघन कर सकता है।
  - उनका तर्क है कि व्यक्तिगत कानून कई समुदायों के लिये धार्मिक आचरण का अभिन्न अंग हैं।
  - **प्यू रिसर्च सेंटर (Pew Research Center) के वर्ष 2021** के एक सर्वेक्षण में पाया गया कि 84% भारतीय अपने जीवन में धर्म को अत्यंत महत्त्वपूर्ण मानते हैं। धर्म से प्रभावित व्यक्तिगत कानूनों में किसी बदलाव को संभावित प्रतिरोध का सामना करना पड़ सकता है।
- **अल्पसंख्यक अधिकार - कमज़ोर समुदायों की सुरक्षा करना:** ऐसी चिंताएँ व्यक्त की गई हैं कि समान नागरिक संहिता अल्पसंख्यक समुदायों को असंगत रूप से प्रभावित कर सकती है, जिससे उनमें संभावित रूप से हाशिये पर धकेले जाने की भावना पैदा हो सकती है।
  - आलोचकों ने उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता के कार्यान्वयन की ओर ध्यान दिलाया है, जिसे **अल्पसंख्यक समूहों के विरोध का सामना** करना पड़ा, जहाँ उनका कहना था कि इसमें उनकी परंपराओं पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया है।
  - **भारत की अल्पसंख्यक आबादी, जो कुल आबादी की लगभग 19.3%** है (वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार), को भय है कि समान नागरिक संहिता बहुसंख्यक प्रथाओं से अधिक प्रभावित हो सकती है, जिससे उनकी अपनी सांस्कृतिक पहचान कमज़ोर हो सकती है।
- **व्यावहारिक कार्यान्वयन - लॉजिस्टिकल बाधाओं पर काबू पाना:** आलोचकों का तर्क है कि भारत जैसे विविधतापूर्ण देश में सभी समुदायों को संतुष्ट कर सकने वाली समान नागरिक संहिता का निर्माण करना व्यावहारिक रूप से असंभव है।
  - **विधि आयोग की वर्ष 2018 की रिपोर्ट** में देश की विविधता का हवाला देते हुए निष्कर्ष दिया गया था कि वर्तमान समय में समान नागरिक संहिता 'न तो आवश्यक है और न ही वांछनीय'।
  - चुनौती इस तथ्य से स्पष्ट है कि **हिंदू कानून में भी, जिसे 1950** के दशक में संहिताबद्ध किया गया था, अभी भी क्षेत्रीय भिन्नताएँ मौजूद हैं।
  - उदाहरण के लिये, हिंदू उत्तराधिकार (केरल संशोधन) अधिनियम 2015 केरल में भिन्न उत्तराधिकार नियमों का प्रावधान करता है।
- **संघवाद संबंधी चिंताएँ - राज्य बनाम केंद्र प्राधिकार:** एक राष्ट्रव्यापी समान नागरिक संहिता का कार्यान्वयन संभावित रूप से भारत के संघीय ढाँचे का उल्लंघन कर सकता है।
  - व्यक्तिगत **कानून संविधान की समवर्ती सूची** के अंतर्गत आते हैं, जिसके तहत राज्य और केंद्र दोनों सरकारों को उन पर कानून बनाने का अधिकार है।
  - आलोचकों का मानना है कि केंद्र द्वारा अधिरोपित समान नागरिक संहिता राज्य स्वायत्तता को कमज़ोर कर सकती है। हाल ही में उत्तराखंड में राज्य की स्वयं की पहल के रूप में UCC का कार्यान्वयन सवाल खड़े करता है कि राष्ट्रीय समान नागरिक संहिता राज्य-विशिष्ट कानूनों एवं रीति-रिवाजों के साथ किस प्रकार तालमेल स्थापित करेगी।
- **आर्थिक प्रभाव - कानूनी सुधार की प्रच्छन्न लागतें:** UCC के कार्यान्वयन के लिये कानूनी प्रणाली में बड़े पैमाने पर सुधार की आवश्यकता होगी, जिसके लिये संभावित रूप से महत्त्वपूर्ण लागतें उठानी पड़ेंगी।
  - इसमें कानूनी पेशेवरों को पुनः प्रशिक्षित करना, कानूनी डेटाबेस को अद्यतन करना तथा संक्रमण काल के दौरान न्यायालय पर बोझ बढ़ान शामिल है।
  - आलोचकों का तर्क है कि जहाँ **भारत की न्यायपालिका पहले से ही 47 मिलियन** से अधिक लंबित मामलों का सामना कर रही है, समान नागरिक संहिता के कार्यान्वयन के लिये आवश्यक संसाधनों का बेहतर उपयोग यह होगा कि उन्हें **मौजूदा न्यायिक अक्षमताओं को दूर करने के लिये** किया जाए।

आगे की राह:

- **समावेशी संवाद - परामर्श के माध्यम से आम सहमति का निर्माण करना:** UCC के लिये आगे की राह में विविध हितधारकों के साथ व्यापक, राष्ट्रव्यापी परामर्श शामिल होना चाहिये।
  - इसमें **धार्मिक नेताओं, कानूनी विशेषज्ञों, नागरिक समाज संगठनों और विभिन्न** समुदायों के प्रतिनिधियों को शामिल किया जाना चाहिये।
  - यह प्रक्रिया पारदर्शी होनी चाहिये तथा प्रस्तावित परिवर्तनों और उनके निहितार्थों के बारे में स्पष्ट जानकारी होनी चाहिये।

नोट :

- जागरूकता पैदा करने और विविध दृष्टिकोणों से अवगत होने के लिये सार्वजनिक बहस एवं चर्चाओं को प्रोत्साहित किया जाना चाहिये।
  - यह समावेशी दृष्टिकोण चिंताओं को दूर करने और व्यापक आम सहमति का निर्माण करने में मदद कर सकता है, जिससे कार्यान्वयन के प्रति प्रतिरोध में कमी आ सकती है।

- **चरणबद्ध कार्यान्वयन - परिवर्तन के लिये क्रमिक दृष्टिकोण:** अचानक आमूलचूल परिवर्तन के बजाय, UCC का चरणबद्ध कार्यान्वयन अधिक व्यवहार्य और कम विघटनकारी सिद्ध हो सकता है।
  - इसकी शुरुआत व्यापक सहमति वाले विषयों से हो सकती है, जैसे विवाह की कानूनी आयु का मानकीकरण, महिलाओं को समान अधिकार या उत्तराधिकार अधिकार।
  - फिर अगले चरण में अधिक विवादास्पद मुद्दों को संबोधित किया जा सकता है। यह क्रमिक दृष्टिकोण प्राप्त प्रतिक्रिया (फीडबैक) और वास्तविक व्यवहार्य परिणामों के आधार पर समायोजन की अनुमति प्रदान करेगा। यह समुदायों को अनुकूलित होने और कानूनी प्रणाली को परिवर्तनों के लिये तैयार होने का समय भी प्रदान करेगा।
- **संवैधानिक सुरक्षा - अल्पसंख्यक अधिकारों की रक्षा करना:** किसी भी समान नागरिक संहिता के कार्यान्वयन में अल्पसंख्यक अधिकारों और सांस्कृतिक प्रथाओं की रक्षा के लिये सुदृढ़ संवैधानिक सुरक्षा उपाय शामिल होने चाहिये।
  - इसमें UCC कार्यान्वयन की निगरानी और शिकायतों के समाधान के लिये एक निकाय का गठन करना शामिल हो सकता है।
  - समुदायों के लिये स्पष्ट तंत्र स्थापित किया जाना चाहिये ताकि वे उन विशिष्ट प्रथाओं के लिये छूट प्राप्त कर सकें जो मूल अधिकारों के साथ टकराव की स्थिति में नहीं हों।
  - यह दृष्टिकोण एकरूपता और सांस्कृतिक संरक्षण के लक्ष्यों को संतुलित करने में मदद कर सकता है तथा UCC के आलोचकों की प्रमुख चिंताओं का समाधान कर सकता है।
  - समान नागरिक संहिता की तुलना में न्यायपूर्ण नागरिक संहिता अधिक महत्त्वपूर्ण है।
- **साक्ष्य-आधारित सुधार - राज्य-स्तरीय पहलों से प्रेरणा ग्रहण करना:** आगे बढ़ने के लिये व्यक्तिगत कानून सुधारों से संबंधित मौजूदा राज्य-स्तरीय पहलों का सावधानीपूर्वक अध्ययन किया जाना चाहिये।
  - उदाहरण के लिये, **गोवा की नागरिक संहिता (जो पुर्तगाली शासन के समय से लागू है)** और उत्तराखंड में हाल में समान नागरिक संहिता के कार्यान्वयन के परिणामों का विश्लेषण किया जाना चाहिये।
  - यह साक्ष्य-आधारित दृष्टिकोण राष्ट्रीय UCC के डिज़ाइन को सूचना-संपन्न कर सकता है तथा सफल रणनीतियों और संभावित खामियों को उजागर कर सकता है।
    - यह UCC के पक्ष और विपक्ष में तर्कों को समर्थन देने या संशोधित करने के लिये ठोस आँकड़े भी उपलब्ध करा सकता है।

■■■

भारत में मानसिक स्वास्थ्य सेवा का पुनरुद्धार

पिछले पाँच वर्षों में 122 छात्रों द्वारा आत्महत्या किये जाने के परिदृश्य में मेडिकल छात्रों के **मानसिक स्वास्थ्य एवं कल्याण** को संबोधित करने के लिये हाल ही में **राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (National Medical Commission- NMC)** द्वारा एक कार्यबल का गठन किया गया। आयोग द्वारा आयोजित एक ऑनलाइन सर्वेक्षण से पता चला कि **27.8% स्नातक मेडिकल छात्र मानसिक** स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से जूझ रहे हैं, जबकि **राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग**के मन में आत्महत्या के विचार आए हैं। इससे प्रकट होता है कि मानसिक स्वास्थ्य एक गंभीर चिंता का विषय है और इसके लिये एक सुनियोजित नीति की आवश्यकता है।

मानसिक स्वास्थ्य (Mental Health) क्या है?

- **परिचय: विश्व स्वास्थ्य संगठन** (WHO) के अनुसार, **मानसिक स्वास्थ्य मानसिक कल्याण** की एक स्थिति है जो लोगों को जीवन के तनावों से निपटने, अपनी क्षमताओं को पहचानने, अच्छी तरह से सीखने एवं कार्य करने और अपने समुदाय में योगदान करने में सक्षम बनाता है।
- **अच्छा मानसिक स्वास्थ्य:** अच्छे मानसिक स्वास्थ्य की पहचान **भावनात्मक स्थिरता, प्रत्यास्थता, आत्म-सम्मान और तनाव** से प्रभावी ढंग से निपटने की क्षमता से होती है। इसमें सकारात्मक संबंध बनाए रखना और जीवन के प्रति संतुलित दृष्टिकोण बनाए रखना भी शामिल है।
- **मानसिक स्वास्थ्य दशाएँ:** मानसिक स्वास्थ्य दशाओं में मानसिक विकार और मनोसामाजिक नि:शक्तता के साथ ही भारी तनाव, कार्य करने में बाधा या आत्म-क्षति के जोखिम से संबद्ध अन्य मानसिक स्थितियाँ शामिल हैं।

नोट :

- **मानसिक विकार (mental disorder)** किसी व्यक्ति की **अनुभूति, भावनात्मक विनियमन या व्यवहार में नैदानिक** रूप से गंभीर व्यवधान के रूप में चिह्नित होता है।

- **मानसिक विकारों के सामान्य प्रकार:**
  - **दुश्चिंता विकार (Anxiety Disorders):**
    - यह अत्यधिक भय एवं चिंता के साथ ही **व्यवहारगत समस्या से चिह्नित** होता है।
    - वर्ष 2019 में 301 मिलियन लोग **दुश्चिंता विकार से पीड़ित** थे, जिनमें 58 मिलियन बच्चे और किशोर शामिल थे।
  - **अवसाद (Depression):**
    - इसमें लगातार उदासी, निराशा और गतिविधियों में रुचि या आनंद की कमी की भावना बनी रहती है।
    - वर्ष 2019 में 280 मिलियन लोग **अवसाद से ग्रस्त** थे, जिनमें 23 मिलियन बच्चे और किशोर शामिल थे।
  - **द्वि-ध्रुवीय भावदशा विकार (Bipolar Disorder):**
    - इस विकार से पीड़ित लोग **अवसाद और उन्माद (mania)** के प्रत्यावर्ती दौर का अनुभव करते हैं।
    - अवसाद के दौर में वे लंबे समय तक उदासी या गतिविधियों में अरुचि का अनुभव कर सकते हैं। **उन्माद के दौर में ख़ुशमिजाजी, अत्यंत सक्रियता, बातूनीपन, ज़हनी उपद्रव और आवेगपूर्ण** व्यवहार की विशेषताएँ प्रकट हो सकती हैं।
    - द्विध्रुवी विकार से ग्रस्त लोगों में **आत्महत्या का जोखिम अधिक** होता है।
  - **अभिघातजन्य तनाव विकार (Post-Traumatic Stress Disorder- PTSD):**
    - किसी आघातजनक घटना के संपर्क में आने के बाद विकसित होने वाले PTSD में **'फ्लैशबैक' या दु:स्वप्न और अत्यधिक उत्तेजना** के रूप में आघात की लगातार पुनरावृत्ति देखी जाती है।
  - **मनोविदलता/स्किज़ोफ्रेनिया (Schizophrenia):**
    - यह एक गंभीर मानसिक विकार है जिसमें विकृत सोच, धारणाएँ और भावनाएँ पाई जाती हैं। यह व्यक्ति के सोचने और व्यवहार करने के तरीके को प्रभावित करता है, जहाँ प्राय: वास्तविकता से उसका संपर्क टूट जाता है।
    - स्किज़ोफ्रेनिया या सिज़ोफ्रेनिया से दुनिया भर में लगभग 24 मिलियन लोग या प्रत्येक 300 में से 1 व्यक्ति प्रभावित हैं।
  - **आहार ग्रहण विकार (Eating Disorders):**
    - आहार ग्रहण विकार, जैसे एनोरेक्सिया **नर्वोसा (anorexia nervosa)** और बुलीमिया नर्वोसा (bulimia nervosa) में असामान्य खान-पान और आहार के प्रति अत्यधिक ध्यान केंद्रित करना, साथ ही शरीर के वजन और आकार को लेकर चिंताएँ करना शामिल होता है।
    - इसके लक्षणों या संबद्ध व्यवहारों के परिणामस्वरूप स्वास्थ्य के लिये गंभीर जोखिम उत्पन्न होते हैं, गंभीर तनाव या कार्यकलाप में गंभीर नि:शक्तता प्रकट होती है।
  - **विघटनकारी व्यवहार और असामाजिक विकार (Disruptive Behaviour and Dissocial Disorders):**
    - विघटनकारी व्यवहार और असामाजिक विकार व्यवहार संबंधी नियमित समस्याओं से चिह्नित होते हैं, जैसे कि लगातार विद्रोही या अवज्ञाकारी व्यवहार, जो लगातार दूसरों के मूल अधिकारों या प्रमुख आयु-उपयुक्त सामाजिक मानदंडों, नियमों या कानूनों का उल्लंघन करते हैं।
  - **तंत्रिका-विकास संबंधी विकार (Neurodevelopmental Disorders):**
    - ये व्यवहारगत और संज्ञानात्मक विकार हैं, जो विकासात्मक अवधि के दौरान उत्पन्न होते हैं और विशिष्ट बौद्धिक, चलन संबंधी, भाषाई या सामाजिक कार्यों के अधिग्रहण एवं निष्पादन में गंभीर कठिनाइयाँ उत्पन्न करते हैं।
    - इन विकारों में **बौद्धिक विकास संबंधी विकार, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिस-ऑर्डर और ADHD** (attention deficit hyperactivity disorder) शामिल हैं।

भारत में मानसिक स्वास्थ्य विकार की व्यापकता:

- **राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण (2015-16):**
  - **राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और स्नायु विज्ञान संस्थान (NIMHANS)** द्वारा आयोजित राष्ट्रव्यापी अध्ययन से उजागर हुआ कि भारत की सामान्य जनसंख्या का कम से कम **13.7% भाग विभिन्न प्रकार की मानसिक बीमारियों** से पीड़ित है और इनमें से 10.6% को तत्काल उपचार की आवश्यकता है।

नोट :

FACTS ON MENTAL ILLNESS

Mental illness affects nearly **970 MILLION** people around the world.

Any Mental Illness (AMI) is higher among **FEMALES (27.2%) than males (18.1%).**

Women are nearly **TWICE AS LIKELY TO SUFFER** from major **depression** than men.

Young adults **aged 18-25 years** have the **highest prevalence of AMI (33.7%)** compared to adults aged **26-49 years (28.1%)** and aged **50 and older (15.0%).**

The prevalence of **AMI is highest among ADULTS OF COLOR (34.9%)**

Among the 57.8 million adults with AMI, **ONLY 47.2%** **receive mental health services** in the past year.

An estimated **49.5% OF ADOLESCENTS** have any mental disorder.

Most people who **commit suicide** have a **DIAGNOSABLE MENTAL DISORDER**

MIND HELP

MIND JOURNAL

नोट :

- **आत्महत्या की दर:**
  - भारत **विश्व में सर्वाधिक आत्महत्या वाला देश होने की कुख्याति** रखता है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में भारत में **1.71 लाख लोगों ने** आत्महत्या की।
  - देश में आत्महत्या की दर बढ़कर **12.4 प्रति 1 लाख** हो गई है।
- **नैराश्य विकार (Depressive Disorders):**
  - **WHO की एक रिपोर्ट** के अनुसार, भारत गंभीर मानसिक स्वास्थ्य संकट का सामना कर रहा है, जहाँ अनुमानत: 56 मिलियन लोग अवसाद से और **38 मिलियन लोग** दुश्चिंता विकारों से पीड़ित हैं।

भारत में मानसिक स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली के समक्ष विद्यमान प्रमुख चुनौतियाँ:

- **निम्न नीति प्राथमिकता:**
  - मानसिक स्वास्थ्य ऐतिहासिक रूप से भारतीय नीति निर्माताओं के लिये निम्न प्राथमिकता का विषय रहा है।
  - मानसिक स्वास्थ्य के लिये **93,000 करोड़ रुपए से अधिक की अनुमानित** आवश्यकता के बावजूद, सरकार ने वर्ष 2019 में केवल 600 करोड़ रुपए और नवीनतम बजट में केवल **1,000 करोड़ रुपए** आवंटित किये, जिसमें से अधिकांश धनराशि तृतीयक सेवा संस्थानों को प्रदान की गई।
- **अपर्याप्त मानसिक स्वास्थ्य अवसंरचना:**
  - देश में मानसिक स्वास्थ्य के लिये समर्पित स्वास्थ्य सेवा अवसंरचना की भारी कमी पाई जाती है। बढ़ती मांग को पूरा करने के लिये पर्याप्त संख्या में मानसिक स्वास्थ्य पेशेवरों, अस्पतालों या अन्य प्रतिष्ठानों का अभाव है।
  - भारत में प्रति 100,000 जनसंख्या पर **0.75 मनोचिकित्सक** उपलब्ध हैं, जबकि वांछनीय संख्या प्रति 100,000 पर 3 मनोचिकित्सक से अधिक है।
- **उच्च उपचार लागत:**
  - निजी स्वास्थ्य देखभाल केंद्रों में मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं की लागत बहुत से लोगों के लिये अवहनीय या निषिद्धकारी है।
  - हाल ही में आयोजित **राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण (NMHS)** के अनुसार, भारत में किसी भी मानसिक विकार के लिये उपचार का अंतराल 83% तक पाया गया है।
  - मानसिक बीमारियों के इलाज पर व्यय के परिणामस्वरूप लगभग **20% भारतीय परिवार गरीबी** के शिकार हो जाते हैं।
- **नीति कार्यान्वयन में चुनौतियाँ:**
  - भारत के नीति-निर्माण में एक सामान्य मुद्दा यह है कि आवश्यकता और व्यवहार्यता के बीच अंतर पाया जाता है।
  - राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य नीति 2014 और **मानसिक स्वास्थ्य सेवा अधिनियम 2017** का उद्देश्य मानसिक स्वास्थ्य को प्राथमिकता देना था, लेकिन इनमें कार्यान्वयन, संसाधन आवंटन और समयसीमा के बारे में स्पष्टता का अभाव है।
- **शहरी-ग्रामीण विभाजन:**
  - मानसिक स्वास्थ्य सेवाएँ शहरी क्षेत्रों में केंद्रित हैं, जिससे ग्रामीण आबादी के लिये देखभाल तक सीमित पहुँच या पहुँच के अभाव की स्थिति पाई जाती है। यह भौगोलिक विषमता ग्रामीण क्षेत्रों में मानसिक स्वास्थ्य संकट को और बढ़ा देती है।
- **कलंक और भेदभाव:**
  - भारत में **मानसिक स्वास्थ्य** संबंधी समस्याओं को प्राय: कलंकित किया जाता है, जिससे सामाजिक भेदभाव उत्पन्न होता है। इससे लोग मदद लेने के लिये हतोत्साहित होते हैं और उनकी स्थिति बदतर होती जाती है।
- **जागरूकता और शिक्षा का अभाव:**
  - मानसिक स्वास्थ्य के बारे में जागरूकता की कमी है, जिसके कारण गलत धारणाओं और उपेक्षा की स्थिति बनती है। **मानसिक स्वास्थ्य साक्षरता** को बढ़ावा देने के लिये शैक्षिक पहल अपर्याप्त हैं।

मानसिक स्वास्थ्य में सुधार के लिये सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

- राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम (NMHP)
- मानसिक स्वास्थ्य सेवा अधिनियम 2017
- राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और स्नायु विज्ञान संस्थान (NIMHANS)
- राष्ट्रीय टेली मेंटल हेल्थ कार्यक्रम
- NIMHANS और iGOT-Diksha के बीच सहयोग
- आयुष्मान भारत - HWC योजना
- किरण हेल्पलाइन
- मानस (MANAS) मोबाइल ऐप

नोट :

देश में मानसिक स्वास्थ्य देखभाल में सुधार के लिये आगे की राह:

- **मानसिक स्वास्थ्य के लिये वित्तपोषण में वृद्धि करना:** कुल स्वास्थ्य बजट का एक बड़ा हिस्सा मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं के लिये आवंटित किया जाए। दैनिक वेतनभोगियों और अन्य कमज़ोर समूहों द्वारा सामना की जाने वाली मानसिक स्वास्थ्य चुनौतियों को देखते हुए, मानसिक स्वास्थ्य अवसंरचना में अधिक निवेश करना अत्यंत आवश्यक है।
  - **चालू वित्त वर्ष (वित्त वर्ष 2024-25)** के लिये स्वास्थ्य बजट कुल बजट का मात्र 2% है, जबकि मानसिक स्वास्थ्य बजट कुल स्वास्थ्य बजट का लगभग 1% है।
- **सुविधाओं का विस्तार करना:**
  - कम सुविधा वाले क्षेत्रों को कवर करने के लिये सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों और आपातकालीन देखभाल इकाइयों सहित अधिक संख्या में मानसिक स्वास्थ्य सुविधाएँ विकसित की जाएँ।
  - मोबाइल स्वास्थ्य इकाइयों और टेलीमेडिसिन के माध्यम से ग्रामीण एवं दूरदराज के क्षेत्रों में मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुँच बढ़ाया जाए।
- **आर्थिक स्थिरता का समर्थन करना:**
  - दैनिक वेतनभोगियों को नौकरी की सुरक्षा और वित्तीय स्थिरता प्रदान करने के लिये **महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी योजना (MNREGS)** जैसे रोज़गार गारंटी कार्यक्रमों को बढ़ावा दिया जाए।
  - सुनिश्चित किया जाए कि सामाजिक सुरक्षा उपाय अनौपचारिक कर्मकारों सहित सभी के लिये सुलभ हों।
- **राष्ट्रीय नीतियों और अधिनियमों का प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करना:**
  - नीति का प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जाए, जिसका उद्देश्य मानसिक स्वास्थ्य को सामान्य स्वास्थ्य देखभाल में एकीकृत करना और गुणवत्तापूर्ण देखभाल प्रदान करना है।
  - नीतिगत निर्णय और संसाधन आवंटन के लिये मानसिक स्वास्थ्य स्थितियों पर डेटा एकत्र करने तथा उसका विश्लेषण करने हेतु सुदृढ़ प्रणालियाँ स्थापित की जाएँ।
- **प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण:**
  - **शीघ्र पहचान (early detection)** और हस्तक्षेप में सुधार के लिये मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं पर प्राथमिक देखभाल चिकित्सकों, नर्सों और सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को विशेष प्रशिक्षण प्रदान किया जाए।
  - **शैक्षिक कार्यक्रमों एवं प्रोत्साहनों** के माध्यम से मनोचिकित्सकों, मनोवैज्ञानिकों और सामाजिक कार्यकर्ताओं सहित मानसिक स्वास्थ्य पेशेवरों की संख्या में वृद्धि की जाए।
- **HIV-AIDS से निपटने से प्राप्त सबक से प्रेरणा ग्रहण करना:**
  - HIV-AIDS से लड़ने में भारत की सफलता मानसिक स्वास्थ्य के लिये बहुमूल्य सबक प्रदान कर सकती है।
  - साक्ष्य-आधारित हस्तक्षेप, सामुदायिक संलग्नता और विभिन्न हितधारकों की सक्रिय भागीदारी के साथ प्रभावी रणनीतियों का प्रयोग कर देश की मानसिक स्वास्थ्य चुनौतियों से निपटा जा सकता है।
- **सहयोग और साझेदारी:**
  - मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार करने और हाशिये पर स्थित समुदायों तक पहुँच बनाने के लिये गैर-सरकारी संगठनों, स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं और सामुदायिक संगठनों के साथ सहयोग स्थापित किया जाए।
  - **बनयान (तमिलनाडु), संगथ (गोवा) और सेंटर फॉर मेंटल हेल्थ लॉ एंड पॉलिसी (पुणे)** जैसे संगठनों ने अभिनव एवं साक्ष्य-आधारित रणनीतियों के माध्यम से मानसिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में महत्त्वपूर्ण योगदान दिया है।
- **जागरूकता और स्वीकृति को बढ़ावा देना:**
  - मानसिक स्वास्थ्य स्वीकृति और जागरूकता में सुधार लाने के लिये, विशेष रूप से समाज के कमज़ोर वर्गों के बीच, सक्रिय नीतियों का क्रियान्वयन किया जाए।
  - इसमें कलंक को कम करने और शीघ्र हस्तक्षेप को प्रोत्साहित करने के लिये मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता अभियान तथा प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना शामिल हो सकता है।

निष्कर्ष:

भारत में मानसिक स्वास्थ्य सेवा को बेहतर बनाने के लिये वित्तपोषण में वृद्धि, प्राथमिक देखभाल में सेवाओं के एकीकरण और पहुँच का विस्तार करने के लिये प्रौद्योगिकी के उपयोग के माध्यम से मानसिक स्वास्थ्य को प्राथमिकता देना अत्यंत आवश्यक है। हालाँकि मेडिकल छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान केंद्रित करने के लिये हाल में कार्यबल का गठन एक सकारात्मक कदम है, यहीं तक सीमित नहीं रहते हुए अधिक व्यापक उपायों की आवश्यकता है। मानसिक स्वास्थ्य को संबोधित करना स्वास्थ्य के मूलभूत मानवाधिकार को बनाए रखने और 'अच्छा स्वास्थ्य और कल्याण' (good health and well-being) के SDG-3 को आगे बढ़ाने के लिये अत्यंत आवश्यक है।

■■■

नोट :

भारत में युवा रोज़गार

भारत का प्रत्याशित **जनसांख्यिकी लाभांश** एक गंभीर **जनसांख्यिकीय आपदा** में बदलता जा रहा है, जहाँ देश अभूतपूर्व युवा रोज़गार संकट का सामना कर रहा है। युवाओं के बीच **उच्च शैक्षणिक उपलब्धि के बावजूद रोज़गार** के अवसर कम हैं, जिसके परिणामस्वरूप विशेष रूप से शहरी युवाओं और युवा महिलाओं के बीच उच्च बेरोज़गारी दर पाई जाती है।

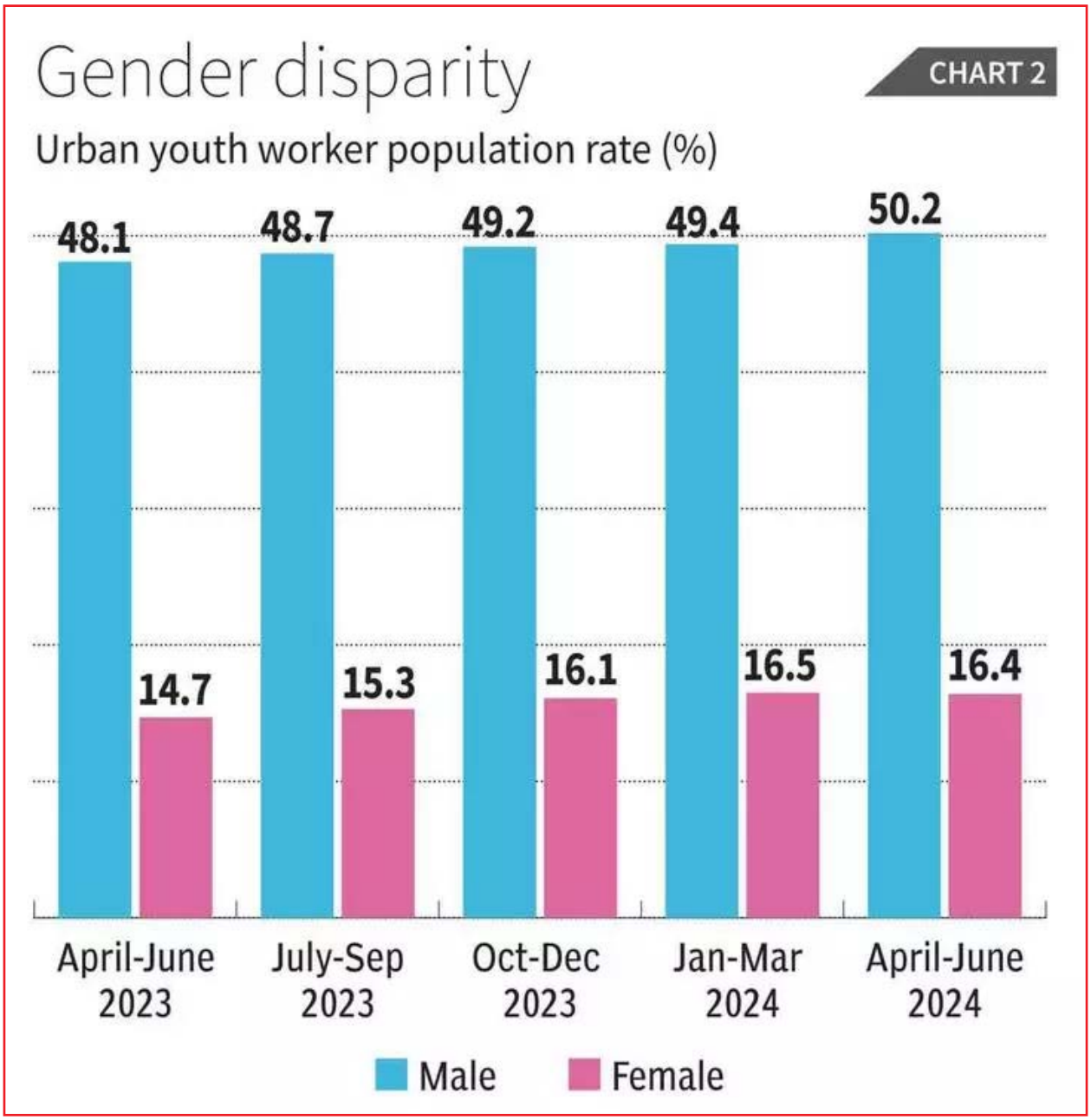

आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (PLFS) के हाल के आँकडों से पता चलता है कि युवाओं के लिये रोज़गार की स्थिति अभी भी बदतर बनी हुई है, जहाँ युवाओं के लिये वृद्ध आयु समूहों की तुलना में **श्रमिक जनसंख्या अनुपात (WPR) 40% कम** है और बेरोज़गारी दर लगभग तीन गुना अधिक है।

नोट :

शैक्षिक योग्यता और उपलब्ध रोज़गार अवसरों के बीच उल्लेखनीय असंगति के कारण स्थिति और भी बदतर हो गई है, जहाँ **उच्च शिक्षित व्यक्ति (विशेष रूप से महिलाएँ)** सबसे अधिक बेरोज़गारी दर का सामना कर रहे हैं। इस मुद्दे को संबोधित करने के लिये प्रभावी समाधान विकसित करने हेतु गहन पड़ताल की आवश्यकता है।

भारत में युवा रोज़गार के वर्तमान रुझान क्या हैं?

- **युवा बेरोज़गारी संकट:**
  - **उच्च युवा बेरोज़गारी दर: युवाओं (15-29 आयु वर्ग)** में बेरोज़गारी की दर सामान्य आबादी की तुलना में व्यापक रूप से अधिक है। वर्ष 2022 में शहरी युवाओं के लिये **बेरोज़गारी दर 17.2% थी, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में यह 10.6%** थी।
    - युवा महिलाओं के लिये यह स्थिति विशेष रूप से गंभीर है, जिनके बीच युवा **पुरुषों के 15.8% की तुलना में 21.6% बेरोज़गारी** दर पाई जाती है।
  - **शिक्षा का प्रभाव:** युवाओं में उच्च शिक्षा प्राप्ति विरोधाभासी रूप से उच्च बेरोज़गारी दरों से जुड़ी हुई है। उदाहरण के लिये, वर्ष 2022 में माध्यमिक शिक्षा या उच्च शिक्षा प्राप्त लोगों के लिये **बेरोज़गारी दर 18.4% और स्नातकों के लिये 29.1%** थी, जबकि निरक्षर व्यक्तियों के लिये यह दर मात्र 3.4% थी।
  - **NEET (Not in Employment, Education, or Training) दर:** युवाओं का एक बड़ा अनुपात न तो रोज़गार में संलग्न है, न ही शिक्षा में और न ही प्रशिक्षण में।
    - **भारत रोज़गार रिपोर्ट (India Employment Report) 2024 के अनुसार,** वर्ष 2022 तक प्रत्येक तीन में से एक युवा NEET श्रेणी में शामिल था।
  - NEET श्रेणी में महिलाओं की संख्या उनके पुरुष समकक्षों की तुलना में लगभग **पाँच** गुना अधिक है।
- **लैंगिक असमानता:**
  - **कार्य सहभागिता दर (Work Participation Rates):** शहरी पुरुष युवाओं की कार्य सहभागिता दरें उनकी महिला समकक्षों की तुलना में तीन गुना अधिक हैं।
  - **महिलाओं के लिये बेरोज़गारी दर:** युवा महिलाओं को युवा पुरुषों की तुलना में लगातार उच्च बेरोज़गारी दर (औसतन लगभग **50% अधिक**) का सामना करना पड़ रहा है। उदाहरण के लिये, वर्ष 2022 में **34.5% महिला स्नातक बेरोज़गार** थीं, जबकि उनके पुरुष समकक्षों के लिये यह अनुपात **26.4%** था।
    - शिक्षित युवा महिलाओं में बेरोज़गारी दर सबसे अधिक है, जहाँ **34.5% महिला स्नातक बेरोज़गार** हैं।
- **क्षेत्रीय विविधताएँ:**
  - **राज्यों के बीच असमानताएँ:** अलग-अलग राज्यों में रोज़गार की स्थिति व्यापक रूप से भिन्न-भिन्न है। **बिहार, उत्तर प्रदेश, जम्मू-कश्मीर, उत्तराखंड , राजस्थान, ओडिशा, केरल, हिमाचल प्रदेश और असम** जैसे राज्यों में उच्च बेरोज़गारी दर और निम्न कार्य बल भागीदारी विशेष रूप से व्याप्त है।
    - इसके अलावा, एक स्पष्ट सकारात्मक संबंध पाया जाता है, जहाँ उच्च शहरीकृत राज्यों में **बेरोज़गारी दर में वृद्धि देखी** जाती है। यह उच्च शहरीकृत गोवा एवं केरल जैसे राज्यों में बेरोज़गारी के उच्च स्तर और निम्न शहरीकृत उत्तर प्रदेश, झारखंड एवं मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में बेरोज़गारी के निम्न स्तर की व्याख्या करता है।
  - शहरीकृत राज्यों में कृषि और कृषि पर निर्भर क्षेत्र आकार में छोटे होते हैं, इसलिये वहाँ अनौपचारिक रोज़गार के स्रोत अपेक्षाकृत कम होते हैं।

भारत के जनसांख्यिकीय लाभांश से संबद्ध संभावनाएँ:

- **युवा जनसंख्या:** भारत को महत्त्वपूर्ण जनसांख्यिकीय लाभांश प्राप्त है, जहाँ इसकी **50% से अधिक आबादी 25** वर्ष से कम आयु की है, जबकि **65% से अधिक आबादी 35 वर्ष** से कम आयु की है। इससे संभावित कामगारों का एक बड़ा समूह तैयार होता है जो आर्थिक विकास एवं उत्पादकता में योगदान कर सकता है।
  - **कार्यबल वृद्धि:** भारत में कार्यशील आयु वर्ग की आबादी में **वर्ष 2030 तक लगभग 200 मिलियन की वृद्धि** होने की उम्मीद है, जिससे देश की आर्थिक क्षमता में वृद्धि होगी।
- **नवाचार और उद्यमिता:** ग्लोबल एंटरप्रेन्योरशिप मॉनिटर (GEM) 2023 के अनुसार, भारत में एक सुदृढ़ स्टार्टअप पारितंत्र मौजूद है, जिसमें **70,000 से अधिक स्टार्टअप** मान्यता प्राप्त हैं और इनमें से कई का नेतृत्व युवा उद्यमी कर रहे हैं।

नोट :

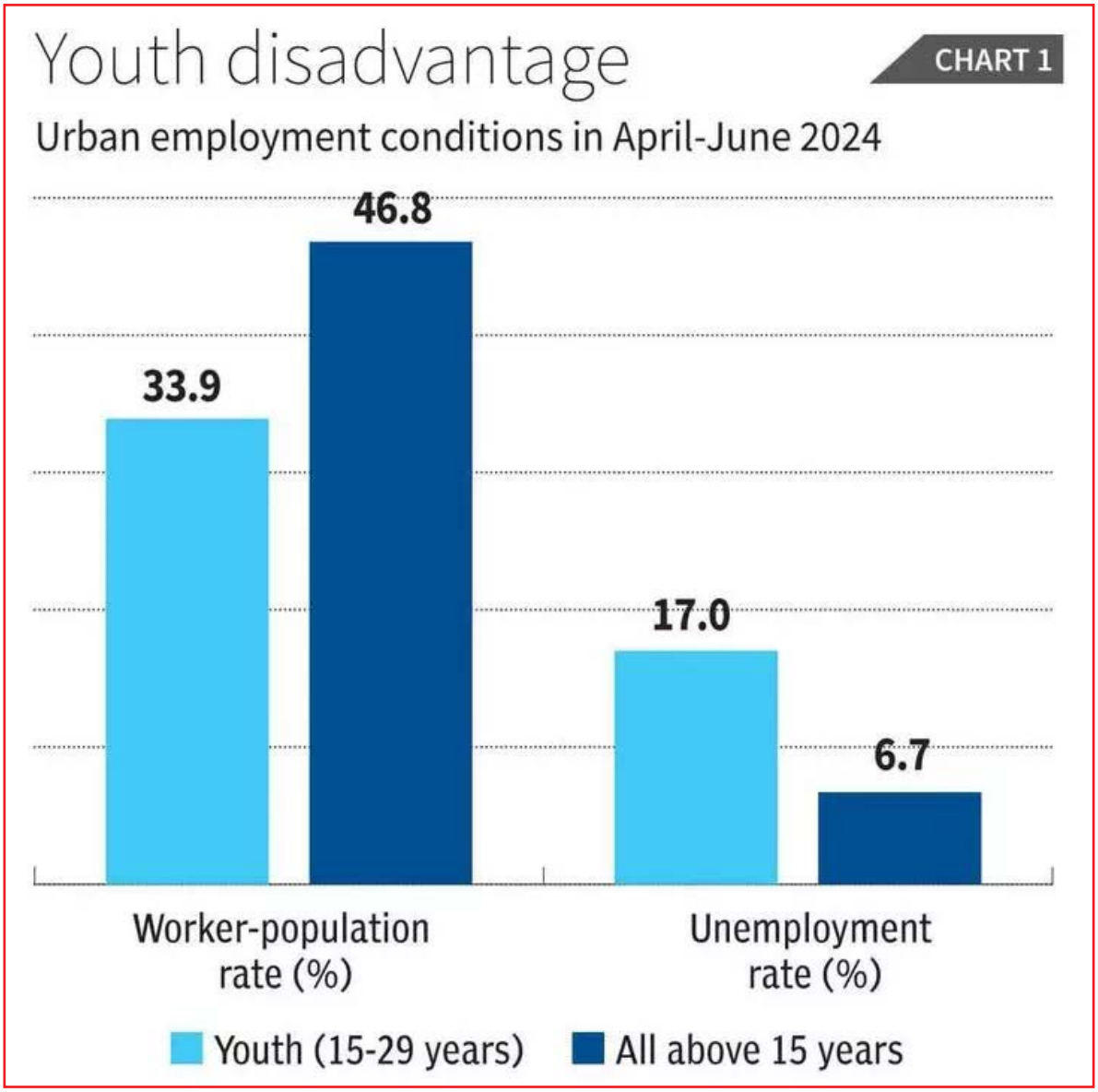

- **स्टार्टअप विकास:** **'स्टार्टअप इंडिया'** जैसी सरकारी पहलों ने वर्ष 2016 में इसके शुभारंभ के बाद से **80,000 से अधिक स्टार्टअप** के सृजन को समर्थन दिया है, जिससे युवाओं में नवाचार की संस्कृति को बढ़ावा मिला है।

- **डिजिटल अर्थव्यवस्था:** भारत में IT और डिजिटल सेवा क्षेत्र सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 8% का योगदान देते हैं तथा 4.5 मिलियन से अधिक लोगों को रोज़गार प्रदान करते हैं। डिजिटल मंचों के उदय ने IT, ई-कॉमर्स और डिजिटल कंटेंट निर्माण में विविध रोज़गार अवसर पैदा किये हैं।
- **इंटरनेट का प्रसार:** भारत में **800 मिलियन से अधिक इंटरनेट उपयोगकर्त्ता** हैं (वर्ष 2024 तक), जो एक विशाल डिजिटल बाज़ार और टेक-सैवी युवाओं के लिये संभावित रोज़गार अवसरों का संकेत देता है।
- **वैश्विक प्रतिस्पर्द्धात्मकता:** विश्व आर्थिक मंच (WEF) के **वैश्विक प्रतिस्पर्द्धात्मकता सूचकांक (GCI) 2023** में भारत **63 देशों की सूची में 43वें स्थान** पर रहा, जो वैश्विक प्रतिस्पर्द्धात्मकता को बढ़ाने के लिये इसके कार्यबल के बढ़ते कौशल और क्षमता को दर्शाता है।

नोट :

- **IT आउटसोर्सिंग:** भारत IT आउटसोर्सिंग के लिये एक अग्रणी वैश्विक केंद्र बना हुआ है, जो IT सेवाओं में **वैश्विक बाज़ार हिस्सेदारी में लगभग 55%** का योगदान देता है। यह मुख्यत: भारत के कुशल और युवा कार्यबल द्वारा प्रेरित हैं

बेरोज़गारी (Unemployment) क्या है ?

- **परिचय:**
  - बेरोज़गारी से तात्पर्य उस स्थिति से है जहाँ **कार्य-सक्षम व्यक्ति सक्रिय रूप से रोज़गार** की तलाश कर रहे हों, लेकिन उन्हें उपयुक्त नौकरी प्राप्त नहीं हो रही हो।
- **बेरोज़गारी का मापन:** देश में बेरोज़गारी की गणना आमतौर पर निम्नलिखित सूत्र का उपयोग कर की जाती है:
  - **बेरोज़गारी दर = [बेरोज़गार श्रमिकों की संख्या / कुल श्रम बल] x 100.**
    - यहाँ '**कुल श्रम बल**' में नियोजित और बेरोज़गार दोनों शामिल हैं। जो लोग न तो नियोजित हैं और न ही बेरोज़गार हैं, उदाहरण के लिये छात्र, उन्हें श्रम बल का अंग नहीं माना जाता है।
- **बेरोज़गारी के प्रकार:**
  - **संरचनात्मक बेरोज़गारी (Structural Unemployment):** कार्यबल के पास उपलब्ध कौशल और उपलब्ध पदों की आवश्यकताओं के बीच असंगति के कारण उत्पन्न बेरोज़गारी का यह रूप श्रम बाज़ार के भीतर प्रणालीगत समस्याओं को उजागर करता है।
  - **चक्रीय बेरोज़गारी (Cyclical Unemployment):** आर्थिक चक्रों से जुड़ी यह बेरोज़गारी आर्थिक मंदी के दौरान बढ़ जाती है और आर्थिक विकास की अवधि के दौरान कम हो जाती है। यह वृहद आर्थिक (मैक्रोइकॉनोमिक) स्थितियों के प्रति रोज़गार अवसर की उपलब्धता की संवेदनशीलता को दर्शाती है।
  - **घर्षणात्मक बेरोज़गारी (Frictional Unemployment):** इसे संक्रमणकालीन बेरोज़गारी (Transitional Unemployment) भी कहा जाता है, जो नौकरियों के बीच प्राकृतिक संक्रमण से उत्पन्न होती है। बेरोज़गारी का यह प्रकार उस अस्थायी अवधि को दर्शाता है जो व्यक्ति नए रोज़गार अवसरों की तलाश में बिताते हैं।
  - **अल्परोज़गार (Underemployment):** यह पूर्णरूपेण बेरोज़गारी की स्थिति नहीं है, बल्कि यह अवधारणा ऐसे पदों पर कार्यरत व्यक्तियों से संबंधित है, जहाँ उनकी योग्यताओं का कम उपयोग होता है या कार्य के घंटे अपर्याप्त होते हैं, जिससे आर्थिक अकुशलता की भावना पैदा होती है।
  - **छिपी हुई बेरोज़गारी (Hidden Unemployment):** यह ऐसे व्यक्तियों से संबंधित है जो हतोत्साहन या अन्य कारकों के कारण सक्रिय रूप से रोज़गार की तलाश नहीं कर रहे हैं, लेकिन यदि परिस्थितियाँ उनके अनुकूल हों तो वे संभावित रूप से रोज़गार बाज़ार में प्रवेश कर सकते हैं।
  - **प्रच्छन्न बेरोज़गारी (Disguised Unemployment):** यह इसलिये पैदा होती है क्योंकि कारख़ाने या भूमि पर आवश्यकता से अधिक श्रमिक कार्यरत होते हैं, यानी श्रम का प्रति इकाई उत्पादन कम होता है।
- **बेरोज़गारी के प्रमुख कारण:**
  - **जनसंख्या का आकार:** उच्च जनसंख्या से रोज़गार बाज़ार में प्रतिस्पर्द्धा बढ़ जाती है, जिसके कारण प्रभावी आर्थिक एवं रोज़गार सृजन रणनीतियों की आवश्यकता होती है।
  - **कौशल की असंगति:** श्रमिकों के कौशल प्राय: रोज़गार बाज़ार की आवश्यकताओं से संगत नहीं होते, जो बेहतर शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण की आवश्यकता को उजागर करता है।
  - **अनौपचारिक क्षेत्र की गतिशीलता:** विशाल अनौपचारिक क्षेत्र बेरोज़गारी की 'ट्रैकिंग' को जटिल बना देता है; इस क्षेत्र को औपचारिक बनाने से रोज़गार आँकड़े की परिशुद्धता में सुधार हो सकता है।
  - **नीति कार्यान्वयन संबंधी चुनौतियाँ:** प्रभावी नीतियों को भी क्रियान्वयन में कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है; नीतियों को वास्तविक दुनिया की परिस्थितियों के साथ संरेखित करना अत्यंत महत्त्वपूर्ण है।
  - **वैश्विक आर्थिक कारक:** वैश्विक व्यापार और भू-राजनीति से संबद्ध मुद्दे रोज़गार को प्रभावित करते हैं; नीतियों को बाह्य कारकों के विरुद्ध आर्थिक प्रत्यास्थता का निर्माण करना चाहिये।

युवा बेरोज़गारी के निहितार्थ क्या हैं ?

- **आर्थिक निहितार्थ:**
  - **संसाधन उपयोग में अक्षमता:** उच्च युवा बेरोज़गारी संभावित आर्थिक उत्पादन में महत्त्वपूर्ण कमी को परिलक्षित

करती है। **शिक्षित और कुशल युवा व्यक्ति** जो बेरोज़गारी या अल्प-रोज़गार की स्थिति रखते हैं, अर्थव्यवस्था में उपयुक्त योगदान नहीं देते हैं, जिससे संसाधन उपयोग में अक्षमता आती है।

- **निम्न आर्थिक वृद्धि:** लगातार बेरोज़गारी की स्थिति आर्थिक वृद्धि में बाधा डालती है। चूँकि आबादी का एक बड़ा हिस्सा उत्पादकता में योगदान नहीं करता है, इसलिये अर्थव्यवस्था धीमी विकास दर और निम्न समग्र उत्पादकता का सामना करती है।
- **निर्भरता अनुपात में वृद्धि:** सुदीर्घ बेरोज़गारी के कारण परिवार के संसाधनों पर निर्भरता बढ़ सकती है, जिससे परिवारों पर वित्तीय बोझ बढ़ सकता है और संभावित रूप से गरीबी का स्तर भी बढ़ सकता है।
- **क्रय शक्ति में कमी:** बेरोज़गार युवाओं के पास **कम प्रयोज्य आय (disposable income)** होती है, जिससे उनकी व्यय क्षमता कम हो जाती है और समग्र उपभोक्ता मांग प्रभावित होती है। उपभोग में यह कमी व्यवसायों और आर्थिक वि्कास को प्रभावित कर सकती है।

- **सामाजिक निहितार्थ:**
  - **सामाजिक अशांति और अस्थिरता:** युवा बेरोज़गारी के उच्च स्तर से सामाजिक अशांति और अस्थिरता पैदा हो सकती है। रोज़गार अवसरों की कमी से उत्पन्न निराशा विरोध प्रदर्शनों, हड़तालों और नागरिक अशांति के अन्य रूपों में प्रकट हो सकती है।
- **दीर्घकालिक प्रभाव:**
  - **कौशल असंगति और कौशल क्षरण:** सुदीर्घ बेरोज़गारी के कारण कौशल क्षरण (Skills Erosion) की स्थिति बन सकती है क्योंकि कार्यबल की क्षमताएँ पुरानी पड़ जाती हैं। यह **कौशल असंगति (Skills Mismatch)** बेरोज़गार युवाओं के लिये रोज़गार बाज़ार में पुन: प्रवेश करना कठिन बना देती है।
  - **रोज़गार योग्यता में कमी:** बेरोज़गारी की अवधि के दौरान प्रासंगिक अनुभव और कौशल विकास की कमी युवा व्यक्तियों के लिये **रोज़गार योग्यता (employability)** एवं करियर की संभावनाओं को और कम कर सकती है।

रोज़गार से संबंधित सरकार की पहलें:

- राष्ट्रीय युवा नीति-2014
- कौशल विकास योजना (PMKVY)
- राष्ट्रीय कौशल विकास निगम
- युवा लेखकों के मार्गदर्शन हेतु प्रधानमंत्री योजना (YUVA: Prime Minister's Scheme For Mentoring Young Authors)
- राष्ट्रीय युवा सशक्तिकरण कार्यक्रम योजना
- आजीविका और उद्यम के लिये सीमांत व्यक्तियों हेतु समर्थन (SMILE)।
- PM-दक्ष (प्रधानमंत्री दक्षता और कुशलता संपन्न हितग्राही)।
- महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी अधिनियम (MGNREGA)।
- प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (PMKVY)।
- स्टार्ट-अप इंडिया योजना।
- रोज़गार मेला।
- इंदिरा गांधी शहरी रोज़गार गारंटी योजना- राजस्थान।
- प्रत्यक्ष लाभ अंतरण योजना।
- प्रधानमंत्री मुद्रा योजना।

युवा रोज़गार में सुधार के लिये कौन-से कदम उठाए जाने चाहिये ?

- **सार्वजनिक रोज़गार अवसरों का विस्तार करना:** मनरेगा (जो केवल ग्रामीण क्षेत्रों तक सीमित है) के समान शहर-विशिष्ट सार्वजनिक रोज़गार योजनाएँ शुरू की जाएं जो अवसंरचना और सेवा क्षेत्रों को लक्षित करें। बेहतर **रोज़गार सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिये सार्वजनिक क्षेत्र के रोज़गार** अवसरों को पुनर्जीवित करने और विस्तारित करने की रणनीतियों पर विचार किया जाए।
- **दूरस्थ कार्य अवसर:** कंपनियों को प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने और दूरस्थ कार्य व्यवस्था प्रदान करने के लिये प्रोत्साहित किया जाए। इससे प्रमुख **शहरों से बाहर रहने वाले व्यक्तियों के लिये** रोज़गार के अवसर बढ़ेंगे और बेहतर कार्य-जीवन संतुलन को बढ़ावा मिलेगा।
- **समावेशी विकास और लैंगिक समानता:** लैंगिक समानता और सशक्तीकरण को बढ़ावा देने वाली नीतियों को लागू करना, शिक्षा एवं रोज़गार तक समान पहुँच सुनिश्चित करना।
  - **अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) के अनुमान के अनुसार, वर्ष 2022 में केवल 24%** महिलाएँ कार्यबल में भागीदारी कर रही थीं, इसलिये अधिक महिलाओं को कार्यबल में शामिल करना भविष्य के विकास के लिये महत्त्वपूर्ण होगा।

नोट :

- **कौशल संगति को उन्नत करना:** उद्योग की आवश्यकताओं के अनुरूप शैक्षिक पाठ्यक्रम और व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों को संशोधित किया जाए। प्रशिक्षण कार्यक्रमों को प्रासंगिक बनाने के लिये शैक्षिक संस्थानों और उद्योग के बीच सहयोग को बढ़ावा दें।
- **उद्यमिता और अवसंरचना में निवेश को बढ़ावा देना:** युवा उद्यमियों के लिये कर छूट, सब्सिडी और वित्तपोषण तक पहुँच प्रदान करना।
- **युवा आउटरीच कार्यक्रम:** युवा उद्यमियों को प्रेरित करने और उनका समर्थन करने के लिये विशेष आउटरीच कार्यक्रम विकसित किये जाएँ। इनमें युवा उद्यमियों की आवश्यकताओं के **अनुरूप मार्गदर्शन, पूंजी तक पहुँच** और व्यवसाय विकास सेवाएँ शामिल होनी चाहिये।
- **क्षमता निर्माण:** युवाओं में उद्यमशीलता क्षमता निर्माण के लिये प्रभावी कार्यक्रमों का क्रियान्वयन किया जाए, जिसमें व्यवसाय प्रबंधन, **वित्तीय साक्षरता और नवाचार में प्रशिक्षण** प्रदान करना शामिल है।
  - **युवा-केंद्रित सामाजिक सुरक्षा:** रोज़गार संक्रमण के दौरान वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करने के लिये, विशेष रूप से युवा लोगों के लिये, सामाजिक सुरक्षा सुरक्षा जाल का विकास किया जाए।
  - **डिजिटल और गिग इकॉनोमी का एकीकरण:** गिग श्रमिकों के लिये रोज़गार सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा लाभ और उचित वेतन प्रदान करने के लिये नीतियाँ विकसित की जाएँ। **वृद्धिशील तकनीकी क्षेत्र के लिये युवाओं** को तैयार करने हेतु डिजिटल कौशल में प्रशिक्षण का विस्तार किया जाए।
- **बेहतर नीति कार्यान्वयन:** रोज़गार योजनाओं और नीतियों की प्रभावशीलता की निगरानी के लिये तंत्र को सुदृढ़ बनाया जाए। वास्तविक दुनिया के परिणामों के आधार पर नीतियों को लगातार अनुकूलित और बेहतर बनाने के लिये फीडबैक तंत्र स्थापित करें।
  - **मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया और स्किल इंडिया:** मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया और स्किल इंडिया जैसी सफल पहलों को समर्थन देना तथा इनका विस्तार करना जारी रखा जाए। युवाओं में रोज़गार और कौशल विकास को बढ़ावा देने पर लक्षित ये पहलें आशाजनक परिणाम देंगी।

निष्कर्ष:

भारत में विश्व की सबसे बड़ी युवा आबादी पाई जाती है, जो आने वाले दशक में और बढ़ेगी। भारत की 65% से अधिक आबादी 35 वर्ष से कम आयु की है। इस जनसांख्यिकीय लाभांश का उपयोग करना और युवाओं एवं उनकी रचनात्मक ऊर्जा को राष्ट्र निर्माण के लिये इस्तेमाल करना वास्तव में अत्यंत महत्त्वपूर्ण है। इसके लिये आवश्यक है कि अर्थव्यवस्था श्रम शक्ति में वृद्धि का समर्थन करे और युवाओं के पास उचित शिक्षा, कौशल, स्वास्थ्य जागरूकता एवं अन्य सुविधाएँ मौजूद हों, ताकि वे अर्थव्यवस्था और राष्ट्र निर्माण में उत्पादक रूप से योगदान कर सकें।

■■■

भारत में महिला सुरक्षा

भारत में **महिलाओं के विरुद्ध अपराध** एक व्यापक और अत्यंत चिंताजनक मुद्दा बना हुआ है, जो **लैंगिक समानता** और सामाजिक न्याय की दिशा में देश की प्रगति को चुनौती देता है। कोलकाता में युवा महिला चिकित्सक के साथ नृशंस बलात्कार एवं हत्या की हाल की घटना महिला सुरक्षा उपायों के क्रियान्वयन में मौजूदा अपर्याप्तताओं को उजागर करती है। **राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB)** की वार्षिक रिपोर्ट से पुष्टि होती है कि विधायी उपायों और बढ़ती जागरूकता के बावजूद महिलाओं के विरुद्ध हिंसा की घटनाएँ चिंताजनक रूप से उच्च स्तर पर बनी हुई हैं। घरेलू हिंसा और यौन उत्पीड़न से लेकर दहेज से संबंधित अपराधों और मानव तस्करी तक, भारत में महिलाओं को अपनी सुरक्षा, गरिमा एवं कल्याण के विषय में विभिन्न तरह के खतरों का सामना करना पड़ता है।

इस लगातार बनी रही समस्या की जड़ें भारत के **जटिल सामाजिक ताने-बाने** में गहराई से धँसी हैं, **जहाँ पितृसत्तात्मक मानदंड, आर्थिक असमानताएँ और सांस्कृतिक प्रथाएँ प्रायः लिंग-आधारित हिंसा** को बढ़ावा देने के लिये आपस में मिल जाती हैं। जबकि शहरी क्षेत्रों में मामलों की रिपोर्टिंग और जागरूकता में वृद्धि देखी गई है, ग्रामीण क्षेत्र अभी भी सामाजिक कलंक और सहायता प्रणालियों तक पहुँच की कमी के कारण कम रिपोर्टिंग की समस्या से जूझ रहे हैं।

इस जटिल समस्या से निपटने के लिये न केवल मौजूदा कानूनों को अधिक प्रभावी ढंग से क्रियान्वित करना आवश्यक है, बल्कि एक बहुआयामी दृष्टिकोण अपनाना भी महत्त्वपूर्ण है, जिसमें महिलाओं के लिये अधिक सुरक्षित एवं समतामूलक वातावरण के निर्माण के लिये सामुदायिक सहभागिता, उन्नत सहायता प्रणालियाँ और व्यापक डेटा विश्लेषण शामिल हों।

नोट :

महिला सुरक्षा संबंधी आँकड़े:

- **समग्र आँकड़े:** राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) की वर्ष 2022 की रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2022 में भारत भर में महिलाओं के विरुद्ध अपराध के कुल 4,45,256 मामले दर्ज किये गए, यानी प्रत्येक घंटे लगभग 51 प्राथमिकी (FIR) और यह पिछले वर्ष की तुलना में 4% की वृद्धि को दर्शाता है।
  - **महिलाओं के विरुद्ध अपराध की दर प्रति लाख जनसंख्या पर 66.4 रही,** जबकि आरोप-पत्र (charge sheet) दाखिल करने की दर 75.8 दर्ज की गई।
- **अपराध के प्रकार:** महिलाओं के विरुद्ध अपराध का एक बड़ा भाग पति या रिश्तेदारों द्वारा की गई क्रूरता के रूप में वर्गीकृत किया गया, जो कुल मामलों का 31.4% था।
  - कुल मामलों के **19.2% मामले महिलाओं के व्यपहरण (kidnapping)** एवं अपहरण (abduction), **18.7%** मामले शील भंग करने के इरादे से हमला करने और **7.1% मामले बलात्कार** से संबंधित थे।
  - **महिलाओं के विरुद्ध यौन हिंसा की घटनाएँ वर्ष 2016 में लगभग 39,000 तक पहुँच गईं** और वर्ष 2018 में देश भर में औसतन प्रत्येक 15 मिनट में एक महिला के साथ बलात्कार हुआ।
  - भारत में वर्ष 2018 से प्रत्येक वर्ष **कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न के 400 से अधिक मामले** सामने आए हैं, जहाँ प्रति वर्ष औसतन 445 मामले दर्ज किये गए।
  - बलात्कार के 86 मामलों में किशोर शामिल थे, जबकि महिलाओं की गरिमा को ठेस पहुँचाने के 68 मामले दर्ज किये गए।
- **राज्यवार आँकड़े:** दिल्ली में **महिलाओं के विरुद्ध अपराधों की दर सबसे अधिक** थी (प्रति लाख जनसंख्या पर 144.4 की दर) और वर्ष 2022 में 14,247 मामले दर्ज किये गए।
  - **उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक 65,743 प्राथमिकियाँ (FIRs) दर्ज की गईं;** उसके बाद महाराष्ट्र, राजस्थान और पश्चिम बंगाल का स्थान रहा।

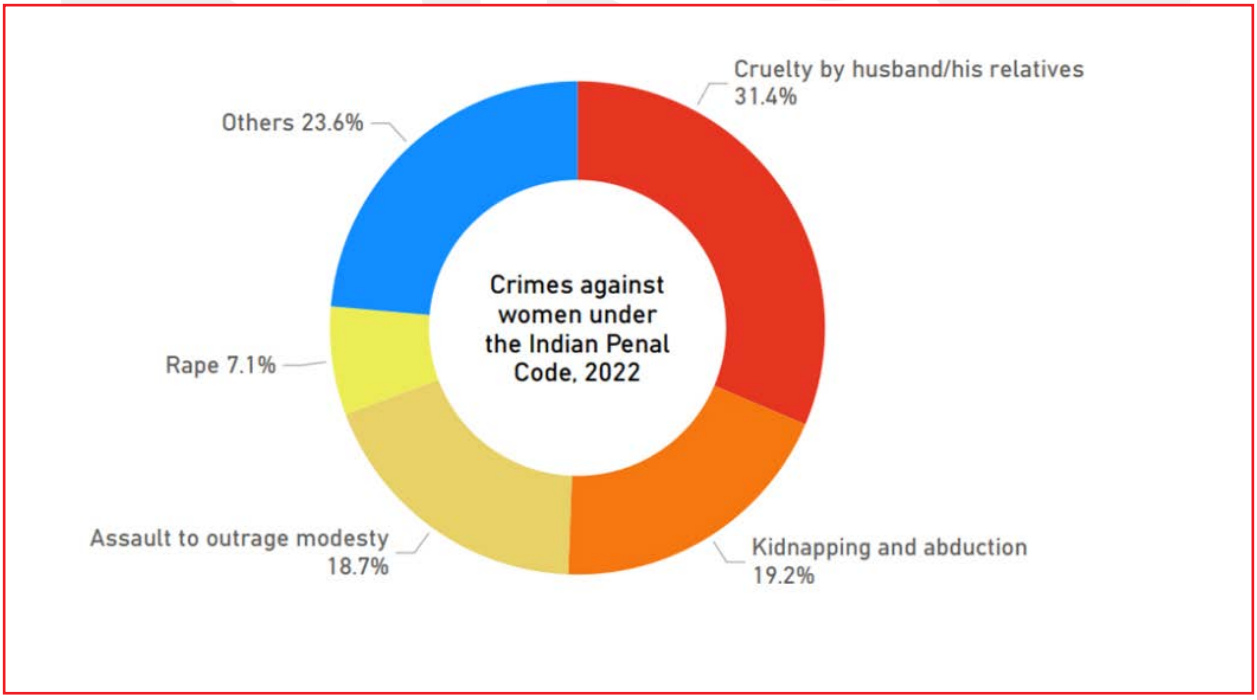

महिलाओं के विरुद्ध अपराध से निपटने की राह की चुनौतियाँ:

- **पितृसत्तात्मक सामाजिक मानदंड:** पितृसत्तात्मक मूल्य, जो महिलाओं को अधीनस्थ मानते हैं, हिंसा की संस्कृति में योगदान करते हैं।

नोट :

- उदाहरण के लिये, खाप पंचायतें प्राय: कठोर लैंगिक मानदंड लागू करती हैं और ऐसी प्रथाओं का समर्थन करती हैं जो महिलाओं की स्वायत्तता को कमज़ोर करती हैं।

- **कार्यस्थल पर शोषण:** कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध एवं निवारण) अधिनियम 2013 के अधिनियमित होने के बावजूद, भारत विभिन्न कार्य वातावरणों में बड़े पैमाने पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न एवं शोषण के मामलों से जूझ रहा है ।
  - **NCRB के आँकड़ों** से पता चलता है कि कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न के **औसतन 400** से अधिक मामले प्रति वर्ष दर्ज किये जाते हैं।
  - मलयालम फिल्म उद्योग में कार्यस्थल वातावरण पर **न्यायमूर्ति हेमा समिति की हाल की रिपोर्ट** से इस उद्योग में यौन शोषण की व्यापक संस्कृति का खुलासा हुआ है। रिपोर्ट में वेतन/भुगतान में गंभीर लैंगिक असमानताओं और कार्यस्थल पर अपर्याप्त सुरक्षा पर भी प्रकाश डाला गया है, जबकि आंतरिक शिकायत समितियाँ प्रभावहीन पाई गई हैं।
- **सुरक्षित सार्वजनिक स्थानों की कमी:** असुरक्षित सार्वजनिक स्थानों पर महिलाओं के विरुद्ध अपराध की संभावना बढ़ जाती है। सुरक्षित एवं पर्याप्त रोशन सड़कों की कमी और अपर्याप्त सार्वजनिक परिवहन के कारण उत्पीड़न एवं हमले हो सकते हैं।
  - उदाहरण के लिये, **वर्ष 2012 में दिल्ली में सामूहिक बलात्कार** की कुख्यात घटना शहर के खराब रोशनी वाले क्षेत्र में घटित हुई थी, जिसने अपर्याप्त सार्वजनिक सुरक्षा उपायों से जुड़े खतरों की ओर ध्यान दिलाया था।
- **अपर्याप्त अवसंरचना और संसाधन:** कई क्षेत्रों में अपराधों से प्रभावी ढंग से निपटने और अपराधों की जाँच करने के लिये कार्यात्मक पुलिस स्टेशन, फोरेंसिक प्रयोगशालाओं और आपातकालीन सेवाओं जैसी **आवश्यक अवसंरचना का अभाव** पाया जाता है।
- **कमज़ोर कानून प्रवर्तन और न्यायिक प्रणाली:** कानूनी प्रणाली में व्याप्त अकुशलताएँ प्रभावी न्याय में बाधा उत्पन्न कर सकती हैं।
  - उदाहरण के लिये, **निर्भया मामले की सुनवाई में देरी** और अभियुक्तों के प्रति आरंभिक नरमी, कानून प्रवर्तन एवं न्यायपालिका के भीतर प्रणालीगत समस्याओं को परिलक्षित करती है।
  - इसी तरह, **यौन उत्पीड़न और घरेलू हिंसा के मामलों में निम्न दोषसिद्धि दर** कानून प्रवर्तन में व्याप्त कमियों को दर्शाती है। उदाहरण के लिये, NCRB के आँकड़ों से पता चलता है कि वर्ष 2018-2022 की अवधि में बलात्कार के लिये दोषसिद्धि दर महज 27-28% रही।
- **प्रणालीगत मुद्दे:** विधिक और विधि प्रवर्तन प्रणालियों में व्याप्त भ्रष्टाचार महिलाओं के विरुद्ध अपराधों से निपटने के प्रयासों में बाधा उत्पन्न कर सकता है, क्योंकि रिश्वतखोरी और कदाचार के कारण मामलों को दोषपूर्ण तरीके से निपटाया जा सकता है या निरस्त किया जा सकता है।
  - उदाहरण के लिये, **बलात्कार के कई मामलों में पुलिस प्राथमिकी दर्ज करने में आनाकानी या देरी करती है,** जैसा कि हाल में बदलापुर यौन उत्पीड़न मामले में भी आरोप लगाया गया।
- **सामाजिक कलंक और पीड़िता को दोष देना:** पीड़िता को दोष देने की प्रवृत्ति (Victim-blaming attitudes) महिलाओं को अपराधों की रिपोर्ट करने से हतोत्साहित करती है।
  - महिलाओं को उत्पीड़न या बलात्कार के मामलों में प्राय: अपने समुदायों या यहाँ तक कि **कानून प्रवर्तन एजेंसियों की ओर से भी कलंक और दोष का सामना** करना पड़ता है।
  - बलात्कार की घटनाओं और पीड़िताओं पर राजनेताओं की ओर से गैर-ज़िम्मेदाराना और सस्ती टिप्पणियों के दृष्टांत भी पाए जाते हैं जहाँ अपराध की गंभीरता को कमतर आँका जाता है या पीड़िताओं पर ही अनुचित दोष मढ़ दिया जाता है।
- **लैंगिक असमानता एवं सांस्कृतिक दृष्टिकोण:** शिक्षा, रोज़गार अवसर, निर्णय लेने की शक्ति और पारंपरिक मान्यताओं एवं प्रथाओं में व्याप्त असमानताएँ महिलाओं की भेद्यता में योगदान करती हैं।
  - उदाहरण के लिये, कुछ समुदायों में बाल विवाह और महिलाओं की आवाजाही पर प्रतिबंध जैसी प्रथाएँ आम हैं, जो गहरी जड़ें जमाए हुए पितृसत्तात्मक दृष्टिकोण को दर्शाती हैं। इसके अलावा, दहेज प्रथा के कारण भी दहेज हत्या और घरेलू हिंसा के मामले सामने आते रहते हैं।
- **शिक्षा और जागरूकता की कमी:** महिलाओं के अधिकारों और विधिक सुरक्षा के बारे में **सीमित शिक्षा एवं जागरूकता के कारण महिलाएँ इनका लाभ नहीं उठा पातीं।**
  - पारंपरिक मान्यताएँ और शिक्षा तक सीमित पहुँच महिलाओं को अपराधों की रिपोर्ट करने या न्याय की मांग करने से

नोट :

बाधित कर सकती हैं, जैसा कि उन मामलों में देखा गया है जहाँ घरेलू हिंसा से पीड़ित महिलाएँ अज्ञानतावश इसे सहती रहती हैं।

- **आर्थिक निर्भरता:** जो महिलाएँ आर्थिक रूप से परिवार के पुरुष सदस्यों पर निर्भर होती हैं, उनके लिये दुर्व्यवहारपूर्ण स्थितियों से निकलना कठिन सिद्ध हो सकता है।
  - उदाहरण के लिये, निम्न-आय परिवारों में कई महिलाएँ अपने पतियों पर आर्थिक निर्भरता रखती हैं, जिसके कारण वे दुर्व्यवहारपूर्ण संबंधों में बंधी रह सकती हैं।
- **घरेलू हिंसा:** घरेलू हिंसा प्राय: अन्य गंभीर अपराधों को जन्म देती है। घरेलू हिंसा का सामना करने वाली महिलाएँ यौन उत्पीड़न या हत्या का भी शिकार हो सकती हैं।
- **प्रौद्योगिकीय और साइबर खतरे: डिजिटल प्लेटफॉर्मों के उदय के साथ महिलाओं को ऑनलाइन माध्यम से उत्पीड़न एवं दुर्व्यवहार के नए रूपों का सामना** करना पड़ रहा है। ऑनलाइन धमकी या साइबरबुलिइंग, पीछा करना या स्टाकिंग (stalking) और अंतरंग तस्वीरों की बिना सहमति साझेदारी जैसे मुद्दे आम बनते जा रहे हैं, जिनके लिये अद्यतन विधिक एवं तकनीकी समाधान की आवश्यकता है।
- **मादक द्रव्यों का सेवन:** मादक द्रव्यों के सेवन का महिलाओं के विरुद्ध हिंसा में वृद्धि से संबंध देखा जाता है। हिंसा के कई मामलों में अपराधी शराब या मादक द्रव्यों के प्रभाव में होते हैं।
- **झूठे आरोप:** बलात्कार के झूठे मामले वास्तविक पीड़ितों की विश्वसनीयता को क्षति पहुँचाते हैं। जब लोग झूठे आरोपों के बारे में बार-बार सुनते हैं तो वे वास्तविक मामलों की सत्यता पर भी संदेह करने लगते हैं। यह पीड़िताओं को आगे आने से हतोत्साहित कर सकता है, जिससे फिर दोषसिद्धि कम होगी और अन्याय की वृहत भावना का प्रसार होगा।

विभिन्न ढाँचे और पहलें:

- **विधिक ढाँचा:**
  - **कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध एवं निवारण) अधिनियम 2013:** सर्वोच्च न्यायालय के विशाखा दिशा-निर्देशों (Vishakha Guidelines) के आधार पर तैयार इस अधिनियम का उद्देश्य महिलाओं के लिये सुरक्षित कार्य वातावरण का निर्माण करना है।
    - यह अधिनियम 10 से अधिक कर्मचारियों वाले संगठनों में **आंतरिक शिकायत समितियों (ICCs)** के गठन को अनिवार्य बनाता है, यौन उत्पीड़न को परिभाषित करता है और शिकायत दर्ज करने एवं उसकी जाँच करने की प्रक्रिया निर्धारित करता है।
    - यह अधिनियम कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न को रोकने और उसे संबोधित करने के लिये एक व्यापक ढाँचा प्रदान करता है, जिससे महिलाओं की सुरक्षा और उनकी शिकायतों का निवारण सुनिश्चित होता है।
  - **दंड विधि (संशोधन) अधिनियम 2013:** इसे 'निर्भया अधिनियम' के नाम से भी जाना जाता है। इसने यौन अपराधों के लिये दंड को सबल बनाया, बलात्कार के पुनरावृत्तिकर्ता अपराधियों के लिये मृत्युदंड का प्रावधान किया और उत्तरजीवियों (survivors) की सुरक्षा के लिये प्रावधानों का विस्तार किया। अधिनियम में बलात्कार, पीछा करने (stalking) और उत्पीड़न जैसे अपराधों के लिये पहले से कठोर परिभाषाओं और दंडों का भी प्रावधान किया गया।
    - अधिनियम में **पीछा करने (stalking) और दृश्यरतिकता (voyeurism) जैसे नए श्रेणियों को अपराध** के रूप में परिभाषित किया गया तथा बलात्कार के लिये न्यूनतम दंड को सात वर्ष से बढ़ाकर दस वर्ष कर दिया गया।
    - इसके अलावा, कठोर दंड अधिरोपित करने के लिये **दांडिक विधि (संशोधन) अधिनियम 2018 अधिनियमित** किया गया, जिसके अंदर 12 वर्ष से कम आयु की बालिका के साथ बलात्कार के लिये मृत्यु दंड का प्रावधान किया गया। अधिनियम में यह प्रावधान भी किया गया है कि जाँच और सुनवाई दो महीने के भीतर पूरी कर ली जाए।
  - **यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम (POCSO):** वर्ष 2012 में अधिनियमित यह अधिनियम बच्चों के विरुद्ध यौन अपराधों के मुद्दे से व्यापक रूप से संबोधित होता है। POCSO न केवल अपराधों के लिये दंड का प्रावधान करता है, बल्कि पीड़ितों की सहायता के लिये एक प्रणाली और अपराधियों को पकड़ने के लिये बेहतर तरीकों का भी उपबंध करता है।
  - **बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006:** इस विधान का उद्देश्य बाल विवाह को प्रतिषिद्ध करना है, जो बालिकाओं को असमान रूप से प्रभावित करता है। इसके अंदर महिलाओं के लिये विवाह की विधिक आयु 18 वर्ष और पुरुषों के लिये 21 वर्ष निर्धारित की गई है।
  - **घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम, 2005:** यह

नोट :

ऐतिहासिक विधान घरेलू हिंसा की व्यापक परिभाषा प्रदान करता है और घरों के भीतर दुर्व्यवहार से महिलाओं की सुरक्षा के लिये सिविल उपचार प्रदान करता है।

- **स्त्री अशिष्ट रूपण (प्रतिषेध) अधिनियम, 1986:** यह विज्ञापनों, प्रकाशनों, लेखों, रंगचित्रों, आकृतियों या किसी अन्य रीति से स्त्रियों के अशिष्ट रूपण का प्रतिषेध करने और उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों के लिये उपबंध प्रदान करता है।
- **अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम, 1956:** यह वेश्यावृत्ति में संलग्नता की वैधता को मान्यता देते हुए भी वेश्यालय के संचालन और ग्राहकों को लुभाने को निषिद्ध करने वाली विधिक रुपरेखा प्रदान करने के माध्यम से देह व्यपार के वाणिज्यीकरण एवं महिलाओं की तस्करी को रोकने का लक्ष्य रखता है।

- **न्यायिक हस्तक्षेप:**
  - **जोसेफ शाइन बनाम भारत संघ (2018):** इस निर्णय ने व्यभिचार (adultery) को अपराध से मुक्त कर दिया और औपनिवेशिक युग के उस कानून को रद्द कर दिया जिसका उपयोग प्राय: महिलाओं की कामुकता को नियंत्रित करने तथा पितृसत्तात्मक मानदंडों को सुदृढ़ करने के लिये किया जाता था।
  - **इंडिपेंडेंट थॉट बनाम भारत संघ (2017):** इस निर्णय में सर्वोच्च न्यायालय ने बाल संरक्षण कानूनों में व्याप्त एक महत्त्वपूर्ण दोष को संबोधित करते हुए 18 वर्ष से कम आयु की बालिकाओं के साथ वैवाहिक संबंध में बने यौन संबंध को भी (इसे 'मैरिटल रेप' मानते हुए) अपराध घोषित कर दिया।
  - **लक्ष्मी बनाम भारत संघ (2014):** इस मामले ने महिलाओं पर एसिड हमलों के मुद्दे को उजागर किया, जिसके कारण सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र और राज्य सरकारों को एसिड की बिक्री को विनियमित करने तथा एसिड हमले की उत्तरजीवी पीड़िताओं के लिये मुआवजे एवं चिकित्सा उपचार में सुधार लाने का निर्देश दिया।
  - **दिल्ली गैंग रेप केस (निर्भया केस) (2012):** वर्ष 2012 में दिल्ली में एक युवती के साथ नृशंस सामूहिक बलात्कार एवं हत्या के बाद व्यापक विरोध प्रदर्शन हुए, जहाँ कठोर और प्रभावी रूप से क्रियान्वित कानूनों की मांग की गई। इस घटना के प्रभाव में भारत के आपराधिक कानूनों में महत्त्वपूर्ण संशोधन किये गए और यौन अपराधों के लिये अधिक कठोर दंड की शुरुआत हुई।
  - **लिल्लू बनाम हरियाणा राज्य (2013):** सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि 'टू-फिंगर टेस्ट' बलात्कार पीड़िताओं की निजता, शारीरिक एवं मानसिक अखंडता और गरिमा के अधिकार का उल्लंघन करता है।
  - **CEHAT बनाम भारत संघ एवं अन्य (2003):** सर्वोच्च न्यायालय ने लिंग चयन एवं लिंग चयनात्मक गर्भपात के संबंध में और **प्रसव पूर्व निदान तकनीक अधिनियम 1994 के उचित कार्यान्वयन** के संबंध में कई निर्देश दिए, जहाँ यह कहा कि कन्या भ्रूण हत्या एक जघन्य कृत्य है और महिलाओं के विरुद्ध हिंसा का सूचक है।
  - **विशाखा एवं अन्य बनाम राजस्थान राज्य (1997):** सर्वोच्च न्यायालय के इस ऐतिहासिक निर्णय ने कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न को रोकने के लिये 'विशाखा दिशानिर्देश' स्थापित किये तथा नियोक्ताओं के लिये ऐसे उत्पीड़न को संबोधित करने और इसे रोकने के लिये एक रूपरेखा प्रदान की।
  - **अन्य मामले:** दिल्ली डोमेस्टिक वर्किंग वीमन फोरम बनाम भारत संघ जैसे कुछ मामलों में सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि बलात्कार मूलभूत मानवाधिकारों का गंभीर उल्लंघन है, जो पीड़िताओं के सबसे अभिलषित अधिकारों का उल्लंघन करता है, जैसे कि संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत गारंटीकृत जीवन एवं निजता का अधिकार। न्यायालय ने बलात्कार पीड़िताओं के लिये मुआवज़ा प्रदान करने का निर्देश दिया।

- **सरकारी पहलें:**
  - **'निर्भया फंड':** सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा और संरक्षा बढ़ाने वाली परियोजनाओं का समर्थन करने के लिये 'निर्भया फंड' की स्थापना की है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय इस फंड के तहत वित्तपोषण के लिये प्रस्तावों एवं योजनाओं की समीक्षा और अनुशंसा करने के लिये नोडल प्राधिकरण के रूप में कार्य करता है।
  - **'वन स्टॉप सेंटर'** और महिला हेल्पलाइन: महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने हिंसा से प्रभावित महिलाओं को एकीकृत सहायता प्रदान करने के लिये वन स्टॉप सेंटर की शुरुआत की है। मंत्रालय ने 24X7 आपातकालीन एवं गैर-आपातकालीन सहायता प्रदान करने के लिये महिला हेल्पलाइनों के सार्वभौमीकरण की योजना भी शुरू की है।
  - **महिला पुलिस स्वयंसेवक:** इसमें राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में **महिला पुलिस स्वयंसेवकों (Mahila Police Volunteers)** की तैनाती करना शामिल है, जो

नोट :

पुलिस और समुदाय के बीच मध्यस्थ के रूप में कार्य करती हैं तथा संकटग्रस्त महिलाओं को सहायता प्रदान करती हैं।

- **स्वाधार गृह योजना:** महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा संचालित इस योजना का उद्देश्य चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों का सामना कर रही ऐसी महिलाओं की सहायता करना है, जिन्हें अपने पुनर्वास के लिये संस्थागत सहायता की आवश्यकता होती है। यह योजना आश्रय, भोजन, कपड़े, स्वास्थ्य सेवा जैसी सुविधाएँ प्रदान करती है और इन महिलाओं के गरिमापूर्ण जीवनयापन में मदद करने के लिये आर्थिक एवं सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करती है।
- **कामकाजी महिला छात्रावास योजना:** सरकार कामकाजी महिलाओं के लिये सुरक्षित एवं सुविधाजनक स्थान पर आवास उपलब्ध कराने के लिये इस योजना का क्रियान्वयन कर रही है। इस योजना का उद्देश्य महिलाओं के लिये रोज़गार अवसर प्रदान करने वाले शहरी, अर्द्ध-शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में, जहाँ भी संभव हो, उनके बच्चों के लिये 'डे केयर' सुविधाएँ प्रदान करना भी है।
- **'बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ':** इस योजना का उद्देश्य लैंगिक रूप से पक्षपातपूर्ण लिंग चयन उन्मूलन को रोकना, बालिकाओं की जीविता एवं संरक्षण को सुनिश्चित करना और बालिकाओं के लिये शिक्षा एवं सहभागिता को समर्थन देना है।
- **यौन अपराधों के लिये जाँच ट्रैकिंग प्रणाली:** वर्ष 2019 में गृह मंत्रालय ने, दांडिक विधान (संशोधन) अधिनियम 2018 के निर्देशानुसार, यौन उत्पीड़न मामलों में समयबद्ध जाँच की निगरानी एवं ट्रैकिंग में राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों की सहायता के लिये 'यौन अपराधों के लिये जाँच ट्रैकिंग प्रणाली' (Investigation Tracking System for Sexual Offences) शुरू की।
- **आपातकालीन प्रतिक्रिया सहायता प्रणाली (Emergency Response Support System-ERSS):** यह एकल आपातकालीन नंबर (112) और संकटग्रस्त स्थानों पर क्षेत्रीय संसाधनों का कंप्यूटर-सहायता प्राप्त प्रेषण प्रदान करता है।
- **सुरक्षित शहर परियोजना (Safe City Projects):** यह गृह मंत्रालय की एक पहल है, जो निर्भया फंड के तहत महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के सहयोग से शुरू की गई है। इसका उद्देश्य सार्वजनिक स्थानों पर महिलाओं एवं बालिकाओं के लिये सुरक्षित, संरक्षित एवं सशक्त वातावरण का निर्माण करना है।
- **जागरूकता कार्यक्रम:** सरकार कार्यशालाओं, सांस्कृतिक कार्यक्रमों, संगोष्ठियों, प्रशिक्षण कार्यक्रमों और मीडिया विज्ञापनों के माध्यम से महिला अधिकारों पर जागरूकता को बढ़ावा डे रही है।

आगे की राह:

- **क्रियान्वयन को सुदृढ़ करना:** मौजूदा कानूनों एवं नीतियों को और अधिक प्रभावी ढंग से क्रियान्वित करने की आवश्यकता है। इसके लिये कानून प्रवर्तन कर्मियों के बेहतर प्रशिक्षण, न्यायिक प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने और सभी स्तरों पर जवाबदेही सुनिश्चित करने की आवश्यकता है।
- **फास्ट-ट्रैक कोर्ट:** न्यायमूर्ति वर्मा समिति की अनुशंसा के अनुरूप फास्ट-ट्रैक कोर्ट स्थापित किये जाएँ और बलात्कार जैसे गंभीर मामलों में दंड को कठोर बनाया जाए। न्यायपालिका में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ाया जाए।
- **लिंग संवेदीकरण (Gender Sensitization):** लिंग-आधारित हिंसा और भेदभाव के मूल कारणों को संबोधित करने के लिये स्कूलों, कॉलेजों और कार्यस्थलों में व्यापक लिंग संवेदीकरण कार्यक्रम शुरू किये जाने चाहिये।
- **पुलिस प्रशिक्षण में सुधार:** लिंग-आधारित हिंसा के मामलों को अधिक संवेदनशील एवं प्रभावी ढंग से संभाल सकने के लिये पुलिस अधिकारियों के प्रशिक्षण में सुधार किया जाए। इसमें बेहतर साक्ष्य संग्रहण, पीड़िता सहायता और मामले का दस्तावेज़ीकरण शामिल होगा।
  - महिलाओं की सुरक्षा बढ़ाने के लिये विशेष पुलिस इकाइयों की स्थापना की जा सकती है, जैसे कि तेलंगाना पुलिस के एक विशेष प्रभाग के रूप में 'SHE Teams' की स्थापना की है।
- **बेहतर उत्तरजीवी सहायता प्रणालियाँ:** हिंसा के उत्तरजीवियों (survivors) के लिये सहायता प्रणालियों का विस्तार एवं संवर्द्धन किया जाए, जिसमें परामर्श सेवाएँ, पुनर्वास कार्यक्रम और आर्थिक सहायता शामिल हैं, ताकि उन्हें अपना सामान्य जीवनयापन पुन: शुरू कर सकने में मदद मिल सके।
- **आर्थिक सशक्तिकरण:** शिक्षा, कौशल विकास और रोज़गार अवसरों के माध्यम से महिलाओं की आर्थिक स्वतंत्रता को बढ़ावा दिया जाए। वित्तीय स्वायत्तता महिलाओं की हिंसा और शोषण के प्रति संवेदनशीलता को कम कर सकती है।
- **प्रौद्योगिकी का उपयोग:** महिलाओं के विरुद्ध अपराधों की बेहतर रिपोर्टिंग एवं ट्रैकिंग के लिये प्रौद्योगिकी का लाभ उठाया जाए। इसमें अपराधों की रिपोर्टिंग के लिये उपयोगकर्ता-अनुकूल मोबाइल ऐप और डेटा विश्लेषण के लिये AI-संचालित सिस्टम शामिल हो सकते हैं।

नोट :

- **महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ाना:** विधि प्रवर्तन और न्यायपालिका में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ाया जाए, ताकि विविध दृष्टिकोण सामने आ सकें और लिंग-आधारित हिंसा के मामलों को बेहतर तरीके से संबोधित किया जा सके।
- **नियमित प्रभाव आकलन:** मौजूदा योजनाओं और नीतियों की प्रभावशीलता का आकलन करने तथा आवश्यक समायोजन करने के लिये उनका आवधिक मूल्यांकन किया जाना चाहिये।
- **मीडिया का उत्तरदायित्व:** मीडिया में महिलाओं के विरुद्ध अपराधों की ज़िम्मेदारीपूर्ण रिपोर्टिंग को प्रोत्साहित किया जाए, जहाँ वे सनसनी फैलाने के बजाय प्रणालीगत मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करें।

स्वास्थ्य पेशेवरों और रोगियों की सुरक्षा के लिये केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के हाल के निर्देश:

- कोलकाता में हाल ही में हुई बलात्कार एवं हत्या की घटना के मद्देनजर केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने केंद्र सरकार द्वारा संचालित सभी अस्पतालों और प्रमुख स्वास्थ्य संस्थानों को निर्देश दिया है कि वे स्वास्थ्य पेशेवरों और रोगियों की अभिगम्यता एवं सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए व्याप्त कमज़ोरियों को दूर करने के लिये अपने सुरक्षा उपायों को बेहतर बनाएँ।
- मंत्रालय के निर्देश में 12 प्रमुख अनुशंसाएँ शामिल हैं, जिनमें हाई-रिज़ॉल्यूशन के सीसीटीवी कैमरे लगाना, आपातकालीन प्रतिक्रिया के लिये नियंत्रण कक्ष स्थापित करना और महिला स्वास्थ्य पेशेवरों के लिये सुरक्षित ड्यूटी रूम एवं परिवहन सुनिश्चित करना शामिल है।
- इन निर्देशों में सुप्रशिक्षित सुरक्षा गार्डों, संवेदनशील क्षेत्रों तक सीमित पहुँच और व्यापक आपातकालीन योजनाओं की आवश्यकता पर भी बल दिया गया है।
- इसके अतिरिक्त, मंत्रालय के निर्देशों में बेहतर प्रकाश व्यवस्था, कर्मचारियों के लिये नियमित सुरक्षा प्रशिक्षण और स्थानीय पुलिस एवं आपातकालीन सेवाओं के साथ समन्वय की बात भी कही गई है।

निष्कर्ष

भारत में महिलाओं के विरुद्ध अपराधों की लगातार बनी रही चुनौती इस गहरी सामाजिक समस्या से निपटने के लिये एक व्यापक, बहुआयामी दृष्टिकोण की मांग करती है। NCRB रिपोर्ट में प्रस्तुत चिंताजनक आँकड़े इस बात की याद दिलाते हैं कि भारत में महिलाओं की सुरक्षा एवं गरिमा सुनिश्चित करने के लिये अभी और प्रबल प्रयासों की आवश्यकता है।

आगे की राह के लिये सभी हितधारकों की ओर से महिलाओं के लिये सुरक्षित और अधिक समतामूलक वातावरण का निर्माण करने की दिशा में मिलकर कार्य करने की दृढ़ प्रतिबद्धता की आवश्यकता है। इस प्रयास को सक्रिय हस्तक्षेपों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिये जो लिंग-आधारित हिंसा को प्रश्रय देने वाले अंतर्निहित सामाजिक, सांस्कृतिक एवं आर्थिक कारकों को संबोधित करें। मौजूदा कानूनों के प्रवर्तन को सुदृढ़ करना, लिंग संवेदीकरण कार्यक्रमों को बढ़ावा देना और उत्तरजीवियों के लिये व्यापक सहायता सेवाएँ प्रदान करना अत्यंत महत्त्वपूर्ण कदम होंगे।

भारत में महिलाओं को लक्षित करने वाले अपराधों के विरुद्ध संघर्ष के लिये समाज के सभी क्षेत्रों से निरंतर, ठोस एवं करुणापूर्ण प्रतिक्रिया की आवश्यकता है। भारत एक ऐसे भविष्य की दिशा में कार्य कर, जहाँ महिलाओं के अधिकार एवं सुरक्षा अनुल्लंघनीय हों, वास्तविक लैंगिक समानता और सामाजिक न्याय प्राप्त करने की दिशा में सार्थक प्रगति कर सकता है।

■■■

नौकरशाही में पार्श्व प्रवेश (लेटरल एंट्री)

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिये आरक्षण कोटा की कमी का हवाला देते हुए सरकारी पदों के लिये पार्श्व प्रवेश या 'लेटरल एंट्री' (lateral entry) प्रक्रिया को रद्द करने का भारत सरकार का हाल का निर्णय राजनीतिक कारकों, सामाजिक न्याय संबंधी चिंताओं एवं ऐतिहासिक संदर्भों के **जटिल अंतर्संबंध को परिलक्षित** करता है। जबकि सामाजिक न्याय के लिये सरकार की प्रतिबद्धता स्पष्ट है, लेटरल एंट्री प्रक्रिया को रद्द करना योग्यता एवं प्रतिनिधित्व के बीच संतुलन के बारे में प्रश्न खड़े करता है।

यह निर्णय आरक्षण नीतियों और हाशिये पर स्थित समुदायों के लिये समान अवसर सुनिश्चित करने में उनकी भूमिका के बारे में जारी बहस को उजागर करता है। यह इन **समुदायों की चिंताओं को दूर करने और सरकारी भर्ती में योग्यता एवं समावेशिता दोनों को बढ़ावा** देने के प्रभावी उपायों की खोज करने के महत्त्व को भी रेखांकित करता है।

भारतीय नौकरशाही में लेटरल एंट्री क्या है ?

- **परिचय: अधिकारी-तंत्र या नौकरशाही (Bureaucracy)** में लेटरल एंट्री उस प्रक्रिया को संदर्भित करती है जिसके तहत सरकार में विशिष्ट भूमिकाओं के लिये निजी क्षेत्र, शिक्षा जगत या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (PSUs) से विशेषज्ञों की नियुक्ति की जाती है।

नोट :

- यह सरकार के भीतर **आंतरिक पदोन्नति के माध्यम** से इन पदों को भरने की पारंपरिक पद्धति के विपरीत है।
- ये **नियुक्तियाँ आमतौर पर संयुक्त सचिव, निदेशक या उप-सचिव** स्तर पर की जाती हैं।

- **उद्देश्य:**
  - **शासन संबंधी और नीतिपरक जटिल** चुनौतियों को संबोधित करने के लिये व्यवस्था में विशिष्ट ज्ञान एवं विशेषज्ञता को शामिल करना।
  - सरकारी कार्यप्रणाली में नए परिप्रेक्ष्य और नवोन्मेषी दृष्टिकोण को शामिल करना।
- **नियुक्ति प्रक्रिया:**
  - अभ्यर्थियों को आमतौर पर **तीन से पाँच वर्ष के अनुबंध** पर नियुक्त किया जाता है।
  - कार्य-निष्पादन के आधार पर **कार्यकाल या कार्य-भूमिका** का विस्तार किया जा सकता है।
  - नियुक्ति के लिये **विशिष्ट शैक्षणिक योग्यता और प्रासंगिक व्यावसायिक अनुभव** का होना आवश्यक है।
- **पात्रता:**
  - आमतौर पर अभ्यर्थियों के पास अपने विषय क्षेत्र में कम से **कम 15 वर्ष का** प्रासंगिक अनुभव होना चाहिये।
  - विशिष्ट पद, वरिष्ठता और जॉब प्रोफ़ाइल के आधार पर पात्रता शर्तें भिन्न-भिन्न हो सकती हैं।

भारत में लेटरल एंट्री नियुक्तियों का इतिहास:

- **आरंभिक उदाहरण (1950 के दशक के बाद):**
  - देश के पहले **प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू** के समय से ही नियुक्तियों के लिये लेटरल एंट्री का उपयोग होता रहा है।
  - प्रमुख उदाहरणों में आई.जी. पटेल (जिन्होंने **अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष** से शुरुआत की और बाद में **भारतीय रिज़र्व बैंक** के गवर्नर बने) तथा मनमोहन सिंह (जो दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में **अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के प्राध्यपक** थे और वर्ष 1971 में वाणिज्य मंत्रालय में आर्थिक सलाहकार नियुक्त किये गए) का नाम लिया जा सकता है, जिनका नौकरशाही में प्रवेश लेटरल एंट्री के माध्यम से ही हुआ था।
- **औपचारिक अनुशंसाएँ (2005):**
  - वीरप्पा मोइली की अध्यक्षता वाले **दूसरा प्रशासनिक सुधार आयोग** (ARC) ने औपचारिक रूप से लेटरल एंट्री की अनुशंसा की थी।
  - इसका उद्देश्य विशिष्ट ज्ञान का प्रवेश कराना था, जिसका पारंपरिक सिविल सेवाओं में अभाव हो सकता था।
- **नीति आयोग का प्रस्ताव (2017):**
  - **नीति आयोग** NITI Aayog) ने त्रिवर्षीय कार्य एजेंडा जारी करते हुए केंद्रीय सचिवालय में मध्यम एवं वरिष्ठ प्रबंधन स्तर पर **लेटरल एंट्री** का प्रस्ताव किया।
  - शासन पर सचिवों के **विभागीय समूह (Sectoral Group of Secretaries on Governance)** द्वारा भी यही बात दोहराई गई।
- **औपचारिक नियुक्ति अभियान (2018-2023):**
  - केंद्र सरकार ने लेटरल एंट्री पदों के लिये विज्ञापन दिया, जहाँ आरंभ में केवल संयुक्त सचिव पदों के लिये आवेदन आमंत्रित किये गए।
    - 6,000 से अधिक आवेदन प्राप्त हुए।
  - वर्ष 2019 में **9 अभ्यर्थियों को विभिन्न मंत्रालयों और विभागों** में नियुक्त किया गया।
    - **वर्ष 2021 में लेटरल एंट्री** के अगले दौर की घोषणा की गई तथा **मई 2023 में ऐसे दो अन्य प्रवेशों** की घोषणा की गई।
  - **पिछले 5 वर्षों में (अगस्त 2024 तक) लेटरल एंट्री** के माध्यम से कुल 63 नियुक्तियाँ की गई हैं, जिनमें **57 पार्श्व प्रवेशक (lateral entrants) सक्रिय** रूप से सेवारत हैं।

भारतीय नौकरशाही में लेटरल एंट्री के क्या लाभ हैं?

- **विशिष्ट विशेषज्ञता का समावेश: लेटरल एंट्री** से उद्योग जगत में गहन ज्ञान रखने वाले क्षेत्र विशेषज्ञों को लाया जाता है, जिससे नौकरशाही में कौशल अंतराल दूर होता है।
  - उदाहरण के लिये, वर्ष 2002 में आर.वी. शाही की विद्युत सचिव के रूप में नियुक्ति से विद्युत क्षेत्र में महत्त्वपूर्ण सुधार हुए।
    - विद्युत उत्पादन में निजी क्षेत्र का उनका अनुभव जटिल विभागीय चुनौतियों से निपटने में मूल्यवान सिद्ध हुआ।
  - इसी प्रकार, **आर्थिक नीति में बिमल जालान** की विशेषज्ञता और राजकोषीय सुधारों में विजय केलकर के अनुभव ने अपने-अपने क्षेत्रों में महत्त्वपूर्ण प्रभाव उत्पन्न किये।
    - बिमल जालान को पूर्वी एशियाई वित्तीय संकट के दौरान भारत को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने, इसके भुगतान संतुलन को सुदृढ़ करने और वित्तीय क्षेत्र में व्यापक सुधार लाने का श्रेय दिया जाता है।

नोट :

- **विजय केलकर की अध्यक्षता में अप्रत्यक्ष कर** सुधारों पर गठित **'केलकर टास्क फोर्स'** ने राष्ट्रीय स्तर पर GST लागू करने का सुझाव दिया था।

- विशिष्ट ज्ञान का यह **प्रवाह उभरती प्रौद्योगिकियों, जलवायु परिवर्तन और डिजिटल अर्थव्यवस्था** जैसे उन महत्त्वपूर्ण क्षेत्रों में नीति-निर्माण एवं कार्यान्वयन में तेज़ी ला सकता है, जहाँ पारंपरिक सिविल सेवकों के पास अद्यतन विशेषज्ञता का अभाव हो सकता है।

- **उन्नत नवाचार और दक्षता:** निजी क्षेत्र के पेशेवर प्राय: सरकारी कार्यों में परिणाम-उन्मुख दृष्टिकोण और नवोन्मेषी समस्या-समाधान कौशल का प्रवेश कराते हैं।
  - अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों और प्रबंधन अभ्यासों के साथ उनका अनुभव प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित कर सकता है तथा दक्षता में सुधार कर सकता है।
  - उदाहरण के लिये, **इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय** में लेटरल एंट्री के माध्यम से आए अधिकारी AI कार्यान्वयन या साइबर सुरक्षा उपायों पर ऐसी अंतर्दृष्टि प्रदान कर सकते हैं जो सर्वोत्तम **वैश्विक अभ्यासों के अनुरूप हों।**
    - **भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) और ONDC** जैसे निकाय इंफोसिस लिमिटेड के सह-संस्थापक नंदन नीलेकणी के मौलिक विचार से अस्तित्व में आए।
  - विचारों के इस पारस्परिक **आदान-प्रदान से अधिक चुस्त और उत्तरदायी शासन** की स्थापना हो सकती है, जिससे नौकरशाही की लालफीताशाही में कमी आ सकती है तथा नागरिकों को बेहतर सेवाएँ प्राप्त हो सकती हैं।

- **सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र के बीच सेतु:** लेटरल एंट्री से आए अधिकारी सरकार और उद्योग के बीच प्रभावी सेतु के रूप में कार्य कर सकते हैं, जिससे बेहतर सार्वजनिक-निजी भागीदारी और नीति संरेखण की सुविधा प्राप्त हो सकती है।
  - दोनों क्षेत्रों की उनकी समझ उन्हें **अधिक व्यावहारिक और कार्यान्वयन-योग्य** नीतियाँ तैयार करने में सक्षम बनाती है।
  - शहरी विकास या अवसंरचना जैसे क्षेत्रों में यह विशेष रूप से लाभकारी सिद्ध हो सकता है, जहाँ **सार्वजनिक-निजी सहयोग अत्यंत महत्त्वपूर्ण** है।
  - सरकार बाज़ार की गतिशीलता को समझने वाले पेशेवरों को लाकर अधिक प्रभावी प्रोत्साहन (incentives) और विनियमन तैयार कर सकती है, जिससे राष्ट्रीय विकास पहलों में निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ सकती है।

- **वैश्विक परिप्रेक्ष्य और सर्वोत्तम अभ्यास:** बहुराष्ट्रीय निगमों या अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से आए पेशेवर **नीति-निर्माण** में वैश्विक परिप्रेक्ष्य ला सकते हैं।
  - यह इसलिये भी महत्त्वपूर्ण है क्योंकि भारत अपनी वैश्विक आर्थिक एवं कूटनीतिक स्थिति को सुदृढ़ करना चाहता है।
  - उदाहरण के लिये, **जलवायु परिवर्तन नीति या अंतर्राष्ट्रीय व्यापार वार्ता** जैसे क्षेत्रों में उनकी अंतर्दृष्टि मूल्यवान सिद्ध हो सकती है।
  - यह वैश्विक दृष्टिकोण संभावित रूप से भारत की **प्रतिस्पर्द्धात्मकता और जटिल अंतर्राष्ट्रीय समझौतों एवं साझेदारियों** को क्रियान्वित करने की उसकी क्षमता में सुधार ला सकता है।

- **नीति कार्यान्वयन को बढ़ावा देना:** उद्योग जगत का व्यावहारिक अनुभव रखने वाले पार्श्व प्रवेशक नीति-निर्माण एवं कार्यान्वयन के बीच की खाई को भर सकते हैं।
  - क्षेत्र-विशिष्ट चुनौतियों और परिचालन संबंधी वास्तविकताओं के बारे में उनका व्यावहारिक ज्ञान अधिक व्यवहार्य एवं प्रभावी नीतियों को जन्म दे सकता है।
  - उदाहरण के लिये, **नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय** में शामिल होने वाला नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र का कोई पेशेवर व्यक्ति सौर या पवन ऊर्जा के विस्तार की व्यावहारिक चुनौतियों के बारे में मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्रदान कर सकता है।
  - इसके परिणामस्वरूप अधिक यथार्थवादी लक्ष्य, बेहतर ढंग से डिज़ाइन किये गए प्रोत्साहन उपाय और अधिक प्रभावी नियामक ढाँचे सामने आ सकते हैं, जिससे अंतत: भारत का स्वच्छ ऊर्जा की ओर संक्रमण तेज़ होगा और जलवायु लक्ष्यों को अधिक कुशलता से प्राप्त किया जा सकेगा।

- **नौकरशाही की जड़ता को कम करना:** लेटरल एंट्री लंबे समय से अस्तित्व में रहे संस्थानों में नौकरशाही की जड़ता और **'ग्रुप-थिंक' (groupthink)** जैसी समस्याओं के लिये विषहर औषध या 'एंटी-डोट' के रूप में कार्य कर सकती है।
  - विविध पृष्ठभूमियों से प्राप्त नए दृष्टिकोण जड़ अभ्यासों (entrenched practices) को चुनौती दे सकते हैं और नवोन्मेषी सोच को प्रेरित कर सकते हैं।
  - उदाहरण के लिये, **कृषि मंत्रालय में लेटरल एंट्री से आया कोई अधिकारी परिशुद्ध खेती (precision farming) या एग्री-टेक समाधानों** के बारे में ऐसे नए विचार सामने ला सकता है जिन पर पारंपरिक नौकरशाहों ने विचार नहीं किया हो।

नोट :

- नए विचारों का यह प्रवाह गतिहीन विभागों में ऊर्जा ला सकता है और **शासन के प्रति अधिक सक्रिय एवं अग्रगामी** सोच को बढ़ावा दे सकता है।
- इसके अलावा, बाहरी पेशेवरों की उपस्थिति स्वस्थ प्रतिस्पर्द्धा उत्पन्न कर सकती है, जिससे **पारंपरिक नौकरशाहों को अपना कौशल बढ़ाने** और बेहतर प्रदर्शन करने के लिये प्रेरणा मिलेगी।
- यह यथास्थिति को चुनौती देता है और **अधिक गतिशील एवं प्रदर्शन-उन्मुख** कार्य संस्कृति को जन्म दे सकता है।

- **प्रमुख आर्थिक सुधारों को सुगम बनाना:** लेटरल एंट्री से आए अधिकारी जटिल आर्थिक सुधारों की अभिकल्पना एवं क्रियान्वयन में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।
  - **बाज़ार की गतिशीलता और वैश्विक आर्थिक रुझानों** के बारे में उनकी समझ, विकास और सामाजिक समानता के बीच संतुलन का निर्माण करने वाली नीतियों को तैयार करने में मूल्यवान सिद्ध हो सकती है।
  - उदाहरण के लिये **भारत का 1991 का आर्थिक उदारीकरण** के दौरान मोंटेक सिंह अहलूवालिया जैसे टेक्नोक्रेट (जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों का अनुभव था) ने महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।
  - उनकी विशेषज्ञता डिजिटल अर्थव्यवस्था विनियमन या सतत वित्त की जटिलताओं को समझने में मदद कर सकती है, जिससे भारत को वैश्विक अर्थव्यवस्था में अधिक लाभप्रद स्थिति प्राप्त हो सकती है।

भारतीय नौकरशाही में लेटरल एंट्री से संबंधित चुनौतियाँ:

- **आरक्षण की पहेली:** लेटरल एंट्री पदों में आरक्षण की अनुपस्थिति ने गंभीर विवाद को जन्म दिया है।
  - **'13-पॉइंट रोस्टर' नीति** के कारण लेटरल एंट्री को आरक्षण प्रणाली से बाहर रखा गया है। यह **नीति SC, ST, OBC और EWS समूहों** के लिये कोटा प्रतिशत के आधार पर नौकरी के अवसरों का आवंटन करती है, जहाँ 100 के अंश के रूप कोटा प्रतिशत की गणना की जाती है।
  - **कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (DoPT)** के अनुसार प्रत्येक लेटरल एंट्री पद को **'एकल पद संवर्ग'** माना जाता है, जहाँ कोटा प्रतिशत का निर्धारण नहीं किया जा सकता और इसलिये इसे आरक्षण नीतियों से छूट दी गई है।
  - आरक्षण संबंधी चिंताओं के कारण **अगस्त 2024 में 45 लेटरल एंट्री पदों के** लिये नियुक्ति प्रक्रिया को रद्द करना इस मुद्दे की गंभीरता को उजागर करता है।
  - यह चुनौती भारत के सामाजिक न्याय ढाँचे के मूल पर प्रहार करती है, जहाँ निर्णयकारी भूमिकाओं में हाशिये पर स्थित समुदायों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के दशकों के प्रयासों को संभावित रूप से कमज़ोर कर देती है।
- **सांस्कृतिक विसंगति और एकीकरण संबंधी बाधाएँ: लेटरल एंट्री के माध्यम से निजी क्षेत्र से आने वाले अधिकारियों** को पारंपरिक सरकारी नौकरशाही की विशिष्ट संस्कृति एवं कार्यशैली के अनुकूल ढलने में गंभीर चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है।
  - कार्य करने की **गति, निर्णय लेने की प्रक्रिया और संगठनात्मक पदानुक्रम** में भारी अंतर से टकराव एवं अकुशलता उत्पन्न हो सकती है।
  - उदाहरण के लिये, **लेटरल एंट्री से आए किसी अधिकारी** को, जो त्वरित निर्णयन का आदी हो, सरकार में आमतौर पर अपनाई जाने वाली बहुस्तरीय अनुमोदन प्रक्रियाओं से जूझना पड़ सकता है।
  - इस कार्य-सांस्कृतिक असंगति के कारण **पार्श्व प्रवेशकों के बीच निराशा,** प्रभावशीलता में कमी और संभावित रूप से उच्च टर्नओवर दर (नौकरी छोड़ देने की उच्च दर) उत्पन्न हो सकती है, जिससे बाह्य विशेषज्ञता लाने का मूल उद्देश्य ही खतरे में पड़ सकता है।
- **पारंपरिक नौकरशाहों का प्रतिरोध:** पार्श्व प्रवेशकों के प्रवेश को प्रायः पारंपरिक नौकरशाहों के प्रतिरोध का सामना करना पड़ता है, जो इसे अपने करियर की प्रगति और स्थापित सत्ता संरचनाओं के लिये खतरा मानते हैं।
  - यह प्रतिरोध, सहयोग नहीं करने से लेकर पार्श्व प्रवेशकों द्वारा संचालित पहलों में सक्रिय रूप से बाधा पहुँचाने तक, विभिन्न रूपों में प्रकट हो सकता है।
  - यह धारणा कि बाहरी लोगों को सीधे ऊपर से लाकर प्रतिष्ठित पदों पर नियुक्त किया जा रहा है, शत्रुतापूर्ण कार्य वातावरण का निर्माण कर सकती है और सहयोग एवं प्रभावी प्रशासन में बाधा उत्पन्न कर सकती है।
  - यह आंतरिक संघर्ष संभावित रूप से नए दृष्टिकोण और विशेषज्ञता लाने के लाभों को प्रभावहीन कर सकता है।
- **जवाबदेही और कार्य-निष्पादन मूल्यांकन संबंधी चुनौतियाँ:** पार्श्व प्रवेशकों के लिये प्रभावी जवाबदेही तंत्र स्थापित करना एक महत्त्वपूर्ण चुनौती है।
  - पारंपरिक नौकरशाह, जो स्थापित निष्पादन मूल्यांकन प्रणालियों के अधीन हैं, के विपरीत अल्पावधिक अनुबंधों पर आए पार्श्व प्रवेशक मौजूदा ढाँचे में असंगत हो सकते हैं।

नोट :

- लेटरल एंट्री से नौकरशाही के भीतर दोहरी प्रणाली पैदा होने का खतरा है, जिससे असमानता एवं असंतोष उत्पन्न हो सकता है।
- इसके अलावा, सीमित कार्यकाल के भीतर पार्श्व प्रवेशकों के योगदान के दीर्घकालिक प्रभाव का मूल्यांकन करना चुनौतीपूर्ण है, जिससे पारंपरिक प्रणाली में इस व्यवधान का औचित्य सिद्ध करना कठिन होगा।

- **हितों के टकराव की संभावना:** निजी क्षेत्र से आने वाले लोग अपने साथ **हितों के टकराव (conflicts of interest)** की संभावना लेकर आ सकते हैं, विशेष रूप से यदि वे अपने सरकारी कार्यकाल के बाद अपने पूर्व उद्योगों में वापस लौटते हैं।
  - सरकार और उद्योग के बीच यह आवाजाही नैतिक चिंताएँ एवं सार्वजनिक भरोसे की समस्या उत्पन्न कर सकती हैं।
  - उदाहरण के लिये, किसी प्रौद्योगिकी कंपनी का कोई पूर्व कार्यकारी, जिसने सरकार के अंदर नियामक भूमिका निभाई हो और पुन: अपने पूर्व उद्योग में लौट गया हो, इस आरोप का सामना कर सकता है कि उसने अपने पूर्व क्षेत्र के पक्ष में कार्य किया है।
  - सुदृढ़ नैतिक दिशा-निर्देश स्थापित करना और **'कूलिंग-ऑफ अवधि'** का प्रावधान करना अत्यंत आवश्यक है, लेकिन इसे प्रभावी ढंग से लागू करना चुनौतीपूर्ण है।
- **अल्पकालिक केंद्रित ध्यान बनाम दीर्घकालिक शासन:** पार्श्व प्रवेशक, जिन्हें **आमतौर पर 3-5 वर्ष के अनुबंध पर नियुक्त** किया जाता है, दीर्घकालिक संरचनात्मक सुधारों की तुलना में अल्पकालिक व दृश्यमान उपलब्धियों को प्राथमिकता देने की प्रवृत्ति रख सकते हैं।
  - इस अल्पकालिक फोकस से नीतिगत असंगतियों और शासन में निरंतरता के अभाव की स्थिति बन सकती है।
  - उदाहरण के लिये, एक **पार्श्व प्रवेशक ऐसे त्वरित नीतिगत** परिवर्तनों के लिये दबाव डाल सकता है जो तत्काल परिणाम दिखाएँ, लेकिन दीर्घकालिक रूप से संवहनीय नहीं हों।
  - यह दृष्टिकोण निर्धनता उन्मूलन या जलवायु परिवर्तन अनुकूलन जैसी जटिल राष्ट्रीय चुनौतियों को संबोधित करने के लिये आवश्यक सुसंगत एवं दीर्घकालिक नीति-निर्माण की आवश्यकता के साथ टकराव पैदा कर सकता है।
- **'स्केलिंग' और संवहनीयता संबंधी चिंताएँ:** हालाँकि लेटरल एंट्री ने सीमित संख्या में आशाजनक परिणाम दिखाए हैं, लेकिन नौकरशाही के एक वृहत भाग में इस दृष्टिकोण को लागू करना गंभीर चुनौतियाँ पेश करता है।
  - वर्तमान प्रणाली, जहाँ पाँच वर्षों में **63 लेटरल एंट्री नियुक्तियाँ** की गई हैं, नौकरशाही के एक छोटे खंड का प्रतिनिधित्व करता है।
  - इसे वृहत रूप से **विस्तारित करने के लिये भर्ती, प्रशिक्षण और एकीकरण** प्रक्रियाओं में व्यापक बदलाव की आवश्यकता होगी।
  - आंतरिक क्षमताओं को विकसित करने के बजाय बाह्य प्रतिभा पर अत्यधिक निर्भरता की संवहनीयता के बारे में भी चिंताएँ मौजूद हैं।

भारतीय नौकरशाही में किन प्रमुख सुधारों की आवश्यकता है?

- **योग्यता आधारित प्रणाली का निर्माण – भर्ती और पदोन्नति में आमूलचूल परिवर्तन लाना: द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग (2008)** ने योग्यता आधारित प्रणाली की आवश्यकता पर बल देते हुए कहा था कि **"वरिष्ठ पद पर नियुक्तियों में स्वायत्तता एवं निष्पक्षता सुनिश्चित** करने के लिये एक केंद्रीय सिविल सेवा प्राधिकरण का गठन करना आवश्यक है।"
  - पदोन्नति के लिये नियमित **एसेसमेंट सेंटर** की शुरूआत की जाए, जहाँ नेतृत्व एवं डोमेन विशेषज्ञता पर ध्यान केंद्रित किया जाए।
  - **नियुक्तियों और स्थानांतरणों** की निगरानी के लिये एक स्वतंत्र सिविल सेवा बोर्ड की स्थापना की जाए, ताकि राजनीतिक हस्तक्षेप कम हो।
  - यह सुधार सुनिश्चित करेगा कि सर्वाधिक योग्य व्यक्ति ही प्रमुख पदों पर आसीन हों, जिससे नौकरशाही की कार्यकुशलता एवं प्रभावशीलता बढ़ेगी।
- **विशेषज्ञता का तालमेल – शासन में विशेषज्ञता का पोषण करना:** सिविल सेवाओं में विशेषज्ञता को विकसित एवं पोषित करने के लिये सक्रिय प्रयास किये जाएँ।
  - **प्रौद्योगिकी, वित्त और स्वास्थ्य सेवा** जैसे क्षेत्रों के लिये नौकरशाही के भीतर विशेषीकृत कैडर का सृजन किया जाए।
  - **10 वर्ष की सेवा के बाद अनिवार्य डोमेन विशेषज्ञता** की प्रणाली लागू की जाए।
  - सिविल सेवकों की सतत व्यावसायिक शिक्षा के लिये शीर्ष **विश्वविद्यालयों के साथ साझेदारी** स्थापित की जाए।

नोट :

- इस दृष्टिकोण से एक **अधिक कुशल और अनुकूलनशील नौकरशाही** का निर्माण होगा, जो तेज़ी से विशेषीकृत होती जा ही दुनिया में शासन संबंधी जटिल चुनौतियों का समाधान करने में सक्षम होगी।

- **कार्य संस्कृति का रूपांतरण:** सरकारी विभागों में कार्य संस्कृति एवं उत्पादकता में सुधार लाने के लिये **द्वितीय ARC ने पदानुक्रमिक संरचनाओं** को कम करने, कार्यालयों का आधुनिकीकरण करने और अधिकारियों को अधिक निर्णय लेने के अधिकार के साथ सशक्त बनाने की अनुशंसा की है।
  - इसमें पुरानी पड़ चुकी **'बाबू' संस्कृति** को समाप्त कर एक सुव्यवस्थित एवं अधिक कुशल शासन संरचना का भी आह्वान किया गया है।
- **प्रदर्शन प्रतिमान – परिणाम-उन्मुख जवाबदेही तय करना:** होता समिति (2004) ने सुझाव दिया था कि **"गोपनीय रिपोर्ट की वर्तमान प्रणाली के स्थान पर एक प्रदर्शन-आधारित मूल्यांकन प्रणाली लागू की जानी चाहिये।"**
  - प्रदर्शन मूल्यांकन के लिये **'360 डिग्री फीडबैक तंत्र'** लागू किया जाए।
  - सभी वरिष्ठ पदों के लिये प्रमुख **निष्पादन संकेतक (KPIs)** प्रस्तुत किये जाएँ, जो विभागीय लक्ष्यों से जुड़े हों।
  - **प्रदर्शन-आधारित प्रोत्साहन और त्वरित पदोन्नति** की प्रणाली स्थापित की जाए।
  - यह सुधार प्रक्रिया से ध्यान हटाकर परिणामों पर केंद्रित करेगा, जिससे शासन की समग्र दक्षता और प्रभावशीलता बढ़ेगी।
- **डिजिटल रूपांतरण – शासन के लिये प्रौद्योगिकी का लाभ उठाना:** सभी सरकारी सेवाओं को एकीकृत करते हुए एक राष्ट्रव्यापी ई-गवर्नेंस प्लेटफॉर्म स्थापित किया जाए।
  - **साक्ष्य-आधारित नीति-निर्माण एवं कार्यान्वयन** के लिये AI और डेटा एनालिटिक्स का प्रयोग शुरू किया जाए।
  - **डिजिटल रूपांतरण को आगे बढ़ाने के लिये प्रत्येक मंत्रालय** में एक मुख्य डिजिटल अधिकारी का पद स्थापित किया जाए। इस सुधार से पारदर्शिता बढ़ेगी, भ्रष्टाचार कम होगा और नागरिकों के लिये सेवा आपूर्ति में सुधार होगा।
- **जवाबदेही को सुदृढ़ करना:** द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग ने सार्वजनिक सेवाओं में जवाबदेही बढ़ाने के लिये बहुआयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता पर बल दिया है।
  - इसमें **सरकारी कर्मचारियों के लिये दो गहन समीक्षाओं की अनुशंसा की गई है- एक 14 वर्ष के कार्यकाल** पर, ताकि उनके सामर्थ्यों एवं कमियों का आकलन किया जा सके, और **दूसरी 20 वर्ष के कार्यकाल** पर, ताकि सेवा में उन्हें बनाए रखने के लिये उनकी योग्यता का निर्धारण किया जा सके।
  - यदि **कोई अधिकारी 20 वर्षों के कार्यकाल** के बाद अयोग्य पाया जाता है तो उसकी सेवा समाप्त की जा सकती है और भविष्य में उसकी नियुक्ति इन समीक्षाओं के परिणाम पर निर्भर करेगी।
- **सिविल सेवाओं का गैर-राजनीतिकरण:** सिविल सेवाओं की राजनीतिक तटस्थता और निष्पक्षता बनाए रखने के लिये **द्वितीय ARC ने मंत्रियों और सिविल सेवकों** दोनों के लिये **आचारण संहिता (Codes of Ethics)** में इस पहलू को शामिल करने की अनुशंसा की है।
  - **ARC ने पारदर्शी भर्ती प्रक्रियाओं की आवश्यकता तथा सिविल सेवकों** को राजनीतिक हस्तक्षेप से बचाने के लिये सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों का पालन करने पर भी बल दिया है।

निष्कर्ष:

भारतीय नौकरशाही में **लेटरल एंट्री से नई विशेषज्ञता एवं नवाचार का प्रवेश** हो सकता है, लेकिन इसे आरक्षण, कार्य-सांस्कृतिक विसंगति, पारंपरिक नौकरशाहों की ओर से प्रतिरोध और हितों के टकराव जैसी चुनौतियों का भी सामना करना पड़ता है। इसकी सफलता परंपरा के साथ नवाचार को संतुलित करने, **पार्श्व प्रवेशकों को उचित रूप से एकीकृत** करने और मौजूदा प्रणाली के सामर्थ्य को संरक्षित करने पर निर्भर करती है। यदि इसे सुचिंतित तरीके से लागू किया जाए तो यह भारत की शासन संबंधी चुनौतियों के प्रति सिविल सेवा की विविधता एवं जवाबदेही को बेहतर बना सकता है।

■■■

विकसित राष्ट्र के लिये पूर्वी भारत का पुनरुद्धार

वर्ष 2047 तक विकसित राष्ट्र बनने की दिशा में भारत की यात्रा व्यापक रूप से इसके पूर्वी राज्यों के प्रदर्शन पर निर्भर करती है। **आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, बिहार और झारखंड** से मिलकर बनता यह क्षेत्र देश के आर्थिक आख्यान में एक महत्त्वपूर्ण मोड़ पर है। **'बीटा-कंवर्जेंस' (beta convergence)** की अवधारणा बताती है कि समय के साथ निर्धन क्षेत्रों को समृद्ध क्षेत्रों की तुलना में तेज़ी से विकास करना चाहिये। यह सिद्धांत भारत के

नोट :

पूर्वी राज्यों में अपेक्षा के अनुरूप साकार नहीं हुआ है। अपने समृद्ध खनिज संसाधनों, रणनीतिक अवस्थिति और विशाल संभावनाओं के बावजूद, ये राज्य ऐतिहासिक रूप से आर्थिक विकास में पिछड़े रहे हैं, जो भारत की विकास आकांक्षाओं के लिये एक चुनौती और अवसर दोनों प्रस्तुत करते हैं। यह **अपसरण (divergence) लक्षित हस्तक्षेप और नीतियों** की आवश्यकता को उजागर करता है।

चूँकि **भारत वैश्विक आर्थिक महाशक्ति बनने की ओर** अग्रसर है, इन **पूर्वी राज्यों का विकास करना अपरिहार्य** हो गया है। संतुलित राष्ट्रीय विकास और क्षेत्रीय असमानताओं को कम करने के लिये इस भूभाग का आर्थिक उत्थान आवश्यक है। अपने विशाल कृषि आधार, खनिज संपदा और उभरती औद्योगिक क्षमता के साथ, पूर्वी राज्य देश के विकास पथ में महत्त्वपूर्ण योगदान देने के लिये तैयार हैं। हालाँकि, **गरीबी, निम्न साक्षरता दर और अपर्याप्त अवसंरचना** जैसी लगातार बनी रही समस्याओं को दूर करना इस क्षमता को साकार करने के लिये आवश्यक है।

पूर्वी राज्यों के विकास को सीमित करने वाली प्रमुख चुनौतियाँ:

- **आर्थिक कारक:**
  - अविकसित औद्योगिक क्षेत्र: इन राज्यों को मुख्य रूप से **ऐतिहासिक उपेक्षा, निवेश की कमी और अपर्याप्त अवसंरचना** के कारण एक सुदृढ़ औद्योगिक आधार स्थापित करने के लिये संघर्ष करना पड़ा है।
    - इस अविकसितता के कारण औपचारिक क्षेत्र में **रोज़गार के अवसर** सीमित हो गए हैं और आर्थिक विविधीकरण अवरुद्ध हो गया है, जिसके कारण जनसंख्या का एक बड़ा भाग निम्न उत्पादकता वाले कृषि एवं **अनौपचारिक क्षेत्रों पर निर्भर** रहने को विवश है।
  - **मालभाड़ा समीकरण नीति (Freight Equalisation Policy), 1952:** इसका उद्देश्य खनिज परिवहन लागत को सब्सिडी प्रदान कर भारत में कहीं भी कारख़ानों के निर्माण को प्रोत्साहित करना था।
    - इस नीति का भारत के पूर्वी राज्यों पर हानिकारक प्रभाव पड़ा, क्योंकि इससे खनन क्षेत्रों के निकट उद्योग स्थापित करने के लिये प्रोत्साहन कम हो गया। इससे **दूर-दराज के क्षेत्रों में कारख़ानों** के विकास को बढ़ावा मिला और इन राज्यों की आर्थिक संभावनाओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा।
  - **निम्न सामाजिक प्रगति:** सामाजिक प्रगति सूचकांक (Social Progress Index- SPI) रैंकिंग से पता चलता है कि पूर्वी क्षेत्र का कोई भी राज्य **सामाजिक प्रगति के उच्च स्तरों (टियर 1 और टियर 2)** में स्थान नहीं रखता है।
    - **आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल और ओडिशा टियर 4 और 5** में शामिल हैं, जो निम्न-मध्यम एवं निम्न सामाजिक प्रगति को इंगित करता है।
    - बिहार और झारखंड टियर 6 में हैं, जो सामाजिक प्रगति में अत्यंत निम्न प्रदर्शन को इंगित करता है।
  - **आकांक्षी ज़िले:** 112 **आकांक्षी ज़िलों (Aspirational Districts)** के विश्लेषण से पता चलता है कि **बिहार और झारखंड के अधिकांश ज़िले** देश **भर के सबसे निचले 20 ज़िलों** में शामिल हैं।
    - ये निष्कर्ष इन राज्यों में विद्यमान सामाजिक-आर्थिक कठिनाइयों को उजागर करते हैं और पूर्वी भूभाग के भीतर भी पर्याप्त असमानताओं की पुष्टि करते हैं।
  - **श्रम बाज़ार संबंधी मुद्दे:** अधिकांश पूर्वी राज्यों में **वर्ष 2022-23 में 15-59 आयु वर्ग की आबादी** के लिये श्रम बल भागीदारी दर (LFPR) **60%** से अधिक पाया गया।
    - इनमें **बिहार का LFPR महज 50.9% पाया** गया, जो निम्न श्रम बल भागीदारी को इंगित करता है।
  - **कार्यबल की गुणवत्ता:** इन राज्यों में **83% से अधिक कार्यबल अर्द्ध-कुशल** श्रेणी के हैं।
    - इससे पता चलता है कि **निम्न-कुशल श्रमिकों** की प्रधानता है, जो उत्पादकता और आर्थिक विकास को आगे बढ़ाने में कठिनाई का सामना कर सकते हैं।
  - **कृषि पर निर्भरता:** कृषि—जो प्राय: निम्न उत्पादकता और अभी भी पुरातन कृषि पद्धतियों के प्रयोग से ग्रस्त है, पर अत्यधिक निर्भरता ने इन **राज्यों में आर्थिक विकास एवं आय स्थिरता** में बाधा उत्पन्न की है।
    - **जलवायु परिवर्तन एवं बाज़ार** में उतार-चढ़ाव के प्रति कृषि क्षेत्र की संवेदनशीलता आर्थिक अस्थिरता को और बढ़ा देती है।
- **सामाजिक एवं मानव विकास संबंधी मुद्दे:**
  - **निम्न साक्षरता दर:** विशेष रूप से **बिहार और झारखंड** जैसे राज्यों में लगातार निम्न बनी रही साक्षरता दर ने कौशल विकास और कार्यबल गुणवत्ता में बाधा उत्पन्न की है।

नोट :

- इस शैक्षिक घाटे ने **निम्न-कुशल श्रम बल, निम्न उत्पादकता और सीमित आर्थिक अवसरों** के एक दुष्चक्र का निर्माण किया है।

◆ **नीति आयोग का SDG इंडिया इंडेक्स 2023-24:** 57 अंकों के साथ बिहार निम्नतम प्रदर्शनकर्ता राज्य रहा, जबकि 62 अंकों के साथ झारखंड दूसरे स्थान पर रहा।

◆ **उच्च गरीबी दर:** लगातार बनी रही गरीबी ने सामाजिक गतिशीलता और आर्थिक प्रगति में बाधा उत्पन्न की है।

- **उच्च गरीबी दर** ने जनसंख्या के एक बड़े हिस्से को **निम्न शिक्षा, बदतर स्वास्थ्य और सीमित** आर्थिक अवसरों के चक्र में फँसा रखा है, जहाँ **पीढ़ीगत गरीबी (intergenerational poverty)** से बाहर निकलना कठिन हो गया है।

- **ऐतिहासिक एवं भौगोलिक कारक:**

◆ **औपनिवेशिक विरासत:** भारत के **पूर्वी राज्य शोषणकारी औपनिवेशिक नीतियों** के स्थायी प्रभाव को अभी भी झेल रहे हैं, जिसने व्यवस्थित रूप से उनके औद्योगिक विकास और आर्थिक प्रगति को अवरुद्ध कर दिया।

- ब्रिटिश शासन ने दीर्घकालिक विकास में निवेश किये बिना इन क्षेत्रों से **संसाधनों के निष्कर्षण** पर ध्यान केंद्रित किया, जिससे आर्थिक पिछड़ेपन की नींव पड़ी, जो स्वतंत्रता के बाद भी लंबे समय तक बनी रही।

◆ **भौगोलिक अलगाव:** इन राज्यों के कई क्षेत्रों की दुर्गम अवस्थिति (जिनमें घने जंगल, पहाड़ी क्षेत्र और व्यापक नदी प्रणालियाँ शामिल हैं) के कारण संपर्क या कनेक्टिविटी की स्थिति खराब है।

- इस भौगोलिक अलगाव ने **बाज़ारों और संसाधनों तक पहुँच को व्यापक** रूप से सीमित किया है, जिससे देश के अधिक विकसित क्षेत्रों के साथ आर्थिक एकीकरण में बाधा उत्पन्न हुई है।

◆ **प्राकृतिक आपदाओं के प्रति संवेदनशीलता:** पूर्वी राज्य विशेष रूप से चक्रवात, बाढ़ और सूखे जैसी प्राकृतिक आपदाओं के प्रति अतिसंवेदनशील हैं।

- उदाहरण के लिये, **पश्चिम बंगाल और ओडिशा राज्य** नियमित रूप से गंभीर चक्रवातों का सामना करते हैं (जैसे कि **वर्ष 2020 में भयंकर चक्रवात अम्फान),** जबकि **बिहार प्राय: विनाशकारी बाढ़ का सामना** करता है।

- इन बार-बार आने वाली आपदाओं ने विकास प्रयासों एवं आर्थिक गतिविधियों को लगातार बाधित किया है, **अवसंरचना एवं आजीविका** को क्षति पहुँचाई है और प्रगतिशील विकास के बजाय निरंतर पुनर्निर्माण की आवश्यकता उत्पन्न की है।

शासन एवं राजनीति संबंधी चुनौतियाँ:

- **राजनीतिक अस्थिरता:** सरकार और नीति-निर्देशों में लगातार परिवर्तन ने इनमें से कई राज्यों में दीर्घकालिक विकास योजना को बाधित किया है।

◆ इस अस्थिरता के कारण असंगत नीतियों, परित्यक्त परियोजनाओं और विकास प्रयासों में निरंतरता के अभाव की स्थिति उत्पन्न हुई है।

- **प्रतिस्पर्द्धी संघवाद:** **प्रतिस्पर्द्धी संघवाद (Competitive Federalism)** मौजूदा असमानताओं को बढ़ाने के रूप में भारत के गरीब राज्यों के लिये हानिकारक सिद्ध हुआ है। बेहतर अवसंरचना और संसाधनों के साथ अमीर राज्य अधिक निवेश एवं कुशल श्रम को आकर्षित करने में सफल होते हैं, जिससे गरीब राज्यों को प्रतिस्पर्द्धा करने में संघर्ष करना पड़ता है।

◆ इससे विकास अंतराल बढ़ता है, क्योंकि गरीब राज्यों को आवश्यक सेवाओं के वित्तपोषण और आर्थिक अवसरों को आकर्षित करने में चुनौतियों का सामना करना पड़ता है।

- **भ्रष्टाचार और नौकरशाही की अकुशलता:** व्यापक भ्रष्टाचार और प्रशासनिक **अकुशलता ने विकास कार्यक्रमों** के प्रभावी कार्यान्वयन में बाधा उत्पन्न की है।

◆ इन समस्याओं ने लक्षित लाभार्थियों की ओर से संसाधनों का विचलन किया है, सार्वजनिक व्यय के प्रभाव को कम कर दिया है और निजी निवेश को बाधित किया है।

- **नक्सली विद्रोह:** पूर्वी राज्यों के कुछ क्षेत्रों में नक्सली विद्रोह ने शासन और विकास प्रयासों को गंभीर रूप से बाधित किया है।

◆ इस जारी संघर्ष ने सुरक्षा संबंधी चुनौतियाँ पैदा की हैं, निवेश को बाधित किया है और विकास के बजाय सुरक्षा उपायों की ओर सरकारी संसाधनों का विचलन किया है।

पूर्वी राज्यों का वर्तमान आर्थिक परिदृश्य:

- **GDP अवलोकन:** पूर्वी क्षेत्र का **संयुक्त सकल घरेलू उत्पाद वर्ष 2022-23 में 579 बिलियन अमेरिकी डॉलर** तक पहुँच गया, जो वर्ष 2011-12 में **185 बिलियन अमेरिकी डॉलर** रहा था। इस अवधि के दौरान भारत के कुल GDP में इस भूभाग का योगदान **लगभग 17%** पर गतिहीन बना रहा।

नोट :

- यह वृद्धि दर भारत को उसके विकास लक्ष्यों की ओर अग्रसर करने के लिये आवश्यक वृद्धि दर से कम है।

- **विकास अनुमान:** यदि पूर्वी क्षेत्र **9% की वार्षिक दर** से विकास करता है तो **वर्ष 2047 तक** इसका उत्पादन लगभग **5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर** तक पहुँच सकता है।
  - लेकिन यदि **विकास दर 5% के निम्न स्तर पर बनी रहती है तो वर्ष 2047** तक इसका सकल घरेलू उत्पाद केवल 1.8 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर तक ही पहुँच पाएगा।
  - इससे इस भूभाग के विकास को राष्ट्रीय लक्ष्य से संरेखित करने के लिये तत्काल नीतिगत परिवर्तन की आवश्यकता पर प्रकाश पड़ता है।

पूर्वी राज्यों के विकास के लिये सरकार द्वारा कौन-से कदम उठाए गए हैं?

- **पूर्वोदय - पूर्वी क्षेत्र का विकास:** बजट 2024-25 में घोषित पूर्वोदय पहल का उद्देश्य पूर्वी राज्यों- **बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और आंध्र प्रदेश** को निम्नलिखित प्रयासों के माध्यम से राष्ट्र के **'विकास इंजन'** में परिणत करना है:
  - **औद्योगिक विकास:** अमृतसर कोलकाता औद्योगिक गलियारे के अंतर्गत गया में एक औद्योगिक केंद्र का निर्माण किया जाएगा, जिसमें **'विकास भी - विरासत भी'** के मॉडल के तहत सांस्कृतिक विरासत को आधुनिक आर्थिक विकास के साथ संयुक्त किया जाएगा।
  - **सड़क संपर्क परियोजनाएँ:** भू-भाग में अवसंरचना की वृद्धि करने और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिये विभिन्न सड़क संपर्क परियोजनाएँ कार्यान्वित की जाएँगी।
    - इनमें **पटना-पूर्णिया एक्सप्रेस-वे, बक्सर-भागलपुर एक्सप्रेस-वे और बोधगया, राजगीर, वैशाली एवं दरभंगा** के लिये परिवहन संपर्क के निर्माण के साथ ही बक्सर में गंगा नदी पर एक अतिरिक्त 2-लेन पुल का निर्माण करना शामिल है।
  - **विद्युत एवं अवसंरचना परियोजनाएँ:** विद्युत परियोजनाओं पर वृहत निवेश किया जाएगा, जैसे कि बिहार के पीरपैंती में 2400 मेगावाट के नए विद्युत संयंत्र की स्थापना।
    - अवसंरचना विकास संबंधी अन्य पहलों में बिहार में नए हवाई अड्डे, मेडिकल कॉलेज और खेल सुविधाएँ शामिल होंगी।

- **आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम:** सरकार आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम में उल्लिखित प्रतिबद्धताओं की पूर्ति के लिये प्रतिबद्ध है। बजट 2024-25 में घोषित प्रमुख पहलों में शामिल हैं:
  - **बहुपक्षीय विकास एजेंसियों** के माध्यम से **राजधानी के विकास** के लिये विशेष **वित्तीय सहायता, जो चालू वित्त वर्ष में 15,000 करोड़ रुपए** है।
  - किसानों को सहायता प्रदान करने तथा **राज्य में खाद्य सुरक्षा बढ़ाने** के लिये पोलावरम सिंचाई परियोजना को समय पर पूरा करने की प्रतिबद्धता।
  - **विशाखापत्तनम-चेन्नई औद्योगिक गलियारे** पर **कोप्पार्थी नोड** और **हैदराबाद-बेंगलुरु औद्योगिक गलियारे** पर ओर्वाकल नोड के लिये अवसंरचनात्मक निवेश।
  - **रायलसीमा, प्रकाशम और उत्तरी तटीय आंध्र के पिछड़े क्षेत्रों** के लिये अनुदान आवंटित किया गया है।

- **प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान:**
  - इसका उद्देश्य जनजाति बहुल ग्रामों और **आकांक्षी ज़िलों में जनजातीय समुदायों** की सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार करना है, जिसके दायरे में **63,000 से अधिक ग्राम और 5 करोड़** से अधिक जनजातीय लोग शामिल होंगे।
  - यह योजना पूर्वी राज्यों की **जनजातीय आबादी के सामाजिक-आर्थिक विकास** को सुनिश्चित करेगी।

- **पूर्वी भारत में हरित क्रांति लाना (Bringing Green Revolution to Eastern India- BGREI):** यह राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (RKVY) की एक उप-योजना है और इसे **असम, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा, पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल** में कार्यान्वित किया जा रहा है।
  - यह कार्यक्रम किसानों को चावल एवं **गेहूँ संबंधी प्रदर्शन (डेमो) आयोजन, बीज उत्पादन, पोषक तत्व एवं मृदा प्रबंधन, कीट नियंत्रण, प्रशिक्षण, कृषि मशीनरी,** सिंचाई, स्थल-विशिष्ट गतिविधियों और पोस्ट-हार्वेस्ट विपणन के लिये सहायता प्रदान करता है।

- **ऊर्जा गंगा गैस पाइपलाइन परियोजना:** यह परियोजना **बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और ओडिशा** के लोगों को स्वच्छ ईंधन उपलब्ध कराने के लिये प्रतिबद्ध है।

- **नक्सलवाद पर नियंत्रण:** समाधान सिद्धांत एवं पुनर्वास नीति (SAMADHAN Doctrine and

नोट :

Rehabilitation Policy) के प्रभावी कार्यान्वयन से वर्ष 2010 की तुलना में वर्ष 2022 में वामपंथी उग्रवाद से संबंधित हिंसक घटनाओं की **संख्या में 76%** कमी आई है।

पूर्वी राज्यों के विकास के लिये क्या रणनीतियाँ अपनाई जानी चाहिये ?

- **आर्थिक विकास पहलें:** पूर्वी राज्यों को कनेक्टिविटी में सुधार और आर्थिक गतिविधियों की सुगमता के लिये अवसंरचना में लक्षित निवेश की आवश्यकता है। ऐसी नीतियाँ आवश्यक हैं, जो निजी क्षेत्र के निवेश को आकर्षित करे और औद्योगीकरण को बढ़ावा दे।
  - **ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर (EDFC)** जैसी परियोजनाओं के माध्यम से कनेक्टिविटी बढ़ाने से माल की आवाजाही सुगम हो सकती है और परिवहन लागत में कमी आ सकती है, जिससे यह क्षेत्र औद्योगिक निवेश के लिये अधिक आकर्षक बन सकता है।
  - इसके अतिरिक्त, **खनिज संपदा से समृद्ध ओडिशा और झारखंड** जैसे राज्य मूल्यवर्द्धित उद्योगों (जैसे कि खनन क्षेत्रों के निकट इस्पात संयंत्र और रिफाइनरियाँ स्थापित करना) को बढ़ावा देने वाली नीतियों से लाभान्वित हो सकते हैं।
- **सामाजिक विकास पर ध्यान देना:** पूर्वी राज्यों में कार्यबल की गुणवत्ता में सुधार के लिये व्यापक कौशल विकास कार्यक्रम महत्त्वपूर्ण हैं। इसके अलावा सामाजिक संकेतकों, विशेष रूप से स्वास्थ्य और शिक्षा **संबंधी संकेतकों में सुधार** के लिये पहलें की जानी चाहिये।
  - बिहार और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में ऐसे कार्यक्रमों के सकारात्मक परिणाम देखने को मिले हैं, लेकिन यह सुनिश्चित करने के लिये और अधिक प्रयास किये जाने की आवश्यकता है कि **स्थानीय कार्यबल उभरते उद्योगों की मांगों** को पूरा कर सके।
  - **स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे सामाजिक संकेतकों** में सुधार करना अत्यंत आवश्यक है। आयुष्मान भारत जैसी पहलों और सर्व शिक्षा अभियान की पहुँच बढ़ाने से स्वास्थ्य एवं शिक्षा संबंधी असमानताओं को दूर किया जा सकता है तथा सुनिश्चित किया जा सकता है कि आबादी स्वस्थ एवं सुशिक्षित हो।
- **श्रम बाज़ार में सुधार:** श्रम शक्ति में भागीदारी बढ़ाने के उपाय, विशेषकर महिलाओं के बीच, आवश्यक हैं। उद्यमिता और छोटे व्यवसायों को बढ़ावा देने से रोज़गार के अधिक अवसर पैदा हो सकते हैं।
  - उदाहरण के लिये, **पश्चिम बंगाल में AMFI-WB (Association of Microfinance Institutions in West Bengal)** की सहायता से सूक्ष्म-वित्त कार्यक्रमों के सफल कार्यान्वयन ने महिलाओं को छोटे व्यवसाय शुरू करने के लिये सशक्त बनाया है, जिससे परिवार की आय में सुधार हुआ है और वित्तीय स्वतंत्रता बढ़ी है।
  - **स्टार्ट-अप इंडिया जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से उद्यमशीलता** को प्रोत्साहित करना और छोटे व्यवसायों के लिये ऋण तक पहुँच प्रदान करना रोज़गार के वृहत अवसर उत्पन्न कर सकता है। यह **दृष्टिकोण बिहार जैसे राज्यों में प्रभावी सिद्ध** हुआ है, जहाँ लघु उद्योगों को समर्थन देने की पहल से महत्त्वपूर्ण रोज़गार सृजन हुआ है।
- **सहकारी संघवाद(Cooperative Federalism): केंद्र और राज्य सरकारों के बीच सहयोग को बढ़ावा देकर, क्षेत्रीय असमानताओं को दूर करने के लिये संसाधनों** एवं विशेषज्ञता को अधिक प्रभावी ढंग से आवंटित किया जा सकता है।
  - यह दृष्टिकोण **नीति कार्यान्वयन, अवसंरचना विकास और सामाजिक-आर्थिक कार्यक्रमों** में साझा उत्तरदायित्वों को प्रोत्साहित करता है तथा यह सुनिश्चित करता है कि पूर्वी राज्यों को चुनौतियों पर काबू पाने के लिये आवश्यक समर्थन प्राप्त हो।
- **शासन और नीति:** विकास कार्यक्रमों के प्रभावी क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने के लिये स्थानीय शासन संरचनाओं को सुदृढ़ करना अत्यंत महत्त्वपूर्ण है। क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करने के लिये राज्य और केंद्र सरकारों के बीच सहयोगात्मक प्रयास आवश्यक हैं।
  - कालिया योजना **(Krushak Assistance for Livelihood and Income Augmentation- KALIA) ओडिशा** सरकार का एक कार्यक्रम है जो किसानों को उनकी कृषि का विस्तार करने, उनकी आय बढ़ाने और उनके ऋण को कम करने में सहायता प्रदान करता है।
  - इसी प्रकार, **पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा वर्ष 2013** में शुरू की गई कन्याश्री प्रकल्प योजना आर्थिक रूप से वंचित पृष्ठभूमि की बालिकाओं की शैक्षिक एवं आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने पर लक्षित एक प्रभावी नीति एवं सुशासन का उदाहरण है।

नोट :

- **क्षेत्रीय असमानताओं को संबोधित करना:** पूर्वी क्षेत्र की राज्य सरकारों को क्षेत्रीय **असमानताओं को दूर करने और समतामूलक विकास** को बढ़ावा देने के लिये अपने प्रयासों को तेज़ करना चाहिये। इसमें सामाजिक संकेतकों को बेहतर बनाने और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिये आवश्यक नीतियों को लागू करना शामिल है।
  - पूर्वी क्षेत्र की **राज्य सरकारों को ऐसी नीतियों को लागू** करने की आवश्यकता है जो समतामूलक विकास को बढ़ावा दें।
  - बिहार विकास मिशन के माध्यम से सामाजिक संकेतकों में सुधार के लिये बिहार सरकार के प्रयासों से शिक्षा एवं स्वास्थ्य सेवा में उल्लेखनीय सुधार हुआ है।
- **क्षमता को साकार करना:** पूर्वी राज्यों के पास विकास का इंजन बनने का अवसर है, जो देश को उसके लक्ष्यों की ओर आगे ले जाने में अहम भूमिका निभाएगा। उनके **विशाल खनिज संसाधन, रणनीतिक अवस्थिति और अब तक अप्रयुक्त** क्षमता उन्हें भारत के आर्थिक रूपांतरण में महत्त्वपूर्ण योगदान दे सकने के लिये एक विशिष्ट स्थिति प्रदान करते हैं।
  - **पूर्वी राज्यों में भारत की आर्थिक वृद्धि** के महत्त्वपूर्ण चालक बनने की क्षमता है। झारखंड और ओडिशा के समृद्ध खनिज संसाधन इस्पात, एल्युमीनियम एवं सीमेंट जैसे उद्योगों के विकास के लिये अवसर प्रदान करते हैं, जो देश के औद्योगिक उत्पादन में योगदान कर सकते हैं।
- **MSMEs को बढ़ावा देना: भारत के पूर्वी राज्यों में MSMEs** को बढ़ावा देने के लिये वित्तपोषण एवं ऋण सुविधाओं तक पहुँच का विस्तार किया जाना चाहिये, साथ ही प्रौद्योगिकी और कौशल विकास के मामले में व्यापक समर्थन दिया जाना चाहिये।
  - इसके अतिरिक्त, सुव्यवस्थित विनियमनों और बेहतर अवसंरचना के माध्यम से अनुकूल कारोबारी माहौल को बढ़ावा देने से इस **भू-भाग में MSMEs विकास** एवं संवहनीयता को और बढ़ावा मिलेगा।

निष्कर्ष:

- भारत की विकास यात्रा में पूर्वी राज्यों के विकास को प्राथमिकता दी जानी चाहिये। उनके **विशाल प्राकृतिक संसाधन, रणनीतिक अवस्थिति और अप्रयुक्त मानव क्षमता** उन्हें भारतीय अर्थव्यवस्था के नए विकास इंजन बन सकने की विशिष्ट स्थिति प्रदान करती है। पूर्वी राज्यों के समावेशी विकास को बढ़ावा देने, क्षेत्रीय असमानताओं को दूर करने और इन राज्यों की अव्यक्त क्षमता को उन्मुक्त करने के रूप में भारत एक विकसित राष्ट्र बनने के लिये अधिक संतुलित एवं संवहनीय मार्ग सुनिश्चित कर सकेगा।
- पूर्वी राज्यों के लिये आने वाले दशक विकास की खाई को भरने और अपने विकास पथ को राष्ट्रीय उद्देश्यों के साथ संरेखित करने के लिये महत्त्वपूर्ण सिद्ध होंगे। उनकी सफलता भारत के भविष्य को आकार देने में सहायक सिद्ध होगी; इस प्रकार, पूर्वी राज्यों का विकास न केवल एक क्षेत्रीय आकांक्षा है, बल्कि विकसित राष्ट्र का दर्जा पाने की दिशा में भारत की यात्रा की आधारशिला भी है।

■■■

भारत का अंतरिक्ष क्षेत्र

पिछले एक वर्ष में भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र ने उल्लेखनीय वृद्धि और उपलब्धियाँ प्राप्त की हैं, जो **नवाचार और अन्वेषण के एक नए युग की शुरुआत को चिह्नित** करता है। चंद्रयान-3 की सफल मून लैंडिंग से लेकर आदित्य L1 सौर मिशन के प्रक्षेपण तक, ISRO ने वैश्विक मंच पर अपनी बढ़ती क्षमताओं का प्रदर्शन किया है। संगठन ने अपने गगनयान मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम में भी प्रगति की है, पुन: प्रयोज्य प्रक्षेपण वाहनों के लिये महत्त्वपूर्ण परीक्षण किये हैं और एक्सपोसैट (XPoSat) एवं NSAT-3DS जैसे मिशनों के साथ अपने उपग्रह पोर्टफोलियो का विस्तार किया है। इसके अलावा, देश ने चंद्र अन्वेषण और मानव अंतरिक्ष उड़ान के लिये महत्त्वाकांक्षी रोडमैप तैयार किये हैं, जिसमें वर्ष **2035 तक एक भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन** की योजना भी शामिल है।

भारत ने इन महत्त्वपूर्ण मील के पत्थरों को चिह्नित करते हुए 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस (National Space Day) मनाया, जो **अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में देश की बढ़ती शक्ति** की पुष्टि है। हालाँकि, इन प्रभावशाली उपलब्धियों के बावजूद, भारत को अंतरिक्ष क्षेत्र में अपनी क्षमता का पूर्ण उपयोग करने के लिये और भी अधिक लगन से काम करने की आवश्यकता है। जबकि **ISRO ने अनुसंधान एवं विकास** में प्रगति की है, **अंतरिक्ष प्रौद्योगिकियों के वाणिज्यीकरण में तेज़ी लाने और** एक सुदृढ़ निजी अंतरिक्ष उद्योग को बढ़ावा देने की तत्काल आवश्यकता है। न्यूस्पेस इंडिया लिमिटेड (NSIL) को परिचालन ज़िम्मेदारियों का **हस्तांतरण और अग्निकुल कॉसमॉस (Agnikul Cosmos) एवं स्काईरूट एयरोस्पेस (Skyroot Aerospace)** जैसे निजी खिलाड़ियों का उभार सकारात्मक प्रगति है, लेकिन अंतरिक्ष स्टार्टअप और व्यवसायों के एक संपन्न पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण के लिये अभी और अधिक प्रयासों की आवश्यकता है।

नोट :

भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र में वर्तमान प्रमुख प्रगतियाँ:

- **अंतरिक्ष विज्ञान मिशनों में प्रगति:** चंद्रयान-3 की सफलता के बाद, ISRO अन्य वैज्ञानिक मिशनों पर सक्रियता से कार्य कर रहा है।
  - सितंबर 2023 में लॉन्च किये गए **आदित्य-L1 सौर वेधशाला ने जुलाई 2024 में L1 बिंदु** के चारों ओर अपनी पहली परिक्रमा पूरी कर ली और यह पहले ही सौर तूफ़ान के अध्ययन में योगदान दे चुकी है।
  - जनवरी 2024 में लॉन्च किया गया **एक्स-रे पोलैरिमीटर सैटेलाइट (XpoSat)** अंतरिक्ष-आधारित खगोल विज्ञान में भारत की क्षमताओं को आगे बढ़ाएगा।
- **गगनयान मिशन की प्रगति:** ISRO अपने मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम 'गगनयान' में महत्त्वपूर्ण प्रगति कर रहा है ।
  - एजेंसी ने वर्ष 2023 में **क्रू एस्केप सिस्टम (crew escape system) का पहला एबॉर्ट टेस्ट (TV-D1)** सफलतापूर्वक आयोजित किया।
    - चार **अंतरिक्ष यात्री अभ्यर्थियों (astronaut candidates)** का चयन किया गया है और वे कठोर प्रशिक्षण से गुज़र रहे हैं।
  - पहला चालकरहित गगनयान मिशन वर्ष 2024 के अंत में अपेक्षित है, जबकि मानवयुक्त मिशन वर्ष 2025 में प्रस्तावित है।
- **वाणिज्यीकरण और निजीकरण को बढ़ावा:** **न्यूस्पेस इंडिया लिमिटेड** (NSIL) ISRO की प्रौद्योगिकियों के वाणिज्यीकरण में अधिक सक्रिय भूमिका निभा रहा है।
  - **NSIL ने मई 2024 में भारतीय रिमोट सेंसिंग उपग्रह डेटा** और उत्पादों से संबंधित सभी वाणिज्यिक गतिविधियों को अपने हाथ में ले लिया।
  - **मार्च 2024 में अग्निकुल कॉसमॉस ने अपना SoRTeD-01** वाहन सफलतापूर्वक लॉन्च किया, जो भारत में निजी अंतरिक्ष उपक्रमों के लिये एक मील का पत्थर साबित होगा।
- **अगली पीढ़ी के प्रक्षेपण यान का विकास:** ISRO पेलोड क्षमता बढ़ाने और प्रक्षेपण लागत को कम करने के लिये अपनी **अगली पीढ़ी के प्रक्षेपण यान (Next Generation Launch Vehicle- NGLV) पर सक्रिय रूप से कार्य कर रहा है।**
  - **NGLV को** त्रि-चरणीय वाहन के रूप में डिज़ाइन किया गया है, जो सेमी-क्रायोजेनिक, लिक्विड और क्रायोजेनिक इंजन द्वारा संचालित होगा।
  - इसके साथ ही, **ISRO द्वारा LVM-3 रॉकेट के लिये सेमी-क्रायोजेनिक इंजन** का विकास किया जा रहा है, जिसका **मई 2024 में सफल प्री-बर्नर इग्निशन परीक्षण** (pre-burner ignition tests) किया जाएगा।
  - ये प्रगतियाँ भारत के लिये हैवी-लिफ्ट प्रक्षेपण बाज़ार में प्रतिस्पर्द्धा करने और भविष्य के महत्त्वाकांक्षी अंतरिक्ष मिशनों को समर्थन देने के लिये महत्त्वपूर्ण हैं।
  - इसके अलावा, सरकार ने **भारतीय अंतरिक्ष नीति (Indian Space Policy) 2023** को मंज़ूरी दी है, जिसमें कहा गया है कि राष्ट्रीय अंतरिक्ष एजेंसी के रूप में भारतीय **अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO)** मुख्य रूप से नई अंतरिक्ष प्रौद्योगिकियों और अनुप्रयोगों के अनुसंधान एवं विकास तथा बाह्य अंतरिक्ष के बारे में मानवीय समझ का विस्तार करने पर ध्यान केंद्रित करेगा।
- **अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का विस्तार:** भारत अपनी अंतरिक्ष कूटनीति और अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी को सुदृढ़ कर रहा है।
  - **NSIL ने GSAT-20/GSAT-N2 उपग्रह के प्रक्षेपण के लिये SpaceX** के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किये हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय प्रक्षेपण क्षमताओं का उपयोग करने के लिये एक व्यावहारिक दृष्टिकोण को परिलक्षित करता है।
  - **NISAR मिशन (जिसका प्रक्षेपण वर्ष 2025 के आरंभ में होना अपेक्षित है)** के लिये NASA के साथ भारत का सहयोग अंतरिक्ष क्षेत्र में वैश्विक अग्रणी एजेंसियों के साथ बढ़ते तकनीकी सहयोग को परिलक्षित करता है।
  - इसके अतिरिक्त, **भारतीय अंतरिक्ष यात्री अभ्यर्थियों को अमेरिका में प्रशिक्षण प्राप्त** होगा, जिससे संभवत: अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर भारतीय उपस्थिति दर्ज हो सकेगी।

भारतीय अंतरिक्ष क्षेत्र से संबंधित प्रमुख मुद्दे:

- निजी क्षेत्र की सीमित भागीदारी: हाल के नीतिगत सुधारों के बावजूद, भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र में अभी भी सरकारी संस्थाओं का ही प्रभुत्व बना हुआ है।
  - भारत की **78 बिलियन अमेरिकी डॉलर की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था** में निजी कंपनियों की हिस्सेदारी अत्यंत कम है।
  - व्यापक विनियामक ढाँचे की कमी और ISRO की सुविधाओं तक सीमित पहुँच ने निजी क्षेत्र के विकास में बाधा उत्पन्न की है।

नोट :

- हालाँकि **स्काईरूट एयरोस्पेस और अग्निकुल कॉसमॉस** जैसे स्टार्टअप ने प्रगति की है, लेकिन उन्हें आगे बढ़ने में चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है।

- **अपर्याप्त वित्तपोषण और संसाधन आवंटन:** भारत के अंतरिक्ष बजट में वृद्धि हो रही है, लेकिन विश्व के अग्रणी देशों की तुलना में यह मामूली ही है।
  - वर्ष 2023-24 में ISRO का **बजट लगभग 1.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर था, जो NASA के बजट (25.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर)** से कम था।
  - सीमित वित्तपोषण के कारण ISRO की एक साथ कई महत्त्वाकांक्षी परियोजनाओं को आगे बढ़ाने की क्षमता प्रभावित होती है।
  - उदाहरण के लिये, **गगनयान मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम** के विकास में आंशिक रूप से संसाधन की कमी के कारण ही देरी हुई है।
  - निरंतर, पर्याप्त वित्तपोषण की कमी उन्नत प्रणोदन प्रणालियों और अगली पीढ़ी के प्रक्षेपण वाहनों के विकास जैसी दीर्घकालिक परियोजनाओं को भी प्रभावित करती है, जिससे वैश्विक अंतरिक्ष बाज़ार में भारत की प्रतिस्पर्द्धात्मकता सीमित हो सकती है।
- **प्रतिभा पलायन और प्रतिभा प्रतिधारण:** भारतीय अंतरिक्ष क्षेत्र को शीर्ष प्रतिभा को बनाये रखने में महत्त्वपूर्ण चुनौती का सामना करना पड़ रहा है।
  - **शीर्ष भारतीय संस्थानों से एयरोस्पेस इंजीनियरिंग स्नातकों** की एक बड़ी संख्या विदेश में या अन्य क्षेत्रों में अवसर की तलाश करती है।
  - सरकारी संगठनों में प्रतिस्पर्द्धी वेतन का अभाव, सीमित अनुसंधान अवसर और नौकरशाही संबंधी बाधाएँ इस प्रतिभा पलायन या 'ब्रेन ड्रेन' में योगदान करती हैं।
  - यद्यपि **ISRO के पास समर्पित कार्यबल** मौजूद है, फिर भी उसे विशेषज्ञ प्रतिभाओं को आकर्षित करने और उन्हें बनाये रखने में, विशेष रूप से कृत्रिम बुद्धिमत्ता और अंतरिक्ष में प्रयुक्त **क्वांटम प्रौद्योगिकियों** जैसे उभरते क्षेत्रों में, वैश्विक तकनीकी दिग्गज कंपनियों एवं अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष एजेंसियों के साथ प्रतिस्पर्द्धा करनी पड़ती है।
- **कुछ क्षेत्रों में प्रौद्योगिकीय अंतराल:** प्रभावशाली उपलब्धियों के बावजूद, भारत कुछ अत्यंत महत्त्वपूर्ण अंतरिक्ष प्रौद्योगिकियों में पीछे है।
  - उदाहरण के लिये, भारत अभी तक **पुन: प्रयोज्य प्रक्षेपण यान प्रौद्योगिकी** में महारत हासिल नहीं कर पाया है (**पुष्पक पुन: प्रयोज्य प्रक्षेपण यान** जैसे प्रयासों के बावजूद), जबकि SpaceX जैसी कंपनियों ने इसे आम बना दिया है।
  - उपग्रह प्रौद्योगिकी में, भारत अभी भी हाई-थ्रूपुट उपग्रहों और उन्नत पृथ्वी अवलोकन क्षमताओं जैसे क्षेत्रों में अन्य उन्नत देशों के स्तर तक पहुँचने का प्रयास कर रहा है।
  - ये अंतराल **वैश्विक वाणिज्यिक अंतरिक्ष बाज़ार में भारत की प्रतिस्पर्द्धात्मकता** को सीमित करते हैं, जहाँ बाज़ार की हिस्सेदारी प्राय: अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी द्वारा निर्धारित की जाती है।
- सीमित अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और बाज़ार पहुँच: हालाँकि **ISRO के 60 से अधिक देशों के साथ सहयोगात्मक समझौते** हैं, लेकिन इन सहयोगों की गहराई एवं पैमाने प्राय: उनकी क्षमता से कम रह जाते हैं।
  - लागत प्रभावी तरीके से उपग्रह प्रक्षेपित करने की क्षमता होने के बावजूद, वैश्विक अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था में भारत की **हिस्सेदारी 2%** से भी कम है।
  - भू-राजनीतिक कारकों, जैसे कि वर्ष 2016 तक मिसाइल प्रौद्योगिकी नियंत्रण व्यवस्था में भारत की गैर-सदस्यता, ने ऐतिहासिक रूप से प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और बाज़ार पहुँच को सीमित कर दिया है।
  - यद्यपि भारत की **प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष परियोजनाओं** को आकर्षित करने तथा वैश्विक वाणिज्यिक प्रक्षेपण बाज़ार में बड़ी हिस्सेदारी पाने की क्षमता में सुधार हो रहा है, लेकिन सीमित वैश्विक विपणन तथा संभावित साझेदार देशों में कठोर विनियामक वातावरण जैसे कारकों के कारण इसमें बाधा उत्पन्न हो रही है।
- **अपर्याप्त अंतरिक्ष अवसंरचना और ज़मीनी सुविधाएँ:** भारत की अंतरिक्ष अवसंरचना में सुधार तो हो रहा है, लेकिन यह अभी भी वैश्विक मानकों से पीछे है।
  - देश में केवल एक ही प्रमुख प्रक्षेपण स्थल है **(श्रीहरिकोटा में), जिससे प्रक्षेपण आवृत्तियों और लचीलेपन** में कमी आती है।
  - समर्पित अंतरिक्ष नेटवर्क का अभाव भारत की जटिल अंतर-ग्रहीय मिशनों को संचालित करने की क्षमता में बाधा डालता है।

नोट :

- **अविकसित घरेलू आपूर्ति शृंखला:** भारतीय अंतरिक्ष क्षेत्र महत्त्वपूर्ण घटकों एवं सामग्रियों के लिये अविकसित घरेलू आपूर्ति शृंखला और भारी आयात से ग्रस्त है।
  - **वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान 2,114.00 करोड़ रुपए मूल्य** की वस्तुओं का आयात किया गया, जबकि निर्यात से केवल **174.9 करोड़ रुपए** की राशि अर्जित हुई।
  - आयात पर निर्भरता से न केवल लागत बढ़ती है, बल्कि कार्यक्रमों की समय-सारणी और राष्ट्रीय सुरक्षा को भी खतरा पैदा होता है।
  - **कंपोजिट (composites), उच्च श्रेणी के मिश्र धातु एवं इलेक्ट्रॉनिक घटकों** जैसी विशिष्ट सामग्रियों के लिये आपूर्तिकर्ताओं के सुदृढ़ पारितंत्र की कमी ISRO और निजी अंतरिक्ष कंपनियों, दोनों के विकास में बाधा डालती है।
- **नियामक बाधाएँ और नीतिगत अंतराल:** हाल के सुधारों के बावजूद, भारत का अंतरिक्ष क्षेत्र अभी भी नियामक जटिलताओं से जूझ रहा है।
  - एक व्यापक अंतरिक्ष क्रियाकलाप अधिनियम (Space Activities Act) का अभाव निजी खिलाड़ियों के लिये अनिश्चितता पैदा करता है।
  - ऑन-ऑर्बिट सर्विसिंग और अंतरिक्ष संसाधनों के उपयोग जैसे महत्त्वपूर्ण पहलुओं पर स्पष्ट नीतियों का अभाव, उभरते अंतरिक्ष बाज़ारों में भारत को अलाभ की स्थिति में डालता है।
- **अंतरिक्ष संवहनीयता और मलबा प्रबंधन पर सीमित ध्यान:** अंतरिक्ष संवहनीयता और मलबा प्रबंधन के प्रति भारत का दृष्टिकोण अपेक्षाकृत निष्क्रिय रहा है।
  - भारत **वर्ष 2030 तक मलबा मुक्त अंतरिक्ष मिशन** की क्षमता प्राप्त कर लेने का लक्ष्य रखता है, लेकिन देश ने अभी तक एक व्यापक अंतरिक्ष मलबा शमन रणनीति को लागू नहीं किया है।
  - **वर्ष 2019 का ASAT परीक्षण,** जिसमें मलबे के सैकड़ों टुकड़े उत्पन्न हुए, ने इस अंतराल को उजागर किया।
  - **वर्ष 2023 तक भारतीय प्रक्षेपणों से कुल 82 रॉकेट बॉडी** को कक्षा में स्थापित किया गया था।
    - **वर्ष 2001 में PSLV-C3 का ऊपरी चरण दुर्घटनावश विखंडित** हो गया था, जिससे 371 मलबा खंड उत्पन्न हुए थे।
    - वर्ष 2023 के अंत तक **PSLV-C3 के 52 मलबे अभी भी कक्षा** में मौजूद थे।
- **शैक्षिक-उद्योग-सरकार सहयोग का अभाव:** अंतरिक्ष क्षेत्र में शैक्षिक संस्थानों, उद्योग और सरकारी एजेंसियों के बीच तालमेल अभी भी अपर्याप्त है।
  - भारत के केवल **0.4% पेटेंट ही शैक्षिक-उद्योग सहयोग** से प्राप्त होते हैं।
  - अनुसंधान संस्थानों से उद्योग तक प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के लिये संरचित ढाँचे का अभाव नवाचार में बाधा डालता है।
  - यद्यपि विश्वविद्यालयों के **साथ ISRO की संलग्नता** बढ़ी है, फिर भी इसका दायरा एवं पैमाना अभी सीमित ही है।

भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिये कौन-से उपाय किये जा सकते हैं?

- **निजी क्षेत्र के एकीकरण में तेज़ी लाना:** निजी भागीदारी को तेज़ी से बढ़ाने के लिये एक **'अंतरिक्ष क्षेत्र रूपांतरण कार्यक्रम' ('Space Sector Transformation Program)** क्रियान्वित किया जाए।
  - अंतरिक्ष से संबंधित लाइसेंसिंग और अनुमोदन के लिये एक वन-स्टॉप-शॉप की स्थापकी जाए, जिससे नौकरशाही संबंधी बाधाएँ कम होंगी।
  - निवेश आकर्षित करने के लिये कर प्रोत्साहन और सरलीकृत विनियमनों के साथ **अंतरिक्ष उद्यम क्षेत्रों (Space Enterprise Zones)** का सृजन किया जाए।
  - ISRO की सुविधाओं और विशेषज्ञता को निजी संस्थाओं के साथ साझा करने के लिये एक सार्वजनिक-निजी भागीदारी मॉडल का विकास किया जाए।
- **प्रतिभा प्रतिधारण एवं विकास पहल:** एयरोस्पेस क्षेत्र के टॉपर स्नातकों को प्रतिस्पर्द्धी वेतन और अनुसंधान अनुदान प्रदान करने के लिये एक **'अंतरिक्ष प्रतिभा प्रतिधारण योजना' ('Space Talent Retention Scheme)** शुरू की जाए।
  - **ISRO वैज्ञानिकों को कौशल संवर्द्धन** के लिये निजी कंपनियों या विदेशी अंतरिक्ष एजेंसियों में कार्य करने की अनुमति देने के लिये एक 'अंतरिक्ष अध्ययन-अवकाश कार्यक्रम' (Space Sabbatical Program) क्रियान्वित किया जाए।
  - स्कूलों और कॉलेजों से युवा प्रतिभाओं की पहचान करने तथा उनका विकास करने के लिये एक **'एयरोस्पेस इनोवेटर्स' (Aerospace Innovators)**

नोट :

कार्यक्रम का सृजन किया जाए। ज्ञान हस्तांतरण और कौशल विकास के लिये अग्रणी वैश्विक अंतरिक्ष एजेंसियों एवं कंपनियों के साथ आदान-प्रदान कार्यक्रम विकसित किये जाएँ।

- **प्रौद्योगिकी में तेज़ी लाने की रणनीति:** पुन: प्रयोज्य प्रक्षेपण वाहनों, क्वांटम संचार और अंतरिक्ष में AI जैसे महत्त्वपूर्ण क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करते हुए **'अगली पीढ़ी के अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी मिशन' (Next-Gen Space Tech Mission)** की शुरूआत की जाए।
  - प्रमुख क्षेत्रों में नवाचार को बढ़ावा देने के लिये वैश्विक प्रौद्योगिकी दिग्गजों के साथ साझेदारी में **'उन्नत अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी केंद्र' (Advanced Space Technology Centers)** स्थापित किये जाएँ।
  - अंतरिक्ष अनुप्रयोगों के लिये रक्षा और अन्य उच्च तकनीक नवाचारों को अनुकूलित करने के लिये एक **'अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी हस्तांतरण कार्यक्रम' (Space Tech Transfer Program)** कार्यान्वित किया जाए।
  - भारतीय अंतरिक्ष संस्थाओं के बीच बौद्धिक संपदा की साझेदारी की सुविधा के लिये एक 'अंतरिक्ष पेटेंट पूल' (Space Patent Pool) का निर्माण किया जाए।
- **अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को रणनीतिक रूप से विस्तारित करना:** संयुक्त मिशन, प्रौद्योगिकी विनिमय और बाज़ार पहुँच के लिये प्रमुख देशों के साथ द्विपक्षीय 'अंतरिक्ष सेतु' (Space Bridges) विकसित किये जाएँ।
  - क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देने और भारत के अंतरिक्ष प्रभाव का विस्तार करने के लिये **'दक्षिण एशियाई अंतरिक्ष गठबंधन' (South Asian Space Alliance)** का निर्माण किया जाए।
  - अंतर्राष्ट्रीय विकास और आपदा प्रबंधन के लिये अंतरिक्ष क्षमताओं का उपयोग करते हुए **'अंतरिक्ष कूटनीति पहल' (Space Diplomacy Initiative)** को क्रियान्वित किया जाए।
  - भारत के हितों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिये अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष कानूनों और नीतियों के निर्माण में सक्रिय रूप से भागीदारी की जाए।
- **अंतरिक्ष अवसंरचना और सुविधाओं का विकास:** प्रक्षेपण क्षमताओं और लचीलेपन को बढ़ाने के लिये **पूर्वी तट पर अंतरिक्ष बंदरगाहों (spaceports)** की संख्या बढ़ाई जाए।
- परीक्षण, संयोजन और विशिष्ट अनुसंधान के लिये देश भर में 'मिनी स्पेस सेंटर' का नेटवर्क स्थापित किया जाए।
- उन्नत गहन अंतरिक्ष मिशन क्षमताओं के लिये अनेक ग्राउंड स्टेशनों के साथ अत्याधुनिक गहन अंतरिक्ष नेटवर्क का निर्माण किया जाए।
- अंतरिक्ष-आधारित सूचना के कुशल डेटा भंडारण, प्रसंस्करण और वितरण के लिये **'राष्ट्रीय अंतरिक्ष क्लाउड' (National Space Cloud)** का विकास किया जाए।
- **घरेलू आपूर्ति श्रृंखला को सुदृढ़ करना:** वर्ष 2030 तक महत्त्वपूर्ण घटकों में अधिकतम स्थानीयकरण की प्राप्ति के लिये एक 'अंतरिक्ष घटक स्वदेशीकरण मिशन' (Space Component Indigenization Mission) लॉन्च की जाए।
  - एक सुदृढ़ आपूर्तिकर्ता पारितंत्र को बढ़ावा देने के लिये प्रमुख औद्योगिक संकुलों में **'अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी पार्क' (Space Technology Parks)** स्थापित किये जाएँ।
  - स्थानीय उत्पादन को बढ़ावा देने के लिये घरेलू स्तर पर निर्मित अंतरिक्ष घटकों हेतु अधिमान्य खरीद नीतियाँ लागू की जाएँ।
- **नियामक ढाँचे को सुव्यवस्थित करना:** अंतरिक्ष संबंधी सभी गतिविधियों के लिये कानूनी स्पष्टता एवं समर्थन प्रदान करने के लिये एक व्यापक 'भारतीय अंतरिक्ष गतिविधि अधिनियम' (Indian Space Activities Act) लागू किया जाए।
  - अंतरिक्ष परियोजनाओं के लिये **'फास्ट-ट्रैक अनुमोदन प्रणाली'** लागू की जाए, जहाँ सभी मंज़ूरियों के लिये अधिकतम 6 माह की समय-सीमा आरोपित की जाए।
  - अंतरिक्ष पर्यटन, मलबा हटाने और ऑन-ऑर्बिट सर्विसिंग जैसे उभरते क्षेत्रों पर स्पष्ट नीतियाँ विकसित की जाएँ।
- **अंतरिक्ष संवहनीयता को प्राथमिकता देना:** स्पष्ट दिशा-निर्देशों और प्रवर्तन तंत्रों के साथ एक **'राष्ट्रीय अंतरिक्ष मलबा प्रबंधन योजना' (National Space Debris Management Plan)** लागू की जाए।
  - उन्नत ट्रैकिंग एवं मॉनिटरिंग क्षमताओं से सुसज्जित **'अंतरिक्ष स्थितिजन्य जागरूकता केंद्र' (Space Situational Awareness Center)** की संख्या बढ़ाई जाए।

नोट :

- मलबा हटाने की सक्रिय प्रौद्योगिकियों और मिशनों के विकास के लिये समर्पित निधि आवंटित की जाए।
- सभी भारतीय उपग्रहों और प्रक्षेपण वाहनों के लिये अनिवार्य **'जीवन-अंत प्रबंधन योजना' (End-of-Life Management Plans)** लागू की जाए।

- शैक्षिक जगत-उद्योग-सरकार तालमेल को बढ़ावा देना: विश्वविद्यालयों में **'अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी ऊष्मायन केंद्र' (Space Technology Incubation Centers)** स्थापित किये जाएँ, जिनका प्रबंधन ISRO और उद्योग भागीदारों द्वारा संयुक्त रूप से किया जाए।
  - विभिन्न क्षेत्रों में सहयोगात्मक परियोजनाओं के समन्वय एवं वित्तपोषण के लिये एक 'राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान कंसोर्टियम' (National Space Research Consortium) की स्थापना की जाए।
  - वार्षिक रूप से आयोजित **'भारत अंतरिक्ष नवाचार चुनौती' (India Space Innovation Challenge)** का शुभारंभ किया जाए, जहाँ सफल विचारों के लिये पर्याप्त अनुदान प्रदान किया जाए।

निष्कर्ष:

- हाल के वर्षों में भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति हुई है, जिसकी पुष्टि चंद्रयान-3 मिशन की सफलता और आदित्य L1 के सफल प्रक्षेपण से हुई है। हालाँकि, भारत को अपनी क्षमता को पूर्णरूपेण साकार करने के लिये एक सुदृढ़ निजी अंतरिक्ष उद्योग को बढ़ावा देने, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ाने और महत्त्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों में निवेश करने जैसी चुनौतियों को संबोधित करना होगा। भारत इन बाधाओं को पार कर वैश्विक अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था में एक प्रमुख खिलाड़ी के रूप में अपनी स्थिति सुदृढ़ कर सकता है और मानव ज्ञान एवं अन्वेषण की उन्नति में योगदान दे सकता है।

■■■

भारत-अमेरिका साझेदारी

संयुक्त राज्य अमेरिका में संभावित राजनीतिक परिवर्तनों के परिदृश्य में भारत एक अनूठी स्थिति का सामना कर रहा है। अमेरिका के कई अन्य **सहयोगी राष्ट्रों के विपरीत भारत ने रिपब्लिकन एवं डेमोक्रेटिक** दोनों प्रशासनों के तहत अमेरिका के साथ अपने संबंधों को सफलतापूर्वक सुदृढ़ किया है और स्वयं को व्यापार, प्रौद्योगिकी एवं सुरक्षा सहित विभिन्न क्षेत्रों में एक प्रमुख भागीदार के रूप में स्थापित किया है।

पिछले दो दशकों में **भारत-अमेरिका साझेदारी** में लगातार वृद्धि देखी गई है, लेकिन आव्रजन, व्यापार नीतियों और **भू-राजनीतिक संरेखन (विशेष रूप से रूस और चीन के संबंध में)** जैसे क्षेत्रों में चुनौतियाँ बनी हुई हैं। जब भारत इन जटिलताओं के बीच आगे बढ़ रहा है तो उसे अपने रणनीतिक लाभों—जिसमें **अमेरिकी नीति-निर्माताओं के साथ उसका सुदृढ़ जुड़ाव, सशक्त प्रवासी संबंध** और हिंद-प्रशांत क्षेत्र में भारत का बढ़ता महत्त्व शामिल हैं—का दोहन करना चाहिये, ताकि तेज़ी से बहुध्रुवीय हो रहे विश्व में इस महत्त्वपूर्ण संबंध को और सुदृढ़ एवं अनुकूल बनाया जा सके।

समय के साथ भारत और अमेरिका के संबंध किस प्रकार विकसित हुए?

- **विमुखता से संलग्नता की ओर – शीत युद्ध का नरम पड़ना:** शीत युद्ध के दौरान भारत और अमेरिका विपरीत पक्षों में थे, जहाँ भारत गुटनिरपेक्षता की नीति का पालन कर रहा था जबकि भारत का तत्कालीन प्रमुख **प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान अमेरिका** के साथ था।
  - 1990 के दशक में भारत के **आर्थिक उदारीकरण और शीत युद्ध** की समाप्ति के साथ दोनों देशों के संबंधों में नरमी आनी शुरू हुई।
  - **वर्ष 2000 में राष्ट्रपति बिल क्लिंटन** की भारत यात्रा से इस संबंध में एक महत्त्वपूर्ण मोड़ आया, जो 20 वर्षों से भी अधिक की अवधि के बाद किसी अमेरिकी राष्ट्रपति की पहली भारत यात्रा थी।
  - इस अवधि में रणनीतिक वार्ता की शुरुआत हुई और **आर्थिक सहयोग की वृद्धि** हुई।
  - वर्ष 2004 में **'रणनीतिक साझेदारी के अगले चरण' (Next Steps in Strategic Partnership- NSSP)** पर हस्ताक्षर ने बढ़ते संबंधों को और सुदृढ़ किया।
- **परमाणु सहयोग – विश्वास के नए युग का उभार:** वर्ष 2008 में संपन्न असैन्य परमाणु समझौते ने भारत-अमेरिका संबंधों में एक महत्त्वपूर्ण क्षण को चिह्नित किया।
  - इस समझौते ने प्रभावी रूप से भारत के परमाणु अलगाव को समाप्त कर दिया और उसे एक उत्तरदायी परमाणु शक्ति के रूप में मान्यता प्रदान की गई।
  - इस समझौते ने, भारत के परमाणु अप्रसार संधि के हस्ताक्षरकर्त्ता नहीं होने के बावजूद, **वैश्विक परमाणु व्यवस्था में उसके एकीकरण** का मार्ग प्रशस्त किया।

नोट :

- इससे रक्षा और उच्च प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में सहयोग की भी वृद्धि हुई। **वर्ष 2008 में समझौते** के क्रियान्वयन ने भारत के वैश्विक कद को बढ़ाने में अमेरिका की प्रतिबद्धता को परिलक्षित किया।

- **रक्षा संबंध – खरीदार से भागीदार बनने की ओर:** 2000 के दशक के प्रारंभ से **भारत-अमेरिका रक्षा सहयोग** में तेज़ी से वृद्धि हुई है।
  - एक **परिधीय खरीदार रहे भारत को अमेरिका ने वर्ष 2016** से प्रमुख रक्षा भागीदार (Major Defense Partner) होने का दर्जा प्रदान किया।

नोट :

- वर्ष 2018 में भारत के दर्जे को बढ़ाकर उसे **रणनीतिक व्यापार प्राधिकरण स्तर 1 (Strategic Trade Authorization tier 1)** में शामिल किया गया, जिससे भारत को अमेरिका के वाणिज्य विभाग द्वारा विनियमित सैन्य एवं दोहरे उपयोग वाली **प्रौद्योगिकियों (dual-use technologies)** की एक विस्तृत श्रृंखला तक लाइसेंस-मुक्त पहुँच प्राप्त करने की अनुमति मिली।

- **LEMOA (2016), COMCASA (2018) और BECA (2020)** जैसे आधारभूत समझौतों पर हस्ताक्षर से गहन सैन्य सहयोग संभव हुआ है।
- मालाबार जैसे **संयुक्त सैन्य अभ्यास तथा वर्ष 2018 में 2+2 मंत्रिस्तरीय वार्ता** की स्थापना ने रणनीतिक संबंधों को और मज़बूत किया है।

- **आर्थिक तालमेल – व्यापार से आगे बढ़कर रणनीतिक सहयोग की ओर:** आर्थिक संबंध भारत-अमेरिका साझेदारी के प्रमुख चालक रहे हैं।
  - **भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय व्यापार वर्ष 2023-24 में 118.28 बिलियन** अमेरिकी डॉलर तक पहुँच गया।
  - अमेरिका वर्तमान में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार और **प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI)** का एक महत्त्वपूर्ण स्रोत है।
  - यह सहयोग व्यापार से आगे बढ़कर **स्वच्छ ऊर्जा, डिजिटल अर्थव्यवस्था और स्वास्थ्य सेवा जैसे क्षेत्रों** तक विस्तृत हुआ है।
  - वर्ष 2021 में **अमेरिका-भारत रणनीतिक स्वच्छ ऊर्जा साझेदारी (Strategic Clean Energy Partnership- SCEP)** जैसी पहलों का शुभारंभ और कोविड-19 वैक्सीन उत्पादन में सहयोग आर्थिक संबंधों की उभरती प्रकृति को परिलक्षित करता है।
- **डिजिटल युग में सहयोग:** प्रौद्योगिकीय सहयोग **21वीं सदी में भारत-अमेरिका संबंधों की** आधारशिला के रूप में उभरा है।
  - दोनों देशों ने AI, क्वांटम कंप्यूटिंग और 5G जैसी उभरती प्रौद्योगिकियों में सहयोग के लिये कई मंच स्थापित किये हैं।
  - **वर्ष 2009 में स्थापित अमेरिका-भारत विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी एंडोमेंट फंड (US-India Science and Technology Endowment Fund)** ने नवाचार और उद्यमशीलता को बढ़ावा दिया है।
  - **यूएस-इंडिया आर्टिफीसियल इंटेलिजेंस इनिशिएटिव और क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी इनिशिएटिव (iCET)** जैसी हाल की पहलें द्विपक्षीय संबंधों में तकनीकी सहयोग के रणनीतिक महत्त्व को रेखांकित करती हैं।
- **भू-राजनीतिक संरेखण – हिंद-प्रशांत क्षेत्र में भागीदार:** चीन के उदय ने भारत और अमेरिका को अपने रणनीतिक दृष्टिकोण में एक-दूसरे के निकट किया है।
  - **भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया की संलग्नता के साथ 'क्वाड' (Quadrilateral Security Dialogue- Quad)** का पुनरुद्धार इस संरेखण को परिलक्षित करता है।
  - अमेरिका की **हिंद-प्रशांत रणनीति (Indo-Pacific strategy)** में भारत को शामिल किया जाना बढ़ते अभिसरण को दर्शाता है।
  - **'स्वतंत्र एवं खुले हिंद-प्रशांत'** पर बल देने वाले संयुक्त वक्तव्य और आपूर्ति श्रृंखला प्रत्यास्थता पहल (Supply Chain Resilience Initiative) जैसे कदम दोनों देशों के बीच भू-राजनीतिक सहयोग की गहराई को प्रदर्शित करते हैं।

भारत-अमेरिका संबंधों में टकराव के प्रमुख क्षेत्र कौन-से हैं?

- **व्यापार तनाव – आर्थिक उतार-चढ़ाव से निपटना:** बढ़ते द्विपक्षीय व्यापार के बावजूद भारत और अमेरिका के बीच आर्थिक टकराव बना हुआ है।
  - अमेरिका के लिये प्रमुख मुद्दों में **भारत का व्यापार अधिशेष (वर्ष 2023-24 में 36.74 बिलियन अमेरिकी डॉलर)**, बाज़ार पहुँच संबंधी बाधाएँ और बौद्धिक संपदा अधिकार (IPR) संबंधी चिंताएँ शामिल हैं।
  - अमेरिका ने भारत की **डेटा स्थानीयकरण नीतियों और ई-कॉमर्स विनियमनों की आलोचना की है, जबकि भारत ने इस्पात एवं एल्यूमीनियम पर अमेरिकी टैरिफ** पर आपत्ति जताई है।
  - वर्ष 2019 में भारत को **सामान्यीकृत वरीयता प्रणाली (Generalized System of Preferences- GSP)** से हटा दिया जाना तथा कृषि सब्सिडी को लेकर विश्व व्यापार संगठन (WTO) में जारी असहमति दोनों देशों के व्यापार संबंधों को और जटिल बना रही है।

नोट :

- **रणनीतिक स्वायत्तता बनाम गठबंधन की अपेक्षाएँ:** भारत की रणनीतिक स्वायत्तता की नीति प्राय: अमेरिका की घनिष्ठ संरेखण की अपेक्षाओं से टकराहट रखती है।
  - हाल में रूस-यूक्रेन युद्ध पर भारत के रुख से इसकी पुष्टि हुई, जहाँ **यूक्रेन में रूसी कार्रवाइयों** की निंदा से बचते हुए भारत ने संवाद पर बल दिया, जबकि भारत द्वारा **रूसी सैन्य उपकरणों (जैसे S-400 मिसाइल प्रणाली)** एवं तेल (जहाँ रूस भारत का प्रमुख आपूर्तिकर्ता है) की खरीद भी जारी है।
  - भारत की इन रक्षा खरीदों पर **अमेरिका के CAATSA प्रतिबंधों** का खतरा मंडरा रहा है।
  - इसी प्रकार, **BRICS और SCO जैसे समूहों में भारत की भागीदारी**, जिनमें अमेरिका के विरोधी देश (रूस, चीन) शामिल हैं, कभी-कभी टकराव उत्पन्न करती है।

नोट :

- एक सुदृढ़ साझेदारी बनाए रखते हुए इन भिन्न हितों के बीच संतुलन बनाए रखना दोनों देशों के लिये एक महत्त्वपूर्ण चुनौती बनी हुई है।

- **प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और रक्षा सहयोग:** यद्यपि रक्षा संबंधों में अभूतपूर्व सुधार हुआ है, फिर भी प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और संयुक्त उत्पादन में मामले में समस्याएँ बनी हुई हैं।
  - भारत **उन्नत प्रौद्योगिकी और वृहत प्रौद्योगिकी साझाकरण** की इच्छा रखता है, लेकिन अमेरिकी निर्यात नियंत्रण विनियमन प्राय: ऐसे हस्तांतरणों को सीमित करते हैं।
  - सूचना सुरक्षा के बारे में **भारतीय चिंताओं के कारण COMCASA एवं BECA** जैसे समझौतों के कार्यान्वयन में देरी से भी गहन रक्षा सहयोग पर असर पड़ रहा है।
  - **रक्षा प्रौद्योगिकी एवं व्यापार पहल (Defense Technology and Trade Initiative- DTTI)** जैसी हाल की पहलों का उद्देश्य इन मुद्दों का समाधान करना है, लेकिन प्रगति अपेक्षा से धीमी रही है।
- **मानवाधिकार और लोकतांत्रिक मूल्य:** भारत में धार्मिक स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता और अल्पसंख्यकों के साथ व्यवहार सहित मानवाधिकार संबंधी विभिन्न मुद्दों पर अमेरिका की चिंताएँ कभी-कभी द्विपक्षीय संबंधों में तनाव पैदा करती हैं।
  - **अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता पर संयुक्त राज्य आयोग (US Commission on International Religious Freedom)** द्वारा वर्ष 2020 और 2021 में भारत को 'विशेष चिंता के देश' (Country of Particular Concern- CPCs) के रूप में नामित करने की अनुशंसा इन तनावों को उजागर करती है।
  - भारत ऐसी आलोचनाओं को आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप मानता है। मूल्य-आधारित कूटनीति के साथ रणनीतिक साझेदारी को संतुलित करना एक चुनौती बनी हुई है, जैसा कि **कश्मीर में अनुच्छेद 370** को हटाने जैसी विवादास्पद भारतीय नीतियों पर अमेरिका की शांत प्रतिक्रिया से स्पष्ट है।
- **वीज़ा और आव्रजन:** आव्रजन नीतियाँ, विशेष रूप से भारतीय टेक कर्मचारियों और छात्रों को प्रभावित करने वाली नीतियाँ, क्षोभ का कारण रही हैं।
  - **H-1B वीज़ा** नियमों में परिवर्तन से भारत में चिंता उत्पन्न हुई है।
  - **रोज़गार-आधारित ग्रीन कार्ड** के लिये लंबित आवेदन, जो भारतीयों को असमान रूप से प्रभावित कर रहे हैं, एक प्रमुख मुद्दा बना हुआ है।
    - 10 लाख से अधिक **भारतीय उच्च कुशल आप्रवासी वीज़ा (highly skilled immigrant visas)** की प्रतीक्षा कर रहे हैं।
- **जलवायु परिवर्तन और ऊर्जा:** यद्यपि दोनों देश जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिये प्रतिबद्ध हैं, फिर भी कार्रवाई की गति और पैमाने को लेकर मतभेद बने हुए हैं।
  - अमेरिका अधिक महत्वाकांक्षी उत्सर्जन कटौती लक्ष्यों पर बल दे रहा है, जबकि भारत अपनी विकास आवश्यकताओं पर बल दे रहा है तथा विकसित देशों से अधिक वित्तीय सहायता की मांग कर रहा है।
  - कार्बन सीमा करों और कोयले के उपयोग को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने या कम करने जैसे मुद्दों पर असहमति विद्यमान चुनौतियों को उजागर करती है।
- **बौद्धिक संपदा अधिकार:** बौद्धिक संपदा अधिकार (Intellectual property rights- IPR) का संरक्षण भारत-अमेरिका संबंधों में एक विवादास्पद मुद्दा बना हुआ है।
  - पेटेंट कानून, कॉपीराइट पाइरेसी और ट्रेडमार्क उल्लंघन पर चिंताओं का हवाला देते हुए अमेरिका ने भारत को लगातार स्पेशल **301 रिपोर्ट (Special 301 Report) की प्राथमिकता निगरानी सूची (Priority Watch List)** में बनाए रखा है।
  - भारत द्वारा फार्मास्यूटिकल्स के लिये अनिवार्य लाइसेंसिंग का प्रयोग और कृषि पेटेंट पर उसका रुख भी टकराव के विशेष बिंदु रहे हैं।
  - यद्यपि भारत ने अपनी IPR व्यवस्था को सुदृढ़ करने के प्रयास किये हैं **(जहाँ 2016 में राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा अधिकार नीति भी घोषित की गई)**, फिर भी नवाचार और प्रौद्योगिकी तक पहुँच के दृष्टिकोण में मतभेद बने हुए हैं।

भारत अमेरिका के साथ अपने संबंधों को किस प्रकार और आगे बढ़ा सकता है?

- **'मेक इन इंडिया' और 'बाय अमेरिकन' का मिलन:** भारत ऐसे संयुक्त विनिर्माण पहलों का प्रस्ताव कर सकता है जो दोनों देशों के आर्थिक लक्ष्यों के अनुरूप हों।

नोट :

- इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स, **फार्मास्यूटिकल्स और रक्षा उपकरण** जैसे क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया जा सकता है।
- ऐसे संयुक्त उद्यमों के लिये त्वरित अनुमोदन प्रक्रिया लागू करना तथा अमेरिकी कंपनियों के लिये **विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZs)** स्थापित करना इस पहल को आकर्षक बना सकता है।
- यह दृष्टिकोण संभावित रूप से दोनों पक्षों के लिये लाभ की स्थिति उत्पन्न कर सकता है, जहाँ रोज़गार सृजन के बारे में अमेरिका की चिंताएँ दूर होंगी तथा भारत की विनिर्माण क्षमताओं को बढ़ावा मिलेगा।

- **हरित ऊर्जा गलियारा:** भारत नवीकरणीय ऊर्जा प्रौद्योगिकियों के संयुक्त विकास एवं उत्पादन पर ध्यान केंद्रित करते हुए एक द्विपक्षीय **हरित ऊर्जा गलियारे (Green Energy Corridor)** का प्रस्ताव कर सकता है।
  - इसमें सौर, पवन एवं हाइड्रोजन प्रौद्योगिकियों पर सहयोगात्मक अनुसंधान, हरित ऊर्जा उपकरणों के विनिर्माण के लिये **संयुक्त उद्यम और संवहनीय शहरी विकास** के लिये साझा परियोजनाएँ शामिल हो सकती हैं।
  - यह पहल अमेरिका की **प्रौद्योगिकीय विशेषज्ञता और भारत के पैमाने** का लाभ उठाते हुए दोनों देशों के स्वच्छ ऊर्जा संक्रमण में तेज़ी ला सकती है।
  - संयुक्त रूप से विकसित हरित प्रौद्योगिकियों के लिये अधिमान्य बाजार पहुँच की पेशकश करने से जलवायु परिवर्तन संबंधी चिंताओं का समाधान करते हुए इस साझेदारी को आर्थिक रूप से व्यवहार्य बनाया जा सकता है।
- **डिजिटल लोकतंत्र पहल:** भारत अमेरिका के साथ **डिजिटल लोकतंत्र पहल (Digital Democracy Initiative)** शुरू कर सकता है, जो **'ओपन' एवं सुरक्षित इंटरनेट के लिये** साझा मानदंडों और प्रौद्योगिकियों को विकसित करने पर ध्यान केंद्रित करेगा।
  - इसमें साइबर सुरक्षा, **दुष्प्रचार से मुक़ाबला करने और डिजिटल साक्षरता** को बढ़ावा देने जैसे विषयों में संयुक्त प्रयास शामिल हो सकते हैं।
  - निजता-संरक्षण प्रौद्योगिकियों और ओपन-सोर्स डिजिटल पब्लिक गुड्स के विकास के लिये क्रियान्वित सहयोगी परियोजनाएँ इसकी प्रमुख घटक हो सकती हैं।
  - भारत डिजिटल गवर्नेंस के **दृष्टिकोणों को संरेखित** कर अपनी टेक संबंधी नीतियों के बारे में अमेरिकी चिंताओं को संबोधित कर सकता है, साथ ही वैश्विक डिजिटल मानदंडों को आकार देने में अपनी भूमिका निभा सकता है। इस पहल में दोनों देशों में 'डिजिटल डिवाइड' को दूर करने के संयुक्त कार्यक्रम भी शामिल हो सकते हैं।
- **कौशल पासपोर्ट कार्यक्रम: भारत अमेरिका** में श्रम की कमी को दूर करने और साथ ही भारतीय श्रमिकों के लिये अवसर प्रदान करने के लिये कौशल पासपोर्ट कार्यक्रम (Skills Passport Program) का प्रस्ताव कर सकता है।
  - इस कार्यक्रम में **दोनों देशों द्वारा मान्यता प्राप्त मानकीकृत कौशल प्रमाणन, प्रमाणित श्रमिकों** के लिये सुव्यवस्थित वीज़ा प्रक्रिया और संयुक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम शामिल हो सकते हैं।
  - अमेरिका में स्वास्थ्य सेवा, **IT और उन्नत विनिर्माण जैसे उच्च मांग वाले क्षेत्रों** पर ध्यान केंद्रित करने से यह पहल पारस्परिक रूप से लाभकारी सिद्ध हो सकती है।
  - **ज्ञान हस्तांतरण और वापसी प्रवास (return migration)** के लिये प्रावधान शामिल करने से **चक्रीय प्रवासन (circular migration)** को सुविधाजनक बनाते हुए प्रतिभा पलायन (ब्रेन ड्रेन) की चिंताओं का समाधान किया जा सकता है।
- **रणनीतिक संसाधन साझेदारी:** भारत महत्त्वपूर्ण संसाधनों के लिये अमेरिकी आपूर्ति शृंखलाओं को सुरक्षित एवं विविधीकृत करने में एक प्रमुख साझेदार बनने की पेशकश कर सकता है।
  - इसमें **दुर्लभ मृदा तत्वों (REEs) का संयुक्त अन्वेषण एवं उत्पादन, वैकल्पिक** सामग्रियों पर सहयोगात्मक अनुसंधान और रणनीतिक संसाधनों का समन्वित भंडारण शामिल हो सकता है।
  - भारत अपने भूवैज्ञानिक संसाधनों और विनिर्माण क्षमताओं का लाभ उठाकर महत्त्वपूर्ण आपूर्ति शृंखलाओं में चीन के लिये एक विश्वसनीय विकल्प के रूप में स्वयं को स्थापित कर सकता है।
  - त्वरित पर्यावरणीय मंज़ूरी लागू करने तथा ऐसी परियोजनाओं के लिये वित्तीय प्रोत्साहन देने से इस साझेदारी में गति आ सकती है।
- **महामारी हेतु पूर्व-तैयारी और अन्य कदम:** कोविड-19 महामारी के दौरान स्थापित सहयोग को आगे बढ़ाते हुए, भारत एक व्यापक स्वास्थ्य सुरक्षा गठबंधन (Health Security Alliance) का प्रस्ताव कर सकता है।
  - इसमें **संयुक्त वैक्सीन विकास एवं उत्पादन सुविधाएँ,** उभरते संक्रामक रोगों पर सहयोगात्मक अनुसंधान और संभावित महामारियों के लिये साझा पूर्व-चेतावनी प्रणालियाँ शामिल हो सकती हैं।

नोट :

- इसे टेलीमेडिसिन, चिकित्सा उपकरण विकास और स्वास्थ्य डेटा विश्लेषण जैसे क्षेत्रों तक विस्तारित करने से एक सुदृढ़ एवं बहुमुखी साझेदारी का निर्माण किया जा सकता है।
- चिकित्सा योग्यताओं को पारस्परिक मान्यता प्रदान करना तथा संयुक्त चिकित्सा अनुसंधान के लिये सरल अनुमोदन प्रक्रिया प्रदान करना इस गठबंधन को और सुदृढ़ कर सकता है।

- **अंतरिक्ष वाणिज्यीकरण कंसोर्टियम:** भारत वाणिज्यिक अंतरिक्ष प्रौद्योगिकियों एवं सेवाओं के संयुक्त विकास पर ध्यान केंद्रित करते हुए अमेरिका के साथ एक **अंतरिक्ष वाणिज्यीकरण कंसोर्टियम (Space Commercialization Consortium)** की शुरुआत कर सकता है।
  - इसमें लघु उपग्रह विकास, अंतरिक्ष आधारित इंटरनेट सेवाएँ और अंतरिक्ष पर्यटन प्रौद्योगिकियों में सहयोगात्मक परियोजनाएँ शामिल हो सकती हैं।
  - यह कंसोर्टियम ISRO के लागत-प्रभावी दृष्टिकोण को NASA की उन्नत क्षमताओं के साथ संयोजित कर अंतरिक्ष वाणिज्यीकरण में गति ला सकता है
  - संयुक्त परियोजनाओं के लिये अधिमान्य प्रक्षेपण सेवाएँ प्रदान करना और वाणिज्यिक अंतरिक्ष गतिविधियों के लिये साझा नियामक ढाँचा तैयार करना इस साझेदारी को दोनों देशों के लिये आकर्षक बना सकता है।
- **एग्री-टेक इनोवेशन हब:** भारत अमेरिका के साथ साझेदारी में एग्री-टेक इनोवेशन हब (AgriTech Innovation Hub) स्थापित कर सकता है, जो उन्नत कृषि प्रौद्योगिकियों के विकास एवं क्रियान्वयन पर ध्यान केंद्रित करेगा।
  - इसमें जलवायु-प्रत्यास्थी फसलों, परिशुद्ध कृषि तकनीकों और AI-संचालित कीट प्रबंधन प्रणालियों पर संयुक्त अनुसंधान शामिल हो सकता है।
  - यह हब या केंद्र अमेरिकी कृषि अनुसंधान क्षमताओं को भारत के विविध कृषि-जलवायु क्षेत्रों के साथ संयुक्त कर खाद्य सुरक्षा में नवाचारों को गति दे सकता है।
  - संयुक्त रूप से विकसित प्रौद्योगिकियों के लिये भारत में क्षेत्र परीक्षण के अवसर प्रदान करना तथा कृषक विनिमय कार्यक्रम का सृजन करना इस पहल के व्यावहारिक प्रभाव को बढ़ा सकता है।

■■■

भारत का खाद्य प्रसंस्करण परिदृश्य

भारत का खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र एक महत्त्वपूर्ण मोड़ पर है, जिसमें वृद्धि और निर्यात विस्तार की व्यापक संभावना है। कृषि विकास को प्राथमिकता देने के सरकार के प्रयासों—जहाँ वर्ष **2024-25** में **1.52 लाख करोड़ रुपए का पर्याप्त बजट आवंटन** भी किया गया है, के बावजूद देश का **कृषि-निर्यात कमज़ोर प्रदर्शन कर रहा है**। कृषि निर्यात का केवल 25% भाग प्रसंस्करित या मूल्यवर्द्धित उत्पादों का है और यह आँकड़ा पिछले एक दशक से गतिहीन बना हुआ है। भारत वैश्विक औसत और चीन जैसे प्रतिस्पर्द्धियों से पीछे है। यह अंतराल भारतीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिये चुनौती और अवसर दोनों प्रस्तुत करता है।

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिये उत्पादन-आधारित प्रोत्साहन योजना (Production Linked Incentive Scheme for the Food Processing Industry- PLISFPI) का कार्यान्वयन धीमा रहा है, जहाँ क्रियान्वयन समय-सीमा के मध्य तक आवंटित धनराशि का केवल 10% ही उपयोग किया गया है। भारत को अपनी पूरी क्षमता को साकार करने और वैश्विक बाज़ार में प्रभावी रूप से प्रतिस्पर्द्धा करने के लिये इस क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन करने की आवश्यकता है।

खाद्य प्रसंस्करण (Food Processing) क्या है?

- **परिचय:** खाद्य प्रसंस्करण में **कच्चे (raw) पादप एवं पशु पदार्थों को खाद्य उत्पादों में परिणत करने के लिये** उपयोग की जाने वाली विधियाँ और तकनीकें शामिल हैं।
  - इसमें सरल परिरक्षण से लेकर जटिल औद्योगिक विधियों तक की विस्तृत शृंखला शामिल है।
- **प्रसंस्करण के स्तर:**
  - **प्राथमिक प्रसंस्करण:** कृषि उत्पादों की बुनियादी सफाई, ग्रेडिंग और पैकेजिंग।
  - **द्वितीयक प्रसंस्करण:** सामग्री को खाद्य उत्पादों में परिवर्तित करना (जैसे, गेहूँ को पीसकर आटा बनाना)।
  - **तृतीयक प्रसंस्करण:** खाने के लिये तैयार (ready-to-eat) खाद्य पदार्थ का निर्माण करना (जैसे, आटे से रोटी पकाना)।
- **मुख्य उद्देश्य:**
  - **परिरक्षण:** खाद्य उत्पादों के उपयोग-काल या 'शेल्फ-लाइफ' को बढ़ाना
  - **सुरक्षा:** हानिकारक सूक्ष्मजीवों और संदूषकों को समाप्त करना

नोट :

- **गुणवत्ता वृद्धि:** स्वाद, बनावट और पोषण मूल्य में सुधार करना
- **सुविधा:** आसानी से तैयार होने वाले (easy-to-prepare) या खाने के लिये तैयार (ready-to-eat) उत्पाद बनाना
- **मूल्य संवर्द्धन:** कच्चे कृषि उत्पादों का आर्थिक मूल्य बढ़ाना

भारत में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के विकास को बढ़ावा देने वाले प्रमुख कारक

- **जनसांख्यिकीय लाभांश से प्रेरित मांग:** भारत की बड़ी एवं बढ़ती आबादी आय वृद्धि और शहरीकरण के साथ संयुक्त होकर प्रसंस्करित खाद्य पदार्थों की मांग को बढ़ा रही है।
  - चूँकि **65% जनसंख्या 35 वर्ष से कम आयु वर्ग** की है, इसलिये बदलती जीवनशैली और खाद्य प्राथमिकताएँ बाज़ार को नया स्वरूप दे रही हैं।
  - भारतीय प्रसंस्करित खाद्य बाज़ार के वर्ष 2019-20 में 263 बिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर **वर्ष 2025 तक 470 बिलियन अमेरिकी डॉलर** तक पहुँचने की उम्मीद है।
    - यह वृद्धि **'रेडी-टू-ईट'** खाद्य की बढ़ती लोकप्रियता से स्पष्ट है।
- **डिजिटल क्रांति - 'फ्रॉम फार्म टू फोन टू प्लेट' (Digital Revolution - From Farm to Phone to Plate):** भारत की खाद्य आपूर्ति श्रृंखला का तेज़ी से डिजिटलीकरण इस क्षेत्र में बदलाव ला रहा है।
  - **ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म और फूड डिलीवरी ऐप्स** ने प्रसंस्करित खाद्य उत्पादों के लिये बाज़ार पहुँच का विस्तार किया है।
  - सरकार की **डिजिटल इंडिया पहल** ने भी **किसानों और प्रसंस्करणकर्ताओं के बीच प्रत्यक्ष संपर्क** स्थापित किया है, जिससे बिचौलियों की संख्या कम हुई है।
  - एक B2B ताज़ा उत्पाद आपूर्ति श्रृंखला कंपनी **निंजाकार्ट (Ninjacart)** ने **सब्ज़ी एवं फल उत्पादक किसानों का व्यवसायों से प्रत्यक्ष संपर्क** स्थापित किया है, जो खाद्य प्रसंस्करण पारिस्थितिकी तंत्र में डिजिटल एकीकरण की क्षमता को प्रदर्शित करता है।
- **सरकारी नीतियाँ - विकास को उत्प्रेरण (Government Policies - Catalyzing Growth):** खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र को आगे बढ़ाने में समर्थनकारी सरकारी नीतियों ने महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
  - वर्ष 2021 में शुरू की गई खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिये **उत्पादन-आधारित प्रोत्साहन योजना (PLISFPI)** ने घरेलू विनिर्माण और निर्यात को बढ़ावा देने के लिये 10,900 करोड़ रुपए आवंटित किये।
  - स्वचालित मार्ग के माध्यम से **खाद्य प्रसंस्करण में 100% FDI** की अनुमति ने महत्त्वपूर्ण विदेशी निवेश आकर्षित किया है।
  - उदाहरण के लिये, **नेस्ले (Nestl) ने भारत में वर्ष 2025 तक 5,000 करोड़ रुपए निवेश करने की योजना की घोषणा** की है, जहाँ प्रसंस्करित खाद्य क्षेत्र में क्षमता विस्तार और नए उत्पाद विकास पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा।
- **नवोन्मेष - सफलता का स्वाद (Innovation - The Flavor of Success):** उत्पाद नवोन्मेष एक प्रमुख प्रेरक है, जहाँ कंपनियाँ बदलती उपभोक्ता प्राथमिकताओं को पूरा करने के लिये लगातार नई पेशकशें पेश करती रहती हैं।
  - **स्वास्थ्य के प्रति जागरूक एवं कार्यात्मक खाद्य पदार्थों** (health-conscious and functional foods) **पर फोकस** से नवोन्मेषी उत्पादों में उछाल आया है।
  - **उदाहरण के लिये,** ITC के 'फार्मलैंड' फ्रोज़न खाद्य श्रेणी—जहाँ **परिरक्षक-मुक्त और न्यूनतम प्रसंस्करित उत्पादों** पर बल दिया गया है, ने वित्त वर्ष 2023-24 में तेज़ वृद्धि देखी।
  - आधुनिक प्रारूपों में पारंपरिक भारतीय सामग्रियों की पेशकश ने भी लोकप्रियता हासिल की है (जैसे कि **GAIA के मोटे अनाज आधारित स्नैक्स**)।
- **एग्री-टेक - प्रसंस्करण के बीज बोना (Agri-Tech - Sowing Seeds of Processing):** कृषि में प्रौद्योगिकी का एकीकरण अप्रत्यक्ष रूप से खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र को भी बढ़ावा दे रहा है।
  - एग्री-टेक स्टार्टअप्स ने **वर्ष 2023 में 706 मिलियन अमेरिकी डॉलर** से अधिक का वित्तपोषण जुटाया, जो सुदृढ़ विकास क्षमता को इंगित करता है।
  - **क्रॉप-इन (CropIn)** जैसी कंपनियाँ, जो फसल की पैदावार एवं गुणवत्ता में सुधार के लिये AI और उपग्रह निगरानी का उपयोग करती हैं, उच्च गुणवत्तापूर्ण कच्चे माल की निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिये खाद्य प्रसंस्करणकर्ताओं के साथ साझेदारी स्थापित कर रही हैं।

नोट :

- यह तकनीकी हस्तक्षेप विशेष रूप से **अनुबंध कृषि व्यवस्था (contract farming arrangements)** के लिये महत्त्वपूर्ण है, जो खाद्य प्रसंस्करण कंपनियों के बीच अपनी आपूर्ति शृंखलाओं को सुरक्षित करने के दृष्टिकोण से तेज़ी से लोकप्रिय होती जा रही है।

भारत में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र से संबद्ध प्रमुख मुद्दे

- **विखंडित आपूर्ति शृंखला – 'द ब्रोकेन लिंक' (Fragmented Supply Chain - The Broken Link):** भारत का खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र अत्यधिक **विखंडित आपूर्ति शृंखला** से ग्रस्त है, जिसके कारण अकुशलताएँ पैदा होती हैं।
  - चूँकि **86% से अधिक किसान लघु और सीमांत किसान** हैं, इसलिये उपज का एकत्रीकरण एक बड़ी चुनौती बन जाता है।
  - इस विखंडन के परिणामस्वरूप अनेक बिचौलिये उत्पन्न हो जाते हैं, जिनमें से प्रत्येक आनुपातिक मूल्य संवर्द्धन के बिना लागत में वृद्धि करता है।
  - भारत में किसानों को अपनी **उपज का मात्र 30-35% मूल्य** ही मिल पाता है, जबकि **विकसित अर्थव्यवस्थाओं में यह स्तर 65-70% तक** है।
  - किसान और प्रसंस्करणकर्ता के बीच प्रत्यक्ष संपर्क का अभाव न केवल कच्चे माल की गुणवत्ता को प्रभावित करता है, बल्कि घरेलू एवं अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों में **अंतिम उत्पाद की लागत प्रतिस्पर्द्धात्मकता को भी प्रभावित** करता है।
- **अवसंरचना की कमी – एक कठोर यथार्थ (Infrastructure Deficit - The Cold Reality):** हाल के निवेशों के बावजूद, भारत की **कोल्ड चेन अवसंरचना अपर्याप्त** बना हुई है।
  - भारत विश्व में **फलों और सब्जियों का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक** है। हालाँकि, अपर्याप्त परिवहन और वितरण अवसंरचना के कारण **हर वर्ष इनमें से 25-30% उत्पाद नष्ट या बर्बाद** हो जाते हैं।
  - खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के अनुसार, इस घाटे के कारण प्रतिवर्ष **92,651 करोड़ रुपए मूल्य की फसलोपरांत हानि** (post-harvest losses) होती है।
  - विकास की वर्तमान गति और सुविधाओं का असमान भौगोलिक वितरण प्रसंस्करणकर्ताओं के लिये, विशेष रूप से ग्रामीण और अर्द्ध-शहरी क्षेत्रों में, गंभीर चुनौतियाँ प्रस्तुत कर रहा है।
- **नियामक भूलभुलैया – लालफीताशाही का जाल (Regulatory Labyrinth - Tangled in Red Tape):** भारत में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र को नियंत्रित करने वाला जटिल और प्राय: अतिव्यापी नियामक ढाँचा गंभीर परिचालनात्मक चुनौतियाँ उत्पन्न करता है।
  - खाद्य प्रसंस्करणकर्ताओं को **FSSAI, कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (APEDA), भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) और राज्यस्तरीय एजेंसियों** सहित विभिन्न निकायों के विनियमनों से होकर गुज़ारना पड़ता है।
  - यह नियामक भूलभुलैया न केवल अनुपालन लागत बढ़ाती है, बल्कि विशेष रूप से SMEs के लिये अनिश्चितता भी पैदा करती है।
  - **एकल खिड़की मंज़ूरी प्रणाली** (single-window clearance system) का अभाव तथा नियमों में लगातार परिवर्तन से ये चुनौतियाँ और बढ़ जाती हैं, जिससे घरेलू परिचालन एवं निर्यात प्रतिस्पर्द्धा दोनों पर असर पड़ता है।
- **कौशल अंतराल – 'द मिसिंग इंग्रेडियेंट' (Skills Gap - The Missing Ingredient):** खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र को विभिन्न स्तरों पर कुशल कार्यबल की गंभीर कमी का सामना करना पड़ रहा है।
  - इस क्षेत्र में रोज़गार सृजन की क्षमता होने के बावजूद **विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रमों और उद्योग-शैक्षिक जगत सहयोग की कमी** के कारण कौशल में भारी असंतुलन पैदा हो रहा है।
  - भारत में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में कार्यरत **केवल 3%** कर्मचारियों को औपचारिक प्रशिक्षण प्राप्त है। कौशल में यह अंतराल न केवल उत्पाद की गुणवत्ता एवं नवोन्मेष को प्रभावित करता है, बल्कि **नई प्रौद्योगिकियों के अंगीकरण में भी बाधा** उत्पन्न करता है।
  - यह कमी विशेष रूप से **खाद्य सुरक्षा प्रबंधन, गुणवत्ता नियंत्रण और अनुसंधान एवं विकास (R&D)** जैसे क्षेत्रों में गंभीर है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय मानकों को पूरा करने और निर्यात वृद्धि को बढ़ावा देने के लिये ये क्षेत्र महत्त्वपूर्ण हैं।
- **पूंजी की कमी – वित्तपोषण की मांग (Capital Crunch - Starved for Funds):** **खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र**, विशेषकर **MSMEs** के लिये पूंजी तक पहुँच एक गंभीर चुनौती बनी हुई है।

नोट :

- **मौसमी प्रभाव, कच्चे माल की शीघ्र नष्ट होने की प्रवृत्ति** तथा बाज़ार में अस्थिरता के कारण इस क्षेत्र से जुड़ी उच्च जोखिम धारणा (high risk perception) के कारण ऋण देने के मानदंड कठोर हो जाते हैं तथा ब्याज दरें भी उच्च हो जाती हैं।
- पूंजी की कमी के कारण प्रौद्योगिकी उन्नयन, क्षमता विस्तार और अनुसंधान एवं विकास में निवेश सीमित हो जाता है, जबकि प्रतिस्पर्द्धात्मकता और उत्पाद नवोन्मेष की वृद्धि के लिये ये महत्त्वपूर्ण हैं।

- **गुणवत्ता की समस्या – मानकों का संघर्ष (Quality Conundrum - The Standards Struggle):** भारत का खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र असंगत गुणवत्ता मानकों से जूझ रहा है, जिससे घरेलू खपत और निर्यात क्षमता दोनों प्रभावित हो रहे हैं।
  - FSSAI विनियमनों के बावजूद कार्यान्वयन एक चुनौती बना हुआ है (विशेष रूप से लघु प्रसंस्करणकर्ताओं के बीच)।
    - गुणवत्ता में यह असंगति न केवल स्वास्थ्य के लिये खतरा पैदा करती है, बल्कि **उपभोक्ताओं का भरोसा** भी कम करती है।
  - निर्यात बाज़ार में गुणवत्ता संबंधी मुद्दों के कारण बार-बार अस्वीकृति से भारत की प्रतिष्ठा और बाज़ार पहुँच पर गंभीर असर पड़ता है।
    - **यूरोपीय संघ (EU)** के खाद्य सुरक्षा प्राधिकरणों ने **सितंबर 2020 से अप्रैल 2024 के बीच भारत से जुड़े 527 उत्पादों में मिलावट पाई।**
  - भारतीय एवं अंतर्राष्ट्रीय मानकों के बीच सामंजस्य का अभाव निर्यात प्रयासों को और जटिल बनाता है तथा इस क्षेत्र की वैश्विक प्रतिस्पर्द्धात्मकता को सीमित करता है।
- **'पैकेजिंग पैराडॉक्स' – पैकेजिंग संबंधी चुनौतियाँ (Packaging Paradox - Wrapped in Challenges):** पैकेजिंग संबंधी नवोन्मेष जहाँ विकास को गति देते हैं, वहीं वे महत्त्वपूर्ण चुनौतियाँ भी प्रस्तुत करते हैं।
  - खाद्य पैकेजिंग उद्योग, जो **प्रतिवर्ष 13-15%** की दर से बढ़ रहा है, संवहनीयता और लागत संबंधी के मुद्दों का सामना कर रहा है।
  - भारत में लचीली एवं दृढ़ पैकेजिंग (flexible and rigid packaging) **कुल प्लास्टिक उपभोग में 59% हिस्सेदारी** रखती है, जिसके कारण पर्यावरण संबंधी चिंताएँ बढ़ रही हैं।
  - संवहनीय पैकेजिंग के लिये **सरकार के प्रयास** (जैसे **एकल-उपयोग प्लास्टिक पर प्रतिबंध**) तेज़ी से बदलाव ला रहा है, लेकिन उद्योग को लागत-प्रभावी विकल्प की तलाश करने में संघर्ष करना पड़ रहा है।
  - इससे प्रसंस्करणकर्ताओं के लिये वहनीयता के साथ संवहनीयता के बीच संतुलन का निर्माण करने में गंभीर चुनौती उत्पन्न होती है।
- **बाज़ार की अस्थिरता – मूल्य का उतार-चढ़ाव (Market Volatility - The Price Rollercoaster):** कृषि वस्तुओं में अत्यधिक मूल्य उतार-चढ़ाव खाद्य प्रसंस्करणकर्ताओं के लिये एक महत्त्वपूर्ण जोखिम उत्पन्न करता है।
  - **भारत का कृषि बाज़ार**, जो मौसमी उत्पादन और जलवायु संबंधी भेद्यताओं से ग्रस्त है, प्राय: मूल्य आघातों का अनुभव करता है।
  - उदाहरण के लिये, प्रतिकूल मौसमी दशाओं के कारण **वर्ष 2023 के मध्य में टमाटर की कीमतें 400% तक बढ़ गईं**, जिससे टमाटर आधारित उत्पादों के प्रसंस्करणकर्ताओं पर गंभीर प्रभाव पड़ा।
  - ऐसी अस्थिरता के कारण प्रसंस्करणकर्ताओं के लिये लगातार मूल्य निर्धारण और गुणवत्ता बनाए रखना चुनौतीपूर्ण हो जाता है, जिससे घरेलू बाज़ार की स्थिरता और निर्यात प्रतिबद्धताएँ दोनों प्रभावित होती हैं।

खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र से संबंधित प्रमुख सरकारी पहलें

- खाद्य एवं कृषि आधारित प्रसंस्करण इकाइयों के साथ-साथ कोल्ड चेन अवसंरचना को **प्राथमिकता क्षेत्र ऋण** (Priority Sector Lending- PSL) मानदंडों के अंतर्गत प्राथमिकता क्षेत्र के रूप में शामिल किया गया है।
- **100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश:** खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में FDI के लिये स्वचालित मार्ग का अनुमोदन किया गया है।
- **विशेष खाद्य प्रसंस्करण कोष:** राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (NABARD) के साथ 2,000 करोड़ रुपए के विशेष खाद्य प्रसंस्करण कोष (Special Food Processing Fund) का गठन किया गया है।
- **प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना**
- **प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम औपचारिकीकरण (PMFME) योजना**
- **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिये उत्पादन-आधारित प्रोत्साहन (PLI) योजना**

नोट :

भारत में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिये कौन-से उपाय किये जा सकते हैं?

- **खाद्य-संकुल का विकास: एकीकृत खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र** के सृजन पर ध्यान केंद्रित करते हुए एक **व्यापक संकुल/क्लस्टर विकास दृष्टिकोण** लागू किया जाए।
  - इन संकुलों को रणनीतिक रूप से **प्रमुख कृषि उत्पादन क्षेत्रों के निकट** अवस्थित होना चाहिये और परिवहन नेटवर्क से निर्बाध रूप से जोड़ा जाना चाहिये। व्यक्तिगत स्थापना लागत को कम करने के लिये **कोल्ड स्टोरेज, गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशालाओं और अपशिष्ट उपचार संयंत्रों** जैसी साझा अवसंरचना स्थापित की जाए।
  - एक पूर्ण पारितंत्र के निर्माण के लिये इन संकुलों के भीतर **पैकेजिंग और लॉजिस्टिक्स जैसे सहायक उद्योगों** को प्रोत्साहित किया जाए।
  - इस दृष्टिकोण से परिचालन लागत में 25-30% की कमी आ सकती है, संसाधन उपयोग में सुधार हो सकता है और लघु एवं मध्यम प्रसंस्करणकर्ताओं की प्रतिस्पर्द्धात्मकता में वृद्धि हो सकती है। यह इस क्षेत्र में ग्रामीण-शहरी असमानताओं को भी संबोधित कर सकता है।
- **टेक-संचालित आपूर्ति श्रृंखला – 'फ्रॉम सॉइल टू शेल्फ' (Tech-Driven Supply Chain - From Soil to Shelf):** प्रौद्योगिकी-संचालित, एंड-टू-एंड आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन प्रणाली में निवेश किया जाए।
  - ट्रेसिएबिलिटी (traceability), खाद्य सुरक्षा की सुनिश्चितता और उपभोक्ता **भरोसे के निर्माण के लिये ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी** का उपयोग किया जाए।
  - भंडारण स्थितियों और परिवहन की रियल-टाइम निगरानी के लिये IoT सेंसर को एकीकृत किया जाए।
  - अपव्यय को कम करने और इन्वेंट्री (inventory) को अनुकूलित करने के लिये **AI-संचालित मांग पूर्वानुमान मॉडल** का विकास किया जाए।
  - फसलों की निगरानी के लिये **ड्रोन (ड्रोन-दीदी योजना का लाभ उठाते हुए)** और **उपग्रह छवियों के उपयोग को प्रोत्साहित किया जाए**, जिससे प्रसंस्करणकर्ताओं को पैदावार का पूर्वानुमान लगाने और उसके अनुसार योजना बनाने में मदद मिलेगी।
- **खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र की वित्तीय पुनर्रचना:** खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के लिये एक विशेष वित्तीय ढाँचा विकसित किया जाए।
  - फसल चक्र के अनुरूप लचीली पुनर्भुगतान शर्तों के साथ **क्षेत्र-विशिष्ट ऋण योजनाएँ** शुरू की जाएँ।
  - बैंकों को लघु एवं मध्यम प्रसंस्करणकर्ताओं को ऋण देने के लिये प्रोत्साहित करने हेतु एक **ऋण गारंटी कोष** (credit guarantee fund) का क्रियान्वयन किया जाए।
  - कर लाभों के माध्यम से **फूड-टेक स्टार्टअप्स** में निजी इक्विटी और उद्यम पूंजी निवेश को प्रोत्साहित किया जाए।
- **गुणवत्ता मानकीकरण:** खाद्य प्रसंस्करण मूल्य श्रृंखला में एक व्यापक गुणवत्ता मानकीकरण कार्यक्रम लागू किया जाए।
  - निर्यात क्षमता को बढ़ावा देने के लिये **भारतीय मानकों को कोडेक्स एलीमेंटेरियस (Codex Alimentarius) जैसे वैश्विक मानदंडों के साथ सुसंगत बनाया जाए।**
  - **प्रसंस्करणकर्ताओं के लिये एक स्तरीकृत प्रमाणन प्रणाली** लागू किया जाए; उच्च मानकों के लिये आसान बाज़ार पहुँच और वित्तीय लाभ के रूप में प्रोत्साहन प्रदान किया जाए।
  - दूरदराज के क्षेत्रों और लघु प्रसंस्करणकर्ताओं तक पहुँच बनाने के लिये मोबाइल गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशालाएँ स्थापित की जाएँ।
  - **गुणवत्ता मापदंडों को e-NAM प्लेटफॉर्म में एकीकृत किया जाए**, जिससे कृषि उपज का गुणवत्ता-आधारित मूल्य निर्धारण संभव हो सकेगा।
- **विनियामक सुव्यवस्था – लालफीताशाही को कम करना (Regulatory Streamlining - Cutting the Red Tape):** प्रक्रियाओं को सरल और सुव्यवस्थित करने के लिये व्यापक विनियामक सुधार लागू किया जाए।
  - खाद्य प्रसंस्करण से संबंधित सभी अनुमोदनों के लिये **एकल-खिड़की मंज़ूरी प्रणाली** स्थापित की जाए, जहाँ औसत सेटअप समय को 6-8 माह से घटाकर 2-3 माह किया जाए।
  - रियल-टाइम अपडेट और अनुपालन ट्रैकिंग के लिये **सभी नियामक निकायों (FSSAI, APEDA, BIS) को एकीकृत करते हुए** एक एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म का विकास किया जाए।
- **संवहनीय प्रसंस्करण – खेत से लेकर खाने तक हरित (Sustainable Processing - Green from Farm to Fork):** खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के लिये एक व्यापक संवहनीयता ढाँचा विकसित किया जाए।

नोट :

- प्रसंस्करणकर्ताओं के लिये उनके पर्यावरणीय प्रभाव, जल उपयोग और अपशिष्ट प्रबंधन अभ्यासों के आधार पर एक **स्तरीकृत हरित प्रमाणन प्रणाली** लागू किया जाए।
- प्रसंस्करण इकाइयों में नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों और जल पुनर्चक्रण प्रौद्योगिकियों के अंगीकरण के लिये राजकोषीय प्रोत्साहन प्रदान किया जाए।
- अनुसंधान एवं विकास अनुदान और कर प्रोत्साहन के माध्यम से **बायोडिग्रेडेबल पैकेजिंग सामग्रियों के विकास एवं अंगीकरण को बढ़ावा** दिया जाए।

- **निर्यात पारिस्थितिकी तंत्र – वैश्विक स्वाद, स्थानीय जड़ें (Export Ecosystem - Global Flavors, Local Roots):** प्रसंस्करित खाद्य पदार्थों के लिये एक सुदृढ़ निर्यातोन्मुख पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण किया जाए।
  - निर्यात दस्तावेज़ीकरण के लिये **प्लग-एंड-प्ले अवसंरचना और एकल-खिड़की मंज़ूरी के साथ समर्पित निर्यात क्षेत्र** स्थापित किये जाएँ।
  - विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय **बाज़ारों के अनुरूप उत्पाद अनुकूलन, पैकेजिंग और विपणन** पर ध्यान केंद्रित करते हुए राष्ट्र-विशिष्ट रणनीति का विकास किया जाए।
  - वैश्विक मांग, मूल्य प्रवृत्तियों और नियामक परिवर्तनों परियल-टाइम डेटा प्रदान करने वाली एक **व्यापक मार्केट इंटेलिजेंस प्रणाली** लागू की जाए।
  - जहाँ PLISFPI की 90% धनराशि अभी भी अप्रयुक्त है, भारत को विकास को बढ़ावा देने के लिये **प्रमुख खाद्य प्रसंस्करण कंपनियों को आकर्षित करने को प्राथमिकता** देनी चाहिये।
    - यह रणनीति, इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र में 'एप्पल' की सफलता के समान (**जिसने वर्ष 2020 में निर्यात को 3 बिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़ाकर 2023 में 15.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर** तक पहुँचा दिया और भारत में 400,000 से अधिक रोज़गार अवसर सृजित किये), खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में समान उपलब्धियाँ प्राप्त कर सकती है।

- **अनुसंधान एवं विकास में तेज़ी – उन्नति के लिये नवोन्मेष (R&D Acceleration - Innovate to Elevate):** बहुआयामी दृष्टिकोण के माध्यम से खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा दिया जाए।
  - अग्रणी शैक्षणिक संस्थानों और उद्योग जगत के साथ साझेदारी में **खाद्य नवोन्मेष प्रयोगशालाओं (Food Innovation Labs)** का एक नेटवर्क स्थापित किया जाए।
  - नवोन्मेष में निजी क्षेत्र के निवेश को प्रोत्साहित करने के लिये खाद्य प्रसंस्करण कंपनियों के लिये **अनुसंधान एवं विकास व्यय पर भारित कर कटौती** (weighted tax deduction) लागू की जाए।
  - पारंपरिक खाद्य प्रसंस्करण तकनीकों का एक राष्ट्रीय डेटाबेस तैयार किया जाए और उनके वैज्ञानिक सत्यापन एवं विस्तार में सहायता प्रदान की जाए।

■■■

भारत का ई-कॉमर्स उद्योग

भारतीय ई-कॉमर्स उद्योग तेज़ी से विकास कर रहा है, जहाँ अनुमान है कि यह **वर्ष 2030 तक 350 बिलियन अमेरिकी डॉलर** तक पहुँच जाएगा। हालाँकि, इस विस्तार ने एक गंभीर बहस को जन्म दिया है। हाल ही में **भारत के वाणिज्य मंत्री ने चिंता व्यक्त** की है कि **ई-कॉमर्स का उदय पारंपरिक खुदरा व्यापार** को बाधित कर सकता है, जिससे छोटे व्यवसायों को हानि हो सकती है। चूँकि सरकार पूर्व में ई-कॉमर्स क्षेत्र को समर्थन देती रही है, प्रतीत होता है कि इससे संबद्ध चिंता को समझने में सरकार ने कुछ देर कर दी है।

इसके विपरीत, **ई-कॉमर्स ने उपभोक्ताओं को अधिक विकल्प, कुशल वितरण प्रणाली और बेहतर वापसी नीतियों (return policies)** की पेशकश कर सशक्त बनाया है। इसने छोटे शहरों में उत्पादों तक पहुँच की वृद्धि की है, जबकि लॉजिस्टिक्स अवसंरचना को भी सुदृढ़ किया है। कई छोटे व्यवसाय ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का लाभ उठाकर इसके अनुकूल बन कर रहे हैं, जिससे बिक्री और रोज़गार के अवसरों में वृद्धि हुई है। **ई-कॉमर्स ने पारंपरिक वितरण मॉडल** को बाधित किया है, जिससे छोटे भारतीय ब्रांड स्थापित खिलाड़ियों के साथ अधिक प्रभावी ढंग से प्रतिस्पर्द्धा करने में सक्षम हुए हैं। यह उभरता परिदृश्य उपभोक्ता-केंद्रित बाज़ार को बढ़ावा देता है, जिससे **'शिकारी अभ्यासों' (predatory practices)** के जड़ जमाने की संभावना कम हो जाती है।

ई-कॉमर्स (E-Commerce) क्या है?

- **परिचय: ई-कॉमर्स इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स** (electronic commerce) का संक्षिप्त रूप है, जो इंटरनेट के माध्यम से वस्तुओं या सेवाओं की खरीद एवं बिक्री और इस लेन-देन को निष्पादित करने के लिये धन एवं डेटा के हस्तांतरण को संदर्भित करता है।
- **ई-कॉमर्स के प्रकार:**
  - **शामिल पक्षकारों के आधार पर**
    - **व्यवसाय-से-उपभोक्ता (Business-to-Consumer- B2C):** जैसे Amazon द्वारा व्यक्तिगत ग्राहकों को उत्पाद

बेचना

- **व्यवसाय-से व्यवसाय (Business-to-Business- B2B):** थोक विक्रेता द्वारा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से खुदरा विक्रेताओं को वस्तुओं की बिक्री
- **उपभोक्ता-से-उपभोक्ता (Consumer-to-Consumer- C2C): C2C):** eBay या OLX जैसे प्लेटफॉर्म व्यक्तियों द्वारा की जाने वाली बिक्री
- **उपभोक्ता-से-व्यवसाय (Consumer-to-Business- C2B):** Upwork जैसे प्लेटफॉर्म पर कंपनियों को सेवाएँ प्रदान करने वाले फ्रीलांसर
- **व्यवसाय-से-सरकार (Business-to-Government- B2G):** कंपनियों द्वारा सरकारी अनुबंधों के लिये ऑनलाइन बोली लगाना

◆ **प्लेटफॉर्म के आधार पर**

- **सोशल कॉमर्स:** ई-कॉमर्स के लिये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म (जैसे, Facebook Marketplace) का लाभ उठाना
- **मोबाइल कॉमर्स (M-Commerce):** मोबाइल उपकरणों के माध्यम से किये गए लेन-देन
- **स्थानीय वाणिज्य:** स्थानीय खरीदारों और विक्रेताओं को जोड़ने वाले ऑनलाइन प्लेटफॉर्म (जैसे, Nextdoor)

भारत में ई-कॉमर्स के प्रमुख विकास चालक :

- **डिजिटल क्रांति – स्मार्टफोन और इंटरनेट का प्रसार:** भारत के डिजिटल परिदृश्य में व्यापक परिवर्तन आया है, जिससे ई-कॉमर्स की वृद्धि को बढ़ावा मिला है।
  - भारत में **वर्ष 2026 तक स्मार्टफोन उपयोगकर्ताओं की संख्या 1 बिलियन हो** जाएगी, जहाँ इंटरनेट-सक्षम फोन की बिक्री में ग्रामीण क्षेत्रों का योगदान सबसे अधिक होगा।
  - भारत में **1GB मोबाइल इंटरनेट डेटा** की औसत लागत **विश्व में सबसे कम** है, जो मात्र 13.98 रुपए है; इससे लाखों लोग ऑनलाइन होने में सक्षम हुए हैं।
  - इस डिजिटल पहुँच ने लाखों लोगों के लिये, विशेषकर **टियर 2 और टियर 3** शहरों में, ऑनलाइन शॉपिंग को सक्षम किया है।

नोट :

- इसके अलावा, **ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स (ONDC)** पहल का उद्देश्य डिजिटल कॉमर्स का लोकतंत्रीकरण करना है।

- **डिजिटल भुगतान का उभार – UPI** और उससे आगे: डिजिटल भुगतान में वृद्धि ई-कॉमर्स के लिये एक प्रमुख उत्प्रेरक रही है।
  - मई 2024 में **यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस** लेन-देन ने **20.45 ट्रिलियन रुपए** मूल्य के 14.04 बिलियन लेन-देन संसाधित कर मूल्य में एक नया उच्च स्तर हासिल किया।
  - डिजिटल लेन-देन की आसानी और **भीम** (BHIM) जैसी पहलों ने **कैश-ऑन-डिलीवरी पर निर्भरता कम कर** दी है।
  - इस बदलाव ने न केवल ऑनलाइन खरीदारी को सरल बनाया है, बल्कि ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्मों के लिये ग्राहक आधार को भी व्यापक बनाया है।
- **उपभोक्ता व्यवहार में परिवर्तन** – सुविधा और विकल्प: बदलती जीवनशैली और समय की बढ़ती कमी ने उपभोक्ताओं को ऑनलाइन शॉपिंग की सुविधा की ओर प्रवृत्त किया है।
  - **ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म** अद्वितीय उत्पाद विविधता प्रदान करते हैं; जैसे अकेले Amazon India पर ही **170 मिलियन से अधिक उत्पाद सूचीबद्ध** हैं।
  - प्रतिस्पर्द्धी मूल्य निर्धारण और डोरस्टेप डिलीवरी के साथ इस विशाल चयन ने ई-कॉमर्स को शहरी एवं ग्रामीण उपभोक्ताओं के लिये एक आकर्षक विकल्प बना दिया है।
- **लॉजिस्टिक्स और अंतिम-दूरी डिलीवरी संबंधी नवाचार:** लॉजिस्टिक्स में सुधार ई-कॉमर्स विस्तार के लिये अत्यंत महत्त्वपूर्ण सिद्ध हुआ है।
  - **भारत का लॉजिस्टिक्स बाज़ार,** जिसका **मूल्य वर्ष 2021 में 250 बिलियन अमेरिकी डॉलर** था, वर्ष 2025 तक बढ़कर 380 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुँच जाएगा।
  - **Delhivery और Ecom Express** जैसी ई-कॉमर्स-केंद्रित लॉजिस्टिक्स कंपनियों ने अंतिम-दूरी डिलीवरी में क्रांति ला दी है।
  - **हाइपरलोकल डिलीवरी (Dunzo, Swiggy Instamart आदि द्वारा)** जैसे नवाचारों ने कुछ शहरों में डिलीवरी का समय घटाकर 10-30 मिनट तक कर दिया है।
- **सोशल कॉमर्स और लाइव शॉपिंग का उदय:** सोशल कॉमर्स एक महत्त्वपूर्ण प्रवृत्ति के रूप में उभर रहा है, जो सोशल मीडिया को ई-कॉमर्स के साथ मिश्रित कर रहा है।
  - **Meesho जैसे प्लेटफॉर्म ने उत्पाद खोज और बिक्री** के लिये सोशल नेटवर्क की शक्ति का उपयोग किया है।
  - **Flipkart के Shopsy और YouTube** की एकीकृत शॉपिंग सुविधाओं द्वारा लोकप्रिय बनाई गई लाइव शॉपिंग (Live shopping) वर्ष 2025 तक भारत में 4-5 बिलियन अमेरिकी डॉलर का बाज़ार बन सकती है।
  - यह ट्रेंड विशेष रूप से युवाओं और **'डिजिटल-नेटिव'** उपभोक्ताओं को आकर्षित कर रहा है तथा आवेग खरीदारी (impulse purchases) एवं संलग्नता को बढ़ावा दे रहा है।
- **वैयक्तिकरण और AI-संचालित अनुशंसाएँ:** एडवांस्ड डेटा एनालिटिक्स और AI एआई वैयक्तिकरण (Personalisation) के माध्यम से ऑनलाइन शॉपिंग के अनुभव को बढ़ा रहे हैं ।
  - Amazon जैसी ई-कॉमर्स दिग्गज कंपनियों का कहना है कि उनकी **35% बिक्री** वैयक्तिकृत अनुशंसाओं से होती है।
  - AI-संचालित **चैटबॉट** प्रमुख प्लेटफॉर्मों पर ग्राहकों की पूछताछ के **30-40%** भाग को संभाल रहे हैं।
  - ये प्रौद्योगिकियाँ न केवल ग्राहक संतुष्टि में सुधार करती हैं, बल्कि **उच्च रूपांतरण दर (conversion rates)** और औसत ऑर्डर मूल्य को भी प्रेरित करती हैं।
- **देसी भाषा दृष्टिकोण और 'वॉइस कॉमर्स':** भारत की भाषाई विविधता के अनुरूप बनने से ई-कॉमर्स के लिये नए बाज़ार खुल गए हैं।
  - **एलेक्सा (Alexa) और गूगल असिस्टेंट (Google Assistant)** जैसे प्लेटफॉर्मों द्वारा समर्थित **वॉइस-बेस्ड खरीदारी लोकप्रिय** हो रही है।
  - **इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया** की एक रिपोर्ट के अनुसार, **57% इंटरनेट उपयोगकर्त्ता** भारतीय भाषाओं में इंटरनेट का उपयोग करना पसंद करते हैं, जो **वॉइस एवं वर्नाकुलर ई-कॉमर्स समाधानों** के लिये एक बड़ा अवसर प्रस्तुत करता है।

भारत में ई-कॉमर्स क्षेत्र से संबंधित प्रमुख मुद्दे:

- **न्यूनतम प्रतिस्पर्द्धी कीमतों की पेशकश (Predatory Pricing -The Race to the Bottom):** कई

नोट :

प्रमुख **ई-कॉमर्स कंपनियों पर प्रेडेटरी प्राइसिंग** के आरोप लगते हैं, जहाँ वे प्रतिस्पर्द्धा और बाज़ार एकाधिकार के लिये अत्यंत कम मूल्यों पर वस्तुओं की पेशकश करते हैं।

- वर्ष 2020 में **भारतीय प्रतिस्पर्द्धा आयोग** (CCI) ने भारी छूट अभ्यासों के लिये **Amazon और Flipkart** की जाँच का आदेश दिया था।
- उदाहरण के लिये, **वर्ष 2022 के त्योहारी मौसम के दौरान ई-कॉमर्स** साइटों ने **इलेक्ट्रॉनिक्स पर 80% तक की छूट** की पेशकश की। यद्यपि यह अल्पावधि में उपभोक्ताओं के लिये लाभप्रद होता है, लेकिन यह अभ्यास दीर्घकालिक बाज़ार स्वास्थ्य एवं निष्पक्ष प्रतिस्पर्द्धा के बारे में चिंताएँ उत्पन्न करता है।

- **डेटा प्राइवेसी - वैयक्तिकरण की दोधारी तलवार (Data Privacy- The Double-Edged Sword of Personalisation):** चूँकि **ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म** वैयक्तिकृत अनुभव के निर्माण के लिये बड़ी मात्रा में उपयोगकर्ता डेटा एकत्रित करते हैं, डेटा प्राइवेसी और सुरक्षा के बारे में चिंताएँ बढ़ गई हैं।
  - **हाई-प्रोफाइल डेटा उल्लंघन** (जैसे कि डोमिनोज़ इंडिया में कथित उल्लंघन जिसने **वर्ष 2021 में 180 मिलियन ऑर्डर** को प्रभावित किया) ऐसे जोखिमों को रेखांकित करते हैं।
  - **वैयक्तिकरण और निजता/गोपनीयता** के बीच संतुलन का निर्माण करना ई-कॉमर्स उद्योग के लिये एक गंभीर चुनौती बनी हुई है।
- **नकली उत्पादों की समस्या:** ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्मों पर नकली उत्पादों का प्रसार ब्रांड की अखंडता और उपभोक्ता विश्वास के लिये एक बड़ा खतरा बन गया है।
  - **LocalCircles द्वारा वर्ष 2018** में आयोजित सर्वेक्षण में पाया गया कि 38% उपभोक्ताओं को ई-कॉमर्स साइटों से नकली उत्पाद प्राप्त हुए थे।
  - **वर्ष 2022 में एक संसदीय पैनल** ने नकली सामान बेचने वाली ई-कॉमर्स कंपनियों के लिये कठोर दंड की सिफ़ारिश की थी।
  - चुनौती इस बात की है कि वैध विक्रेताओं को परेशान किये **बिना लाखों सूचीबद्ध उत्पादों की निगरानी एवं विनियमन** कैसे किया जाए।
- **छोटे खुदरा विक्रेताओं पर दबाव:** ई-कॉमर्स दिग्गजों के तेज़ी से विकास ने भारत के 63 मिलियन छोटे खुदरा विक्रेताओं पर भारी दबाव उत्पन्न किया है।
  - वित्त **वर्ष 2023 में लगभग 1.5-2.5 मिलियन MSMEs ऑनलाइन** उत्पाद बेच रहे थे, जो कुल MSMEs के केवल 2-3% का प्रतिनिधित्व करते हैं।
  - **ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स (ONDC)** जैसी सरकारी पहलों का उद्देश्य **प्रतिस्पर्द्धा के स्तर को एकसमान** बनाना है, लेकिन छोटे खुदरा विक्रेता अभी भी दिग्गज ई-कॉमर्स कंपनियों की तकनीकी क्षमता और आकारिका मितव्ययिता (economies of scale) से मुक़ाबला करने के लिये संघर्ष कर रहे हैं।
- **अंतिम-दूरी लॉजिस्टिक्स** - ग्रामीण क्षेत्र तक पहुँच की पहेली (Last-Mile Logistics - The Rural Reach Riddle): हालाँकि ई-कॉमर्स ने महत्त्वपूर्ण प्रगति की है, लेकिन भारत की विशाल ग्रामीण आबादी तक पहुँच अभी भी चुनौतीपूर्ण बनी हुई है।
  - दूरदराज के क्षेत्रों में बदतर सड़क अवसंरचना, उचित पता-ठिकाने का अभाव और सीमित भंडारण सुविधाओं के कारण डिलीवरी लागत बढ़ जाती है।
  - Amazon के **'आई हैव स्पेस' (I Have Space) कार्यक्रम और फ्लिपकार्ट (Flipkart)** की किराना दुकानों के साथ साझेदारी जैसे नवाचारों से मदद मिली है, लेकिन ऐसे देश में जहाँ **65% आबादी ग्रामीण** है, अंतिम दूरी तक लाभप्रद तरीके से पहुँचना एक कठिन चुनौती बनी हुई है।
- **सुविधा की पर्यावरणीय लागत:** ई-कॉमर्स में उछाल ने महत्त्वपूर्ण पर्यावरणीय चिंताओं को भी जन्म दिया है।
  - ऑनलाइन ऑर्डर से उत्पन्न पैकेजिंग अपशिष्ट चिंताजनक है। भारत ने वर्ष **2019-20 में 3.4 मिलियन टन प्लास्टिक अपशिष्ट** उत्पन्न किया, जिसमें ई-कॉमर्स का प्रमुख योगदान था।
  - अंतिम-दूरी डिलीवरी का कार्बन फुटप्रिंट, विशेष रूप से त्वरित वाणिज्य (quick commerce) के उदय के साथ, बहुत अधिक है।
- **गिग इकॉनोमी की समस्या:** ई-कॉमर्स में उछाल ने **गिग इकॉनोमी (Gig Economy) के विकास** को, विशेष रूप से लॉजिस्टिक्स और डिलीवरी सेवाओं में, बढ़ावा दिया है।
  - यद्यपि **त्वरित वाणिज्य लचीले रोज़गार की पेशकश** करते हैं, लेकिन इसने श्रमिक अधिकारों, रोज़गार सुरक्षा और दुर्घटना (विशेष **रूप से 10 मिनट में डिलीवरी जैसे वादे के कारण**) के बारे में चिंताएँ भी उत्पन्न की हैं।

नोट :

- गिग श्रमिक प्राय: अलग-थलग कार्य करते हैं और उनमें बेहतर कार्य दशाओं एवं पारिश्रमिक की मांग के लिये यूनियन बनाने या सामूहिक रूप से सौदेबाज़ी करने की क्षमता का अभाव होता है।
- इस शक्ति असंतुलन के कारण उनके लिये अपने अधिकारों की पैरोकारी करना या जिन मंचों के लिये वे कार्य करते हैं, उनके साथ बेहतर शर्तों की सौदेबाज़ी करना कठिन हो जाता है।

- **'इन्फ्लुएंसर्स' का प्रभाव:** ई-कॉमर्स में 'इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग' की बढ़ती भूमिका ने प्रामाणिकता और प्रकटीकरण के बारे में चिंताएँ बढ़ा दी हैं।
  - गुप्त **'पेड पार्टनरशिप'** और भ्रामक उत्पाद समर्थन के मुद्दे संवीक्षा के दायरे में आए हैं।
  - **भारतीय विज्ञापन मानक परिषद (ASCI)** ने बताया कि उनके द्वारा विश्लेषण किये गए इन्फ्लुएंसर पोस्ट्स (सोशल मीडिया पर) में से **30% ने प्रकटीकरण** दिशानिर्देशों का उल्लंघन किया था।
  - उपभोक्ता विश्वास और विनियामक अनुपालन को बनाए रखने के साथ इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग की शक्ति को संतुलित करना ई-कॉमर्स क्षेत्र के लिये एक सतत चुनौती है।

भारत में ई-कॉमर्स क्षेत्र से संबंधित प्रमुख सरकारी पहलें:

- **ई-कॉमर्स में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI):** सरकार ने ई-कॉमर्स मार्केटप्लेस मॉडल में, विशेष रूप से B2B लेन-देन में, **100% FDI** की अनुमति दी है।
- **सरकारी ई-मार्केटप्लेस (GeM) पोर्टल:** वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा अगस्त 2016 में लॉन्च किया गया **GeM पोर्टल पारदर्शी एवं कुशल सार्वजनिक खरीद** को बढ़ावा देता है, जहाँ **वित्त वर्ष 2023 में खरीद का स्तर 2 लाख करोड़ रुपए** को पार कर गया।
- **ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स (ONDC):** वर्ष 2022 में लॉन्च किये गए **ONDC का उद्देश्य डिजिटल कॉमर्स में MSMEs** को समान अवसर प्रदान कर ई-कॉमर्स का लोकतंत्रीकरण करना है।
- **उपभोक्ता संरक्षण (ई-कॉमर्स) नियम 2020:** ये नियम ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के लिये उपभोक्ताओं के लिये पारदर्शिता सुनिश्चित करने हेतु मूल देश का नाम प्रदर्शित करना और उत्पाद सूची मापदंडों का खुलासा करना अनिवार्य बनाते हैं।
- **समकारी लेवी नियम (Equalisation Levy Rules),** 2016 (2020 में संशोधित): ये नियम भारत में वस्तुओं या सेवाओं की बिक्री करने वाले विदेशी ई-कॉमर्स ऑपरेटरों पर 2% कर आरोपित करते हैं, जिससे डिजिटल व्यवसायों का निष्पक्ष कराधान सुनिश्चित होता है।
- **पेमेंट एग्रीगेटर्स और गेटवे पर RBI दिशानिर्देश:** वर्ष 2020 में भारतीय रिज़र्व बैंक ने ई-कॉमर्स लेन-देन के लिये महत्त्वपूर्ण पेमेंट एग्रीगेटर्स और पेमेंट गेटवे के लिये दिशानिर्देश जारी किये।
  - ये दिशा-निर्देश पेमेंट एग्रीगेटर्स के लिये लाइसेंसिंग को अनिवार्य बनाते हैं, परिचालन एवं प्रशासन संबंधी कठोर शर्तें लागू करते हैं और ग्राहक शिकायत निवारण तंत्र को बेहतर बनाते हैं।
- **राष्ट्रीय ई-कॉमर्स नीति: आसन्न राष्ट्रीय ई-कॉमर्स नीति (National E-Commerce Policy),** का उद्देश्य क्षेत्र के विकास को बढ़ाना और निर्यात को बढ़ावा देना है। इसे **वर्ष 2018 में प्रस्तावित किया** गया था और इसका **मसौदा 2019 में** जारी किया गया था।

भारत में ई-कॉमर्स से संबंधित मुद्दों को संबोधित करने के लिये कौन-से उपाय किये जा सकते हैं?

- **छोटे खुदरा विक्रेताओं के लिये प्रतिस्पर्द्धा का समान अवसर प्रदान करना:** छोटे खुदरा विक्रेताओं को डिजिटल साधनों और कौशल से लैस करने के लिये देशव्यापी **'डिजिटल किराना'** पहल शुरू की जाए।
  - स्थापित **ई-कॉमर्स कंपनियों के साथ साझेदारी** कर उनके प्लेटफॉर्मों पर समर्पित 'लोकल सेलर' सेक्शन बनाया जाए जो आस-पास के छोटे व्यवसायों को उजागर करे।
  - **ई-कॉमर्स सक्षमता प्लेटफॉर्मों, डिजिटल भुगतान प्रणालियों और इन्वेंट्री प्रबंधन** सॉफ्टवेयर तक सब्सिडीयुक्त पहुँच प्रदान किया जाए।
  - ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्मों पर स्तरीकृत कमीशन संरचना लागू करें, जिसमें छोटे विक्रेताओं के लिये कम दरें हों, ताकि उनकी प्रतिस्पर्द्धात्मकता को बढ़ावा मिले।
- **ONDC को गति देना - डिजिटल वाणिज्य का लोकतंत्रीकरण:** सभी प्रमुख शहरों में ONDC पहल के कार्यान्वयन को तीव्र गति से आगे बढ़ाया जाए।
  - भागीदारी को बढ़ावा देने के लिये शुरू-शुरू में इसे अपनाने वाले विक्रेताओं और प्रौद्योगिकी प्रदाताओं को वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान किया जाए।

नोट :

- ONDC के लाभों एवं उपयोग के बारे में उपभोक्ताओं और व्यवसायों को शिक्षित करने के लिये एक राष्ट्रव्यापी जागरूकता अभियान शुरू किया जाए।

- **ई-कॉमर्स पारिस्थितिकी तंत्र को सुव्यवस्थित करना:** एक व्यापक, भविष्योन्मुखी ई-कॉमर्स नीति तैयार करना जो FDI, डेटा स्थानीयकरण और सीमा-पार व्यापार पर स्पष्ट दिशानिर्देश प्रदान करे।
  - अनुपालन की निगरानी, शिकायतों के समाधान और निष्पक्ष प्रतिस्पर्द्धा को बढ़ावा देने के लिये एक समर्पित ई-कॉमर्स नियामक निकाय की स्थापना की जाए।
  - **ई-कॉमर्स लेन-देन के लिये GST** अनुपालन को सरल बनाया जाए, जहाँ मार्केटप्लेस के लिये **एकल-बिंदु GST संग्रह तंत्र** का गठन किया जा सकता है।
- **अंतिम-दूरी नवाचार निधि – ग्रामीण-शहरी विभाजन को दूर करना:** लागत-प्रभावी ग्रामीण वितरण समाधान विकसित करने में स्टार्टअप्स और मौजूदा खिलाड़ियों को समर्थन देने के लिये सरकार समर्थित **'अंतिम-दूरी नवाचार कोष' (Last-Mile Innovation Fund)** का गठन किया जाए।
  - **माइक्रो-वेयरहाउस और डिजिटल एड्रेसिंग प्रणालियों** सहित विभिन्न **ग्रामीण लॉजिस्टिक्स अवसंरचना** में निवेश करने वाली कंपनियों के लिये कर प्रोत्साहन की पेशकश की जाए।
  - **ई-कॉमर्स डिलीवरी के लिये भारतीय डाक** के व्यापक ग्रामीण नेटवर्क का लाभ उठाने हेतु उसके साथ साझेदारी स्थापित की जाए, जहाँ डाकघरों में **'ग्रामीण ई-कॉमर्स सहायक'** पद का सृजन भी किया जा सकता है।
- **हरित ई-कॉमर्स को बढ़ावा:** ई-कॉमर्स पैकेजिंग के लिये अनिवार्य **'ग्रीन रेटिंग' प्रणाली** लागू की जाए, जिससे पर्यावरण अनुकूल सामग्रियों के उपयोग को प्रोत्साहन मिले।
  - अंतिम-दूरी डिलीवरी के लिये **इलेक्ट्रिक वाहन** अपनाने वाली ई-कॉमर्स कंपनियों के लिये कर लाभ लागू किया जाए।
  - नवीनीकृत वस्तुओं के बाज़ार को बढ़ावा देने तथा उत्पाद की मरम्मत और पुनर्चक्रण को प्रोत्साहित करने के लिये एक 'सर्कुलर ई-कॉमर्स' पहल शुरू की जाए।
- **ग्राहक सुरक्षा का संवर्द्धन:** त्वरित शिकायत निवारण के लिये समर्पित ऑनलाइन उपभोक्ता अदालतों की स्थापना कर ई-कॉमर्स विवाद समाधान तंत्र को सुदृढ़ बनाया जाए।
  - ब्लॉकचेन आधारित उत्पाद सत्यापन प्रणाली लागू की जाए, जिसकी शुरुआत उच्च-मूल्य और आमतौर पर नकली वस्तुओं से की जाए।
  - मूल्य निर्धारण पारदर्शिता बढ़ाने के लिये आधार मूल्य, छूट और प्लेटफॉर्म शुल्क सहित विभिन्न मूल्य निर्धारण घटकों का स्पष्ट प्रकटीकरण अनिवार्य बनाया जाए।
- **समावेशी गिग इकॉनोमी ढाँचा:** ई-कॉमर्स क्षेत्र के गिग श्रमिकों के लिये स्वास्थ्य बीमा और सेवानिवृत्ति लाभ सहित एक व्यापक सामाजिक सुरक्षा योजना विकसित की जाए।
  - एक **'सुवाह्य लाभ' (Portable Benefits)** प्रणाली क्रियान्वित की जाए जिससे गिग श्रमिकों को कई प्लेटफॉर्मों पर लाभ प्राप्त करने की सुविधा मिल सके।
  - स्थानीय जीवन-यापन लागत और कार्य की जटिलता के आधार पर गिग श्रमिकों के लिये न्यूनतम मज़दूरी दिशानिर्देश स्थापित किये जाएँ।
  - डिलीवरी कर्मियों और अन्य गिग श्रमिकों को ई-कॉमर्स पारिस्थितिकी तंत्र में उच्च-कुशल भूमिकाओं में स्थानांतरित हो सकने में मदद करने के लिये एक 'गिग वर्कर अपस्किलिंग प्रोग्राम' लॉन्च किया जाए।

■■■

भारत का कार्बन बाज़ार

विश्व के तीसरे सबसे बड़े उत्सर्जक के रूप में भारत को अपने जलवायु उद्देश्यों को पूरा करने के साथ-साथ अपनी **विकासात्मक आकांक्षाओं को बनाए रखने** की दोहरी चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। वित्त मंत्री द्वारा हाल ही में **'हार्ड-टू-अबेट' (hard to abate)** उद्योगों को **ऊर्जा दक्षता लक्ष्यों** से उत्सर्जन लक्ष्यों की ओर स्थानांतरित करने की घोषणा देश की नीति में एक महत्त्वपूर्ण बदलाव को परिलक्षित करती है। यह बदलाव मौजूदा **प्रदर्शन, उपलब्धि एवं व्यापार (Perform, Achieve, and Trade- PAT) योजना** की सीमाओं को चिह्नित करता है, जो मुख्य रूप से सापेक्ष ऊर्जा दक्षता पर केंद्रित है।

भारतीय कार्बन बाज़ार (Indian Carbon Market) की स्थापना की दिशा में उठाया गया कदम एक महत्त्वपूर्ण अवसर प्रदान करता है। हालाँकि भारत अपने **राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (Nationally Determined Contributions- NDCs)** के तहत अनिवार्य उत्सर्जन कटौती के लिये बाध्य नहीं है, लेकिन यह कदम उत्सर्जन को कम करने के लिये बाज़ार आधारित समाधान की तलाश करने की मज़बूत प्रतिबद्धता का संकेत देता है। हालाँकि, एक ऐसे कार्बन बाज़ार के

नोट :

लिये, जो भारत की विकास प्राथमिकताओं के साथ प्रभावी रूप से संरेखित हो और साथ ही उत्सर्जन में पर्याप्त कमी सुनिश्चित करे, रणनीतिक और सूक्ष्म योजना-निर्माण की आवश्यकता होगी।

कार्बन बाज़ार (Carbon Market) क्या है ?

- **परिचय:** कार्बन बाज़ार, बाज़ार-आधारित तंत्र हैं, जिन्हें व्यक्तियों और संगठनों हेतु उनके कार्बन फुटप्रिंट को कम करने के उद्देश्य से वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करने के माध्यम से ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करने के लिये डिज़ाइन किया गया है।
  - वे **'कैप-एंड-ट्रेड' (cap-and-trade)** के सिद्धांत पर कार्य करते हैं, जहाँ सरकार या नियामक निकाय किसी विशिष्ट क्षेत्राधिकार के भीतर ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन की कुल मात्रा पर एक सीमा निर्धारित करते हैं।

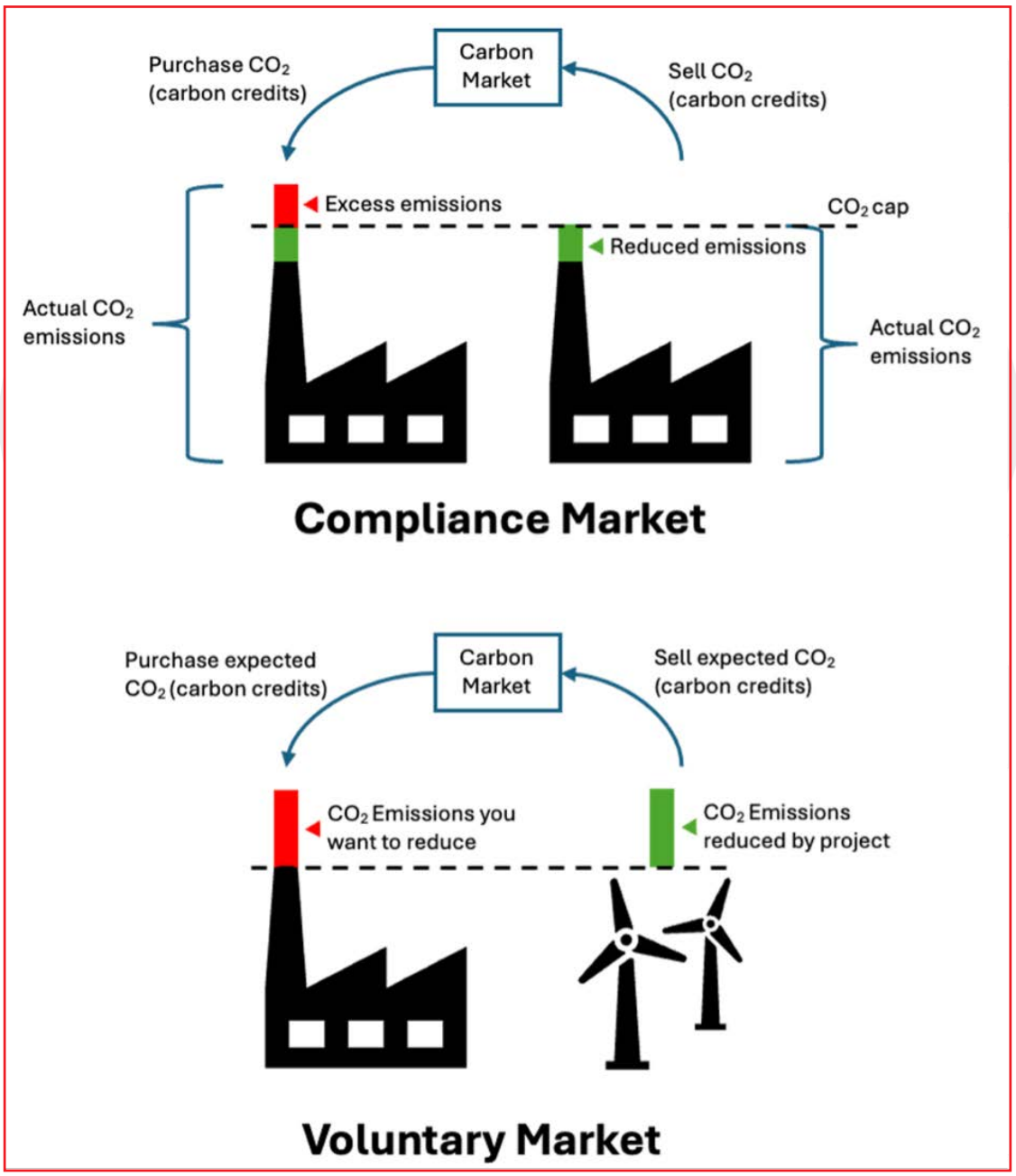

नोट :

- **कार्बन बाज़ार के प्रकार:**
  - **अनुपालन बाज़ार (Compliance Markets):** ये बाज़ार अधिदेशात्मक (mandatory) होते हैं, जिनमें विनियमित निकायों द्वारा अपने उत्सर्जन की भरपाई के लिये कार्बन क्रेडिट खरीदना आवश्यक होता है। ये निकाय प्राय: बड़े औद्योगिक प्रदूषक होते हैं।
  - **स्वैच्छिक बाज़ार (Voluntary Markets):** ये बाज़ार स्वैच्छिक होते हैं, जो व्यक्तियों, व्यवसायों और संगठनों को विनियामक आवश्यकताओं से परे अपने उत्सर्जन की भरपाई के लिये **कार्बन क्रेडिट खरीदने** की अनुमति देते हैं।
    - भारत विकेंद्रीकृत स्वैच्छिक बाज़ार में कार्बन क्रेडिट का एक महत्त्वपूर्ण निर्यातक है, जहाँ इसका **क्रेडिट प्रति वर्ष 200-300 बिलियन अमेरिकी डॉलर** के बीच रहा और वर्ष **2022 में वैश्विक आपूर्ति में 17%** हिस्सेदारी दर्ज की।
- **कार्बन क्रेडिट:** वे ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में कमी को दर्शाते हैं जिसका व्यापार किया जा सकता है। एक कार्बन क्रेडिट एक टन **कार्बन डाइऑक्साइड समतुल्य (tCO_2e)** को कम करने या उससे बचने के बराबर होता है।
  - कार्बन क्रेडिट विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से सृजित किया जा सकता है, जैसे:
    - **ऊर्जा-कुशल प्रौद्योगिकियों** को लागू करना, अपशिष्ट को कम करना, या नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों की ओर संक्रमण करना।
    - वनों की कटाई को रोकना या पुन: वनरोपण को बढ़ावा देना।

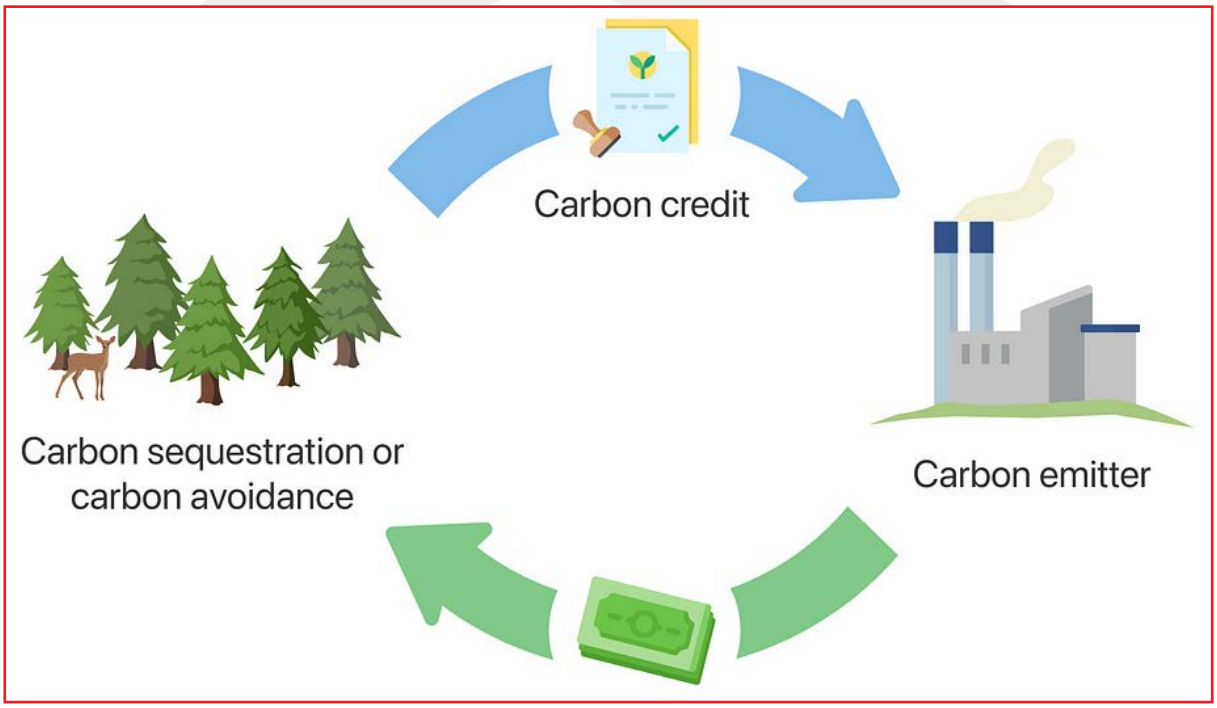

- **कार्बन टैक्स:** ये ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन पर **प्रत्यक्ष लेवी (direct levy)** हैं। इसका अर्थ यह है कि प्रदूषक ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन की मात्रा के आधार पर कर का भुगतान करते हैं।
  - कार्बन करों से सरकार के लिये राजस्व उत्पन्न होता है, जिसका उपयोग जलवायु शमन एवं अनुकूलन परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिये या अन्य करों को कम करने के लिये किया जा सकता है।
- **कार्बन बाज़ारों में वैश्विक रुझान:** अगस्त 2023 तक की स्थिति के अनुसार, **विश्व भर में 74 कार्बन मूल्य निर्धारण तंत्रों** की पहचान की गई है, जो या तो कार्बन करों के रूप में या उत्सर्जन व्यापार योजनाओं (ETS) के रूप में क्रियान्वित हैं।
  - विश्व बैंक की वार्षिक **'कार्बन मूल्य निर्धारण की स्थिति एवं रुझान 2024'** (State and Trends of Carbon Pricing 2024) शीर्षक रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2023 में कार्बन मूल्य निर्धारण राजस्व रिकॉर्ड **104 बिलियन अमेरिकी डॉलर** तक पहुँच गया।

नोट :

भारत में कार्बन बाज़ार से संबंधित वर्तमान सरकारी पहलें कौन-सी हैं?

- **कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग योजना CCTS):** विद्युत संरक्षण अधिनियम, 2001 और **पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986** के आधार पर आगे बढ़ते हुए भारत ने **कार्बन क्रेडिट प्रमाणपत्रों** के व्यापार के माध्यम से GHG उत्सर्जन को कम करने के लिये CCTS की शुरुआत की।
  - CCTS का अनुपालन खंड वर्ष 2025-26 में शुरू होगा, जिससे गैर-बाध्यकारी निकायों (non-obligated entities) को **कार्बन क्रेडिट प्रमाणपत्रों (CCCs)** में भाग लेने और व्यापार करने की अनुमति मिलेगी।
- **अन्य विद्यमान योजनाएँ:** प्रदर्शन, उपलब्धि एवं व्यापार (PAT) योजना और नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाणपत्र (REC) प्रणाली भारत में पहले से मौजूद बाज़ार-आधारित उत्सर्जन न्यूनीकरण योजनाएँ हैं।
- **निगरानी और सत्यापन:** **ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (BEE)** और भारतीय कार्बन बाज़ार के लिये **राष्ट्रीय संचालन समिति (National Steering Committee for Indian Carbon Market- NSCICM)** कठोर निगरानी, रिपोर्टिंग एवं सत्यापन प्रक्रियाओं के माध्यम से कार्बन क्रेडिट की अखंडता सुनिश्चित करने के लिये ज़िम्मेदार हैं।

कार्बन कर (Carbon Tax) लागू करने के क्या लाभ हैं?

- **हरित नवाचार को प्रोत्साहित करना:** कार्बन कर व्यवसायों के लिये अपने कार्बन उत्सर्जन को कम करने हेतु एक मज़बूत वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करता है, जिससे स्वच्छ प्रौद्योगिकियों में नवाचार को बढ़ावा मिलता है।
  - भारत में, जहाँ **नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र** तेज़ी से बढ़ रहा है, कार्बन कर इसकी गति को और तीव्र कर सकता है।
  - उदाहरण के लिये, कार्बन कर लागू करने के बाद ब्रिटिश कोलंबिया में कर के दायरे में आने वाले क्षेत्रों के **उत्सर्जन में 6.1%** की कमी देखी गई।
  - भारत में, यह **G20 देशों से अनुमानित रूप से 15% CO_2 कमी** (आधारभूत स्तर की तुलना में) के लिये भी ज़िम्मेदार होगा।
    - भारत में इसे लागू करने पर सौर, पवन और ऊर्जा भंडारण प्रौद्योगिकियों में महत्त्वपूर्ण प्रगति हो सकती है, जिससे भारत स्वच्छ प्रौद्योगिकी नवाचार में वैश्विक अग्रणी देश के रूप में स्थापित हो सकता है।
- **जलवायु अनुकूलन के लिये राजस्व सृजन:** कार्बन करों से सरकारों के लिये जलवायु अनुकूलन और शमन प्रयासों में निवेश करने हेतु पर्याप्त राजस्व उत्पन्न हो सकता है।
  - भारत में, जहाँ जलवायु परिवर्तन का प्रभाव पहले से ही गंभीर है, यह महत्त्वपूर्ण सिद्ध हो सकता है।
  - **अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF)** का अनुमान है कि कार्बन कर वर्ष 2030 में 35 अमेरिकी डॉलर प्रति टन के हिसाब से सकल घरेलू उत्पाद को 1-2% तक बढ़ा सकता है।
  - इस धन को बाढ़ सुरक्षा अवसंरचना, सूखा-प्रतिरोधी कृषि और अन्य महत्त्वपूर्ण अनुकूलन उपायों के लिये निर्देशित किया जा सकता है, जिससे भारत की सबसे भेद्य/संवेदनशील आबादी को जलवायु प्रभावों से बचाने में मदद मिलेगी।
- **सार्वजानिक स्वास्थ्य में सुधार:** जीवाश्म ईंधन के उपभोग को कम करने के रूप में, कार्बन कर से वायु गुणवत्ता और सार्वजानिक स्वास्थ्य में उल्लेखनीय सुधार हो सकता है। यह भारत के लिये विशेष रूप से प्रासंगिक है, जहाँ **वायु प्रदूषण चिंता** का प्रमुख विषय है।
  - **IMF के नवीनतम 'फिस्कल मॉनिटर'** के अनुसार, केवल **G-20 देशों** में ही प्रति टन CO_2 पर 50 अमेरिकी डॉलर का कार्बन कर लगाने से वर्ष 2030 तक प्रति वर्ष **6,00,000 वायु प्रदूषण** संबंधी असामयिक मौतों को रोका जा सकता है।
  - इसके परिणामस्वरूप स्वास्थ्य देखभाल लागत में कमी और उत्पादकता में सुधार से भारत की अर्थव्यवस्था को पर्याप्त बढ़ावा मिल सकता है, जो कार्बन कर के आरंभिक आर्थिक प्रभाव की भरपाई कर सकता है।
- **उपभोग संबंधी जागरूकता:** कार्बन कर विभिन्न उत्पादों और सेवाओं के कार्बन फुटप्रिंट के बारे में जागरूकता बढ़ाने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं, जिससे उपभोक्ता व्यवहार प्रभावित हो सकता है।
  - भारत में, जहाँ **जलवायु परिवर्तन के बारे में उपभोक्ता जागरूकता** बढ़ रही है लेकिन अभी भी सीमित है, कार्बन कर एक शैक्षिक उपकरण के रूप में कार्य कर सकता है।
  - कार्बन-गहन उत्पादों को अधिक महंगा बनाकर उपभोक्ताओं को अधिक संवहनीय विकल्पों की ओर प्रेरित किया जा सकता है।
  - इस बदलाव का **अर्थव्यवस्था पर व्यापक प्रभाव पड़** सकता है, जहाँ व्यवसायों को अधिकाधिक निम्न-कार्बन

नोट :

विकल्पों की पेशकश करने का प्रोत्साहन मिलेगा तथा समग्र रूप से संवहनीय अर्थव्यवस्था की ओर संक्रमण में तेज़ी आएगी।

भारत में कार्बन कराधान से संबंधित प्रमुख चुनौतियाँ क्या हैं?

- **उद्योगों पर आर्थिक प्रभाव:** कार्बन कर लागू करने से भारत के औद्योगिक क्षेत्र, विशेष रूप से इस्पात, सीमेंट एवं वस्त्र जैसे ऊर्जा-गहन उद्योगों पर महत्त्वपूर्ण प्रभाव पड़ सकता है।
  - यद्यपि इससे **स्वच्छ उत्पादन पद्धतियों को प्रोत्साहन** मिलेगा, लेकिन इससे अल्पावधि में उत्पादन लागत की वृद्धि भी हो सकती है।
  - इससे इन क्षेत्रों में भारत की वैश्विक प्रतिस्पर्द्धात्मकता पर संभावित रूप से असर पड़ सकता है; इसलिये, **पर्यावरणीय लक्ष्यों और आर्थिक विकास** के बीच संतुलन के निर्माण के लिये सावधानीपूर्वक नीति तैयार करने की आवश्यकता होगी।
- **निम्न-आय वर्ग पर प्रतिगामी 'नेचर-बर्डन' (Nature-Burden):** कार्बन कर प्रतिगामी सिद्ध हो सकते हैं और निम्न-आय वर्ग पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकते हैं, जो अपनी आय का एक बड़ा हिस्सा ऊर्जा पर खर्च करते हैं।
  - चूँकि भारत **22.8 करोड़ के साथ दुनिया भर में सर्वाधिक गरीबी आबादी** रखता है (Global MPI 2022), यह एक गंभीर चिंता का विषय है।
  - अकुशलता से डिज़ाइन किये गए कार्बन टैक्स से ऊर्जा और परिवहन लागत में वृद्धि हो सकती है, जिससे आर्थिक असमानता और भी बढ़ सकती है।
- **सीमित दायरा:** विश्व आर्थिक मंच (WEF) के अनुसार, कार्बन कर जीवाश्म ईंधनों से उत्पन्न CO_2 उत्सर्जन को कम करने में प्रभावी होते हुए भी सीमित दायरा रखते हैं।
  - वे मीथेन जैसी अन्य महत्त्वपूर्ण ग्रीनहाउस गैसों की समस्या का समुचित समाधान कर सकने में सक्षम नहीं होंगे, जो कृषि गतिविधियों से बड़ी मात्रा में उत्सर्जित होती हैं।
  - उदाहरण के लिये, मीथेन गैस की तापन क्षमता CO_2 से अधिक उच्च है, जिससे यह जलवायु परिवर्तन में एक प्रमुख योगदानकर्ता बन जाती है।
  - ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को व्यापक रूप से संबोधित करने के लिये **मीथेन और अन्य गैर-CO_2** गैसों पर विशेष रूप से लक्षित अतिरिक्त नीतियों एवं विनियमनों की आवश्यकता है।
- **अनौपचारिक क्षेत्र की समस्या:** भारत का विशाल अनौपचारिक क्षेत्र, जो कार्यबल के लगभग 90% भाग को नियोजित करता है, कार्बन कर के कार्यान्वयन के लिये महत्त्वपूर्ण चुनौतियाँ प्रस्तुत करता है।
  - छोटे, अपंजीकृत व्यवसायों से होने वाले उत्सर्जन पर नज़र रखना एवं उस पर कर लगाना अत्यंत कठिन है और इससे अनजाने में ही उन्हें कार्बन कर से छूट मिल सकती है। इससे कार्बन कराधान की प्रभावशीलता कम हो सकती है और बाज़ार में विकृतियाँ उत्पन्न हो सकती हैं।
- **अंतर्राज्यीय असमानताएँ:** भारत का संघीय ढाँचा कार्बन कराधान में जटिलता की एक और परत का योग करता है।
  - विभिन्न राज्यों में औद्योगीकरण, ऊर्जा मिश्रण और राजकोषीय क्षमता का स्तर भिन्न-भिन्न है।
  - एक सार्वभौमिक राष्ट्रीय कार्बन कर झारखंड और छत्तीसगढ़ जैसे कोयला उत्पादक राज्यों पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है।
- **'कार्बन लीकेज':** कार्बन लीकेज—यानी वह स्थिति जहाँ उत्सर्जन-गहन उद्योग ढीले पर्यावरणीय नियमों वाले क्षेत्राधिकारों में स्थानांतरित हो जाते हैं, एक गंभीर चिंता का विषय है।
  - भारत के लिये, जो 'मेक इन इंडिया' जैसी पहल के माध्यम से वैश्विक विनिर्माण केंद्र बनने का प्रयास कर रहा है, यह जोखिम विशेष रूप से गंभीर है।
- अंतर्राष्ट्रीय व्यापार निहितार्थ: चूँकि कार्बन मूल्य निर्धारण तंत्रों को लागू करने वाले देशों की संख्या बढ़ रही है, भारत के निर्यात को कड़े पर्यावरणीय मानकों वाले बाज़ारों में चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है।
  - उदाहरण के लिये, **यूरोपीय संघ (EU)** द्वारा प्रस्तावित **कार्बन सीमा समायोजन तंत्र** (Carbon Border Adjustment Mechanism- CBAM) भारतीय निर्यात पर महत्त्वपूर्ण प्रभाव डाल सकती है।
  - भारत के इस्पात क्षेत्र को यूरोपीय संघ के कार्बन सीमा कर के कारण गंभीर चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, जिसके कारण यूरोपीय संघ को भारतीय निर्यात में 8 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक का नुकसान हो सकता है।

कार्बन बाज़ार की प्रभावी स्थापना के लिये भारत कौन-से उपाय कर सकता है?

- **चरणबद्ध कार्यान्वयन – क्रमिक हरितीकरण:** भारत कार्बन कराधान के लिये चरणबद्ध दृष्टिकोण अपना सकता है, जहाँ आरंभ में निम्न दर रखी जाए और समय के साथ इसमें धीरे-धीरे वृद्धि हो।

नोट :

- इससे उद्योगों को अचानक आर्थिक आघातों का सामना किये बिना स्वच्छ प्रौद्योगिकियों में अनुकूलन और निवेश की सुविधा मिलेगी।
- सरकार ब्याज दरों में वृद्धि की स्पष्ट समय-योजना पेश कर सकती है, जिससे व्यवसायों को अपने निवेश की योजना बनाने में निश्चितता प्राप्त होगी।
- विभिन्न क्षेत्रों को चरणबद्ध तरीके से कर व्यवस्था के अंतर्गत लाया जा सकता है, जहाँ शुरुआत सबसे अधिक कार्बन-गहन उद्योगों से की जा सकती है।
- इस दृष्टिकोण से हरित ऊर्जा विकल्प और ऊर्जा दक्षता कार्यक्रम जैसे सहायक बुनियादी ढाँचे और नीतियों के विकास के लिये भी समय मिलेगा।

- **सीमा कार्बन समायोजन – वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्द्धा को समतल करना:** भारत कार्बन लीकेज संबंधी चिंताओं को दूर करने और घरेलू उद्योगों की सुरक्षा के लिये सीमा कार्बन समायोजन (BCAs) लागू करने पर विचार कर सकता है।
  - इसमें आयातित वस्तुओं पर उनके अंतर्निहित उत्सर्जन के आधार पर कार्बन मूल्य लागू करना शामिल होगा, जिससे घरेलू उत्पादकों के लिये समान अवसर उपलब्ध होंगे।
  - इस उपाय को **विश्व व्यापार संगठन (WTO)** के नियमों और भारत की अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रतिबद्धताओं के अनुपालन हेतु सावधानीपूर्वक तैयार करने की आवश्यकता होगी।
- **प्रौद्योगिकी हस्तांतरण प्रोत्साहन – नवाचार अंतराल को दूर करना:** कार्बन कर को, विशेष रूप से **लघु एवं मध्यम उद्यमों (SMEs)** के लिये, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और स्वच्छ प्रौद्योगिकियों के अंगीकरण के लिये सुदृढ़ प्रोत्साहनों के साथ संयुक्त किया जा सकता है।
  - कर राजस्व का एक हिस्सा **'स्वच्छ प्रौद्योगिकी अंगीकरण कोष' (Clean Tech Adoption Fund)** के वित्तपोषण के लिये किया जा सकता है, जो हरित प्रौद्योगिकी निवेश के लिये कम ब्याज दर पर ऋण या अनुदान प्रदान करेगा।
- **'कार्बन-कांशस' उद्योगों के लिये 'ग्रीन लेन':** एक स्तरीकृत विनियामक प्रणाली लागू करें जो कार्बन कटौती के महत्त्वपूर्ण प्रयास करने वाले उद्योगों के लिये शीघ्र अनुमोदन एवं प्रोत्साहन प्रदान करे।
  - इस **'ग्रीन लेन' (Green Lane)** दृष्टिकोण में त्वरित पर्यावरणीय मंज़ूरी, सरकारी निविदाओं में प्राथमिकता और निम्न ब्याज दर पर हरित वित्तपोषण तक पहुँच शामिल हो सकती है।
  - कार्बन के प्रति जागरूक (Carbon-Conscious) व्यवसायों के लिये ठोस लाभ का सृजन कर, भारत विभिन्न क्षेत्रों में स्वच्छ प्रौद्योगिकियों के अंगीकरण में तेज़ी ला सकता है।
  - यह उपाय आर्थिक विकास को पर्यावरणीय उत्तरदायित्व के साथ संतुलित करता है और उद्योगों को कठोर नियम लागू किये बिना स्वेच्छा से कार्बन कटौती अपनाने के लिये प्रोत्साहित करता है।
- **SMEs के लिये कार्बन क्रेडिट सहकारिता: लघु एवं मध्यम उद्यमों (SMEs)** को सामूहिक रूप से कार्बन बाज़ार में भागीदारी हेतु सक्षम बनाने के लिये एक सहकारी ढाँचा स्थापित किया जाए।
  - यह प्रणाली छोटे व्यवसायों को अपने उत्सर्जन में कमी लाने के प्रयासों को साझा करने, सामूहिक रूप से **कार्बन क्रेडिट** का सृजन करने और लाभ साझा करने की अनुमति देगी।
  - भारत SMEs के लिये प्रवेश की बाधा को कम कर कार्बन बाज़ार में सहभागिता को व्यापक बना सकता है और ज़मीनी स्तर पर उत्सर्जन में कमी लाने के लिये नवाचार को बढ़ावा दे सकता है।
- **घरेलू समाधानों के लिये 'कार्बन टेक इनक्यूबेटर्स':** स्वदेशी कार्बन न्यूनीकरण प्रौद्योगिकियों के विकास पर केंद्रित विशेष इनक्यूबेटर्स का एक नेटवर्क लॉन्च किया जाए।
  - ये इनक्यूबेटर कार्बन कैप्चर, **ऊर्जा दक्षता और नवीकरणीय ऊर्जा** जैसे क्षेत्रों में नवोन्मेषी समाधानों पर कार्यरत स्टार्टअप्स के लिये वित्तपोषण, मार्गदर्शन एवं परीक्षण सुविधाएँ प्रदान करेंगे।
  - भारत स्वदेशी जलवायु प्रौद्योगिकी के एक सुदृढ़ पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देकर आयातित प्रौद्योगिकियों पर निर्भरता कम कर सकता है और अपने अद्वितीय पर्यावरणीय एवं आर्थिक संदर्भ के अनुरूप समाधान तैयार कर सकता है।
- **हरित वित्त क्रांति:** भारत अपने कार्बन बाज़ार को समर्थन देने के लिये एकसुदृढ़ हरित वित्त (Green Finance) पारिस्थितिकी तंत्र स्थापित कर सकता है।
  - इसमें **ग्रीन बॉण्ड, SSL (sustainability-linked loans) और जलवायु जोखिम** बीमा उत्पाद शामिल हो सकते हैं।
  - निम्न-कार्बन परियोजनाओं में निजी निवेश को बढ़ावा देने के लिये एक राष्ट्रीय हरित निवेश बैंक (national green investment bank) की स्थापना की जा सकती है।

नोट :

- **मौजूदा योजनाओं के साथ एकीकरण:** नीतिगत सुसंगतता के लिये भारत के नए कार्बन बाज़ार को PAT और REC जैसी मौजूदा योजनाओं के साथ एकीकृत किया जाना चाहिये।
  - इसमें विभिन्न प्रकार के **क्रेडिट के बीच रूपांतरण तंत्र (conversion mechanisms)** का निर्माण करना शामिल हो सकता है।
  - विभिन्न योजनाओं में **तरलता (liquidity)** बढ़ाने के लिये एक साझा ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म विकसित किया जा सकता है।
  - धीरे-धीरे फिर इन योजनाओं का एक व्यापक राष्ट्रीय कार्बन बाज़ार में विलय किया जा सकता है।

निष्कर्ष:

भारत एक महत्त्वपूर्ण मोड़ पर है, जहाँ कार्बन बाज़ार की स्थापना आर्थिक विकास के साथ इसके जलवायु लक्ष्यों को प्रभावी ढंग से संतुलित कर सकती है। भारत इस बाज़ार को रणनीतिक रूप से डिज़ाइन कर, मौजूदा योजनाओं को एकीकृत कर और नवाचार को प्रोत्साहित कर स्वयं को सतत विकास में वैश्विक अग्रणी देश के रूप में स्थापित कर सकता है। चूँकि भारत निम्न-कार्बन भविष्य की ओर आगे बढ़ रहा है, यह उपयुक्त समय है कि वह निर्णायक कदम उठाए और एक प्रत्यास्थी, जलवायु-सजग अर्थव्यवस्था के निर्माण के लिये नेतृत्वकारी भूमिका निभाए।

■■■

समावेशी वित्तीय प्रणाली का निर्माण

वित्तीय समावेशन (Financial inclusion) आर्थिक विकास के एक महत्त्वपूर्ण पहलू के रूप में उभरा है, जिसका उद्देश्य सभी व्यक्तियों, विशेष रूप से हाशिये पर स्थित और निम्न-आय आय वाले पृष्ठभूमि के लोगों को अभिगम्य, वहनीय और प्रभावी वित्तीय सेवाएँ प्रदान करना है विविध भौगोलिक, आर्थिक एवं सामाजिक परिदृश्यों वाले **1.3 बिलियन से अधिक लोगों के देश में वित्तीय सेवाओं** तक सार्वभौमिक पहुँच सुनिश्चित करना अपार चुनौतियाँ और अवसर दोनों प्रस्तुत करता है।

वित्तीय समावेशन केवल बैंक खातों तक पहुँच तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें बचत, ऋण, बीमा और डिजिटल भुगतान समाधान सहित विभिन्न सेवाओं का एक **व्यापक समूह भी शामिल** है, जिन्हें समाज के सभी वर्गों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये तैयार किया गया हो।

भारत में पिछले दशक में **वित्तीय समावेशन** पर व्यापक बल दिया गया है, जो **सरकारी पहलों, तकनीकी प्रगति और नवोन्मेषी व्यवसाय मॉडल** के संयोजन से प्रेरित है। महत्त्वाकांक्षी प्रधानमंत्री **प्रधानमंत्री जन धन योजना (PMJDY)** से लेकर **यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI)** के क्रांतिकारी कदम तक, भारत ने अपने वित्तीय परिदृश्य में एक परिवर्तनकारी यात्रा तय की है। इन प्रयासों का उद्देश्य न केवल आधारभूत वित्तीय सेवाएँ प्रदान करना है, बल्कि व्यक्तियों और व्यवसायों को सशक्त बनाना, गरीबी को कम करना, **अर्थव्यवस्था को औपचारिक बनाना और समावेशी आर्थिक विकास** को बढ़ावा देना भी है।

जैसे-जैसे भारत इस मार्ग पर आगे बढ़ रहा है, वित्तीय समावेशन की बहुमुखी प्रकृति, इसकी प्रगति, चुनौतियों एवं भविष्य की दिशा को समझना नीति निर्माताओं, वित्तीय संस्थानों और नागरिकों के लिये समान रूप से महत्त्वपूर्ण हो गया है।

वित्तीय समावेशन क्या है?

- **वित्तीय समावेशन:** यह **कमज़ोर एवं निम्न-आय वर्ग जैसे संवेदनशील** समूहों के लिये उचित वित्तीय उत्पादों और सेवाओं तक पहुँच सुनिश्चित करने की प्रक्रिया है, जो मुख्यधारा के संस्थागत अभिकर्ताओं द्वारा निष्पक्ष एवं पारदर्शी तरीके से सस्ती लागत पर उपलब्ध कराई जाती है।
- **वित्तीय समावेशन का दायरा:** वित्तीय समावेशन के दायरे में वित्तीय सेवाओं की एक विस्तृत श्रृंखला शामिल है, जिसमें **आधारभूत बैंकिंग सेवाएँ (बचत एवं चालू खाते), ऋण सुविधाएँ, बीमा उत्पाद, निवेश विकल्प, पेंशन योजनाएँ, भुगतान एवं धन प्रेषण सेवाएँ और वित्तीय सलाहकार सेवाएँ** शामिल हैं।
- वित्तीय समावेशन के प्रमुख घटक:
  - **वित्तीय सेवाओं तक पहुँच:** यह सुनिश्चित करना कि बैंकिंग, बीमा और ऋण जैसी वित्तीय सेवाएँ सभी के लिये उपलब्ध हों। इसमें वंचित क्षेत्रों में भौतिक बैंकिंग आउटलेट की स्थापना और डिजिटल वित्तीय सेवाओं का प्रावधान शामिल है।
  - **वहनीयता:** वित्तीय उत्पादों और सेवाओं के मूल्य ऐसे हों जो समाज के सभी वर्गों के लिये अभिगम्य एवं वहनीय हों। उच्च लागत, विशेष रूप से निम्न-आय वर्ग के लिये, एक गंभीर बाधा सिद्ध हो सकती है।
  - **वित्तीय साक्षरता:** वित्तीय उत्पादों, सेवाओं और प्रबंधन के बारे में लोगों को शिक्षित करना आवश्यक है। वित्तीय साक्षरता लोगों को बचत, निवेश और ऋण प्रबंधन सहित अपने वित्त के बारे में सूचना-संपन्न निर्णय लेने में सक्षम बनाती है।

नोट :

- **उपयोग:** पहुँच तक सीमित नहीं रहते हुए, यह महत्त्वपूर्ण है कि लोग वित्तीय स्थिरता एवं विकास की प्राप्ति के लिये वित्तीय सेवाओं का सक्रिय रूप से उपयोग भी करें। इसमें बैंकिंग सेवाओं से जुड़ना, ऋण का ज़िम्मेदारी से उपयोग करना और बीमा उत्पादों का लाभ उठाना शामिल है।

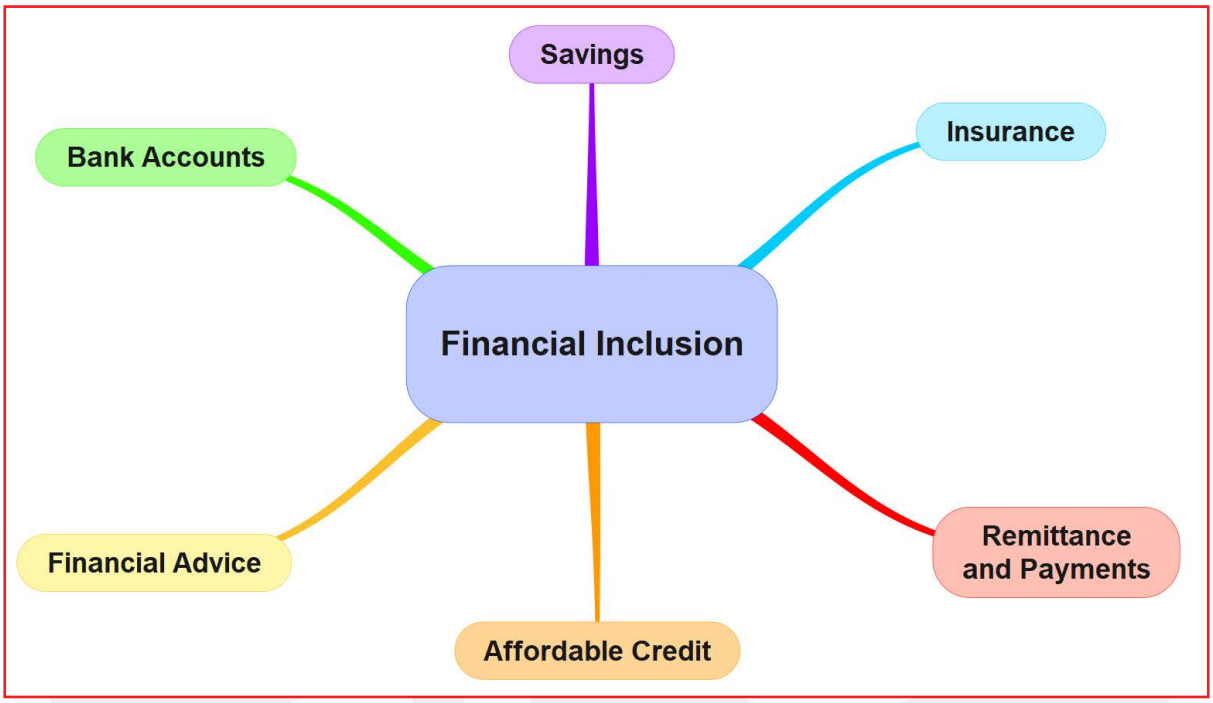

वित्तीय समावेशन का क्या महत्त्व है?

- **आर्थिक सशक्तीकरण:** औपचारिक वित्तीय सेवाओं तक पहुँच से व्यक्तियों एवं छोटे व्यवसायों को अपने वित्त का प्रभावी ढंग से प्रबंधन करने, भविष्य की आवश्यकताओं के लिये बचत करने और विकास के अवसरों के लिये ऋण प्राप्त करने के साधन प्राप्त होते हैं।
  - इस **सशक्तीकरण से सूक्ष्म एवं वृहद दोनों स्तरों पर आर्थिक गतिविधि** और उत्पादकता में वृद्धि हो सकती है।
- **गरीबी उन्मूलन:** वित्तीय सेवाओं तक पहुँच गरीबी उन्मूलन के लिये एक प्रभावशाली साधन के रूप में कार्य कर सकती है।
  - **बचत खाते धन की बचत करने के लिये एक सुरक्षित** स्थान प्रदान करते हैं, जिससे आर्थिक आघातों के प्रति संवेदनशीलता कम हो जाती है, जबकि **ऋण सुविधाएँ शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा या छोटे व्यवसायों** में निवेश को सक्षम बनाती हैं, जिससे गरीबी से बाहर निकलने के रास्ते खुलते हैं।
- **अर्थव्यवस्था का औपचारिकीकरण:** अधिक व्यक्तियों और व्यवसायों को औपचारिक वित्तीय प्रणाली में लाने से **'शैडो इकॉनोमी' (shadow economy)** का आकार घटता है।
  - यह संक्रमण पारदर्शिता को बढ़ाता है, कर संग्रहण में सुधार करता है और अधिक प्रभावी आर्थिक नीति कार्यान्वयन को सक्षम बनाता है।
- **वित्तीय स्थिरता में वृद्धि:** जमाकर्त्ताओं एवं उधारकर्ताओं का एक व्यापक आधार जोखिमों में विविधता लाकर और जनसंख्या के किसी भी एक वर्ग पर आर्थिक आघातों के प्रभाव को कम कर अधिक स्थिर वित्तीय प्रणाली में योगदान कर सकता है।
- **बेहतर सरकारी सेवा वितरण:** **प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (DBT)** और अन्य सरकारी योजनाओं को औपचारिक **वित्तीय चैनलों के माध्यम से अधिक कुशलतापूर्वक** एवं पारदर्शी रूप से कार्यान्वित किया जा सकता है, जिससे रिसाव (लीकेज) कम हो सकता है और यह सुनिश्चित हो सकता है कि लाभ इच्छित प्राप्तकर्ताओं तक पहुँचे।
- **लैंगिक समानता:** वित्तीय समावेशन महिलाओं को वित्तीय सेवाओं तक स्वतंत्र पहुँच प्रदान कर, परिवारों एवं समुदायों में उनकी आर्थिक स्वायत्तता एवं निर्णय लेने की शक्ति को बढ़ाकर लैंगिक समानता को बढ़ावा देने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।

नोट :

- **डिजिटल रूपांतरण:** वित्तीय समावेशन के प्रयास प्राय: डिजिटल नवाचार के साथ-साथ आगे बढ़ते हैं, जिससे नई प्रौद्योगिकियों के अंगीकरण में मदद मिलती है, जिसका अर्थव्यवस्था के अन्य क्षेत्रों पर भी प्रभाव पड़ सकता है।
- **सामाजिक समावेशन:** वित्तीय सेवाओं तक पहुँच व्यक्ति की गरिमा एवं सामाजिक समावेशन की भावना को बढ़ा सकती है, विशेष रूप से हाशिये पर स्थित समूहों के लिये जिन्हें ऐतिहासिक रूप से औपचारिक अर्थव्यवस्था से बाहर रखा गया है।

भारत में वित्तीय समावेशन की वर्तमान स्थिति:

- **समग्र प्रगति:** प्रधानमंत्री जन धन योजना की शुरूआत के बाद से भारत ने **वित्तीय समावेशन** की दिशा में महत्त्वपूर्ण प्रगति की है।
  - औपचारिक वित्तीय खाते रखने वाले वयस्कों का प्रतिशत **वर्ष 2011 में लगभग 50%** से बढ़कर **2024 में 80%** से अधिक हो जाएगा।
- **खाता संबंधी आँकड़े:** अगस्त 2024 तक जन धन खातों की **कुल संख्या 53.13 करोड़** है। यह मार्च 2015 में 14.7 करोड़ खातों से उल्लेखनीय वृद्धि को इंगित करती है।
- **बैंकिंग क्षेत्र की भागीदारी:** सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने PMJDY पहल में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जो इस योजना के तहत खोले गए लगभग **78% खातों** का प्रबंधन करते हैं।
- **लैंगिक वितरण:** जन धन के कुल खातों में से **29.56 करोड़ (55.6%)** खाते महिलाओं के हैं।
- ग्रामीण और अर्द्ध-शहरी क्षेत्र: लगभग **66.6% जन धन खाते ग्रामीण और अर्द्ध-शहरी** क्षेत्रों में सक्रिय हैं, जो इस योजना के वंचित क्षेत्रों पर केंद्रित ध्यान को परिलक्षित करते हैं।
- **डिजिटल लेनदेन:** भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम ((NPCI) के आँकड़ों से पता चलता है कि **जून 2024 की तुलना में जुलाई में UPI** लेनदेन की मात्रा में **3.95% की वृद्धि** हुई, जबकि लेनदेन का मूल्य 2.84% बढ़ा।

भारत में वित्तीय समावेशन की प्रमुख पहलें:

- **प्रधानमंत्री जन धन योजना (PMJDY):** वर्ष 2014 में शुरू की गई प्रधानमंत्री जन धन योजना एक प्रमुख वित्तीय समावेशन कार्यक्रम है जिसे सार्वभौमिक बैंकिंग पहुँच प्रदान करने और आर्थिक सशक्तीकरण को बढ़ावा देने के लिये डिज़ाइन किया गया है।
  - इस योजना की प्रमुख विशेषताओं में **ज़ीरो बैलेंस शेष खाते** (जिससे न्यूनतम जमा की आवश्यकता समाप्त हो गई है), आकस्मिक मृत्यु या विकलांगता की स्थिति में वित्तीय सुरक्षा के लिये 1 लाख रुपए तक का दुर्घटना बीमा कवरेज और आपात स्थिति के दौरान पात्र खाताधारकों की सहायता के लिये **10,000 रुपए** तक की ओवरड्राफ्ट सुविधा शामिल हैं।
- **सूक्ष्म-बीमा और सूक्ष्म-पेंशन योजनाएँ:** सरकार ने वंचित आबादी तक पहुँच बढ़ाने के लिये निम्न लागतपूर्ण बीमा एवं पेंशन योजनाएँ शुरू की हैं, जिनमें शामिल हैं:
  - **प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (PMSBY):** यह **20 रुपए के वार्षिक प्रीमियम पर 2 लाख रुपए** तक के कवरेज के साथ आकस्मिक मृत्यु एवं विकलांगता बीमा प्रदान करती है।
  - **अटल पेंशन योजना (APY):** यह असंगठित क्षेत्र के लिये पेंशन योजना है, जो **60 वर्ष** की आयु के बाद **1,000 रुपए से 5,000 रुपए** तक की गारंटीकृत मासिक पेंशन प्रदान करती है।
- **अन्य वित्तीय समावेशन पहलें:**
  - **प्रधानमंत्री वय वंदना योजना (PMVVY):** यह पेंशन योजना **60 वर्ष या उससे अधिक** आयु के वरिष्ठ नागरिकों के लिये लागू की गई है जो एक निश्चित अवधि तक निवेश पर रिटर्न की गारंटी देती है।
  - **प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (PMMY):** PMMY **गैर-कॉर्पोरेट, गैर-कृषि लघु/सूक्ष्म उद्यमों को 20 लाख रुपए** तक का ऋण प्रदान करने के रूप में सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के लिये ऋण तक आसान पहुँच की सुविधा प्रदान करती है, जिससे उद्यमशीलता और रोज़गार सृजन को बढ़ावा मिलता है।
  - **'स्टैंड अप इंडिया' योजना:** यह पहल **SC/ST और महिला उद्यमियों को ग्रीनफील्ड** उद्यम स्थापित करने के लिये 10 लाख रुपए से 1 करोड़ रुपए तक के ऋण प्रदान करती है। इसका उद्देश्य इन वर्गों के समावेशी विकास और वित्तीय स्वतंत्रता को बढ़ावा देना है।
  - **अनुसूचित जातियों के लिये उद्यम पूंजी कोष:** यह **कोष SCs उद्यमियों** को व्यवसाय शुरू करने और इसे बढ़ाने में मदद के लिये वित्तीय सहायता प्रदान करता है।
  - **वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना (VPBY):** यह 60 वर्ष और उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों के लाभ के लिये क्रियान्वित योजना है।

नोट :

- **सुकन्या समृद्धि योजना:** सुकन्या समृद्धि योजना बालिकाओं के माता-पिता के लिये एक सरकारी बचत कार्यक्रम है, जिसका उद्देश्य उनकी शिक्षा और विवाह संबंधी व्ययों के लिये बचत को प्रोत्साहित करना है।

- **जेएएम ट्रिनिटी (JAM Trinity):** इसमें **जन धन (बैंक खाते), 'आधार' (बायोमेट्रिक आईडी) और मोबाइल (डिजिटल पहुँच)** शामिल हैं, जो भारत में वित्तीय समावेशन को बढ़ाने के लिये डिज़ाइन किया गया एक ढाँचा है।
  - इस संयोजन का उद्देश्य वित्तीय समावेशन में सुधार करना, प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण को सक्षम बनाना और सेवा वितरण दक्षता को बढ़ाना है। JAM निर्बाध प्रमाणीकरण और डिजिटल लेनदेन की सुविधा देता है, जिससे कल्याणकारी कार्यक्रमों में 'लीकेज' कम होती है।
- **बैंकिंग प्रणाली का विस्तार:** भुगतान बैंक, लघु वित्त बैंक और प्राथमिकता क्षेत्र ऋण—ये संयुक्त रूप से वित्तीय सेवाओं की पहुँच का विस्तार करते हैं और व्यापक आर्थिक भागीदारी एवं समावेशन को बढ़ावा देते हैं।
  - **भुगतान बैंक (Payment Banks):** लघु बचत खातों और भुगतानों के लिये विशेष बैंक।
  - **लघु वित्त बैंक (Small Finance Banks):** बैंक सुविधा से वंचित क्षेत्रों पर केंद्रित।
  - **प्राथमिकता क्षेत्र ऋण (Priority Sector Lending):** कृषि और MSMEs सहित विशिष्ट क्षेत्रों के लिये अधिदिष्ट ऋण।
- **बैंकिंग कॉरेस्पोंडेंट (BCs):** भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने वर्ष 2006 में बैंकिंग कॉरेस्पोंडेंट मॉडल की शुरुआत की थी, ताकि उन क्षेत्रों में बैंकिंग सेवाएँ पहुँचाई जा सकें जहाँ पूर्ण-सक्रिय बैंक शाखाएँ खोलना अव्यावहारिक है।
  - **BCs माइक्रो-एटीएम और पॉइंट-ऑफ-सेल डिवाइस** जैसी तकनीक का उपयोग कर खाता खोलने, नकदी जमा करने, निकासी करने, धन हस्तांतरण और शेष राशि की जानकारी देने जैसी बुनियादी सेवाएँ प्रदान करते हैं।
- **डिजिटल भुगतान और वित्तीय प्रौद्योगिकी:** डिजिटल प्रौद्योगिकी ने भारत में वित्तीय सेवाओं में क्रांति ला दी है, जहाँ सरकार समर्थित और निजी क्षेत्र के नवाचारों ने वित्तीय समावेशन को बढ़ावा दिया है।
  - **एकीकृत भुगतान इंटरफेस (UPI):** वर्ष 2016 में लॉन्च किया गया UPI मोबाइल ऐप के माध्यम से बैंक खातों के बीच तत्काल धन हस्तांतरण को सक्षम बनाता है, एक ही ऐप में कई खातों के संचालन का समर्थन करता है और निर्बाध लेनदेन की सुविधा प्रदान करता है।
    - RBI की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार, वित्त वर्ष **24 में भारत में लगभग 80%** डिजिटल भुगतान UPI के माध्यम से किये गए।
  - **भारत इंटरफेस फॉर मनी (BHIM):** यह UPI-आधारित ऐप है, जिसे बेसिक स्मार्टफोन और निम्न कनेक्टिविटी वाले क्षेत्रों के लिये डिज़ाइन किया गया है।
  - **RuPay कार्ड:** यह भारत का घरेलू कार्ड नेटवर्क है जो कम लेनदेन लागत के साथ अंतर्राष्ट्रीय योजनाओं पर निर्भरता को कम करता है।
  - **आधार सक्षम भुगतान प्रणाली (AEPS):** यह 'आधार' संख्या और बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण के माध्यम से लेनदेन को सक्षम करने के लिये 'आधार' बायोमेट्रिक डेटाबेस का उपयोग करता है। यह प्रणाली उन लोगों के लिये विशेष रूप से लाभप्रद है जो पारंपरिक बैंकिंग अवसंरचना तक पहुँच का अभाव रखते हैं।
- **सूक्ष्म-वित्त संस्थाएँ (MFIs) और स्वयं सहायता समूह (SHGs):** MFIs और SHGs वंचित समुदायों, विशेषकर ग्रामीण एवं अर्द्ध-शहरी क्षेत्रों में, तक पहुँच बनाने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
  - **सूक्ष्म-वित्त संस्थाएँ (Microfinance Institutions- MFIs):** ये संस्थाएँ उन व्यक्तियों को छोटे ऋण प्रदान करती हैं जो पारंपरिक बैंकिंग सेवाओं तक अभिगम्यता में असमर्थ हैं। इनका उद्देश्य बिना किसी जमानत या संपार्श्विक के ऋण प्रदान कर आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों को सशक्त बनाना है।
  - **स्वयं सहायता समूह (Self-Help Groups-SHGs):** ये समुदाय आधारित संगठन हैं, जहाँ सदस्य बचत संग्रहित करते हैं और एक-दूसरे को ऋण प्रदान करते हैं, जिससे विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में बचत को बढ़ावा मिलता है और आपसी विश्वास के आधार पर ऋण उपलब्ध होता है।
    - भारत में लगभग **12 मिलियन SHGs सक्रिय** हैं, जिनमें से **88% पूर्णरूपेण** महिला सदस्यता वाले समूह हैं। ये समूह वित्तीय अनुशासन को बढ़ावा देने और वंचित समुदायों को ऋण प्रदान करने में महत्त्वपूर्ण सिद्ध हुए हैं।
- **वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम:** वित्तीय सेवाओं के प्रभावी उपयोग को सुनिश्चित करने के लिये वित्तीय साक्षरता आवश्यक है। कई पहलों का उद्देश्य विभिन्न जनसांख्यिकी में वित्तीय साक्षरता में सुधार करना है।

नोट :

- **वयस्क वित्तीय शिक्षा कार्यक्रम (Financial Education Programme for Adults-FEPA):** यह एक वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य वित्तीय शिक्षा के लिये राष्ट्रीय रणनीति के अनुरूप किसानों, महिला समूहों और विभिन्न कर्मकारों सहित वयस्क लोगों के बीच वित्तीय जागरूकता का प्रसार करना है।
- **राष्ट्रीय वित्तीय शिक्षा केन्द्र (National Centre for Financial Education- NCFE):** यह बजट निर्माण, बचत, निवेश और वित्तीय उत्पादों को समझने पर ध्यान केंद्रित करते हुए शैक्षिक संसाधनों, कार्यशालाओं और प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से वित्तीय साक्षरता को बढ़ावा देता है।

- **डिजिटल वित्तीय साक्षरता अभियान:** यह लोगों को डिजिटल बैंकिंग, ऑनलाइन लेनदेन एवं साइबर सुरक्षा के बारे में शिक्षित करता है, जो डिजिटल वित्तीय उपकरणों के व्यापक प्रचलन और साइबर धोखाधड़ी की बढ़ती घटनाओं को देखते हुए अत्यंत महत्त्वपूर्ण है।

वित्तीय समावेशन से संबद्ध चुनौतियाँ:

- **'डिजिटल डिवाइड':** भारत का विशाल और विविध भूगोल दूरदराज के क्षेत्रों में वित्तीय सेवाएँ प्रदान करने में गंभीर चुनौतियाँ प्रस्तुत करता है, जहाँ ग्रामीण आबादी के एक बड़े भाग के पास स्मार्टफोन और इंटरनेट कनेक्टिविटी तक पहुँच नहीं है।
  - ग्रामीण क्षेत्रों में अपर्याप्त सड़क संपर्क, अविश्वसनीय विद्युत आपूर्ति और सीमित इंटरनेट पहुँच वित्तीय सेवाओं के विस्तार में बाधा उत्पन्न करती है।
  - उदाहरण के लिये, भारत की **इंटरनेट पहुँच दर (internet penetration rate) लगभग 52%** है, जो वैश्विक औसत 66% से कम है। यह डिजिटल डिवाइड डिजिटल वित्तीय सेवाओं की पहुँच और प्रभावशीलता को सीमित करता है।
- **वित्तीय साक्षरता:** वित्तीय साक्षरता का निम्न स्तर, विशेष रूप से ग्रामीण आबादी और निम्न-आय वर्ग में, वित्तीय सेवाओं के प्रभावी उपयोग में बाधा उत्पन्न करता है।
  - बहुत से लोगों को वित्तीय उत्पादों को समझने और सूचना-संपन्न वित्तीय निर्णय लेने में कठिनाई होती है।
- **लैंगिक अंतराल:** सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक कारकों के कारण महिलाओं को वित्तीय समावेशन में अतिरिक्त बाधाओं का सामना करना पड़ता है।
  - उदाहरण के लिये, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (NFHS-5) से पता चलता है कि भारत में केवल **33% महिलाएँ इंटरनेट** का उपयोग करती हैं, जबकि पुरुषों के लिये यह आँकड़ा 57% है।
  - सीमित परिसंपत्ति स्वामित्व और महिलाओं में निम्न वित्तीय साक्षरता दर इस अंतराल की वृद्धि में योगदान करते हैं।
- **KYC मानदंड की पूर्ति में कठिनाई:** सुधारों के बावजूद, बहुत से लोग अभी भी वित्तीय सेवाओं तक पहुँच के लिये आवश्यक दस्तावेज़ उपलब्ध कराने में संघर्ष करते हैं।
  - यह विशेष रूप से प्रवासी श्रमिकों और अनौपचारिक क्षेत्र में कार्यरत लोगों के लिये चुनौतीपूर्ण है।
- **अंतिम-दूरी संपर्क:** दूरदराज के क्षेत्रों में बैंकिंग सेवाओं की निरंतर उपलब्धता सुनिश्चित करना एक चुनौती बनी हुई है।
  - बैंकिंग प्रतिनिधियों के अनियमित आगमन और ATM के का काम न करने जैसी समस्याएँ सेवा की गुणवत्ता को प्रभावित करती हैं।
- **MSMEs के लिये ऋण तक पहुँच: सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (MSMEs)** को प्राय: संपार्श्विक की कमी, क्रेडिट इतिहास और जटिल ऋण आवेदन प्रक्रियाओं के कारण औपचारिक ऋण तक पहुँच में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।
- **साइबर सुरक्षा संबंधी चिंताएँ:** डिजिटल वित्तीय सेवाओं के विकास के कारण साइबर सुरक्षा संबंधी जोखिम बढ़ गए हैं।
  - उदाहरण के लिये, **राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB)** के अनुसार वर्ष 2022 में साइबर अपराध की रिपोर्टिंग में **24.4% की वृद्धि** हुई, जहाँ कुल **65,893 मामले दर्ज** किये गए, जो वर्ष **2021 के 52,974 मामलों** की तुलना में उल्लेखनीय वृद्धि को दर्शाता है।
  - डिजिटल धोखाधड़ी की बढ़ती घटनाएँ और उपयोगकर्त्ताओं के बीच साइबर सुरक्षा के सर्वोत्तम अभ्यासों के बारे में सीमित जागरूकता गंभीर चुनौतियाँ पेश करती हैं।

आगे की राह:

- **डिजिटल अवसंरचना को सशक्त करना:** **भारतनेट (BharatNet) परियोजना** और ग्रामीण क्षेत्रों में सार्वजनिक वाई-फाई के माध्यम से इंटरनेट कनेक्टिविटी का विस्तार करना तथा दूरसंचार अवसंरचना में निजी निवेश को प्रोत्साहित करना डिजिटल अवसंरचना को सशक्त करेगा।
- **वित्तीय साक्षरता कार्यक्रमों को बढ़ावा देना:** डिजिटल वित्तीय सेवाओं और साइबर सुरक्षा की समझ को बेहतर बनाने

नोट :

के लिये वित्तीय साक्षरता कार्यक्रमों को बढ़ावा दिया जाए। यह उपयोगकर्ताओं के लिये सुरक्षित रूप से ऑनलाइन लेनदेन करने, पहुँच में अंतराल को दूर करने और दूरदराज एवं सेवा-वंचित क्षेत्रों में कमज़ोरियों को कम करने के लिये महत्त्वपूर्ण है।

- अंतिम-दूरी कनेक्टिविटी के लिये प्रौद्योगिकी का लाभ उठाना: सुरक्षित लेनदेन के लिये **ब्लॉकचेन, क्रेडिट स्कोरिंग** के लिये AI और साक्षरता बाधाओं को दूर करने के लिये वॉइस-बेस्ड इंटरफेस का उपयोग किया जाए।

- **महिलाओं और ग्रामीण आबादी पर ध्यान केंद्रित करना:** महिलाओं, गरीबों और ग्रामीण क्षेत्र के निवासियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये वित्तीय उत्पादों एवं सेवाओं को अनुकूल बनाया जाए। इसमें **लिंग-संवेदनशील वित्तीय उत्पाद का निर्माण करना, माइक्रोक्रेडिट प्रदान करना और बचत योजनाएँ पेश करना** शामिल हो सकता है, जो विशेष रूप से इन समूहों की सेवा करें।
  - वित्तीय समावेशन में लगातार बने रहे लिंग अंतराल को दूर करने के लिये लक्षित नीतियाँ लागू की जाएँ। इसमें महिला-केंद्रित वित्तीय सेवाओं को बढ़ावा देना, सूक्ष्म-वित्त के माध्यम से महिला उद्यमिता को प्रोत्साहित करना और यह सुनिश्चित करना शामिल हो सकता है कि वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम महिलाओं के लिये सुलभ हों।
- **KYC मानदंडों को सरल बनाना:** दूर से खाता खोलने के लिये वीडियो KYC लागू किया जाए, एकीकृत KYC प्रणाली का सृजन किया जाए और पारंपरिक दस्तावेज़ नहीं रखने वाले लोगों के लिये वैकल्पिक तरीके विकसित किये जाएँ।
- **बैंकिंग कॉरेस्पोंडेंट मॉडल को सुदृढ़ करना:** बैंकिंग कॉरेस्पोंडेंट प्रशिक्षण एवं प्रोत्साहन में सुधार किया जाए, सेवाओं की पेशकश का विस्तार किया जाए और निगरानी को बेहतर बनाया जाए। इससे, विशेष रूप से दूरदराज के कक्षेत्रों में, अंतिम-दूरी बैंकिंग तक पहुँच बढ़ेगी।
- **'क्रेडिट हिस्ट्री' और 'डेटा शेयरिंग':** CIBIL जैसी ऑनलाइन क्रेडिट हिस्ट्री प्रणालियों को उन्नत बनाया जाए।
  - लोगों के लिये अपने क्रेडिट इतिहास का निर्माण करने और उस तक पहुँचने की क्षमता प्रदान करने से वित्तीय संस्थाओं को **पहली बार क्रेडिट एवं अन्य वित्तीय सेवाएँ** प्रदान करने तथा सेवा-वंचित क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को क्रेडिट एवं अन्य वित्तीय सेवाएँ प्रदान करने के लिये प्रोत्साहित किया जा सकता है।

निष्कर्ष:

भारत में व्यापक वित्तीय समावेशन की दिशा में यात्रा जारी है, जो उल्लेखनीय प्रगति और लगातार बनी रही चुनौतियों से चिह्नित होती है। विभिन्न सरकारी पहलों, तकनीकी नवाचार और विभिन्न क्षेत्रों में सहयोगात्मक प्रयासों के अभिसरण ने अधिक समावेशी वित्तीय पारिस्थितिकी तंत्र के लिये एक सुदृढ़ नींव का निर्माण किया है। अन्य अंतरालों को दूर करने के लिये अवसंरचनात्मक सीमाओं को संबोधित करने, वित्तीय साक्षरता बढ़ाने और वंचित वर्गों के लिये अनुकूलित समाधान विकसित करने जैसे विषयों पर निरंतर ध्यान देने की आवश्यकता है।

भारत जब इस दिशा में आगे बढ़ रहा है तो इस बात पर बल दिया जाना चाहिये कि वित्तीय समावेशन सभी नागरिकों के लिये सार्थक वित्तीय सशक्तिकरण और बेहतर आर्थिक परिणामों में परिणत हो। इसमें न केवल पहुँच का विस्तार करना बल्कि उपयोग को बढ़ावा देना, औपचारिक वित्तीय प्रणाली में विश्वास का निर्माण करना और उभरती आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये निरंतर नवाचार करना शामिल है। भारत की समतामूलक और सतत आर्थिक विकास की आकांक्षाओं को साकार करने में वास्तविक वित्तीय समावेशन की प्राप्ति अत्यंत आवश्यक है।

■■■

अभ्यास प्रश्न

1. भारत की तेज़ी से बढ़ती वृद्धजन आबादी के सामाजिक एवं आर्थिक प्रणालियों पर पड़ने वाले प्रभावों पर विचार कीजिये। स्वास्थ्य देखभाल, पेंशन और सामाजिक देखभाल में मौजूदा अंतराल को देखते हुए, वृद्धजनों के लिये व्यापक सहायता सुनिश्चित करने के लिये कौन-से उपाय किये जा सकते हैं?
2. वर्तमान में विश्व के समक्ष विद्यमान प्रमुख वैश्विक स्वास्थ्य समस्याओं की चर्चा कीजिये। भारत वैश्विक स्वास्थ्य प्रशासन में योगदान देने के लिये अपने सामर्थ्य का किस प्रकार लाभ उठा सकता है?
3. भारत में वर्तमान जैव विविधता संरक्षण रणनीतियों का मूल्यांकन कीजिये। विभिन्न स्व-स्थाने और बाह्य-स्थाने विधियों की प्रभावशीलता पर चर्चा कीजिये और जैव विविधता संरक्षण प्रयासों को बेहतर बनाने के उपाय सुझाइये।
4. सार्वजनिक क्षेत्र के संस्थानों में निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) के उपयोग से जुड़ी नैतिक चुनौतियों की चर्चा कीजिये। पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिये इन चुनौतियों का किस प्रकार प्रभावी ढंग से प्रबंधन किया जा सकता है?
5. भारत में आनुवंशिक रूप से संशोधित (GM) फसलों की वर्तमान स्थिति पर चर्चा कीजिये और उनके अंगीकरण से जुड़ी चुनौतियों का मूल्यांकन कीजिये। इससे संबंधित जैव सुरक्षा चिंताओं को संबोधित करने के लिये क्या उपाय किये जाने चाहिये?
6. पड़ोसी देशों में हाल के राजनीतिक और आर्थिक उथल-पुथल के बीच उनके साथ अपने संबंधों को प्रबंधित करने में भारत के समक्ष विद्यमान चुनौतियों एवं अवसरों पर विचार कीजिये। भारत क्षेत्रीय स्थिरता और सहयोग की आवश्यकता के साथ अपने रणनीतिक हितों को किस प्रकार प्रभावी ढंग से संतुलित कर सकता है?
7. भारत में पोषण सुरक्षा प्राप्त करने की राह की प्रमुख चुनौतियों की चर्चा कीजिये। जनसंख्या के लिये बेहतर पोषण परिणाम सुनिश्चित करने के लिये नीतिगत हस्तक्षेपों को किस प्रकार बेहतर बनाया जा सकता है?
8. मध्य-पूर्व की उभरती भू-राजनीतिक गतिशीलता में भारत की भूमिका का विश्लेषण कीजिये। भारत अपने राष्ट्रीय हितों की सुरक्षा करते हुए विभिन्न क्षेत्रीय शक्तियों के साथ अपने संबंधों को किस प्रकार संतुलित कर सकता है?
9. वर्ष 2047 तक विकसित अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में आगे बढ़ते हुए भारत को गतिहीन रोज़गार सृजन और कौशल असंतुलन को संबोधित करने के लिये क्या उपाय करने चाहिये? रोज़गार के अवसरों को बढ़ाने में शिक्षा सुधार, व्यावसायिक प्रशिक्षण और उभरते उद्योगों के लिये समर्थन की भूमिका पर चर्चा कीजिये।
10. भारत में सार्वभौमिक स्वास्थ्य सेवा प्राप्त करने की राह की प्रमुख चुनौतियाँ कौन-सी हैं? शहरी और ग्रामीण स्वास्थ्य सेवा पहुँच के बीच अंतराल को दूर करने पर विशेष ध्यान केंद्रित करते हुए इन चुनौतियों से निपटने के उपायों पर प्रकाश डालिये।
11. भारत के अनुसंधान एवं विकास (R&D) क्षेत्र में विद्यमान चुनौतियों और अवसरों की चर्चा कीजिये। नवाचार और वैश्विक प्रतिस्पर्द्धा को बढ़ावा देने हेतु भारत के R&D पारिस्थितिकी तंत्र को उन्नत बनाने के लिये कौन-से उपाय किये जा सकते हैं?
12. भारत के साइबर सुरक्षा परिदृश्य में विद्यमान प्रमुख चुनौतियों की चर्चा कीजिये और इन खतरों से निपटने में मौजूदा उपायों की प्रभावशीलता का मूल्यांकन कीजिये। उभरते डिजिटल खतरों का मुक़ाबला करने के लिये भारत के साइबर सुरक्षा ढाँचे को सुदृढ़ करने के संबंध में आवश्यक रणनीतियों के सुझाव दीजिये।
13. सर्वोच्च न्यायिक प्राधिकरण के रूप में भारत का सर्वोच्च न्यायालय संवैधानिक मूल्यों और नागरिक स्वतंत्रता को बनाए रखने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस पर प्रकाश डालते हुए, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष विद्यमान प्रमुख चुनौतियों का समालोचनात्मक विश्लेषण कीजिये।
14. भारत की समुद्री सुरक्षा और विदेश नीति में अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के रणनीतिक महत्त्व की चर्चा कीजिये। इन द्वीपों के समक्ष कौन-सी चुनौतियाँ मौजूद हैं और उनके सतत विकास एवं सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिये क्या उपाय किये जाने चाहिये?
15. भारत में समान नागरिक संहिता (UCC) लागू करने के महत्त्व और इसके अंगीकरण से जुड़ी चुनौतियों की चर्चा कीजिये।
16. भारत में मानसिक स्वास्थ्य सेवा प्रणाली के समक्ष विद्यमान प्रमुख चुनौतियों की चर्चा कीजिये। उन्हें प्रभावी ढंग से संबोधित करने के लिये कौन-से उपाय किये जा सकते हैं?

नोट :

17. जनसांख्यिकीय लाभांश की अवधारणा की चर्चा कीजिये और समझाइये कि भारत के वर्तमान युवा रोज़गार परिदृश्य के संदर्भ में यह जनसांख्यिकीय आपदा में क्यों बदल रही है। इस प्रवृत्ति को उलटने के लिये क्या उपाय किये जा सकते हैं?
18. कार्यस्थल पर महिलाओं के समक्ष विद्यमान चुनौतियों का विश्लेषण कीजिये। कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध एवं निवारण) अधिनियम 2013 जैसे विभिन्न कानूनी प्रावधानों के अनुपालन एवं प्रवर्तन में सुधार के लिये क्या उपाय किये जा सकते हैं?
19. भारतीय सिविल सेवाओं में पार्श्व प्रवेश या 'लेटरल एंट्री' के शासन, समावेशिता और सामाजिक न्याय के लिये निहितार्थों की चर्चा कीजिये। इस पहल से संबद्ध चुनौतियों पर भी प्रकाश डालिये?
20. भारत के पूर्वी राज्यों के समक्ष विद्यमान प्रमुख विकास संबंधी चुनौतियाँ कौन-सी हैं? भारत के विकास हेतु उनकी क्षमता को साकार करने के लिये क्या उपाय किये जाने चाहिये?
21. भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र की हाल की उपलब्धियों पर चर्चा कीजिये और राज्य-नेतृत्व वाले अन्वेषण से एक सुदृढ़, वाणिज्यीकृत अंतरिक्ष उद्योग की ओर संक्रमण करने की राह की चुनौतियों एवं अवसरों का विश्लेषण कीजिये।
22. पिछले दो दशकों में भारत-अमेरिका संबंधों में उल्लेखनीय बदलाव आया है, जो एक सतर्क संलग्नता से सुदृढ़ रणनीतिक साझेदारी तक पहुँच गया है। इस परिवर्तन को आगे बढ़ाने वाले प्रमुख कारकों का विश्लेषण कीजिये और उन चुनौतियों की चर्चा कीजिये जो द्विपक्षीय संबंधों को अभी भी आकार दे रही हैं।
23. भारत के खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में प्रमुख चुनौतियों और अवसरों की चर्चा कीजिये। नीतिगत उपाय और प्रौद्योगिकीय प्रगति इन मुद्दों को किस प्रकार संबोधित कर सकती है ताकि क्षेत्र की वृद्धि और वैश्विक प्रतिस्पर्द्धात्मकता को बढ़ाया जा सके?
24. भारत में ई-कॉमर्स के तीव्र विकास के पारंपरिक खुदरा व्यापार पर पड़ने वाले प्रभाव पर चर्चा कीजिये। खुदरा क्षेत्र के संतुलित और समावेशी विकास को सुनिश्चित करने के लिये सरकार को किन उपायों पर विचार करना चाहिये?
25. कार्बन क्रेडिट को पर्यावरण नीतियों में एकीकृत करने के संबंध में भारत के दृष्टिकोण और संबद्ध चुनौतियों पर विशेष रूप से ध्यान केंद्रित करते हुए कार्बन क्रेडिट की अवधारणा पर चर्चा कीजिये तथा जलवायु परिवर्तन से निपटने में उनकी संभावित भूमिका का विश्लेषण कीजिये।
26. व्यापक वित्तीय समावेशन प्राप्त करने में भारत के समक्ष विद्यमान चुनौतियों का मूल्यांकन कीजिये और डिजिटल डिवाइड, वित्तीय साक्षरता एवं अवसंरचना से संबंधित मुद्दों के समाधान के लिये आवश्यक उपायों का प्रस्ताव कीजिये।

■■■

नोट :